द्वितीय माला, खण्ड २१—अंक ३५
२७ सितम्बर, १९५८ (शनिवार)

लोक-सभा
वाद-विवाद

2nd Lok Sabha
(Fifth Session)

(खण्ड २१ में अंक ३१ से अंक ३५ तक हैं)

लोक-सभा, सचिवालय,
नई दिल्ली

६२ नये पैसे (देश में) ३ शिलिंग (विदेश में)

222-A LSD

विषय-सूची

(द्वितीय माला, खंड २१—अंक ३१ से ३५—२२ सितम्बर से २७ सितम्बर १९५८)

पृष्ठ

अंक ३१—सोमवार, २२ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४२७ से १४३१, १४३३, १४३६, १४४० और १४४२ से १४५० ... ३६७१–९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४३२, १४३४, १४३५, १४३७ से १४३९, १४४१, १४५१ से १४६१ और १४६३ से १४७६ ... ३६९५–३७०७

अतारांकित प्रश्न संख्या २४३७ से २४८४ और २४८६ से २४९९ ... ३७०७–३०

जानकारी का प्रश्न ... ३७३१, ३७३२

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ... ३७३१

राज्य-सभा से सन्देश ... ३७३२

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ... ३७३२

याचिका समिति—

चौथा प्रतिवेदन ... ३७३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी बंगाल के बीच सीमा रेखा के बारे में ... ३७३३

सभापति तालिका ... ३७३३

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ... ३७३४

केरल की स्थिति सम्बन्धी प्रस्ताव के बारे में ... ३७३४–३८

द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मूल्यांकन तथा उसकी सम्भावनाओं के बारे में प्रस्ताव ... ३७३८–९१

दैनिक संक्षेपिका ... ३७९२–९८

अंक ३२—मंगलवार, २३ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ से १४८१, १४८३, १४८५, १४८७, १४८८, १४९० से १४९६, १४९८, १५०१ और १५०३ ... ३७९९–३८२४

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८२, १४८४, १४८६, १४८६, १४६७, १४६६, १५००, १५०२, १५०४ से १५१७ और १५१६ से १५२१ . . ३८२४–३४

अतारांकित प्रश्न संख्या २५०० से २५६६ . . ३८३४–७८

सभा पटल पर रखे गये पत्र ३८७८–७६

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . ३८७६–८१

विशेषाधिकार के प्रश्न के बारे में . . . ३८८१–६०

तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण . ३८६०–६१

वर्ष १६५८–५६ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांगें . . . ३८६१–३६२०

कोयले के निर्यात के बारे में आधे घण्टे की चर्चा . . . ३६२०–२५

दैनिक संक्षेपिका ३६२६–३२

अंक ३३—बुधवार, २४ सितम्बर, १६५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५२२ से १५२६, १५३१ से १५३४, १५३६, १५३८ और १५४१ से १५४५ . . . ३६३३–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १५३०, १५३५, १५३७, १५३६, १५४०, १५४६ से १५५७, १५५७-क, १५५८, १५५६, १५५६-क, १५५६-ख, १५६० से १५८३ और १५८३-क . . ३६५६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या २६०१ से २७११, २७१३, २७१५ से २७३५, २७३७ से २७४१, २७४१-क और २७४१-ख . . ३६७५–४०३६

स्थगन प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३७–३८

विशेषाधिकार के प्रस्ताव के सम्बन्ध में . . ४०३८–३६

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ४०३६–४०

सदस्य की गिरफ्तारी . . . ४०४०

याचिका समिति—

कार्यवाही सारांश ४०४१

राज्य-सभा से सन्देश . . ४०४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

मोती बाग में कुछ मकानों आदि के गिराये जाने के कारण अनसूचित जाति के लोगों को हुई कठिनाई . . ४०४१–४३

	पृष्ठ
तारांकित प्रश्न संख्या १२६७ पर अनुपूरक प्रश्नों के उत्तरों का स्पष्टीकरण	४०४२
सभा का कार्य	४०४२–४३
वर्ष १९५८–५९ के लिये अनुपूरक अनुदानों की मांग	४०४३—४५
अन्तर्राष्ट्रीय वित्त निगम (पद. उन्मुक्तियां और विशेषाधिकार) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव—	४०४५—७२
खण्ड २, ३, ४ और १ तथा अनुसूची	४०६६—७०
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	४०७०—७२
उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०७२—७७
स्त्रियों तथा लड़कियों के अनैतिक पण्य के दमन के बारे में आधे घंटे की चर्चा	४०७७—८१
दैनिक संक्षेपिका	४०८२—९१
अंक ३४—गुरुवार, २५ सितम्बर, १९५८	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५८४ से १५८७, [illegible], १५८८ से १५९०, १५९२ से १५९६, १५९८ और १६००	४०९३—४११४
अल्प सूचना प्रश्न संख्या १५ और १६	४११५—१८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या १५९१, १५९३, १५९९, १६०१ से १६०६, १६०६-क, १६०७ से १६१७, १६१७-क, १६१८ से १६३२, १६३४ से १६३६, १६३६-क, १६३७, १६३७-क और १६३८ से १६४३	४११८—३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३४२ से २३५०, २३५२ से २८५४, २८५६ से २८६९ और २८६९-क	४१३९—९०
सभा पटल पर रखे गये पत्र	४१९०–९१
सदस्य की गिरफ्तारी	४१९१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	४१९१
प्राक्कलन समिति—	
छब्बीसवां प्रतिवेदन	४१९१
सभा की बैठकों में सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—	
नवां प्रतिवेदन	४१९२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
शोलापुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड के बन्द हो जाने से देश में वस्त्र उत्पादन में कमी	४१९२
भारत एलेक्ट्रानिक्स (प्राइवेट) लिमिटेड के वार्षिक प्रतिवेदन के बारे में वक्तव्य—	
सभा पटल पर रखा गया	४१९३

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या ७६४ के उत्तर की शुद्धि ४१९४

विनियोग (संख्या ४) विधेयक—

पुरःस्थापित ४१९४

विचार तथा पारित करने का प्रस्ताव ४१९४–९५

सभा का कार्य ४१९५,४२२२

उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक —

विचार करने का स्ताव ४१९५–४२२२

खण्ड २ से २५, अनुसूची और खण्ड १ ४२१३–२२

पारित करने का प्रस्ताव ४२२२

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ४२२२–३१

दैनिक संक्षेपिका ४२३२–४०

अंक ३५—शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६४३-क, १६४४ से १६४९, १६५१, १६५२,१६५५, १६५७ से १६६०, १६६४ और १६६५ ४२४१–६५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७ से २० ४२६५–७५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५०, १६५३, १६५४, १६५६, १६६१ से १६६३, १६६६ से १६९२, १६९२-क, और १६९३ से १६९८ ४२७५–९०

अतारांकित प्रश्न संख्या २८७० से २९९० और २९९२ से ३०२५ ४२९०–४३६३

स्थगन प्रस्ताव—

भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना ४३६४–६५

सभा पटल पर रखे गये पत्र ४३६५–६६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६६

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति—

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६६

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति—

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ४३६७

पृष्ठ

सदस्य की गिरफ्तारी . ४३६७–६८

सदस्यों को संज्ञा . . . . ४३६८—४४०१

विशेषाधिकार समिति—

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन . . ४३६८

प्राक्कलन समिति . . . .

सत्ताइसवां तथा अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ४३६९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

१. अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना . ४३६९—७०

२. कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही . ४३७०—७१

अनुपस्थिति की अनुमति . . ४३७१

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर की शुद्धि ४३७१—७२

विशेषाधिकार प्रस्ताव—

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य ४३७२—८५

विधेयक—पुर:स्थापित—

१. भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक . ४३८५–८६

२. संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक । ४३८६

३. चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक । ४४०४

जानकारी का प्रश्न ४३८६–८७

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों के रूपभेद के सम्बन्ध में प्रस्ताव ४३८७—९०

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में . . ४३९२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन ४३९१

उड़ीसा मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिए आयोग के बारे में संकल्प . . . ४३९२—४४०१

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिए एक समिति नियुक्त करने के बारे में संकल्प . . . ४४०१—०३

अमेरिका को रूई के संभरण के सम्बन्ध में आधे घण्टे की चर्चा ४४०५—०९

दैनिक संक्षेपिका . ४४१०—२१

पांचवें सत्र का कार्यवाही सारांश ४४२२–२४

नोट:—मौखिक उत्तर वाले प्रश्न में किसी नाम पर अंकित यह चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

खुले माल के डिब्बों में खाद्यान्नों का ले जाया जाना

६४३-क. { श्री भक्त दर्शन :
श्री मुहम्मद ताहिर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुजफ्फरपुर (बिहार) के जिला अधिकारियों द्वारा १५०० मन गेहूं इसलिये खाने के अयोग्य घोषित कर दिया है, क्योंकि वह खुले डिब्बों में आया था और इस कारण वर्षा में भीग कर खराब हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो उस गेहूं को किन कारणों से खुले डिब्बों में लाया गया ;

(ग) उपरोक्त घटना के लिये जिम्मेदार कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है ;

(घ) क्या इस तरह की लापरवाही की घटनायें देश के किन्हीं अन्य भागों में भी होने के समाचार मिले हैं; और

(ङ) भविष्य में ऐसी घटनायें न होने पायें---इसके लिये कौन से कदम उठाये गये हैं अ वा उठाये जाने वाले हैं ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। लेकिन मुज़फ्फरपुर म्युनिसिपैलिटी के हैल्थ अफसर ने लगभग ४१९ मन गेहूं के बारे में यह बताया कि वह आदमियों के खाने लायक नहीं है।

(ख) अभी हाल में बिहार के लिये जो अनाज मंजूर हुआ था उसे विशाखापत्तनम् बंदरगाह से बिहार जल्द भेजने की जरूरत थी। अनाज बहुत ज्यादा था और वहां बन्द माल डिब्बों की कमी थी। इसलिये, खाद्य मंत्रालय की राय से कुछ अनाज खुले माल डिब्बों में भेजने की इजाजत दे दी गयी।

(ग) इसकी ब्योरेवार जांच की जा रही है और अगर कोई रेल-कर्मचारी इसके लिये ज़िम्मेवार पाया गया, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

222—A—LSD—1.

(घ) पानी से भीग कर अनाज खराब हो जाने की रिपोर्ट कुछ दूसरे स्टेशनों से भी मिली है।

(ङ) इस बात का पूरा इत्मीनान कर लिया गया था कि जिन खुले माल-डिब्बों में अनाज भेजा जा रहा है, उन्हें तिरपाल से ढक कर अच्छी तरह कस दिया जाय और पूरे रास्ते में उनकी देख-भाल के लिये आदमी मौजूद रहें। इतनी सावधानी बरतने के बाद उन डिब्बों में जो अनाज रखा हुआ था उसे आम तौर पर कोई नुक्सान नहीं पहुंचना चाहिये था।

श्री भक्त दर्शन : इस समय जो जांच पड़ताल की जा रही है, चूंकि यह मामला बहुत संगीन है, इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि देर से देर कब तक इस बारे में फैसला हो जायेगा कि किस की जिम्मेवारी है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** जांच समाप्त होते ही हमें परिणाम का पता चल जायेगा।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह भी विचार किया जा रहा है कि अगर इस जांच पड़ताल के बाद यह साबित हो जाये कि रेलवे विभाग के कुछ कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से यह गल्ला सड़ गया, तो क्या उन लोगों से उस का रुपया वसूल किया जायगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** यह तो काल्पनिक है।

†**श्री तंगामणि :** क्या सरकार यह आवश्यक निदेश जारी करेगी कि खाद्यान्नों को खुले वैगनों में नहीं लाना —ले जाना चाहिये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** यह तो परिस्थितियों पर निर्भर है। माल काफी था और उसका उठाया जाना ज़रूरी था। जुलाई और अगस्त में हमें क्रमश: ४२,००० और ३०,००० मन माल उठाना था। बन्द वैगनों की कमी थी, इसलिये खुले वैगनों में ही खाद्यान्न को लाना ले जाना पड़ा और अपेक्षित सावधानी से काम लिया गया।

†**श्री त० व० विट्ठलराव :** खाद्यान्नों को खुले वैगनों में ले जाते समय उनको मोम जामे से ढ़का नहीं जाता ताकि पानी भीतर न जाये ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** मैं कह चुका हूं कि उन्हें मोम जामे से ढ़का गया था और इसके लिये खाद्य मंत्रालय से भी परामर्श कर लिया गया था। सभी पूर्वोपाय किये गये थे, और सामान्यतः कोई हानि नहीं होती।

श्री भक्त दर्शन : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो गेहूं वहां लाया गया था वह कौन से स्टेशन से लाया गया था और कितनी कीमत के अनाज का नुक्सान हुआ ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** विज़ाग से।

†**श्री भक्त दर्शन :** लागत की राशि क्या थी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** खेद है कि मेरे पास केवल मात्र सम्बन्धी आंकड़ें ही हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

दामोदर घाटी निगम के लिये नौकाओं की खरीद

†*१६४४. श्री सुबोध हंसदा : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना में दामोदर घाटी निगम के लिये मनोरन्जन नौकाओं की खरीद करने की कोई भी व्यवस्था की गयी है ;

(ख) यदि हां, तो इस के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है ;

(ग) आज तक कितनी नौकायें खरीदी गयीं ; और

(घ) इन नौकाओं की खरीद पर कितनी राशि व्यय की गई ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नौकाओं की खरीद की कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। फिर भी यात्रा करने योग्य स्थानों पर समुचित सुविधाओं की व्यवस्था करने के लिये ११ लाख रुपये की राशि निर्धारित की गई है। पर्यटक यातायात को प्रोत्साहन देने के इस व्यवस्था में से नौकायें खरीदने के लिये व्यय किया जा सकता है।

(ग) ४४

(घ) १, २५,६०१ रुपये ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सत्य है कि लेखा परीक्षा विभाग ने सरकार की स्वीकृति के बिना इन नौकाओं को खरीदने के कारण दामोदर घाटी निगम प्राधिकारियों की निन्दा की है। यदि हां, तो इस में क्या कोई कार्यवाही की गयी है ?

†श्री हाथी : सरकार की स्वीकृति के बिना नौकायें खरीदने पर उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की है। दामोदर घाटी निगम एक स्वायत्त निकाय है । इसलिये सरकार की स्वीकृति का कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता ।

†श्री सुबोध हंसदा : क्या यह सच है कि उन नौकाओं की बहुत अधिक कीमत अदा की गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस पर लेखा परीक्षा विभाग ने आपत्ति की है ?

†श्री हाथी : अदा की गयी कीमत कोई अधिक नहीं है । २७ नौकायें खरीदी गयी थीं, उस के लिये कुल ६९,००० रुपये के लगभग अदा किया गया था, जो उचित लागत है ।

†श्री साधन गुप्त : प्रश्न यह है कि क्या लेखा परीक्षा विभाग ने इस प्रकार की खरीद के लिये आपत्ति की है ? प्रश्न यह नहीं है कि सरकार की दृष्टि में कीमत अधिक थी अथवा नहीं ?

†श्री हाथी : आपत्ति तो केवल उनकी संख्या के बारे में थी कि क्या इतनी नौकायें आवश्यक थीं, कीमतों के बारे में कोई बात नहीं थी ।

†श्री न० रा० मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि ये नौकायें मरम्मत के काबिल हो गई थीं और उन पर कई हजार का खर्च करने के पश्चात् ही, वे प्रयोग के योग्य हो सकेंगी ?

†श्री हाथी : उनको ठीक करने में कुल १९,००० हजार रुपये खर्च हुये ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री प्रभात कार : क्या यह सच है कि इनमें बहुत सी नौकायें बेकार पड़ी हैं और दामोदर घाटी निगम के कामों के लिये इतनी संख्या में नावों की आवश्यकता नहीं थीं ?

†श्री हाथी : यह नौकायें इस लिये खरीद ली गयीं थीं कि निगम को सस्ती कीमत पर मिल रही थीं। यह कीमत २००० से ३००० रुपये प्रति नाव थी जब कि सामान्य दर लगभग २३,००० रुपये है। काम में प्रगति होते ही, वहां छ: जलाशय बनेंगे तब इन नौकाओं की आवश्यकता पड़ेगी।

†श्री सिंहासन सिंह : क्या ये मनोरन्जन नौकायें पर्यटकों अथवा यात्रियों के लिये, अथवा अधिकारियों के सैर सपाटे के लिये हैं ?

†श्री हाथी : नहीं जी, ये विभिन्न प्रकार के कामों में आती हैं। ये परियोजना के नौवहन कार्य में काम आती हैं, और पर्यटक यातायात की आवश्यकताओं को भी पूरा करती हैं ?

†श्री आचार : उनकी खरीद किस प्रकार की गयी थी। क्या कोई टेण्डर मांगे गये थे? और कीमतें किस प्रकार निर्धारित की गयी थीं ?

†श्री हाथी : टेण्डर नहीं लिये गये थे। परन्तु दामोदर घाटी निगम ने प्रमुख नाव व्यापारियों से जांच कर के बाजार दर से इसका मुकाबला कर लिया था। यह कीमत २३००० से २५००० रुपये तक थी।

†श्री रंगा। क्योंकि इन नावों का अभी बहुत ही थोड़ा प्रयोग किया गया है, यद्यपि इसे बहुत ही अच्छा सौदा समझ कर खरीदा गया था, अतः क्या उन्हें अच्छी कीमत पर बेचने के औचित्य पर सरकार विचार कर सकती है ?

†श्री हाथी : यह अच्छा सुझाव है, यदि फालतू नावें हुईं तो निगम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करेगा ?

†श्री रंगा : क्या मैं जान सकता हूं.......

†उपाध्यक्ष महोदय : मनोरन्जन नौकाओं को इतना समय नहीं लेना चाहिये।

हथगोलों के सम्बन्ध में पुलिस की जांच

†*१६४५. श्री राम कृष्ण : क्या रेलवे मंत्री २४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे पर नरेन्द्रपुर और मंसा के रेलवे स्टेशनों के बीच रेल मार्ग पर प्राप्त ९ हथगोलों के मामले में पुलिस की जांच पूरी हो चुकी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच का क्या परिणाम निकला है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) और (ख). मामले की पुलिस अभी जांच कर रही है, और अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है।

†श्री राम कृष्ण : अब तक किस प्रकार की जांच की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री शाहनवाज खां : यही सामान्य पुलिस जांच कि हथगोले किसने फैंके थे ।

†श्री म० र० कृष्ण : यह हथगोलों का पता लगाने की यह पहली घटना है अथवा इस प्रकार की चीजें आये दिन होती रहती हैं ?

†श्री शाहनवाज खां : जहां तक मेरा विचार है, यह अपने ढंग की पहली ही घटना है ।

†श्री तंगामणि : क्या यह सच है कि एक छोटा हथगोला दो मास हुये त्रिचनापल्ली और मनामदुरा स्टेशनों के बीच रेलवे लाइन पर मिला था ?

†श्री शाहनवाज खां : मुझे इसका पता नहीं । यह पटाखा या कुछ और होगा ।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, क्या पुलिस ने रेलवे मंत्रालय को यह रिपोर्ट दी है कि किस वजह से इस बात पर इतनी देरी हो रही है ?

†श्री शाहनवाज खां : पुलिस इनक्वायरी (जांच) कर रही है। हमें तो उसकी कोई खास इत्तिला अभी तक नहीं है ।

अन्तर्देशीय जल परिवहन

†*१६४६. { सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या परिवहन तथा संचार मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८० के उत्तर के संबंध में यह बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में खले समिति द्वारा अब तक कार्य में क्या प्रगति की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६५].

†सरदार इकबाल सिंह : क्या समिति के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के बारे में कोई समयावधि निश्चित की गई है अथवा यह समिति कब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

†श्री राज बहादुर : समिति के निर्देश पदों के प्रकार के बावजूद समिति के लिये प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय निर्धारित कर लेना सम्भव नहीं है। समिति को प्रत्येक पत्तन पर जा कर प्रत्येक चीज का अच्छी प्रकार परीक्षण करना होगा । अन्तिम प्रतिवेदन की तो नहीं परन्तु अन्तरिम प्रतिवेदन की आशा शीघ्र की जा सकती है ।

†सरदार इकबाल सिंह : विवरण में कहा गया है कि समिति ने अन्तरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है, क्या मैं विस्तार से उसे जान सकता हूं ?

†श्री राज बहादुर : इसी विवरण में कुछ बातें विस्तार से दी गई हैं ?

†सरदार इकबाल सिंह : क्या सरकार ने इन अन्तरिम प्रतिवेदनों पर विचार किया है और यदि हां, तो क्या इन पर कुछ कार्यवाही की गयी है ?

†श्री राज बहादुर : कुछ पर कार्यवाही की जा रही है ।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या इस समिति ने इस बात पर भी विचार किया है कि हुगली में नौवहन की सम्भावनायें क्या हैं और निकट भविष्य में उसमें किस प्रकार बचत की जा सकेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : हुगली में नौवहन का प्रश्न वास्तविक तौर पर पत्तन के कार्यों के अन्तर्गत आता है और अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में समिति उस पर सामान्यतः ही विचार कर सकती है ।

†**श्री तंगामणि** : क्या इस अन्तरिम प्रतिवेदन में आंध्र और तामिलनाड के बीच अन्तर्देशीय परिवहन में सुधार करने , विशेषतः बकिंघम नहर के मामले पर भी विचार किया गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : प्रश्न मेरी समझ में नहीं आया ?

†**श्री तंगामणि** : विवरण में कहा गया है कि प्रतिवेदन में आंध्र, तामिलनाड तथा अन्य राज्यों के अन्तर्देशीय जल परिवहन के सुधार के सम्बन्ध में सुझाव दिये हैं। क्या बकिंघम नहर के सुधार पर विचार किया गया है यदि हां तो क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्री राज बहादुर** : मद्रास के सम्बन्ध में विभिन्न सिफारिशों के बारे में मैं कुछ कह सकता हूं । समिति ने सिफारिश की है कि बकिंघम नहर की बाहर की खुदाई आंध्र तथा मद्रास की सरकारों को करनी चाहिये । इन्होंने यह भी सिफारिश की है कि १७६ मील से १८१ मील तक कोटापटनम् और मंडी गुंडी के बीच ६ फुट गहराई होनी चाहिये और दोनों राज्य सरकारों को एक एक तलकर्षण प्राप्त करना चाहिये । ये महत्वपूर्ण सिफारिश हैं ?

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या अन्तरिम प्रतिवेदन पर तुरन्त कार्यवाही आरम्भ कर दी जायेगी अथवा अन्तिम प्रतिवेदन की प्रतीक्षा की जायेगी ?

†**श्री राज बहादुर** : जब भी सम्भव होगा कार्यवाही की जायेगी और उसके लिये प्रत्येक राज्य सरकार को तैयार होना होगा । अन्तरिम सिफारिशों से यह स्पष्ट है, कि इस बात का बहुत से राज्यों का सम्बन्ध है । अर्थात् उड़ीसा, आंध्र, केरल और उत्तर पूर्वी नदिया सभी इसके अन्तर्गत आ जाती हैं । प्रत्येक मामले में अलग अलग सिफारिशें की गयी हैं और राज्य सरकारें उस पर अमल कर रही हैं ।

†**श्री हेम बरुआ** : क्या गोखले समिति संयुक्त स्टीमर समवायों की आस्तियां और दायित्व भी देखेगी जो कि आसाम बिहार की नदियों में नौकायें चलाते हैं, और जिन्हें बन्द करने की धमकी दी गयी है, यदि हां, तो इन दो राज्यों में नदी सेवाओं को कायम रखने के लिये वैकल्पों का सुझाव देने के लिये भी इस समिति से कहा गया है ?

†**श्री राज बहादुर** : मैं माननीय सदस्य को वह संकल्प बताना चाहता हूं जिसके द्वारा इस समिति को स्थापित किया गया था निर्देश पदों में यही है कि देश में जल परिवहन ने जो कार्य किया है उसका पुनरीक्षण किया जाये । इसलिये माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न इसके अन्तर्गत आ जाता है । क्या मुझे विस्तार में निर्देश-पद बताने होंगे ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न लम्बा था , किन्तु उत्तर उतना लम्बा नहीं होना चाहिये ।

†**श्री रंगा** : मैं जानना चाहता हूं कि हाल ही में भारत सरकार द्वारा आंध्र और तामिलनाड को मिलाने वाली ३०० मील लम्बी बकिंघम नहर में सुधार करने की जो योजना स्वीकृत की गयी थी, उस पर अभी कार्य क्यों आरम्भ नहीं किया गया ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री राज बहादुर : इस मामले के बारे में मैं पूर्वसूचना के बिना उत्तर देने में असमर्थ हूं ।

†सरदार इकबाल सिंह : क्या समिति का पंजाब में भी जाने का विचार है, यदि हां, तो कब ?

†श्री राज बहादुर : अभी तक पंजाब को समिति के कार्यक्रम में शामिल नहीं किया गया है ।

कृषि उत्पाद का परिरक्षण

†*१६४७. श्री सुबिमन घोष : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने एक लम्बे अर्से का ६,५०,००० रुपये का ऋण पश्चिमी बंगाल सरकार को कृषि उत्पाद के परिरक्षण के लिये दिया गया है। इस पर ब्याज दर ४ प्रतिशत से ४ १/२ प्रतिशत है ;

(ख) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल सरकार उस पर कृषकों से $६^{१}/_{४}$ प्रतिशत ब्याज ले रही है ; और

(ग) यदि हां, तो इतना अधिक ब्याज लेने के कारण क्या हैं ?

†सहकार मंत्री (डा० पं० श० देशमुख) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). पश्चिमी बंगाल से इस सम्बन्ध में सूचना मांगी गयी है जो प्राप्त होते हो सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†श्री अ० चं० गुह : यह राशि किस उद्देश्य के लिये पश्चिमी बंगाल सरकार को दी गयी थी और वह उसका किस प्रकार प्रयोग कर रही है ?

†डा० पं० शा० देशमुख : हमने कुल २० लाख रुपया पश्चिमी बंगाल सरकार को दिया है। यह किस उद्दश्य के लिये दिया गया था इस सम्बन्ध में विस्तार से मेरे पास सब कुछ है। उन्होंने केवल $७^{१}/_{२}$ लाख खर्च किया और $१२^{१}/_{२}$ लाख वापस कर दिया । $६^{१}/_{२}$ लाख बर्दवान केन्द्रीय सहकारी तथा उत्पादन समिति को कर्जा सहायता के लिये देने के लिये था। मैं यह नहीं कह सकता कि उसे किस काम में खर्च किया गया क्योंकि यह कई एक कामों के लिये दिया गया था ।

श्री विभूति मिश्र : म मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार किसानों को कर्ज देने के लिये राज्य सरकारों को जो लोंस देती है उनमें क्या वह उनको यह निर्देश देती है कि वे सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलने वाले लोन पर जितने व्याज पर वह उनको मिलता है उस पर वे किसानों से १ परसेंट से अधिक सूद न ले ?

†मूल अंग्रेजी में

डा० पं० शा० देशमुख: ऐसा इरादा तो हमारा रहता है मगर काफ़ी दिक्कतें भी आती हैं क्योंकि यह ऐडवांसेज़ वगैरह देने में कुछ खर्चा भी होता है और स्टेट्स गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं है कि वे उसी सूद पर किसानों को कर्ज़ दे दें जिस पर कि उनको मिलता है मगर हमारी ख्वाहिश यही है कि किसानों को सस्ते से सस्ते सूद की दर पर यह कर्ज़ मिले ।

†**श्री सुबिमन घोष** : क्या मंत्रालय की ओर से पश्चिमी बंगाल सरकार को यह निर्देश दिये जायेंगे कि केन्द्रीय सरकार द्वारा लिये जाने वाले व्याज के ऊपर आधा प्रतिशत से अधिक वसूल न करे ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : यह अच्छा सुझाव है ।

†**श्री प्रभातकार** : क्या सरकार ने इस बात पर ध्यान दिया है कि जिस उद्देश्य के लिये कर्जा दिया गया उसी के लिये खर्च किया जाये और इस सम्बन्ध में शर्तों का राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से पालन किया जाये ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां सामान्यत: हम इसका ध्यान रखते हैं ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : आज कल राज्य सरकार किस दर पर ब्याज वसूल कर रही है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : इस के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

†**श्री शिवनजप्पा** : क्या किसी अन्य राज्य सरकार को भी इस प्रकार का कर्जा दिया गया है ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां, विभिन्न कर्जों की विभिन्न योजनायें योजना आयोग द्वारा स्वीकृत की गयी हैं ।

†**श्री अ० चं० गुह** : मेरे विचार से माननीय मंत्री ने कहा था कि उनके पास आंकड़ों का सारा विवरण है । क्या मैं उन्हें विवरण सभा पटल पर रखने के लिये कह सकता हूं ?

†**डा० पं० शा० देशमुख** : जी हां ।

'कोक्सियल' प्रकार के भूमिगत टेलीफोन तार

*१६४८. { **श्री सिद्धनंजप्पा :**
श्री डामर : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आगरा और दिल्ली को 'कोक्सियल' प्रकार के भूमिगत टेलीफोन तार से मिलाने पर कितना व्यय हुआ ; और

(ख) इस योजना को कार्यान्वित करने से सरकार को क्या आर्थिक लाभ और सुविधा होगी ?

परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : (क) दिल्ली-आगरा अनुभाग (जो भूमिगत केबलों द्वारा बम्बई-आगरा-दिल्ली-आगरा-कलकत्ता मार्ग पर प्रमुख शहरों को मिलाने की प्रणाली का अंग-रूप है) का आनुमानिक व्यय ६५ लाख रुपये है । कुल प्रायोजना का आनुमानिक व्यय ७९५ लाख रुपये है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) इस समूची योजना के पूरा हो जाने पर १४१ लाख रुपयों का वार्षिक लाभ होने की सम्भावना है। बम्बई-दिल्ली-कलकत्ता मार्ग पर प्रमुख शहरों के बीच उच्चकोटि के टेलीफोन परिपथों के बड़े-बड़े ब्लाक उपलब्ध किये जायेंगे।

श्री रा० स० तिवारी : मैं परिवहन मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि यह टेलीफ़ोन जो भूमिगत लगाये गये हैं, इनके क्या देश के और भी हिस्सों में लगाये जाने की कोई योजना है ?

श्री राज बहादुर : परिवहन मंत्रालय की योजनाओं में संपत्ति के लिये यह क्षेत्र रखा गया है।

क्लोरीन मिश्रित तारपीन का तेल

†*१६४९. **श्री बोस** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "क्लोरीन मिश्रित तारपीन तेल" नाम का एक तेल कीटाणु नाशक हैदराबाद की अनुसंधान शाला में तैयार किया गया है ;

(ख) सामान्य हालतों में परीक्षण करने पर यह नया कीटाणु नाशक डी० डी० टी० से तुलनात्मक रूप में कैसा रहा है ; और

(ग) तुलनात्मक तौर पर इसके उत्पादन पर डी० डी० टी० के मकाबले में उसकी मात्रा की आवश्यकता देखते हुये क्या होगा ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) अभी पूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं हुई, जो भी सीमित प्रयोग प्रयोगशाला में हुये हैं उनसे यही पता चलता है कि सामान्य हालतों में यह डी० डी० टी० से अच्छा है।

(ग) उसके उत्पादन और प्रयोग इत्यादि के बारे में व्यय का अनुमान अभी नहीं लगाया गया।

श्री बोस : यदि यह डी० डी० टी० से अच्छा सिद्ध हुआ तो क्या सरकार इसका और आगे विकास करेगी ?

†**श्री करमरकर** : हां, अग्रिम प्रयोग किया जा रहा है।

नाविक कल्याण सम्मेलन

†*१६५१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था ने नाविक कल्याण सम्मेलन को स्वीकार कर लिया है ;

(ख) इस सम्मेलन के मुख्य अंग क्या थे ;

(ग) क्या भारत ने इस सम्मेलन को स्वीकार किया है ; और

(घ) यदि नहीं तो इसके कारण क्या हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) नाविक कल्याण सम्मेलन जैसी कोई चीज को स्वीकृति नहीं दी गई। बहुत से ऐसे सम्मेलन हैं जिनका कल्याण कार्यों से संबंध है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होते ।

†**सरदार इकबाल सिंह**: वर्सेलीज़ सम्मेलन में जिस सम्मेलन को हाल ही में स्वीकृति दी गई है, क्या उस पर भारत सरकार ने कुछ विचार किया है, यदि हां, तो वह उसे कब तक स्वीकार करने का विचार रखती है ?

†**श्री राज बहादुर**: मेरे पास २७ ऐसे सम्मेलनों की सूची है। परन्तु नाविकों के कल्याण का उनसे कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है। सामान्यतः उनका सम्बन्ध श्रम अवस्था तथा अन्य सम्बद्ध मामलों से होता है ।

†**श्री तंगामणि**: अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के २७ सम्मेलनों में से कितनों को स्वीकार किया गया है और कितने आगे स्वीकार किये जाने वाले हैं ?

†**श्री राज बहादुर**: तीन स्वीकार किये गये हैं। न्यूनतम आयु समाक्रन्तक[1] तथा ईन्धनदाता[2] १९२१, नवयुवकों (समुद्री) की डाक्टरी परीक्षा १९२१ और नाविकों के करार के पद १९२६। बाकियों के लिये एक उपसमिति बनाई गयी है जिसमें नाविकों, जहाज के मालिकों और सरकार के प्रतिनिधि सम्मिलित किये गये हैं। वे इस मामले पर विचार कर सरकार को परामर्श देंगे कि ये समझौते स्वीकार किये जायें अथवा नहीं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: जिस समिति का मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, उसका निर्माण दो वर्ष हुए किया गया था। विभिन्न उपसमितियां भी बनाई गयी हैं। क्या मैं जान सकता हूं कि नाविकों की सामाजिक सुरक्षा के सम्बन्ध में प्रतिवेदन कब तक प्राप्त हो जायेगा ?

†**श्री राज बहादुर**: मेरे विचार में माननीय सदस्य एक अन्य बोर्ड का उल्लेख कर रहे हैं। यह वह समिति नहीं जिस का कि उल्लेख किया गया है। इसका तो निर्णय अभी हाल ही में किया गया है। मेरे विचार में उनका यह उल्लेख राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड से है जिसने कि तीन उपसमितियां स्थापित की हैं। यह मामला ही अलग है ।

"कर्मठ दस्ते[3]"

†*१६५२. **पंडित द्वा० ना० तिवारी**: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह ठीक है कि कृषि संचालन में सहायता देने के लिये देश में "कर्मठ दस्तों" का संगठन किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने ब्रिगेडों का संगठन किया गया है ; और

(ग) इनका संगठन तथा कार्य पद्धति किस प्रकार की है ?

†**कृषि उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)**: (क) किसी प्रकार के "कर्मठ दस्तों" का संगठन नहीं किया जा रहा है। फिर भी रबी उत्पादन आन्दोलन में सहायता करने के लिये "सहायक दल" बनाये गये हैं उस में कृषि सम्बन्धी योग्यता रखने वाले कर्मचारी रखे गये हैं। सभी राज्यों में अधिक से अधिक किसानों तक पहुंचने के लिये इसका संगठन किया जा रहा है ताकि सामान्य विस्तार कार्य को प्रोत्साहन दिया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Trimmers.
[2] Strokers.
[3] "Shock Brigades".

(ख) विभिन्न राज्यों में इन दलों की संख्या भिन्न भिन्न होगी। दिल्ली संघ क्षेत्र में ३२ दल हैं।

(ग) इन सहायक दलों का कार्य और निर्माण के कार्य के सम्बन्ध में रबी उत्पादन आन्दोलन १६५८ की रूपरेखा सम्बन्धी विवरण में अच्छी प्रकार दिया गया है। यह विवरण १५ सितम्बर, १६५८ को तारांकित प्रश्न संख्या १२६२ के उत्तर में लोक-सभा पटल पर रखा गया था।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : माननीय उपमंत्री ने कहा है कि इन दलों की संख्या विभिन्न राज्यों में विभिन्न होगी। प्रत्येक दल पर क्या व्यय होगा और कितने ग्राम उनके अन्तर्गत आजायेंगे।

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : उदाहरण के तौर पर दिल्ली में प्रत्येक दल के अन्तर्गत सात-आठ गांव आ जायेंगे। दिल्ली तो छोटा राज्य है। बिहार में ग्रामों की संख्या अधिक है। अतः संख्या विभिन्न होगी।

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** : इस प्रत्येक दल पर क्या व्यय होगा और इन दलों द्वारा कृषकों को क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : मुख्य कार्य अतिरिक्त उत्पादन के लिये वर्तमान साधनों का संगठन करना है। अर्थात् उर्वरकों का प्रयोग, किसानों को कर्जा देना, कीटाणु नाशक चीजों का देना, और उन तमाम सेवाओं का संगठन करना जो कि कृषि मंत्रालय किसानों के लिये कर रहा है।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : व्यय कितना होगा ?

†**कुछ माननीय सदस्य** : योजना पर कितना खर्च होगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं पूछ रहा हूं।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : हम व्यय न्यूनतम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। उदाहरण के लिए दिल्ली में हम आकाशवाणी वालों की और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् वालों की अथवा मंत्रालय की जीपें ले रहे हैं। फिर भी कुछ खर्चा तो होगा ही और अभी इसका पूरा अन्दाजा नहीं लगाया गया।

†**सरदार इकबाल सिंह** : प्रत्येक राज्य में ये कितने दल बने हैं, विशेष कर उन राज्यों में जहां कि रबी आन्दोलन का उद्घाटन हो चुका है ?

†**श्री मों० वें० कृष्णप्पा** : यह समय के पूर्व वाली बात होगी। कई राज्यों में अभी काम आरम्भ नहीं किया गया, कुछ में आरम्भ हो गया है। प्रत्येक राज्य के सही आंकड़े प्राप्त करने में कुछ समय लगेगा।

†**श्री त्यागी** : इन दलों को भेजने पर होने वाले व्यय का कुछ अनुमान लगाया गया है, यदि हां, तो यात्रा भत्ता तथा महंगाई भत्ते के रूप में कितनी राशि स्वीकृत की गयी है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : यात्रा तथा महंगाई भत्तों का दर सामान्य है। प्रत्येक राज्य सरकार इस सम्बन्ध में अपने व्यय का अनुमान लगायेगी। केन्द्रीय सरकार दिल्ली में कर रही है और यह व्यय कुछ अधिक नहीं होगा।

†**श्री त्यागी** : क्या योजना को आरम्भ करने से पूर्व........

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मतलब यह है कि अभी कोई अनुमान नहीं लगाया गया।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त्यागी** : मतलब यह कि वित्तीय अंग का परीक्षण किये बिना योजना को आरम्भ कर लिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यदि वह प्रतिवाद नहीं करते तो मेरा कहना ठीक है । क्या कोई अनुमान नहीं लगाया गया है ?

श्री अ० प्र० जैन : यह अनुमान राज्य सरकारों ने लगाया है और हमें इसका पता नहीं है । जहां तक दिल्ली का संबंध है हम अधिकारियों को भेज रहे हैं और व्यय अधिक नहीं होगा ।

†**श्री रंगा** : क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को आश्वासन दे दिया है कि इस सम्बन्ध में जो अतिरिक्त व्यय होगा वह पूरा अथवा कुछ अंशों में संघ सरकार द्वारा दिया जायेगा । संघ सरकार ने किसी प्रकार का अनुमान लगाने का कष्ट क्यों नहीं किया ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : यह बहस करने की बात है ।

†**श्री रंगा** : पहला अंश ?

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पहला अंश ठीक है ।

†**श्री अ० प्र० जैन** : काफी गति से इस आन्दोलन को चालू किया गया है और हम देरी नहीं करना चाहते थे । राज्य सरकारों से कहा गया है कि योजना सम्बन्धी जो व्यवस्थायें की गयी हैं उस में से इस के लिए धन निकालें । यदि फिर भी और सहायता की आवश्यकता होगी तो हम करेंगे ।

†**श्री स० म० बनर्जी** : आज अखबारों में था कि पश्चिमी बंगाल राज्य में अग्रणी दल भी बनाये गये हैं और यह भी समाचार था कि उनकी अकर्मण्यता से काफी सदमा भी हो रहा है । क्या पश्चिमी बंगाल में ये दल भी बनाये गये हैं और क्या वे ठीक ढंग से कार्य कर रहे हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : रबी आन्दोलन में बंगाल राज्य सम्मिलित नहीं है क्योंकि वहां रबी उत्पादन बहुत अधिक नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं अगले प्रश्न को लेता हूं । यह प्रश्नकाल में लेने वाला प्रश्न नहीं है ।

†**चौ० रणवीर सिंह** : यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : इसी लिए तो मैंने कहा कि इसे प्रश्न काल में नहीं लिया जा सकता ।

†**चौ० रणबीर सिंह** : हमें कोई और अवसर नहीं मिलेगा ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न ।

सम्बलपुर–तीतलगढ़ रेलवे लाइन

†*१६५५. { **श्री सूपकार** :
श्री कुम्भार :

क्या रेलवे मंत्री १६ अगस्त, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सम्बलपुर–तीतलगढ़ रेलवे लाइन के कब तक पूरी हो जाने की आशा है;

---

†मल अंग्रेजी में

(ख) इस लाइन पर प्राक्कलित व्यय कितना होगा और उस में से विदेशी मुद्रा कितनी लगेगी ; और

(ग) रेलवे लाइन के लिये जापान और अमरीका से कितनी सहायता उपलब्ध हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) और (ग). यह अभी नहीं बताया जा सकता ।

(ख) लगभग क्रमशः ११ करोड़ और ४.२० करोड़ रुपये ।

†**श्री सूपकार** : क्या विदेशी मुद्रा की सहायता बिना इस लाइन को पूरा कर सकना सम्भव नहीं है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अमरीकी राष्ट्रपति के एशियाई आर्थिक विकास निधि में से हमें २ करोड़ डालर की विदेशी मुद्रा मिल रही है । जापान ने हमें ८ लाख डालर देने का वायदा किया है । इतने का वायदा हम से किया जा चुका है ।

†**श्री सूपकार** : विदेशी मुद्रा की आवश्यकता किस प्रयोजन के लिये है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : पटरियों तथा अन्य सामान के लिये ।

†**श्री सूपकार** : क्या यह योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मूल रूप से यह योजना द्वितीय पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित नहीं थी । जापान से २ लाख टन लौह अयस्क के लिये हमारा समझौता हो जाने से हमने इसे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर लिया है ।

†**श्री पाणिग्रही** : क्या राज्य सरकार ने संघ सरकार को द्वितीय योजना काल में कोई नई रेलवे लाइन बनवाने का सुझाव दिया है, और उसका प्राथमिकता क्रम क्या होगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जहां उड़ीसा सरकार का संबंध है, उसने इस लाइन को सब से अधिक प्राथमिकता दी है । इसी प्रकार हम इसे आरम्भ करना चाहते हैं और ज्योंही निधि उपलब्ध हो जायेगी हम इसे आरम्भ कर देंगे ।

†**श्री पाणिग्रही** : मैं जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने ३–४ लाइनों का सुझाव दिया था और उन चार में से उन्होंने इस लाइन को प्राथमिकता दी थी । उन्होंने कितने सुझाव दिये हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी**: दूसरी लाइन के बारे में मैं नहीं जानता । मैं देखता हूं कि प्राथमिकता—क्रम में इस लाइन को प्रथम स्थान दिया गया है ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: द्वितीय योजना में इस लाइन का उपबन्ध नहीं था सरकार इसे बनाना चाहती है । वे रेलवे सम्पर्क कौन-कौन से हैं जिन्हें द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर उस में से निकाल लिया जायेगा ।

†**रेलवे मंत्री (श्री जगजीवनराम)** : इस रेलवे की व्यवस्था करने के लिये द्वितीय योजना में एक बार सम्मिलित की गई कोई भी लाइन उस में से निकाली नहीं जायेगी । हम योजना आयोग से रेलों के लिये कुछ अतिरिक्त आवंटन प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं तथा इस लाइन को बनाने के लिये कुछ विदेशों से सहायता भी लेने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री सूपकार : क्या केवल निधि और विदेशी मुद्रा की कमी के कारण ही इस लाइन का काम रुका रहा है और क्या इसके बनने की कोई तात्कालिक सम्भावना नहीं है ?

†श्री सें० वें० रामस्वामी : यह रोके रहने का प्रश्न नहीं है । पहले यह लाइन सम्बलपुर से कंटनगुंजी तक बनने वाली थी। तत्पश्चात् हमने देखा कि बोलंगीर और तीतलगढ़ से होकर कटनगुंजी तक के लिये २० मील की बचत हो जायेगी और इसकी जांच-पड़ताल की जा रही है ।

†श्री त० व० विट्ठल राव : योजना के पुनर्मूल्यांकन में कहा गया था कि गुना और उज्जैन के बीच वाली लाइन बनाने का काम द्वितीय योजना काल में नहीं किया जायेगा किन्तु अब माननीय रेलवे मंत्री का कथन है कि द्वितीय योजना में एक बार शामिल कर ली गयी लाइन को छोड़ा नहीं जायेगा । इन में से क्या सही है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : इस के लिये गुंजाइश बनाने के लिये ।

†श्री स० च० सामान्त : इस ऋण का प्रस्ताव रखते समय क्या जापान और अमरीका ने कोई शर्तें रखी हैं ।

†श्री जगजीवन राम : इसका व्यौरा अभी तयार करना है ।

†उपाध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न ।

†श्री रंगा : एक प्रश्न है, श्रीमान ।

†उपाध्यक्ष महोदय . क्षमा करें मैं अब अगला प्रश्न ले रहा हूं ।

†श्री रंगा : किन्तु आज अन्तिम दिवस है ।

हीराकुड बांध परियोजना

†*१६५७. श्री संगण्णा : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री १० सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११३२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हीराकुड-बांध-परियोजना में जिन कर्मचारियों की छंटनी हो जायेगी उन्हें दण्डकारण्य परियोजना में खपाया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो कहां तक; और

(ग) इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हीराकुड-बांध-परियोजना के फालतू कर्मचारियों को अधिक से अधिक संख्या में दण्डकारण्य परियोजना म खपाने का यथासम्भव प्रयत्न किया जा रहा है ।

(ख) दण्डकारण्य योजना ही अभी प्रारम्भिक अवस्था में है इस कारण यह नहीं कहा जा सकता है कि हीराकुड-बांध-परियोजना के छंटनी किये गये कितने कर्मचारियों को उस में लिया जा सकेगा ।

(ग) परियोजना के कर्मचारियों की संबंधित श्रेणियों का ब्यौरा दण्डकारण्य परियोजना को भेजा जा चुका है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री संगण्णा** : हीराकुड परियोजना के अधीन विभिन्न श्रेणियों के कितने कर्मचारियों की छंटनी की गई है ?

†**श्री हाथी** : केन्द्रीय कर्मचारी केवल सहायक इंजीनियरों तक ही हैं । मेरे पास यहां उनके आंकडे नहीं हैं ।

†**श्री सूपकार** : छंटनी किये गये कर्मचारियों में से राज्य अथवा केन्द्रीय सेवा में कितने प्रतिशत लोगों को खपाया जा चुका है ?

†**श्री हाथी** : यदि माननीय सदस्य नियमित कर्मचारी वर्ग की संख्या जानना चाहते हैं तो ३१–८–१९५८ तक स्वीकृत स्थानों की संख्या १,३११ है जो पहले १,५९८ थी अर्थात् २३७ की छंटनी होनी है । इस में से दण्डकारण्य योजना की सभी श्रेणियों के कर्मचारियों की सूची हम भेज चुके हैं । उनकी छंटनी इसी मास से हो जायेगी ।

†**श्री पाणिग्रही** : हीराकुड परियोजना से अगस्त मास में क्या ४२० व्यक्तियों से अधिक की छंटनी की गई थी , जिन में से उड़ीसा के कितने लोग हैं ?

†**श्री हाथी** : छंटनी किये गये लोगों में से जहां तक कर्म-भारित लोगों का सम्बन्ध है, उनकी संख्या इस से भी अधिक है । अब तक १९५६ से १९५८ तक छंटनी किये गये कर्म-भारित लोगों की कुल संख्या ६,१७० है । इस में से ८२५ लोगों को खपाना शेष है । बाकी सब को काम में लगाया जा चुका है ।

†**श्री हेम बरूआ** : जैसा कि माननीय उपमंत्री ने कहा है कि यदि दण्डकारण्य योजना में छंटनी किये गये सारे लोगों को न खपाया जा सका , तो और जिन फालतू कर्मचारियों की छंटनी की जायेगी उन्हें खपाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**श्री हाथी** : छंटनी किये गये कर्मचारी दो प्रकार के हैं । एक तो कर्म-भारित जिन में कुशल और अकुशल दोनों प्रकार के लोग हैं और दूसरा नियमित कर्मचारी वर्ग है । जहां तक छंटनी किये गये कर्म-भारित लोगों का संबंध है, मैं आंकड़े दे चुका हूं । लगभग ८०० लोग और खपाने को रह गये हैं । इस के लिये हमने वहां एक काम दिलाऊ दफ्तर खोला है । हम चम्बल और नागार्जुनसागर परियोजनाओं से प्रत्यक्ष वार्ता कर रहे हैं । कुछ लोगों को लिया जा चुका है । और कुछ अन्य जैसे रेलवे विभाग से वार्ता की जा रही है । लगभग ५०० लोगों का इन्टरव्यू लिया जा चुका है और मुझे आशा है कि इन ८२५ लोगों में से १५० लोग ले लिये जायेंगे । जहां तक नियमित कर्मचारी वर्ग का संबंध है, भारत सरकार के जो फालतू लोग वहां हैं, उनको पुनः अपने स्थानों पर वापस भेज दिया जायेगा ; कुछ को उड़ीसा में खपा लिया जायेगा तथा कुछ अन्य लोगों को और कहीं काम दिलाया जायेगा ।]

†**श्री स० म० बनर्जी** : क्या छंटनी किये गये कर्मचारियों को उचित मुआवजा दिया गया है, और यदि हां, तो मुआवजे की राशि क्या है ?

†**श्री हाथी** : वे कर्मचारी जो कर्म-भारित आधार पर लिये जाते हैं उन्हें छंटनी से पहले एक मास का नोटिस दिया जाता है, अर्थात एक मास का वेतन दिया जाता है और इस के अलावा छंटनी के समय उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है, जो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिये १५ दिन के औसत वेतन के बराबर होगा ।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री वि० च० शुक्ल : क्या सरकार ने इस बात का हिसाब लगाया है कि दण्डकारण्य योजना के लिये कितने कुशल और अकुशल व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, और यदि हां, तो उनको कितने लोगों की आवश्यकता पड़ेगी ?

†श्री हाथी : यह जानकारी हमारे पास नहीं होगी, किन्तु हमने विभिन्न श्रेणी के उन लोगों की संख्या बता दी है जो फालतू हैं अथवा परियोजना प्राधिकारियों के पास जो फालतू होंगे।

†श्रीमती इला पालचौधरी : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पुनर्वास मंत्रालय सदैव यही कहता है कि दण्डकारण्य योजना में मुख्य रूप से शरणार्थी ही काम में लगाये जायेंगे, क्या उस में हीराकुड के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी ? दूसरे मैं यह जानना चाहूंगी . . .

†उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्नकाल में 'दूसरे की बात नहीं होनी चाहिये। एक बार में केवल एक ही प्रश्न पूछा जाना चाहिये।

†श्री हाथी : परियोजना प्राधिकारियों का संबंध केवल इतने से है कि वे फालतू कर्मचारियों की एक सूची दें और जितने लोगों को वे खपा सकते हैं अथवा मंत्रालय खपा सकता है। यदि वे विस्थापित व्यक्तियों को प्राथमिकता देना चाहते हैं, वे ऐसा कर सकते हैं, किन्तु यदि उन्हें पर्याप्त लोग नहीं मिलते, तो हम उन लोगों की सूची देंगे जिनको कहीं खपाया नहीं गया है, हम उन के लिये और कहीं काम ढ़ूढेंगे।

†श्री तंगामणि : हीराकुड बांध को पूरा करने में इस समय लगे कर्म-भारित तथा अन्य प्रकार के कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†श्री हाथी : ७८० कुशल और ४५ अकुशल कर्मचारियों को अभी खपाना है।

†श्रीमती इला पालचौधरी : यह बताये जाने के बावजूद कि छंटनी किये गये लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है, सरकार एक ओर छंटनी करते हुये उसी परियोजना के लिये नये कर्मचारियों की भर्ती का विज्ञापन क्यों देती है ?

†श्री हाथी : मैं नहीं समझता कि हीराकुड के लिये उन श्रेणियों के लिये विज्ञापन दिया गया है जिन में छंटनी की जा रही है ?

†उपाध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी।

†श्री तंगामणि : मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

†उपाध्यक्ष महोदय : तो फिर हम उसका उत्तर किसी अन्य अवसर पर देंगे मैं ने श्री बनर्जी को बुलाया है।

†श्री स० म० बनर्जी : चूंकि कुछ परियोजनाएं पूरी होने जा रही हैं जिन में छंटनी करने को रोका नहीं जा सकता और कुछ नई परियोजनाऐं आरम्भ करने जा रहे हैं, क्या सरकार इन विभिन्न बांधों में खपाने के लिये काम में लगे लोगों का एक सामान्य अथवा केन्द्रीय संवर्ग बनाने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : सुझाव विचारणीय है। श्री तंगामणि का उत्तर यदि वह चाहें तो मिल सकता है ।

श्री तंगमणि : हीराकुड बांध में लगभग ६,००० मजदूरों की छंटनी करने के पश्चात् इस समय कर्म-भारित तथा अन्य कर्मचारियों की संख्या कितनी है ?

†**श्री हाथी** : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिनिधि मण्डल

†*१६५८. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यूरोपीय देशों में चीनी निर्यात करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये एक भारतीय प्रतिनिधिमण्डल विदेश भेजने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिनिधिमण्डल में कौन-कौन लोग होंगे ; और

(ग) किन-किन देशों का दौरा किया जायेगा ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मों० वे० कृष्णप्पा)** : (क) जी नहीं। यूरोपीय देशों में चीनी निर्यात करने की सम्भाव्यताओं का पता लगाने के लिये फिलहाल कोई प्रतिनिधिमण्डल भेजने का विचार नहीं है। हां संयुक्त राष्ट्रीय चीनी सम्मेलन में भाग लेने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल जनेवा गया है ।

(ख) जो प्रतिनिधिमण्डल जेनेवा गया है उसमें निम्न व्यक्ति होंगे :—

(१) श्री अ० म० थामस, उपमंत्री (खाद्य)

(२) श्री डी० डी० पुरी
(३) श्री एम० एन० पिट्टी } भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले

(४) श्री टी० प्रसाद, मुख्य निदेशक (चीनी)

(ग) भारतीय चीनी मिल एसोसियेशन की ओर से दो गैर-सरकारी प्रतिनिधि जेनेवा के अलावा अन्य देशों का दौरा कर सकते हैं।

†**श्रीमती इला पालचौधरी** : वे देश कौन-कौन से हैं जिनमें हम अपनी चीनी अधिकतम मूल्य पर निर्यात करने की आशा करते हैं और क्या प्रतिनिधिमण्डल भेजने से पूर्व हमने उस पहलू का अध्ययन कर लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : इस प्रश्न का उत्तर, मैं केवल पहले के अनुभव के आधार पर दे सकता हूं। हमारा निर्यात मुख्यत: मध्य-पूर्व के देशों और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों में होता है।

†**श्री अ० चं० गुह** : क्या सरकार का विचार जैसा कि पहले घोषित किया जा चुका है, ५०,००० टन से अधिक चीनी आयात करने का है ?

†**श्री अ० प्र० जैन** : निस्सन्देह।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री ब्रज राज सिंह :** क्या इस प्रतिनिधिमण्डल में चीनी निर्माताओं का कोई प्रतिनिधि सम्मिलित किया गया है, और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा आवश्यक नहीं समझा गया क्योंकि यह तैयार चीनी को बेचने का प्रश्न था, और फिर यह समझौता तैयार चीनी के बारे में था जिस पर वहां विचार किया जायेगा ।

†**श्री सिंहासन सिंह :** पत्रों से यह स्पष्ट है कि प्रधान मंत्री ने सत्रह पृष्ठों का एक पत्र लिखा है जिसमें सभी मंत्रियों से इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रतिनिधिमण्डलों पर व्यर्थ किया जाने वाला व्यय रोका जाये । क्या इस बात की सूचना सरकार को दी गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यदि संकेत इस ओर है कि इस प्रतिनिधिमण्डल पर व्यर्थ खर्च किया जा रहा है, तो मैं इसे मानने को तैयार नहीं हूं ।

†**श्री हेम बरुआ :** संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा चीनी के विश्व मूल्य निर्धारित करने के लिये जो जेनेवा सम्मेलन बुलाया गया है उसमें भारतीय प्रतिनिधिमण्डल क्या प्रस्ताव रखने वाला है ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** वह पहले से ही इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह बता सकना कठिन है कि क्या मसले उठ खड़े होंगे, किन्तु एक महत्वपूर्ण मसला यह होगा कि क्या हम चीनी समझौते का एक पक्ष बनें, और यदि हां, तो हमें कितनी मात्रा आवंटित की जानी चाहिये । किन्तु बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जी उत्पन्न हो सकती हैं तथा किन मामलों पर वहां चर्चा होगी उनकी एक सूची दे सकना मेरे लिये कठिन होगा ।

†**श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या यह सच है कि जो चीनी निर्यात की जाती है कि विदेशी मुद्रा अर्जित करने की दृष्टि से जितने मूल्य पर यहां चीनी मिलती है उससे कम मूल्य पर भेजी जाती है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा ही होता है ।

†**श्री स० म० बनर्जी :** प्रश्न और उत्तर से ऐसा जान पड़ता है कि हम अपना निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं । क्या देश में चीनी का उत्पादन बढ़ गया है, और क्या देश की आवश्यकता पूरी करने के लिये यह उत्पादन पर्याप्त है, यदि हां तो क्या अधिक उत्पादन के परिणामस्वरूप चीनी का मूल्य कम हो जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दिया जा सकता है ।

†**श्री अ० प्र० जैन:** यह प्रश्न नीति से अधिक सम्बन्ध रखता है ; कभी कभी तो निर्यात में वृद्धि करने के लिये देश के उपभोग में कमी करनी पड़ती है ।

†**श्री त्यागी :** चीनी का विदेश-व्यापार करने से जो हानि होती है वह राज्य वहन करता है, या उद्योगपति अथवा उसे उपभोक्ताओं से वसूल किया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है, क्योंकि यह सब कुछ परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जहां तक ५०,००० टन के पहले निर्यात कोटा का सम्बन्ध है, नुकसान चीनी उत्पादकों को उठाना पड़ा था।

†**श्री त्यागी :** उपभोक्ताओं के द्वारा।

†**चौ० रणवीर सिंह :** क्या इस प्रतिनिधिमण्डल में सहकारी चीनी कारखानों का कोई प्रतिनिधि शामिल किया गया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** एक प्रतिनिधिमण्डल में सभी प्रकार के प्रतिनिधि शामिल नहीं किये जा सकते। यह एक छोटा सा प्रतिनिधिमण्डल है और इसमें केवल वे लोग ही शामिल किये गये हैं जो अत्यधिक प्रभावपूर्ण ढ़ंग से कार्य कर सकते हों।

†**श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या अन्तर्राष्ट्रीय चीनी करार के सदस्य होने के नाते इस प्रतिनिधिमण्डल को निर्णय कर लेने के बारे में सभी अधिकार प्राप्त हैं अथवा उनकी सिफारिश तथा रिपोर्ट देने पर निर्णय सरकार द्वारा ही किया जायेगा ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** अन्तिम निर्णय सरकार ही करेगी।

†**श्री जाधव :** क्या हमारी चीनी का भाव तुलनात्मक दृष्टि से बहुत अधिक होने के कारण विदेशों में इसकी बिल्कुल मांग नहीं है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** इस प्रश्न का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं समझता हूं कि हमारे पास पर्याप्त चीनी थी। अतः अब हम अगला प्रश्न लेंगे।

रेलवे लाइन को दोहरा करना

***१६५६. श्री जांगड़े :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में बीना-भोपाल और अनूपपुर-कटनी सेक्शनों के बीच में रेलवे लाइन को दोहरा करने में अब तक क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) अगस्त, १६५८ तक स पर कितना व्यय हुआ है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) अगस्त, १६५८ के आखीर तक बीना-भोपाल सेक्शन पर कुल मिलाकर ३ फी सदी काम हुआ है। अनूपपुर-कटनी सेक्शन पर दोहरी लाइन बिछाने का काम अभी शरू हुआ है।

(ख) बीना-भोपाल : ६,१०,००० रुपये।

अनूपपुर-कटनी के बीच दोहरी लाइन बिछाने के काम पर अभी तक कुछ खर्च नहीं हुआ है।

†**श्री जांगड़े :** इन दोनों लाइनों पर दोहरी लाइन बिछाने का काम कब तक पूरा हो जायेगा, तथा उन पर कुल कितना प्राक्कलित व्यय होगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : लक्ष्य १९६०-६१ रखा गया है। जहां तक बीना-भोपाल का सम्बन्ध है, ३ करोड़ रुपये का एक आपातकालीन प्रमाणपत्र दिया गया है। दूसरी लाइन पर १·७५ करोड़ रुपये व्यय होगा।

†**श्री जांगड़े** : इनके बन जाने से ोनों लाइनों पर गति सम्बन्धी नियंत्र में कितनी छूट की जायेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : फिलहाल, बीना-भोपाल लाइन पर १७ रेलगाड़ियां चलती हैं ; जबकि आशा है कि इसमें वृद्धि कर २४ रेलगाड़ियां प्रत्येक ओर से कर दी जायेंगी। जहां तक दूसरी लाइन का संबंध है, उसकी क्षमता १४ गाड़ियां प्रतिदिन है। इसके बारे में आशा है कि प्रत्येक ओर से एक दिन में २४ गाड़ियां आया-जाया करेंगी।

†**श्री वि० च० शुक्ल** : अनूपपुर और कटनी के बीच जो लाइन है वह दूसरी श्रेणी की लाइन है जिस पर तेज चलने वाली गाड़ियां नहीं चल सकेंगीं। क्या इसको दुहर ाकर देने से सरकार का विचार उसे प्रथम श्रेणी की लाइन बना देने का है, जिस से उस पर तेज़ चलने वाली गाड़ियां भी इस लाइन पर चलाई जा सकें ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अधिकांशतः इस पर माल गाड़ियां चलती हैं, किन्तु मुझे आशा है कि यह अन्य प्रयोजन के लिये उपयुक्त सिद्ध होगी।

†**श्री जांगड़े** : इन दोनों लाइनों के दुहरा करने की व्यवस्था पिछले आयव्ययक में भी की गई थी। अब तक इस पर इतना कम व्यय करने के क्या कारण हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं, कटनी लाइन पर काम अभी अभी आरम्भ किया गया है। दूसरी लाइन के लिये टेण्डर मांगे गये ह, जिस पर १९६०-६१ तक काम पूरा हो जायेगा।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अगला प्रश्न।

† **श्री वि० च० शुक्ल**: मेरे प्रश्न का उत्तर उचित ढंग से नहीं दिया गया है ।

† **उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है कि अब हम अगले प्रश्न पर आ गये हैं।

चारा उत्पादन

†*१९६०. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि मंत्री** सभा पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में निम्न बातें दिखाई गई हों :

(क) प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधीन अब तक देश में चारे के उत्पादन और उसके इकट्ठा करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ख) उससे क्या परिणाम निकलता है ;

(ग) उपर्युक्त काल में इस प्रयोजन के लिये कितनी राशि आवंटित की गई है ; और

(घ) वास्तव में कितनी राशि व्यय की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य उप मंत्री (श्री मों० वें० कृष्णप्पा) (क) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ६६]

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित पशुओं के लिये खाद्य तथा चारे के विकास की योजना १९५७-५८ के अन्त तक के लिये ही स्वीकृत की गई थी और १९५८-५९ में इसे फिर चलाया जा सकता है। कुछ समय योजना के चलने के पश्चात् ही परिणामों के बारे में पता लग सकेगा।

(ग) प्रथम पंचवर्षीय योजना में चारे के विकास के लिये कोई उपबन्ध नहीं किया गया था। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में इस योजना पर किया गया व्यय, अखिल भारतीय प्रमुख ग्राम योजना के लिये ८.६८ करोड़ रुपये के कुल उपबन्ध में से किया जायेगा।

(घ) इस योजना के अधीन अभी तक कुछ भी व्यय नहीं किया गया है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि फर्स्ट फाइव यीयर प्लान में क्या किसी किस्म का कोई खर्चा फ़ाडर बढ़ाने के वास्ते किया गया था ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी नहीं, चारे की उपज बढ़ाने की ऐसी कोई योजना नहीं थी।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे प्लान में अब तक क्या कोई खर्चा फाडर और कंसेंट्रेट्स को बढ़ाने के वास्ते किया गया है ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** अभी तक असम गवर्नमेंट को ६,००० रुपया, आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट को २३,००० रुपया, बिहार गवर्नमेंट को २६,००० रुपया, मैसूर गवर्नमेंट को २२,००० रुपया, राजस्थान गवर्नमेंट को २०,००० रुपया और त्रिपुरा को ६,००० रुपया सेंक्शन किया गया है। कितना रुपया खर्च होता है, इसका अभी पता नहीं है।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : क्या सरकार को कुछ मालूम है कि इन रकमों में से अब तक कितना रुपया खर्च किया गया है या पिछले दो सालों में कितना रुपया खर्च हुआ है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : इसका अभी कुछ पता नहीं है।

† **चौ० रणबीर सिंह :** कितने क्षेत्र में चारे के बढ़िया बीज बोये गये ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** इसका साल के आखिर में पता लगेगा। अभी पता नहीं है।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** श्री रंगा।

† **चौ० रणबीर सिंह :** मैं गत वर्ष के आंकड़े प्राप्त करना चाहता था।

† **उपाध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्य मेरी अनुमति के बिना प्रश्न पूछ रहे हैं।

†**श्री रंगा :** क्या कोई राज्य यह प्रयत्न कर रही है अथवा करने का विचार है कि विभिन्न प्रकार के चारे के बढ़िया बीज कम से कम प्रमुख गांव क्षेत्रों में अवश्य बांटे जायें ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा :** जी हां; योजना की एक मद यह है कि प्रमुख गांव योजना क्षेत्रों और विशेषकर सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों में बढ़िया किस्म के बीजों का वितरण किया जाय। इन के अतिरिक्त इस योजना के अधीन देश में चार अग्रिम योजनायें आरम्भ की गई हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

† **श्री त्यागी** : क्या सरकार का विचार इस्पात से बनी हुई मशीनी गायें आयात करने का है जिन्हें चारा खिला कर दूध प्राप्त होता है ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है । परन्तु उनका दूध पीने वाले व्यक्ति भी मशीन से बने हुए होते हैं और हमारे देश में भी मशीनों से आदमी बनने लगेंगे तब हम विचार करेंगे ।

† **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या सरकार को विदित है कि भारत के बनों में प्रत्येक वर्ष बड़ी भारी मात्रा में घास आदि जला दी जाती है जो चारे में काम आ सकती है और यदि हां, तो क्या सरकार इसे बचा कर उपयोग में लाने के लिये कोई प्रयत्न कर रही है ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उनका कहना है कि यह उस लिये जलाई जाती है कि यदि घास भी जला दिया जाये तो वर्षा के बाद बहुत अच्छा चारा उगता है । यदि वे जलायेंगे नहीं तो अच्छा चारा प्राप्त नहीं होगा ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : इस स्टेटमेंट में —'द्वितीय पंचवर्षीय योजना' के अन्तर्गत मद (२) में लिखा गया है कि "चारे को जमा करने के प्रयोजन" से चारा "फौडर बैंक" स्थापित करने की एक पाइलट स्कीम शुरू करने का विचार है। मैं पूछना चाहता हूं कि पाइलट स्कीम कब तक सेट अप हो जायेगी। पूरे पांच सालों में से तीन साल बाकी हैं। तो कितने साल में यह स्कीम सेट अप हो जायेगी, जिस का जिक्र किया गया है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा: अभी खान देश में पाइलट स्कीम है। खानदेश बम्बई स्टेट में है। और जगहों पर शुरू करने के बारे में अभी पता नहीं है।

† **श्री जाधव**: क्या यह सच है कि हमारे ५० प्रतिशत पशु चारे की कमी के कारण ही मरते हैं ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : हमारी समस्या यह है कि हमारे देश में पशुओं की संख्या बहुत अधिक है। हमारे धार्मिक विचार और हमारी भावनायें ऐसी हैं कि हमें बूढ़े और बेकार पशु भी पालने पड़ते हैं और यदि हम उन्हें मारते हैं तो लोग इस पर आपत्ति करते हैं । अतः संसार के अन्य देशों की तुलना में हमारे देश में पशुओं की संख्या अधिक है। यदि बूढ़े और बेकार पशुओं को मार डाला जाये तो शेष को पर्याप्ति चारा मिल सकता है और हमें अधिक दूध ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : द्वितीय पंचवर्षीय योजना की मद ३ में जिक्र है कि :

> "चारे वाली भूमि के प्रबन्ध पद्धति को ठीक करने के लिये भारत में चारे वाली भूमि का सर्वेक्षण किया गया है ।"

मैं यह जानना चाहता हूं कि यह सर्वे किस किस प्रांविस में होगी और कब तक इस के खत्म होने की सम्भावना है ? एक सवाल यह है ।

दूसरा सवाल यह है कि इस में कहा गया है कि तीन स्टेशन्स में स्टेडी शुरू की जायेगी, तो यह स्टेडी कब शुरू की जायेगी और अगर शुरू हो गई है तो कब शुरू हुई और कब खत्म होगी ?

† **श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : वह सर्वेक्षण पंजाब, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग, बिहार, पश्चिमी बंगाल, आसाम, मनीपुर, राजस्थान, आंध्र, केरल और हिमाचल प्रदेश में किया जा चुका है ।

---

† मूल अंग्रेजी में

पंडित ठाकुर दास भार्गव उठे—

†**उपाध्यक्ष महोदय** : पंडित जी के सभी प्रश्नों का उत्तर शायद इतने समय में नहीं दिया जा सकेगा ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : आप की अनुज्ञा से मैं ने एक प्रश्न पूछा था परन्तु उस का पूरा उत्तर नहीं दिया गया है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : तभी तो मैं ने कहा कि यह प्रश्न किसी दूसरे अवसर पर पूछ लिया जाये ।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में स्नातकोत्तर स्कूल

†*१६६४. **श्री वेंकटा सुब्बैया** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था में राकफैलर फाऊंडेशन के सहयोग से अक्तूबर, १९५८ से एक स्नातकोत्तर स्कूल आरम्भ करने का विचार है ;

(ख) क्या स्कूल में प्रवेश और इस के सामान्य प्रशासन सम्बन्धी नियम तथा विनियम बनाने के बारे में भारतीय कृषि गवेषणा संस्था से परामर्श किया गया था ; और

(ग) क्या भारतीय कृषि गवेषणा संस्था के सरकारी कर्मचारी एम० एस-सी० अथवा पी-एच० डी० की डिग्री बिना अपनी नौकरी छोड़े प्राप्त कर सकेंगे जैसाकि पहले भारतीय कृषि गवेषणा संस्था का डिप्लोमा दिया जाता था ?

†**खाद्य उपमंत्री (श्री मो० वें० कृष्णप्पा)** : (क) जी हां ।

(ख) जी हां, । संस्था के परिषद की राय इस मामले में ली गई थी । स्नातकोत्तर स्कूल के कैलेंडर की प्रतियां सभा की लायब्रेरी में रखी गई हैं ।

(ग) विषय विचाराधीन है ।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : यह स्कूल एक या दो मास में आरम्भ होने वाला है क्या सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय किया है कि क्या सरकारी कर्मचारी यह डिग्री प्राप्त कर सकेंगे या नहीं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : शीघ्र ही स्कूल चालू हो जायेगा और छात्रों को दाखिल किया जा रहा है । पढ़ाई शुरू होते ही अथवा इस से पूर्व हमें यह निर्णय करना है कि क्या सरकारी कर्मचारियों को डिग्री प्राप्त करने की स्वीकृति दी जाये या नहीं ।

†**श्री राधे लाल व्यास** : एम० एस-सी० और पी-एच० डी० में कितने छात्र लिये जाने हैं और क्या दाखिले के लिये विभिन्न राज्यों की मांगों पर विचार किया गया है ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : जी हां । एम० एस-सी० में १०० और पी-एच० डी० में लगभग ५० होंगे । उन्हें समस्त भारत में से योग्यता के आधार पर लिया जाये अथवा प्रत्येक राज्य के लिये स्थानों का आवंटन किया जाये इस बारे में मैं आज डेढ़ बजे संस्था के डायरेक्टर से बातचीत करने वाला हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कोडियान** : इसे आरम्भ करने पर कितना खर्च होगा और राकफैलर फाऊंडेशन इस में कितना देगा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : राकफैलर से हमें तुरन्त एक लाख डालर, कुछ टैक्नीकल उपकरण और सामान और विशेषज्ञ प्राप्त हो रहे हैं। भारत सरकार पूंजी खाते में से २·२४ लाख रुपये खर्च करेगी और राजस्व के खाते में से २२ लाख रुपये खर्च करेगी।

†**श्री रंगा** : राज्य से बहुत से विद्वान एम० एस-सी० और पी-एच० डी० में प्रवेश प्राप्त करना चाहते हैं और यह स्कूल का पहला वर्ष होगा, यह सब देखते हुए क्या माननीय मंत्री आज जो बातचीत करने वाले हैं उस में इस पर भी विचार करेंगे कि स्थान बढ़ा दिये जायें।

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : विशेषज्ञों की राय है कि अधिकतम संख्या १०० एम० एस-सी० के लिये और ५० पी-एच० डी० के लिये होनी चाहिये क्योंकि केवल इतने छात्रों के लिये ही सुविधायें और सामान उपलब्ध है। अभी प्रथम वर्ष है ; और अगले वर्ष से हम संख्या बढ़ाने के बारे में विचार कर सकते हैं।

†**श्री भा० कृ० गायकवाड़** : क्या अनुसूचित जातियों तथा आदिम जातियों के लिये कोई स्थान रक्षित किये गये हैं और यदि हां, तो कितने ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : छात्रों को कुछ निश्चित नियमों के अनुसार चुना जायेगा और यदि हमें रक्षण करने के लिये कहा गया तो हम कर देंगे।

†**श्री बोस** : एम० एस-सी० और पी-एच० डी० श्रेणियों के अध्यापन के लिये जितने प्रोफैसरों की आवश्यकता है क्या वे नियुक्त कर लिये गये हैं और क्या उन में से कोई विदेशी भी हैं ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : उन्हें गत सप्ताह नियुक्त कर लिया गया था। अधिकतर उन की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ने की है। राकफैलर फाऊंडेशन द्वारा भेजे जाने वाले तीन विशेषज्ञों में से एक भारत आ गया है और दो आने वाले हैं।

†**श्री वेंकटा सुब्बैया** : सरकारी कर्मचारियों को इस पाठ्यक्रम में शामिल होने की अनुमति देने में क्या अड़चन है ?

श्री मो० वें० कृष्णप्पा : अभी तक सरकारी कर्मचारी कक्षा में नहीं आते थे। यहां इन्हें कक्षा में उपस्थित रहना होगा। हमें यह देखना है कि यह समायोजन कैसे किया जाये अपना काम भी करते रहें और कक्षा में भी जा सकें।

†**श्री हेडा** : प्रवेश प्राप्त करने का क्या तरीका है ? क्या कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष रूप से आवेदन पत्र भेज सकता है या अपने विभाग अथवा राज्य सरकार के द्वारा ?

†**श्री मो० वें० कृष्णप्पा** : दो या तीन पाठ्यक्रम है ; ऐग्रोनोमी, माइकालोजी, कैमिस्ट्री और कई विषय। समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया गया था और आवेदन पत्र मांगे गये थे जो लोग आवेदन पत्र दे सकते थे उन्हो ने दे दिये हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल मार्ग के लिये फैरो-कंकरीट के स्लीपर

†*१६६५. { श्री जाधव :
श्री गोरे : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार की योजना रेल मार्ग के लिये फैरो-कंकरीट के स्लीपरों का प्रयोग करने की है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** जी हां । अभी केवल बड़े यार्डों में ही फैरो-कंकरीट के स्लीपरों का प्रयोग करने का विचार है ।

†**श्री आसर :** क्या हमारे देश में इन स्लीपरों को प्रयोग कर के यह देखा गया है कि क्या ये हर मौसम में ठीक रहते हैं या नहीं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** केवल १९४९ में सियालदा डिवीज़न के लंघोला घाट सैक्शन पर इस का परीक्षण किया गया था । केवल २०० स्लीपर बिछाये गये थे इस से कोई वैज्ञानिक आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सकते । फ्रांस और जर्मनी के अनुभव से भी कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता क्योंकि वहां के मौसमी हालात अलग हैं । यहां बहुत सी कठिनाइयां हैं । उदाहरणतः वे भारी हैं और प्रत्येक का वज़न लगभग ६ मन है । इसके इधर उधर ले जाने में बड़ी कठिनाई होती है । बड़े पैमाने पर उन का प्रयोग किये बिना कोई निश्चित धारणा नहीं बनाई जा सकती ।

†**श्री वि० च० शुक्ल :** इन स्लीपरों को किस हद तक लकड़ी के स्लीपरों के स्थान पर इस्तेमाल किया जायेगा ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी :** बहुत कम क्योंकि हमारा अनुभव केवल २०० स्लीपरों का है । इन का प्रयोग आरम्भ करने से पूर्व हमें बहुत बड़े पैमाने पर परीक्षण करना पड़ेगा ।

विदर्भ में बीड़ी के कारखानों का बन्द हो जाना

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १७. श्री बाल कृष्ण वासनिक :** क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि विदर्भ में १ जुलाई, १९५८ से बीड़ी के कारखाने बन्द पड़े हैं जिस से लगभग तीन लाख श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या पड़ौसी राज्यों में दी जाने वाली मजूरी के अन्तर के कारण ये कारखाने बन्द किये गये हैं ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने श्रमिकों की मजूरी के अन्तर को दूर करने और काम की दशा को सुधारने के लिये केन्द्रीय सरकार को उपयुक्त उपाय करने के लिये कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) और (घ). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

विवरण

पश्चिमी बंगाल और बम्बई की राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार को बताया था कि पड़ौसी राज्यों में बीड़ी उद्योग में रोजगार के लिये निश्चित की गई न्यूनतम मजूरी की दर और वहां की दरों में अन्तर है और इस अन्तर को दूर करने के लिये उपयुक्त उपाय किये जायें। न्यूनतम मजूरी (केन्द्रीय) मंत्रणा बोर्ड, जो १९४८ के न्यूनतम मजूरी अधिनियम १९४८ की धारा ८ के अन्तर्गत स्थापित किया गया था, ने पड़ौसी राज्यों की दरों में अन्तर होने के फलस्वरूप उत्पन्न हुई स्थिति के बारे में विचार किया और बोर्ड के सुझाव पर केन्द्रीय सरकार ने मार्च, १९५८ में इस मामले पर विचार करने के लिये एक अन्तर्राज्यिक समिति बैठाई। समिति ने सिफारिश की कि सभी राज्य सरकारों को न्यूनतम मजूरी का पुनरीक्षण इस ढंग से करना चाहिये कि अधिक अन्तर न रहे क्योंकि अन्तर रहने से एक राज्य का उद्योग दूसरे राज्य में स्थापित हो जायेगा। राज्य सरकारों को इस विषय में शीघ्र कार्यवाही करने की प्रार्थना की गई है और इस पर विचार किया जा रहा है।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

†**श्री तंगामणि** : क्या बीड़ी उद्योग उन उद्योगों में शामिल है जिन पर न्यूनतम मजूरी अधिनियम लागू होता है और क्या न्यूनतम मजूरी निश्चित करने के निदेश केवल पंजाब और बम्बई सरकार को दिये गये हैं; देश के सभी राज्यों को नहीं ?

†**श्री आबिद अली** : जी हां। नैनीताल सम्मेलन में जो निर्णय हुए उन के बारे में सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया था।

†**श्री तंगामणि** : विवरण न्यूनतम मजूरी अधिनियम, धारा ८ की ओर निर्देश किया गया था और दोनों राज्य सरकारों को यह अन्तर दूर करने के लिये कहा गया था। क्या अन्य राज्य सरकारों को भी एकरूप न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने के लिये कहा गया था और यदि हां, तो न्यूनतम मजूरी कितनी निश्चित की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इस के अतिरिक्त हम ने सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों की एक बैठक बुलाई थी और वहां यह निश्चय हुआ था कि मजूरी की दर में अन्तर नहीं होना चाहिये क्योंकि इस से वह उद्योग कम मजूरी वाले राज्य से अधिक मजूरी वाले राज्य में चला जायेगा।

†**श्री तंगामणि** : क्या सरकार को मालूम है कि मजूरी बढ़ाने के प्रश्न पर मद्रास राज्य में त्रिचनापली स्थान पर लगभग एक मास तक हड़ताल रही है ? यदि हां, तो केन्द्र ने यदि कोई निदेश दिया तो वह क्या है ?

†**श्री आबिद अली** : यह उन का मामला है और हमारे निदेश देने का तो प्रश्न उत्पन्न नहीं होता। जब कभी आवश्यक होता है हम सुझाव भेज देते हैं।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या यह सच है कि ३१-३-१९५८ को जो अन्तर्राज्यिक बैठक हुई उस में इस बात पर सहमति प्रकट की गई कि बम्बई के पड़ौसी राज्यों में मजूरी बढ़ा दी जाये ताकि विदर्भ का उद्योग बम्बई में न स्थानान्तरित हो जाये। यदि हां, तो किन-किन राज्यों ने यह सुझाव स्वीकार किया है और क्या मजूरी निश्चित की गई है ?

†**श्री आबिद अली** : इस का उत्तर मैं दे चुका हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या मजूरी बढ़ने से बीड़ी उद्योग एक राज्य से दूसरे राज्य में ले जाया जा रहा है और बेरोजगारी के कारण बहुत से बीड़ी बनाने वाले श्रमिक बम्बई छोड़ कर जा रहे हैं ?

†**श्री आबिद अली** : मेरे ख्याल से स्थिति इतनी गम्भीर नहीं है । कारखाने इसलिये बन्द हुए कि कुछ नियोजक बम्बई सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना का पालन करने के लिये तैयार नहीं थे । उन्हों ने मुकदमा किया और न्यायालय ने निर्णय कर दिया । अधिकतर कारखाने खुल चुके हैं ।

†**श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या विदर्भ में इस कारण बीड़ी के कारखाने बन्द किये गये कि वहां 'छट' प्रणाली को विनियमित किया जा रहा था । और यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्त भारत के लिये विनियमित करने के हेतु केन्द्र में एक विधान प्रस्तुत करने के लिये विचार कर रही है ?

†**श्री आबिद अली** : इस प्रणाली के बारे में न्यायालय ने भी अपना निर्णय दिया है । इस बारे में और निदेश देना सरकार के लिये आवश्यक नहीं है ।

इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को हुआ घाटा

†**अल्प सूचना प्रश्न संख्या १८. श्री मं० रं० कृष्ण** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री उन कारणों का विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे जिन की वजह से इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के १९५७-५८ के १०३ लाख रुपये के वास्तविक घाटे की तुलना में १९५८-५९ का प्राक्कलित घाटा बहुत अधिक २२४ लाख रुपये का हो गया है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : मैं सभा-पटल पर एक विवरण रखता हूं ।

विवरण

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन ने १९५८-५९ के लिये अपने अत्यधिक घाटे के लिये जो कारण बताये हैं वे, मोटे तौर पर, हैं :—अवक्षयण बीमे और भूमि पर उतरने के शुल्क में प्राक्कलित वृद्धि और वाइकाउण्ट विमानों के चालू किये जाने से ईंधन के व्यय में वृद्धि । १९५७ के दिसम्बर में १९५८-५९ के बजट प्राक्कलन तैयार करते समय निगम वाइकाउण्ट सर्विसों से होने वाली आय का भी सही-सही अनुमान नहीं लगा पाया था । १९५८-५९ के घाटे का अस्थायी पुनरीक्षित प्राक्कलन यह है कि यह प्राक्कलित घाटे से आधा रह जायगा ।

†**श्री मं० रं० कृष्णा**: १९५८-५९ के घाटे के प्राक्कलन अब लगभग ११२ लाख रुपये हैं —अर्थात् १९५७-५८ से लगभग ९ लाख रुपये ज्यादा हैं । क्या मंत्री महोदय और इंडियन एयर-लाइन्स कारपोरेशन की समझ में यह बात आई है कि २.२५ करोड़ रुपये के घाटे का बजट बनाने से कारपोरेशन की प्रतिष्ठा को आघात पहुंच सकता है ? साथ ही, क्योंकि घाटा पूरा करने के लिये कारपोरेशन को १.२५ करोड़ रुपये प्रति वर्ष की राज-सहायता दी जाती है, इसलिये क्या इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन को जो अमीरों के यातायात का साधन है, इस ढंग से चलाने के लिये कोई कार्यवाही की जाती है जिस में घाटा न हो और सरकार से राज सहायता की अपेक्षा न करनी पड़े ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मुहीउद्दीन : जैसा आई० ए० सी० द्वारा स्पष्ट किया जा चुका है, १९५८-५९ के बजट प्रावकलनों में घाटा इस वजह से बढ़ गया था कि नये वाइकाउण्ट विमानों के चलने पर वह यातायात के बढ़ने का सही अन्दाज नहीं लगा पाये थे। उन्हें आशा थी कि वाइकाउण्ट विमानों के तीव्रगामी और अधिक आरामदेह होते हुए भी यातायात क्रमशः ही बढ़ेगा। यह सिद्धान्त गलत सिद्ध हुआ और भाग्यवश यातायात में बहुत अधिक वृद्धि हो गई। उन्हें यह भी भय था कि वाइकाउण्ड विमानों के अधिक आरामदेह होने के कारण रात को डाक ले जाने वाले विमानों पर यातायात कम हो जायगा। यह बात भी सच नहीं हुई। यही मुख्य कारण है जिन की वजह से प्राक्कलित घाटा इतना अधिक नज़र आता था। जहां तक अन्य प्रश्नों का सम्बन्ध है, सरकार ने आई० ए० सी० के व्यय के संबंध में जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने का निश्चय किया है।

†श्री मं० रं० कृष्ण : मंत्री महोदय ने कहा है कि दिसम्बर, १९५७ में आई० ए० सी० वाइकाउन्ट विमानों के चालू किये जाने के कारण यातायात बढ़ने का अन्दाज नहीं लगा पाई। १९५५-५६ में बजट प्राक्कलन और वास्तविक घाटे में लगभग ७५ लाख रुपयों का अन्तर था। इसी प्रकार १९५६-५७ में...........

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य प्रश्न पूछें, भाषण न दें।

†श्री मं० रं० कृष्ण : यह बात १९५६ से चलती आ रही है। बजट में घाटे को बढ़ा कर दिखाने की इस प्रवृत्ति को रोकने के लिये मंत्रालय ने क्या कार्यवाही की है ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं ने कारपोरेशन से अधिक वास्तविकता के आधार पर बजट तैयार करने के लिये कह दिया है। लेकिन कठिनाइयां हैं। उदाहरण के लिये १९५८ में आई० ए० सी० ने नये रूट चालू करने का सोचा था और ये नये रूट प्रायः इस वर्ष के अन्त तक चालू हो पायेंगे। अब अगले वर्ष की आय का अन्दाज लगाना उन के लिये कठिन होगा। हमें नहीं मालूम कि जनता पर इन नये रूटों को क्या प्रतिक्रिया होगी। इस प्रकार आय के सम्बन्ध में बजट बनाना बड़ा कठिन काम है। लेकिन मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिला सकता हूं कि जहां तक व्यय का सम्बन्ध है, उन का बजट काफी ठीक था।

†श्री हेडा : क्या भाड़े और किराये की दरें निश्चित करने का कोई फार्मूला है, क्योंकि मैं ने देखा है कि बंगलौर से दिल्ली की यात्रा मद्रास से दिल्ली की यात्रा से महंगी पड़ती है हालांकि बंगलौर से हैदराबाद तक डकोटा विमान चलते हैं और मद्रास से हैदराबाद तक वाइकाउण्ट विमान आते हैं ?

†श्री मुहीउद्दीन : मैं माननीय सदस्य का ध्यान विमान परिवहन परिषद् के भाड़े संबंधी प्रतिवेदन की ओर आकृष्ट करता हूं जिस में उस ने कुछ सिफारिशें की हैं। जून, १९५८ के बाद से अब जो भाड़े निश्चित किये गये हैं, वे थोड़े रद्दोबदल के अलावा विमान परिवहन परिषद् की सिफारिशों पर ही आधारित हैं।

†श्री दासप्पा : दिल्ली से बंगलौर की दूरी दिल्ली से मद्रास की दूरी से अधिक नहीं है फिर भी आप बंगलौर से दिल्ली की यात्रा के लिये २० रुपये से भी अधिक ज्यादा वसूल कर रहे हैं। इस का क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†श्री मुहीउद्दीन : मैं उस प्रतिवेदन का हवाला दे चुका हूं, जो मेरे ख्याल से, पुस्तकालय में उपलब्ध है। उस प्रतिवेदन में विमान परिवहन परिषद् ने काफ़ी विस्तार से इन सब बातों पर चर्चा की है।

†श्री दासप्पा : वह कारण क्या हैं ?

†अध्यक्ष महोदय : हम अगला प्रश्न लेंगे।

बोस जांच बोर्ड की रिपोर्ट

+

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या १९. { श्री राम कृष्ण : श्री फीरोज़ गांधी : श्री हेम बरुआ : श्री संगण्णा : श्री मुरारका :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मूंदड़ा व्यापार संस्थाओं में जीवन बीमा निगम का विनियोजन करने में कुछ अधिकारियों का जो हाथ था उसकी जांच करने के लिये न्यायाधीश श्री विवियन बोस के सभापतित्व में जो जांच बोर्ड नियुक्त किया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी आपत्तियां क्या हैं;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(घ) क्या रिपोर्ट की प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

†गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त): (क) जी, हां। रिपोर्ट २१ सितम्बर १९५८ को दोपहर के बाद प्राप्त हुई थी।

(ख) और (ग). सरकार रिपोर्ट का परीक्षण कर रही है और अखिल भारतीय सेवायें (अनुशासन तथा अपील), नियमावली, १९५५ में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना भी आवश्यक होगा।

(घ) जी हां। रिपोर्ट सम्बन्धी कार्यवाही किये जाने के बाद उसे सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

†श्री राम कृष्ण : क्या इस आयोग ने छागला आयोग की उपपत्तियों का समर्थन किया है; यदि नहीं तो, दोनों में किस प्रकार का अन्तर है ?

†पंडित गो० ब० पन्त : इस बोर्ड की उपपत्तियां बताना उचित नहीं है क्योंकि अभी भी सम्बन्धित अधिकारियों ने अपने स्पष्टीकरण नहीं दिये हैं। सरकार को इस मामले पर विचार करना है और यदि आवश्यक हुआ तो इसका संघ लोक सेवा आयोग को भी निर्देश करना पड़ेगा। हमें अनुशासनीय नियमावली में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही करनी होगी।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री हेम बरूआ** : क्या इस आयोग की रिपोर्ट में हमारे भूतपूर्व वित्त मंत्री का व्यंगात्मक उल्लेख किया गया है; यदि हां, तो क्या यह उल्लेख आनुषंगिक है अथवा इस जांच से प्रगट होने वाले तथ्यों के फलस्वरूप करना अनिवार्य था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं ने केवल 'व्यंगात्मक' शब्द ही सुना है और कुछ नहीं ।

†**श्री संगण्णा** : क्या जांच रिपोर्ट से सम्बन्धित अधिकारियों को एक बार फिर से अपने खिलाफ लगाये गये आरोपों का सरकार को स्पष्टीकरण देने का अवसर दिया जायेगा ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : इस अवस्था में मैं कुछ नहीं कह सकता कि सभा इस विषय पर विचार करे या न करे, और क्या यह विषय चर्चा के लिये उचित होगा अथवा नहीं । इन सभी बातों पर विचार होगा ।

†**श्री मुरारका** : क्या समाचारपत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के सारांश की ओर सरकार का ध्यान गया है; यदि हां, तो क्या यह सारांश काफी हद तक सही है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : न तो वह प्रमाणिक है और न ही प्राधिकृत ।

†**श्री थानू पिल्ले** : क्या जांच बोर्ड ने ऐसी कोई उपपत्ति रखी है कि सम्बन्धित सचिव ने मूंदड़ा लेन देन के तथ्य मंत्री को नहीं बताये और सारी जिम्मेदारी सचिव ने अपने ऊपर ले ली थी ?

†**पंडित गो० ब० पन्त**: मैं रिपोर्ट में उल्लिखित प्रत्येक मामले के बारे में उत्तर नहीं दे सकता। वास्तव में मैं ने उसे अभी नहीं देखा ।

†**श्री दासप्पा** : जब सरकार सभा-पटल पर रिपोर्ट रखेगी तब क्या वह उस साक्ष्य को भी रखेगी जो जांच बोर्ड के समक्ष दिया गया था ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे यह नहीं मालूम कि किन परिस्थितियों में साक्ष्य दिया गया था क्योंकि सारी कार्यवाही गुप्त रूप से हुई थी और मैं उन परिस्थितियों से पूर्णतः अनभिज्ञ हूं जिनमें गवाहों से गवाही ली गई थी अथवा गवाह गवाही देने के लिये तैयार हुए थे । यदि साक्ष्यों पर विचार करने का अवसर उत्पन्न भी हुआ हो तो भी मैं नहीं सोचता कि सभा उस पर एक पुनरीक्षक अथवा अपीलीय समिति के रूप में कार्य करेगी ।

†**श्री हेम बरूआ** : क्या यह सच है कि इस लेन देन के लिये जांच बोर्ड ने तीनों अधिकारियों को जिम्मेवार ठहराया है और इन तीनों अधिकारियों में से एक अधिकारी के खिलाफ सब से अधिक आरोप लगाये गये हैं; और यदि ऐसा है तो किस अधिकारी के....... ?

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ! ब्योरे में जाने से क्या लाभ है । मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने स्वयं रिपोर्ट नहीं देखी ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : वे ऐसा कैसे कह सकते हैं ? श्री मुरारका के प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया है कि उसका सारांश न तो प्रमाणिक था और न ही प्राधिकृत । रिपोर्ट को देखे बिना वह कैसे यह बात कह सकते हैं । श्रीमान्, यह एक गंभीर बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने कहा था कि वह यह नहीं जानते कि वह व्यंगात्मक है अथवा प्रत्यक्ष ।

†**श्री हेम बरूआ** : इससे स्पष्ट है कि उन्होंने रिपोर्ट देखी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**पंडित गो० ब० पन्त** : चूंकि जांच बोर्ड के किसी भी सदस्य ने और न ही सरकार के किसी सदस्य ने कोई वक्तव्य दिया है और रिपोर्ट जिस रूप में सरकार को प्राप्त हुई है, वह गोपनीय दस्तावेज है अतएव समाचारपत्रों में जो कुछ भी प्रकाशित हुआ है न तो वह प्रमाणिक है और न प्रधिकृत ।

†**श्री खाडिलकर** : चूंकि रिपोर्ट का सारांश समाचारपत्र में प्रकाशित हो चुका है और सरकार ने उसका कोई खंडन नहीं किया अतएव मैं माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि समाचारपत्रों में प्रकाशित उपपत्तियां सही हैं अथवा गलत अथवा आंशिक रूप में सही हैं अथवा गलत ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं सदस्यों से यह आशा करता हूं कि जब तक सरकार किसी बात की पुष्टि न कर दे तब तक वे उसे स्वीकार न करें और सरकार से किसी खंडन के लिये प्रतीक्षा न करें ।

†**श्री महन्ती** : दो अधिकारियों अर्थात् रिजर्व बैंक के गवर्नर और भारत के राज्य बैंक के अध्यक्ष, के नामों को विवियन बोस जांच समिति के निर्देश पदों से क्यों छोड़ दिया गया है जब कि उनका उल्लेख छागला जांच आयोग में हुआ है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : सरकार ने उनके मामलों का निर्देश करना आवश्यक नहीं समझा और संकल्प में केवल उन्हीं अधिकारियों के नामों का उल्लेख किया गया है जिनके खिलाफ जांच की जानी है । संकल्प जारी होने के बाद संसद् में किसी सदस्य ने यह नहीं सुझाया कि अन्य व्यक्तियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री तंगामणि ।

†**श्री महन्ती** : श्रीमान ...... ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैंने श्री तंगामणि को बुलाया है । मंत्री महोदय ने कहा है कि ये सभी सुझाव पहिले ही दिये जाने चाहिये थे ।

†**श्री तंगामणि** : क्या विवियन बोस जांच समिति की रिपोर्ट सिफारिशों सहित सभा-पटल पर रखी जायेगी अथवा केवल समिति की सिफारिशें और सरकार के निर्णय ही पटल पर रखे जायेंगे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैं दोनों में से किसी एक के लिये भी उत्सुक नहीं हूं ।

†**श्री महन्ती** : माननीय मंत्री ने कहा है कि किसी ने कभी भी यह नहीं सुझाया कि उनके नामों का विवियन बोस जांच समिति को निर्देश नहीं किया गया । यदि वे छागला आयोग पर जो वाद-विवाद हुआ था उसे पढ़ने की कृपा करें, तो उन्हें इस सम्बन्ध में अनेकों उल्लेख मिलेंगे पूर्ण सौजन्यता के साथ मैं यह जानना चाहता हूं कि विवियन बोस जांच समिति में इन दो नामों का निर्देश न करने में सरकार के सामने क्या मूल परिस्थितियां तथा प्रधान उद्देश्य थे ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मैंने यह कहा है कि संकल्प के प्रकाशित होने के बाद संसद् में किसी ने इस प्रकार का सुझाव नहीं रखा ।

†**श्री त्यागी** : इन पड़तालों के फलस्वरूप क्या सरकार ने सचिवालय के अधिकारियों में जिम्मेदारी से बचने की प्रवृत्ति को रोकने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

†**पंडित गो० ब० पन्त** : मुझे आशा है कि सचिवालय के अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों के प्रति सजग हैं और वे उन्हें पूरा करते समय केवल देश का ही हित सामने रखेंगे तथा उन्हें बेधड़क हो कर और स्वतंत्रतापूर्वक पूरा करेंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

केरल में खाद्य स्थिति

†अल्प सूचना प्रश्न संख्या २०. श्री वें० प० नायर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिवेंद्रम में १८ सितम्बर, १९५८ के सर्वदलीय सम्मेलन ने भारत सरकार से यह प्रार्थना की है कि केरल को कम से कम १०,००० टन चावल तुरन्त ही दिया जाये;

(ख) क्या यह सच है कि उचित मूल्य वाली दुकानों में संभरण की कमी के कारण, केरल में चावल की कीमतें बढ़ती गई हैं; और

(ग) इस स्थिति का सामना करने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†खाद्य तथा कृषिमंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी, हां । केरल के खाद्य मंत्री ने इस प्रकार की प्रार्थना की थी ।

(ख) दक्षिण चावल क्षेत्र में संभरण की कोई कमी नहीं है । यद्यपि पिछले कुछ दिनों में वहां कुछ कीमतें बढ़ गई हैं तथापि उस क्षेत्र में चावल की कीमतें देश के अन्य भागों की अपेक्षा काफी कम हैं । दक्षिण क्षेत्र में जिसमें केरल भी शामिल है, साधारण चावल की कीमतें १९ रुपये से लेकर २१.५० रुपये प्रति मन तक हैं जब कि अन्य भागों में कीमतें निम्नलिखित हैं :—

पश्चिम बंगाल	२५.०० रुपये से ३७.०० प्रति मन तक
बिहार	२४.२५ रुपये से २५.५० प्रति मन तक
बम्बई	२१.०० रुपये से ३०.५० प्रति मन तक
उत्तर प्रदेश	२१.५० रुपये से २४.५० प्रति मन तक

२. चूंकि केरल की कमी दक्षिण चावल क्षेत्र के अतिरिक्त चावल से पूरी हो सकती है अतएव केरल सरकार की जरूरतें इसी क्षेत्र के बीच खरीदें करके पूरी हो सकती हैं । यह तय किया गया था कि चावल को सहायता प्राप्त दरों पर बेचने के लिये केरल सरकार सालाना १ लाख रुपया अंशदान में देगी । केरल सरकार ने कुछ लाख रुपये ही खर्च किये हैं और यदि उचित मूल्य वाली दुकानों में चावल की कमी थी तो राज्य सरकार चावल खरीद कर उसे सहायता प्राप्त दरों पर बेच सकती थी ।

३. व्यापार के लिये केरल राज्य में बड़े पैमाने पर चावल जा रहा है । केरल में कानी की फसल मद्रास में कुरवै की फसल तथा आंध्र में बासन्गी की फसल आ जाने से दक्षिण क्षेत्र में चावल के संभरण में और भी सुधार हो जायेगा ।

(ग) आज केरल के खाद्य मंत्री केन्द्रीय खाद्य मंत्री से मिलेंगे और उस समय इस स्थिति पर चर्चा होगी ।

†श्री वें० प० नायर : क्या यह सच है कि केरल सरकार राज्य के खाते से केवल आन्ध्र से ही चावल खरीद सकती है और आजकल आन्ध्र के जिन जिलों में चावल आवश्यकता से अधिक है वहां चावल की कीमतें भारत सरकार द्वारा निश्चित की गई कीमतों से बहुत ज्यादा हैं इसलिये इस बात का कोई भी ध्यान न रखते हुए कि अधिक कीमत देना अवैध है, केरल सरकार के लिये इन अतिरिक्त चावल वाले जिलों से चावल खरीदना असंभव हो गया है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री अ० प्र० जैन :** केरल सरकार सारे दक्षिण क्षेत्र से चावल खरीदने के लिये स्वतंत्र है और यह उसके ऊपर निर्भर है कि वे किस क्षेत्र से चावल खरीदती है ।

†**श्री वें० प० नायर :** क्या भारत सरकार को यह ज्ञात है कि केरल में ५० प्रतिशत की आवर्त्तक कमी रहने पर भी केरल में इन दिनों चावल की कीमत सारे भारत से कम है और यह इसलिये है कि केरल राज्य को जो कुछ भी थोड़ी मात्रा में चावल दिया गया था उसका उचित और ठीक ठीक वितरण किया गया है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** सरकार ने केरल को चावल देने में कुछ रियायत की है और अब भी हम यथासंभव मदद करने के लिये तैयार हैं ।

†**श्री वें० प० नायर :** माननीय मंत्री कहते हैं कि भारत सरकार ने कुछ पक्षपात किया है । क्या वे बतायेंगे कि पिछले छः महीनों में जो चावल दिया गया है उसकी औसत कितनी है और इन छः महीनों के पूर्व जो चावल दिया गया था उसकी औसत कम है या अधिक ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** दोनों आंकड़ों की तुलना नहीं हो सकती क्योंकि यह क्षेत्र हाल ही के छः महीनों के भीतर बना है । चूंकि अब यह क्षेत्र बना दिया गया है अतएव दोनों आंकड़ों की तुलना करना उचित नहीं है । फिर भी मैं इतना कह सकता हूं कि जब मद्रास और मैसूर को हाल ही के महीनों में कोई चावल नहीं दिया गया तब केरल को ४०,००० टन से भी अधिक चावल दिया गया है । इसके अलावा हम ने केरल राज्य को २४,४०० टन चावल उधार दिया था जिसमें से उन्होंने केवल ५००० टन ही लौटाया है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** क्या यह सच है कि जब सरकार के कहने के मुताबिक आंध्र में लगभग ९ लाख टन चावल अतिरिक्त है । आंध्र के मुख्य मंत्री के कहने के अनुसार वह केवल ५ या ६ लाख टन ही है और उस में से लगभग २१/२ लाख टन केन्द्रीय सरकार ने ले लिया है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** यह किसी का निर्णय और अंदाजा हो सकता है परन्तु सच तो यह है कि आंध्र में चावल आवश्यकता से काफी अधिक है । यहां मैं यह भी बता देना चाहूंगा कि तंजौर से केरल को बड़ी मात्रा में चावल भेजा जाता है ।

†**श्री अ० क० गोपालन :** प्रश्न यह था कि क्या आंध्र के मुख्य मंत्री ने निश्चित रूप से कहा था कि वे केन्द्रीय सरकार से इस बात पर सहमत नहीं हैं कि उनके राज्य में ९ लाख टन अतिरिक्त चावल है ? क्या केन्द्रीय सरकार और आंध्र सरकार के बीच चावल की अतिरिक्त मात्रा के सम्बन्ध में कोई मतभेद है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** उन्होंने बताया है कि हर व्यक्ति को कुछ कहने का अधिकार है ।

†**श्री नागी रेड्डी :** क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार के द्वारा अनाज की वसूली किये जाने के बाद आंध्र से बम्बई तथा अन्य जगहों को अवैध रूप से चावल भेजा जाता रहा है और इस प्रकार अवैध रूप से चावल भेजे जाने के कारण आजकल आंध्र में अधिक चावल नहीं है ।

†**श्री अ० प्र० जैन :** मैं निश्चयपूर्वक यह कह सकता हूं कि दक्षिण क्षेत्र में चावल की उपज अधिक होती है । जहां तक चोरी छिपे चावल भेजने का सवाल है, समाचारपत्रों में इस प्रकार की

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रिपोर्टें प्रकाशित हुई हैं कि आंध्र से अन्य राज्यों को चोरी छिपे चावल भेजा जाता है। हम ने इसके बारे में आन्ध्र के मुख्य मंत्री को लिखा था और उन्होंने चोरी छिपे चावल भेजना बन्द करने के लिये कड़ी कार्यवाही की है।

†**श्री रंगा :** क्या यह सच है कि आन्ध्र के मुख्य मंत्री तथा वहां के विभिन्न संगठनों ने भी भारत सरकार से यह शिकायत की है कि उस ने केरल को सहायता पहुंचाने के लिये आन्ध्र में चावल की कीमत कम रखी हैं ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** ऐसा आरोप लगाया गया था।

†**श्री तिरुमल राव :** क्या सरकार को यह मालूम है कि केरल सरकार ने उच्च न्यायालय के एक सेवा निवृत्त न्यायाधीश का एक सदस्य वाला आयोग इसलिये नियुक्त किया है कि वह इस बात की जांच करे कि केरल सरकार ने अपने अभिकरणों द्वारा आन्ध्र राज्य में कितना चावल खरीदा है; और यदि हां, तो क्या सरकार को इस आयोग की कार्यवाही अथवा रिपोर्ट मिल गई है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** केन्द्रीय सरकार का इन खरीदों से कोई सम्बन्ध नहीं है। इस सभा का प्रत्येक सदस्य यह जानता है कि इसके सम्बन्ध में अत्यन्त गंभीर आरोप लगाये गये थे और केरल सरकार ने उनकी जांच करने के लिये एक सदस्य आयोग भी नियुक्त किया है।

†**श्री त्यागी :** मुझे दो प्रश्न पूछने हैं। पहिला तो यह है कि क्या केरल सरकार ने हाल ही में इस वर्ष अपनी खाद्य सम्बन्धी राज सहायता की रकम $१^{१}/_{२}$ करोड़ से घटा कर १ करोड़ कर दी है और यदि हां; तो क्या केन्द्रीय सरकार से सलाह ली गई थी, और क्या भारत सरकार इससे सहमत थी तथा यदि हाँ, तो किन आधारों पर ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** राज्यों के पुनर्गठन के पूर्व त्रावनकोर-कोचीन सरकार १.५ करोड़ रुपयों की अर्थ राज सहायता दिया करती थी। वर्तमान मंत्री मंडल के सत्तारूढ़ हो जाने के बाद ही उन्होंने उसे घटा कर १ करोड़ रुपये कर दिया है तथा उन्होंने इस सम्बन्ध में हम से सलाह ली थी।

†**श्री थानू पिल्ले :** माननीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने केरल के साथ कुछ रियायत की है। क्या यह रियायत इस भय का परिणाम है कि केरल में भी उसी प्रकार खाद्य आंदोलन शुरू हो जायेगा जैसाकि उत्तर प्रदेश में हो रहा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** खाद्य आंदोलन बुरी चीज है। मैं उसे रोकना चाहता हूं परन्तु खाद्य आन्दोलन के डर से मुझे कोई कार्य विशेष करने के लिये बाध्य नहीं किया जा सकता।

†**श्री त्यागी :** न्यायाधीश श्री पी० टी० रमन नायर के जिस एक सदस्य वाले आयोग को इस आरोप की जांच करने के लिये नियुक्त किया गया था कि केरल सरकार ने अपने अभिकर्ता-व्यापारियों को आन्ध्र में रु० ३–७–० प्रति मन कम के हिसाब से चावल खरीदने दिया था जब कि केरल में चावल की कीमतें रु० २–८–० प्रति मन कम थीं—वह किस निष्कर्ष पर पहुंचा है ?

†**श्री अ० प्र० जैन :** सच तो यह है कि केरल सरकार ने इस सौदे के बारे में हमारी कोई सलाह नहीं ली। यह उसका आन्तरिक मामला है। मुझे जहां तक समाचारपत्रों से मालूम हुआ है आयोग अभी जांच कर रहा है और वह अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा।

†मूल अंग्रेजी में

†श्री हेडा : क्या भारत सरकार आन्ध्र में चावल वसूली के लिये अधिक अथवा उचित मूल्य देने का विशेषकर इस दृष्टि से विचार कर रही है कि केरल सरकार ने अब तक केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित की गई कीमत से अधिक कीमत दी है ?

†श्री अ० प्र० जैन : केरल सरकार द्वारा अधिक कीमत का दिया जाना निश्चय ही एक ऐसा तर्क नहीं हो सकता कि केन्द्र अपनी वसूली की कीमतें बढ़ा दे । भविष्य में वसूली की क्या कीमतें होंगी यह सारा प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

†श्री वें० प० नायर : केरल के केन्द्रीय गोदामों में भारत सरकार का कितना स्टाक है और क्या भारत सरकार इस दृष्टि से कि चावल नहीं मिल रहा केरल सरकार को नियंत्रण की दरों पर या उस से अधिक दरों पर आन्ध्र के चार जिलों से चावल खरीदने देगी ?

†श्री अ० प्र० जैन : केरल सरकार बाजार की दरों पर जहां चाहे वहां से चावल खरीद सकती है । मैं अपने स्टाक के आंकड़े नहीं बता सकता । परन्तु फिर भी जहां कहीं भी हमारे स्टाक हैं वे सारे देश के लिये हैं । यदि वे किसी राज्य विशेष में स्थित हैं तो यह आवश्यक नहीं है कि वे उसी राज्य के लिये ही हों ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारियों की आयु सीमा

†*१६५०. **श्री शि० ला० सक्सेना :** क्या **रेलवे** मंत्री निम्नलिखित जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य रेलवे के अनुसचिवीय कर्मचारियों के वार्धक्य के लिये निश्चित की गई विभिन्न आयु सीमायें क्या हैं ; और

(ख) उन में अन्तर होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) प्रचलित नियमों के अनुसार समस्त रेलवे कर्मचारियों के सेवानिवृत्त होने की आयु ५५ वर्ष है । फिर भी यदि कोई स्थायी सरकारी नौकरी वाला अनुसचिवीय रेलवे कर्मचारी १-४-१९३८ के पहले नियुक्त हुआ है तो उस से ५५ वर्ष की अवस्था में सेवानिवृत्त होने के लिये कहा जा सकता है परन्तु यदि वह चिकित्सा परीक्षा के अनुसार योग्य, और दक्ष है तो उसे ६० वर्ष की अवधि तक नौकरी में रखा जा सकता है ।

(ख) यह सेवा की शर्त १-४-१९३८ के पूर्व स्थायी सेवा में नियुवत किये गये अनुसचिवीय कर्मचारियों के लिये ही है ।

'एम० वी० अन्डमन्स' में यात्रियों को सुविधायें

†*१६५३. **सरदार अ० सिं० सहगल :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाज़ की केन्टीन द्वारा निम्न श्रेणी (बंक) के यात्रियों को दिये गये खाने के सम्बन्ध में यात्रियों द्वारा 'एम- वी०, एन्डमन्स' में रखी गई शिकायत पुस्तक में यात्रियों ने बहुत शिकायतें दर्ज की हैं । उन शिकायतों को हल करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस बात की भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि निम्न श्रेणी में लगे हुए पंखों की संख्या बहुत कम है जब ख़राब मौसम के कारण पोर्ट होल बन्द कर दिये जाते हैं तो उस समय यात्रियों को बहुत परेशानी होती है ; और

(ग) यदि हां तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) शिकायत पुस्तक में उल्लिखित जानकारी के सम्बन्ध में आवश्यक जानकारी प्राप्त की जा रही है। प्रस्तुत होने पर सभा पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग). कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

कलकत्ता को खाद्यान्नों का संभरण

†*१६५४. **श्री हालदर :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई मद्रास और विशाखापट्नम से कलकत्ता को बरसात के मौसम में खुले मालगाड़ी के डिब्बों में खाद्यान्न भेजा गया ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) उसमें से कितने हजार मन खाद्यान्न में अंकुर उग आये ; और

(घ) इस प्रकार कुल कितनी हानि हुई ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) से (घ). अत्यावश्यक मांग को पूरा करने के लिये विशाखापट्नम और आवड़ी से कुछ अवसरों पर खुले मालगाड़ी के डिब्बों में खाद्यान्न भेजना पड़ा क्योंकि बन्द तथा जल से बचाव करने वाले डिब्बे उस समय उपलब्ध नहीं थे। रेलवे ने डिब्बों को त्रिपालों से ढकने, उन्हें रस्सियों से बांधने और साथ में आदमी भेजने का दायित्व अपने ऊपर लिया था। इस प्रकार भेजे गये २$^1/_2$ लाख मन खाद्यान्न में से ८२५ मन खाद्यान्न जिसकी कीमत १२,००० रुपये थी खराब हो गया।

कृषि विकास

†*१६५६. **श्री लीलाधर कटकी :** क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सामुदायिक विकास प्रशासन ने कृषि विकास से सम्बन्धित विभिन्न विभागों का समन्वय कर लिया है ;

(ख) यदि हां, तो किस स्तर पर तथा किस प्रकार ;

(ग) विभिन्न स्तरों पर समन्वय व्यवस्था किस प्रकार कार्य करेगी ; और

(घ) उस समन्वय के अब तक क्या परिणाम निकले हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) :** (क) से (ग). केन्द्रीय, राज्य, जिला तथा खंड स्तर पर समन्वय किया गया है। विस्तृत जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६ अनुबन्ध संख्या ६७**]

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) समन्वय हो जाने से योजनाओं के बनने, स्वीकृत होने तथा क्रियान्वित होने में रुकावटें तथा विलम्ब दूर हुआ है । निम्न श्रेणी के यात्रियों के लिये पंखे तथा रोशनदान वाणिज्यिक नौवहन विभाग में विहित आवश्यकताओं के अनुसार हैं । अधिक पंखे लगाने का प्रश्न विचाराधीन है ।

खाद्य-पदार्थों का पैकिंग

†*१६६१. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में खाद्य पदार्थों के पैकिंग के लिये बड़े पैमाने पर मिट्टी तेल के टिनों का उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या इस बात की जांच की गई है कि ऐसे टिनों में बन्द किये हुए खाद्य पदार्थ खराब हो जाते हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) इस मंत्रालय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अगरतला नगरपालिका

*१६६२. **श्री दशरथ देब :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगरतला नगरपालिका की व्यवस्था कितने वर्षों से सीधे त्रिपुरा प्रशासन के अधीन है ; और

(ख) क्या सरकार ने अगरतला नगरपालिका के लिये चुनाव का कोई समय निश्चित किया है ;

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) :** (क) २५ अप्रैल, १९५५ से ।

(ख) अभी नहीं ।

दिल्ली में मजदूरों के लिये झोंपड़ियां

†*१६६३. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली में रहने वाले मजदूरों के लिए झोंपड़ियां बनाने की कोई योजना बनायी है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इसके लिए कितनी धनराशि नियत की गई है ; और

(घ) इसके कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर): (क) और (ख) जी नहीं । किन्तु इस समय डिप्लोमेटिक एन्क्लेव के मोतीबाग क्षेत्र में अनधिकृत रूप से बसे हुए ३७५ मजदूरों को बसाने के लिए नई दिल्ली नगरपालिका ने रिंग रोड तथा किचनर रोड के जंकशन पर कुछ भूमि का विकास किया है ।

(ग) और (घ). ये प्रश्न नहीं उठते ।

रेलों द्वारा ले जाये जाने वाला माल

†*१६६६. **श्री हरिश्चन्द्र माथुर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५८ के दौरान रेलवे से कितना माल ले जाने की मांग की जायेगी जिसके आधार पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना में रेलवे की माल ले जाने की असमर्थता का हिसाब लगाया गया है ; और

(ख) अब तक की वास्तविक स्थिति क्या है और माल ले जाने की मांग किये जाने तथा रेलवे की माल ले जाने की अक्षमता के सम्बन्ध में पुनरीक्षित आंकड़े क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) रेलों से कितना माल ले जाने को कहा जायेगा इस सम्बन्ध में वर्ष १९५८ के लिये पृथक से प्राक्कलन नहीं बनाया गया है ।

(ख) वर्ष १९५७–५८ में अनुमानतः १३२० लाख टन माल ले जाया गया । द्वितीय योजना के अन्त तक के लिये रखा गया संशोधित लक्ष्य १६८० लाख टन है । रेलवे ६० लाख टन माल ले जाने में असमर्थ रहेगी ।

गेहूं उत्पादों संबंधी विशेषज्ञ समिति

†*१६६७. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने का प्रयत्न करेंगे :

(क) क्या विभिन्न क्षेत्रों में गेहूं उत्पादों की कीमतों की जांच करने के लिये नियुक्त विशेषज्ञ समिति ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ

†*१६६८. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ ने रेलवे मंत्रालय द्वारा उसकी मांगे स्वीकार न किये जाने के फलस्वरूप ५ नवम्बर को विरोध दिवस मनाने का निश्चय किया है ।

(ख) संघ द्वारा क्या मांगें रखी गईं ; और

(ग) सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) संघ से, जो मान्यता प्राप्त संस्था नहीं है, उक्त निर्णय की कोई जानकारी नहीं मिली है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

माधोपुर से आगे रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना

*१६६९. **श्रीमती कृष्णा मेहता** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि माधोपुर से आगे रेलवे लाइन बढ़ाने का निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो यह काम कब तक आरम्भ किया जायेगा ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) जी नहीं। इस सुझाव पर विचार किया जा रहा है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

शाहदरा में अस्पताल की इमारत

†*१६७०. **श्री रघुनाथ सिंह**
डा० राम सुभग सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या शाहदरे के अस्पताल की इमारत १८ महीनों से खाली है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : जी नहीं। ५० पलंगों की क्षमता वाला शाहदरे के अस्पताल का केवल दवा बांटने वाला विभाग खाली पड़ा है क्योंकि आवश्यक सेवायें यथा पानी, बिजली इत्यादि की व्यवस्था नहीं हुई है। अस्पताल की इमारत अभी बननी बाकी है।

भारतीय कृषि गवेषणा परिषद

†*१६७१. **श्री कुम्भार** :
श्री राम कृष्ण :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की उत्तरी और हिमालय क्षेत्रीय समितियों ने चन्दीगढ़ में ८ और ९ सितम्बर को हुई बैठक में बरसात में, भाप फेंकने वाले यंत्रों की सहायता से कृत्रिम वर्षा पैदा करने की योजना पर भी विचार किया ;

(ख) यदि हां, तो यह योजना किस प्रकार की थी ; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद की उत्तर क्षेत्रीय समिति ने जिसकी बैठक ९ सितम्बर १९५८ को चन्दीगढ़ में हुई थी इस योजना पर विचार किया।

(ख) इस योजना का प्रयोजन किसी विशेष क्षेत्र में भाप फेंकने वाले यंत्रों के द्वारा बादलों में कृत्रिम उत्तेजना पैदा कर वर्षा की मात्रा में वृद्धि करना है।

(ग) इस योजना पर परिषद की विज्ञान-समिति और परिषद के सलाहकार बोर्ड में विचार किया जायेगा। उनके द्वारा स्वीकृत होने पर उस पर धन व्यय करने के लिये, प्रशासन समिति की दिसम्बर १९५८ में होने वाली बैठक में स्वीकृति ली जायेगी।

†मूल अंग्रेजी में

लाहौल क्षेत्र में डाक सेवायें

***१६७२. श्री हेम राज :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाहौल के आदिम जातियों द्वारा उस क्षेत्र में डाक ले जाने तथा मनीआर्डरों के वितरण में सुधार करने के लिये कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) लाहौल तथा स्पीति धारियों की आदिम जाति सलाहकार परिषद ने पंजाब सरकार के द्वारा लाहौल क्षेत्र के कीलोंग डाकघर में, वहां के बेतार के तार कार्यालय द्वारा तार द्वारा मनीआर्डर भेजने की सुविधाओं की मांग की है ।

परिषद के एक सदस्य ने मनाली से कीलांग तक ठेके में डाक ले जाने की सुविधायें देने का सुझाव दिया है ।

(ख) यह निश्चय किया गया कि कीलांग उप-डाकघर से तार मनीआर्डर कीलांग रेडियो तार कार्यालय के मार्ग से भेजे जाया करे ।

मनाली से कीलांग तक टट्टुओं और मजदूरों से डाक ले जाने के लिये टेंडर मांगे गये हैं ।

काज़ीपेट और बलहारशाह के बीच रेलवे लाइन

†*१६७३. श्री मधुसूदन राव : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काज़ीपेट और बलहारशाह के बीच रेलवे लाइन की मरम्मत कब तक हो जायेगी और गाड़ियों का आना जाना कब से चालू हो जायेगा ; और

(ख) बाढ़ के कारण रेलवे को कुल कितनी हानि हुई ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) काज़ीपेट और बलहारशाह के बीच रेलवे लाइन की मरम्मत १२-९-५८ को १२-३० बजे समाप्त हो गई । उसी दिन १-३० बजे से रेलवे यातायात प्रारम्भ हो गया ।

(ख) दरारों की मरम्मत करने और विरूर पुल संख्या २६९ पर अस्थायी व्यवस्था करने में लगभग ५०,००० रुपये खर्च हुए । नया पुल संख्या २६९ जो अब बनने वाला है उस पर ७ लाख रुपये व्यय होंगे ।

दिल्ली छावनी में बिजली का न दिया जाना

†*१६७४. { **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :
श्री वाजपेयी : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली छावनी के निवासियों को ३१ अगस्त, १९५८ से बिजली देना बिल्कुल बन्द कर दिया गया है;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं; और

(ग) पुनः बिजली दिये जाने के सम्बन्ध में अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) से (ग). सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९८]**

दिल्ली में गेहूं की कीमतें

†*१६७५. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री वाजपेयी :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में गेहू की कीमतों, विशेषत: फुटकर बिक्री की कीमतों में कुछ सप्ताह पूर्व की कीमतों से २० प्रतिशत वृद्धि हो गई हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार ने कीमतों को कम करने के लिये कुछ कार्यवाही की है या करने का विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो उस का विवरण क्या है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (घ). अगस्त के अन्त में गेहू की कीमतें काफी चढ़ गई थीं। पंजाब के गेहू क्षेत्र में शामिल होने के कारण यहां की कीमतें पंजाब की कीमतों पर निर्भर हैं। इन अफवाहों के फलस्वरूप कि उत्तर प्रदेश भी उत्तरी गेहूं क्षेत्र में शामिल किया जायेगा जिस में पंजाब, दिल्ली का संघ राज्य, उत्तर प्रदेश व हिमाचल प्रदेश शामिल होंगे पंजाब के व्यापारियों ने गेहूं इकट्ठा करना और उत्तर प्रदेश के व्यापारियों की ओर से गेहूं की खरीद करना आरम्भ कर दिया। इस से अगस्त के अन्त में पंजाब में गेहूं असाधारण रूप से तेज हो गया जिस का प्रभाव दिल्ली पर भी बढ़ा। खाद्यान्न जमा करने तथा सट्टेबाजी की रोक थाम के रूप में पंजाब सरकार ने कुछ शहरों में गेहूं की काफी बड़ी राशि अधिग्रहित कर ली। ऋण देने पर नियंत्रण अधिक कड़ा कर दिया गया। जिस से पंजाब में गेहूं की कीमत गिर गईं फलस्वरूप दिल्ली में भी कीमतें गिर गईं।

पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का लाना ले जाना

१६७६. श्री भक्त दर्शन : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि हिमालय के पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों को लाने ले जाने पर बहुत अधिक खर्च पड़ता है,

(ख) किन किन राज्य सरकारों ने खाद्यान्नों को लाने ले जाने का खर्च स्वयं उठाने के लिये केन्द्रीय सरकार से सहायता मांगी है जिस से खाद्यान्नों का भाव उचित स्तर पर रखा जा सके, और

(ग) इस विषय में क्या कार्यवाही की गई है ?

खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : जी, हां।

(ख) और (ग). हिमाचल प्रदेश प्रशासन ने केन्द्रीय सरकार को कुछ पहाड़ी क्षेत्रों में वितरण के लिये खाद्यान्न के लाने ले जाने के खर्च का कुछ भाग उठाने के लिये लिखा है। भारत सरकार न परिवहन के लिये आर्थिक सहायता देना स्वीकार कर लिया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के लिये भूमि का अर्जन

*१६७७. **श्री प्र० के० देव** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के लिये अधिगृहीत भूमि के लिये उड़ीसा के सम्बलपुर जिले के देवगढ़ व कुचिन्डा उपविभाग के किसानों को कुछ प्रतिकर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो कितना प्रतिकर दिया गया ;

(ग) यदि नहीं, तो क्यों;

(घ) यह भूमि कब अधिगृहीत की गई; और

(ङ) क्या ये किसान अधिगृहीत भूमि के लिये राज्य सरकार को लगान दे रहे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) से (ग). पटल पर एक विवरण रखा जाता है ।

विवरण

कुचिन्डा उप विभाग के लिये रु० १७१६.३७ न० पै० प्रतिकर के रूप में दिये जाने थे । यह कुल राशि दी जा चुकी है । देवगढ़ उप विभाग के लिये रु० ५४४११.१३ नये पैसे प्रतिकर चुकाना था और १४० व्यक्ति हम से प्रभावित थे । ११ सितम्बर, १९५८ तक १०० व्यक्तियों को प्रतिकर चुका दिया गया । अवशेष व्यक्तियों को भी शीघ्र प्रतिकर दे दिया जायेगा ।

(घ) यह भूमि १९५१ से १९५८ के बीच अधिगृहीत की गई थी ।

(ङ) जिस भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही अभी पूरी नहीं हुई है, राज्य सरकार की सूचना अनुसार उस की लगान वसूल की जा रही है । कार्यवाही पूरी हो जाने पर उन्हें भूतलक्षी अवधि से लगान लौटा दी जायेगी ।

केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव

†*१६७८. { **श्री नारायणन् कुट्टि मेनन :**
श्री ईश्वर अय्यर :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार द्वारा भूमि का कटाव रोकने की कार्यवाही में तत्काल सहायता करने के लिये कोई प्रार्थना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की प्रार्थना की गई; और

(ग) उस प्रार्थना पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). आवश्यक जानकरी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ९९]**

---

†मूल अंग्रेजी में

प्रशासी रेडियो सम्मेलन

†१६७९. **श्री सुबोध हंसदा** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शीघ्र ही अन्तर्राष्ट्रीय तार संचार संघ का प्रशासी रेडियो सम्मेलन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो यह किस तिथि को तथा किस स्थान पर होगा ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) सम्मेलन स्विटज़रलैंड के जेनेवा नगर में १७ अगस्त, १९५९ को प्रारम्भ होगा।

रेलवे प्रशासन द्वारा भांडारों की खरीद

†*१६८०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह जानकारी देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) चालू वर्ष में रेलवे प्रशासन द्वारा भांडारों को खरीदने के लिये पदाधिकारियों के कितने दल विदेश भेजे गये;

(ख) इन में से प्रत्येक दल ने कितनी धनराशि की खरीद की; और

(ग) क्या इस्पात की कोई वस्तुयें रेलवे बोर्ड द्वारा दी गई हिदायतों के अनुसार खरीदी हुई नहीं थीं और उन का कोई उपयोग नहीं हो सकता था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) कोई नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अधिनियमों का निरसन

†*१६८१. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ उच्च न्यायालयों ने यह निर्णय दिया है कि केन्द्रीय मोटर गाड़ी (संशोधन) अधिनियम, १९५६ (१९५६ का १००) के पारित होने से पूर्व राज्य विधान मंडलों द्वारा किये गये कुछ संशोधन ठीक विधियां थीं क्योंकि इन का विशेष रूप से निरसन नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) यद्यपि संविधान के अनुच्छेद २५४(१) के अधीन, राज्य मोटर गाड़ी संशोधन अधिनियमों के ऐसे उपबन्ध जो केन्द्रीय मोटर गाड़ी अधिनियम के अनुरूप नहीं थे, शून्य हो जाते हैं परन्तु फिर भी भारत सरकार को परामर्श दिया गया है कि शून्य उपबन्ध, जिनसे कोई लाभ नहीं हो सकता है, अपितु गलतफहमी फैल सकती है, का निरसन करना ठीक होगा। तदनुसार संविधान के अनुच्छेद २५४(२) के परन्तुक के अधीन ऐसा विधान बनाने का विचार है जिस से राज्य मोटर गाड़ियां अधिनियम में निहित, अनुरूप उपबन्धों को निरसित किया जाये।

†मूल अंग्रेजी में

सिगनलर

†*१६८२. **श्री शि० ला० सक्सेना:** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ४५ प्रतिशत सिगनलरों तथा उन के निरीक्षकों का ग्रेड बढ़ाने के सम्बन्ध में उन की १ अप्रैल, १९५६ की घोषणा को विभिन्न रेलों पर किस हद तक लागू किया गया है ।

(ख) क्या उपरिलिखित घोषणा के अनुसार सिगनलरों तथा उन के निरीक्षकों का स्तर ऊंचा उठाने का काम पूर्वोत्तर रेलवे पर आरम्भ कर दिया गया और पूरा कर दिया गया;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ व्यक्तियों जिन्हों ने निवृत्ति वेतन का विकल्प दिया था तथा जिन की सेवा निवृत्ति कुछ महीनों में होने वाली है, का ग्रेड अभी नहीं बढ़ाया गया है तथा न ही उनको नये ग्रेड पर स्थायी बनाया गया है; और

(घ) इस बात को देखते हुए कि विलम्ब करने से उन के निवृत्ति वेतन की राशि पर प्रभाव पड़ेगा, क्या सरकार तुरन्त ही ऐसे आदेश जारी करने पर विचार कर रही है कि इन सिगनलरों तथा निरीक्षकों के १ अप्रैल, १९५६ से ग्रेड बढ़ा दिये जायें तथा इन को उसी तिथि से स्थायी बनाया जाये ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) मार्च १९५७ में जारी किये गये आदेश सामान्यतः लागू कर दिये गये हैं और लगभग आधे लोगों को देय राशियों का भुगतान किया जा चुका है;

(ख) १००–१८५ तथा १५०–२२५ रुपये के वेतन क्रम में ग्रेड बढ़ा दिये गये हैं। केवल २००–३०० रुपये के वेतन क्रम में पदों के भरने के लिये चुनाव बाकी हैं। इसलिये अक्तूबर १९५७ में आदेश दिये गये ।

(ग) जी हां, कुछ मामलों में ।

(घ) आवश्यक निदेश पहले से दे रखे हैं। इस बीच जो सेवा निवृत्त हो जायेगा उस को निवृत्ति वेतन के लिये ग्रेड बढ़ने तथा स्थायी बनने के सभी लाभ दिये जायेंगे।

पम्बन नहर

†*१६८३. {**श्री सूपकार :**
श्री थानू पिल्ले :
श्री थानुलिंगम नायर :
श्री शंकर पांडियन :
श्री क० स० रामस्वामी :
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार सेतुसमुद्रम परियोजना की बजाये पम्बन नहर को गहरी खोदने की संभावनाओं पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में सरकार को कोई सुझाव अथवा योजना मिली है ;

(ग) यदि हां, तो क्या योजना का सारांश सभा-पटल पर रखा जायेगा; और

(घ) क्या इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**:(क) से (घ). भूतकाल में, सरकार द्वारा सेतुसमुद्रम परियोजन पर विचार किये जाने से पूर्व पम्बन नहर को गहरा खोदने की संभावना की जांच की गई थी। वर्तमान नहर ११ फुट डुबाव के जहाजों के लिये उपयुक्त है। नहर के तल को पथरीला होने के कारण तथा मन्नार की खाड़ी की ओर पानी कम गहरा होने के कारण, यह विचार किया गया कि इस चैनल को गहरा खोद कर बड़े जहाजों के लिये उपयोगी बनाने पर बड़ा खर्च होगा और बड़ी कठिनाई होगी। इस लिये प्रस्ताव पर और विचार नहीं किया गया।

खाद्य उत्पादन के लक्ष्य

†*१६८४. **श्री संगण्णा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्य मंत्रियों को यह सुझाव दिया है कि राज्य, जिला, थाना, ग्राम तथा पैदावार के लिये खाद्य उत्पादन के लक्ष्य निश्चित कर दिये जायें; और

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां। मुख्य मंत्रियों के, कृषि उत्पादन का महत्व बताते हुए, प्रधान मंत्री ने लिखा कि आगामी रबी फसल के लिये अभी से तैयारी की जानी चाहिये तथा केवल राज्य के लिये ही नहीं अपितु प्रत्येक कृषक परिवार के लिये लक्ष्य निर्धारित किये जाने चाहियें।

(ख) जो उत्तर अब तक मिले हैं उनसे पता लगता है कि प्रधान मन्त्री के सुझावों पर राज्य सरकार आवश्यक कार्रवाई कर रही है।

नसली सांड

†*१६८५. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कितने नसली सांड हैं ;

(ख) इनमें से कितने गत दस वर्षों में पाले गये हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि बढ़िया किस्म के सांड भारत में १:११२५० अनुपात में हैं; और

(घ) ऐसे सांडों की संख्या तथा किस्म सुधारने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) से (घ), राज्य सरकारों से जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा के समक्ष रख दी जायेगी।

स्पिती क्षेत्र में डाक सेवायें

†*१६८६. **श्री हेम राज** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिमला, रामपुर, चीनी-नामजिया, काजा तथा लोसाद के द्वारा स्पिती आदिम जाति क्षेत्र में डाक ले जाने की व्यवस्था की सम्भावनाओं की जांच की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हुए ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)**: (क) और (ख), प्रस्तावित डाक मार्ग पर बहुत व्यय होगा और हानि उस से भी बहुत अधिक होगी जिसकी अनुमति दी जाती है। पंजाब सरकार ने नये डाक मार्ग खोलने की इच्छा व्यक्त की थी इसलिये उनको लिखा गया है कि हमें लिखें जो अतिरिक्त व्यय होगा उसको वहन करने को तैयार हैं। उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

पंजाब में गेहूं के भांडारों पर कब्जा कर लेना

†*१६८७. **श्री राम कृष्ण** :
श्री स० म० बनर्जी :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब के कुछ नगरों में गेहूं के भांडारों पर कब्ज़ा किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में केन्द्रीय सरकार की अनुमति ले ली गई थी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि दिल्ली के व्यापारियों में इससे चिन्ता फैल गई है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) जी हां। पंजाब सरकार ने गेहूं के कुछ भांडारों का अधिग्रहण कर लिया है।

(ख) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अधीन प्रत्यायोजित अधिकारों के अधीन राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मनीपुर में भू-बन्धक बैंक

†*१६८८. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मनीपुर में भू-बन्धक बैंक खोलने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) इसके लिये कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) से (ग). जी हां। १९५९-६० में बैंक आरम्भ करने का विचार है। प्रारम्भिक कार्यवाही की जा रही है। इसके लिये द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक लाख रुपये की व्यवस्था की गई है।

उत्तर प्रदेश के लिये छोटी सिंचाई योजनायें

†*१६८९. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनको पता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने केन्द्र से प्रार्थना की है कि छोटी सिंचाई की और उन क्षेत्रों की, जहां पानी जमा हो जाता है आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये २ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता दी जाये; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रियाएं हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) और (ख), उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल में ही भारत सरकार से ११.२७ करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगी है। यह विचाराधीन है।

दक्षिण दिल्ली में दूषित जल का संभरण

†*१६६०. **डा० राम सुभग सिंह**: क्या **स्वास्थ्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दक्षिण दिल्ली में रहने वाले १००,००० व्यक्तियों को ओखला से दिया जाने वाला पानी बराबर दूषित था ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पानी की सप्लाई बन्द कर देने का है ; और

(ग) इन व्यक्तियों को पानी देने की अन्य कोई व्यवस्था करने के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) ओखला वाटर वर्क्स से कच्चा पानी जहां से लिया है वहां से पानी सन्तोषजनक रूप में नहीं मिलता है। परन्तु जो पानी दिया जाता है वह कीटाणु-रहित तथा रासायनिक रूप में साफ होता है।

(ख) जी नहीं।

(ग) दिल्ली की जल व्यवस्था पर विचार करने के लिए सरकार ने एक प्रविधिक समिति बनाई है। लगभग चार महीनों में उनकी सिफारिशें मिलने की आशा है।

तूफान की चेतावनी देने वाला रडार यंत्र

१६९१. **श्री भक्त दर्शन** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के सफदरजंग हवाई अड्डे पर १३ सितम्बर, १९५८ से तूफान की चेतावनी देने वाला जो रडार यंत्र चालू किया गया है, उसके लिये विदेशी सहायता प्राप्त की गयी थी;

(ख) यदि हां, तो किस देश से और किस संस्था से सहायता प्राप्त हुई थी;

(ग) कितनी सहायता प्राप्त हुई थी; और

(घ) किन शर्तों पर यह सहायता दी गयी है ?

असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन): (क) और (ख), जी हां, इण्डो-यू० एस० टेकनिकल कोआपरेशन एड प्रोग्राम के सिलसिले में यू० एस० ए० की सरकार से उनके टेकनिकल कोआपरेशन मिशन के जरिये से तूफान की चेतावनी देने वाला रडार हासिल किया गया था।

(ग) अब तक ९.५२ लाख रुपये की लागत का सामान जिसमें मुख्य राडार तथा अलग से पुर्जे वगैरह शामिल हैं आ चुका है और २.०७ लाख रुपये के पुर्जे वगैरह आने बाकी हैं।

(घ) एड प्रोग्राम के सिलसिले में जो इक्विपमेंट वगैरह मिले हैं वे भारत सरकार की जायदाद होंगे और सिर्फ एविये‌शन के लिये धरातलीय सुविधा के विकास के काम में लाये जायेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

अन्दमान द्वीपसमूह में जंगलों का विकास

†*१६९२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दमान द्वीपसमूह में जंगलों के विकास की योजनाओं के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है तथा द्वितीय योजना अवधि के अन्त तक क्या मुख्य लक्ष्य निश्चित किए गए हैं ; और

(ख) कथित योजनाओं की क्रियान्विति पर कितना धन व्यय किया गया है तथा योजना लक्ष्यों में कितनी प्रगति की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) और (ख). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अन्दमान द्वीपसमूह की जंगल विकास योजनाओं के लिये योजना में ८० लाख रुपये की व्यवस्था थी । अन्दमान प्रशासन से अन्य बातों के बारे में जानकारी मांगी गई है तथा लोक सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायेगा ।

महाराष्ट्र (बम्बई) में चीनी के सहकारी कारखाने

†*१६९२. **श्री गोरे :**
श्री जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महाराष्ट्र (बम्बई) के चीनी के सहकारी कारखानों में जो मशीन लगाई गई थी वह खराब पाई गई और इससे सहकारी कारखानों को अत्यधिक हानि हुई ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिमी जर्मनी से जो मशीन आयात की गई थीं वह चुकन्दर की चीनी बनाने के लिए थी उससे पिछले मौसम में १० से १५ प्रतिशत उत्पादन कम हुआ; और

(ग) क्या चीनी कारखानों की इन हानियों से गन्ने के मूल्यों पर इतना बुरा असर पड़ा है कि गन्ना उगाने वाले किसान अंशधारियों को ४६ पये प्रति टन के बजाये ३८ रुपये प्रति टन मिल सका ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) बम्बई राज्य के राहुटी, रहाता, करेगांव, तथा मालेगांव में लगे सहकारी कारखानों की मशीनों में कुछ खराबी पाई गई थी । ये कारखाने पहली बार १९५७–५८ में चले थे । इन खराबियों से कारखानों को अत्यधिक हानि नहीं हुई है ।

(ख) जी नहीं । आयात की गई मशीन गन्ने से चीनी बनाती है ।

(ग) जी नहीं । ४६ रुपये प्रति टन का न्यूनतम मूल्य कारखाने के दरवाजे पर दिए गए गन्ने के लिए है । ३८ रुपये प्रति टन मूल्य खड़ी फसल के लिए है तथा इसमें काटने तथा ढोने का व्यय शामिल नहीं है ।

भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा विद्युत कार्य

†*१६९३. **श्री दी० चं० शर्मा :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दलजीत सिंह :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ३० अप्रैल, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १९२७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त १९५८ के अन्त तक भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा विद्युत् कार्यों के बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी): जानकारी देने वाला विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १००]

रुद्रपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय

†*१६९४. श्री स० म० बनर्जी: क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ९५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश के रुद्रपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय १९५८–५९ में स्थापित हो जायेगा; और

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी नहीं।

(ख) ऐसी आशा है कि विश्वविद्यालय १९६० के अध्ययन सत्र से प्रारम्भ हो जायेगा।

चरागाहों का सुधार[1]

†*१६९५. श्री सुबोध हंसदा : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में चरागाहों के सुधार की किसी योजना का श्रीगणेश किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस योजना का सूत्रपात किन-किन राज्यों में किया गया है; और

(ग) क्या इस प्रकार की योजनाएं सब राज्यों में व्यावहारिक हैं ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) जी हां।

(ख) और (ग). लोक-सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०१]

गन्ने की कीमत

†१६९६. सरदार इकबाल सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री १४ मार्च, १९५८ के गन्ने की कीमत निश्चित करने से सम्बन्धित तारांकित प्रश्न संख्या ९६१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपसमिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन के मुख्य लक्षण क्या हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): (क) जी नहीं। प्रतिवेदन को अन्तिम रूप देने के पहले लगभग ३ वर्ष के आंकड़े एकत्र कर उनका अध्ययन करना होगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Grass Land Improvement.

मनीपुर में लीमखोंग विद्युत् व्यवस्था

†*१६६७. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मनीपुर में लीमखोंग विद्युत् व्यवस्था पूरी हो गई है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसमें क्या कठिनाइयां हैं और इसके कब तक पूरी होने की आशा है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) मनीपुर में लीमखोंग विद्युत् व्यवस्था सम्बन्धी कार्य प्रगति पर है ।

(ख) किन्हीं विशेष प्रकार की कठिनाइयों की सम्भावना नहीं है और १९६० तक सब काम पूरे होने की आशा की जाती है ।

अन्दमान द्वीपसमूह का वन विभाग

†*१६६८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीपसमूह के वन विभाग ने ठेके देने की एक नवीन नीति प्रारम्भ की है जिसका आधार दक्षिण अन्दमान के जंगलों से ठेकेदार के खर्च से लट्ठों के रूप में इमारती लकड़ी निकालना और उसके निर्यात पर रायल्टी का भुगतान करना है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार के ठेके किन व्यक्तियों को दिये गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) १९ मई, १९५८ से श्री गोविन्दराजुलु को इमारती लकड़ी काटने और उसके निर्यात का ठेका रायल्टी के आधार पर दो वर्ष के लिये दिया गया है ।

अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चुनाव

†२८७०. **श्री सिदय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री रेलवे सेवा आयोग द्वारा अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के चुनाव के सम्बन्ध में २६ अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २८२४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जानकारी एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) क्या इसे लोक-सभा के पटल पर रखा जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). जानकारी एकत्रित कर ली गई है और उसे व्यवस्थित रूप दिया जा रहा है । चूंकि यह पर्याप्त वृहदाकार है इसे लोक-सभा के पटल पर रखने में कुछ समय लगेगा ।

रेलवे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और एंग्लो इंडियनों के लिये पद संरक्षण

†२८७१. **श्री सिदय्या** : क्या **रेलवे** मंत्री अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और आंग्ल भारतीयों के लिये रेलवे में पद संरक्षण से सम्बन्धित ३० अप्रैल, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या २९८८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह जानकारी संग्रहीत कर ली गई है और लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : अपेक्षित जानकारी देने वाला विवरण लोकसभा के पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०२]**

---

†मूल अंग्रेजी में

टेलीफोन के कनैक्शन

†२८७२. **श्री पांगरकर** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई के परभणी ज़िले से टेलीफोन कनैक्शनों के लिये कितने आवेदनपत्र लम्बित हैं ;

(ख) सब से पुराने आवेदनपत्र की क्या तारीख़ है ; और

(ग) टेलीफोन कनैक्शन देने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) परभणी ज़िले में तीन टेलीफोन एक्सचेंज हैं जिनके बारे में जानकारी नीचे दी जाती है :

	परभणी	सैलु	हिंगोली
	२	१	१
(ख)	१-८-५८	१७-७-५८	१५-५-५८
(ग)	दोनों आवेदनकर्ताओं को डिमांड नोट जारी कर दिये गये हैं । उनमें से केवल एक ने भुगतान किया है । उन्हें शीघ्र ही कनैक्शन दिया जा रहा है ।	डिमांड नोट जारी कर दिया है और उसका भुगतान होने पर तुरन्त कनैक्शन दे दिया जायेगा ।	कनैक्शन शीघ्र दे दिया जायेगा ।

दक्षिण पूर्व रेलवे के लोको शेड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२८७३. **श्री श० च० गोडसोरा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्रधरपुर ज़िले में दक्षिण पूर्वी रेलवे के सम्पूर्ण लोको शेड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये काम के घंटे का समान क्रम है अथवा किन्हीं लोको शेड के काम के घंटों में भिन्नता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). दक्षिण पूर्व रेलवे में चक्रधरपुर ज़िले के लोको शेड के चतुर्थ श्रेणी के काम करने के घंटे समान नहीं हैं । लोको शेड के कर्मचारियों के काम के घंटे रोजगार नियमों में घंटों के अन्तर्गत कार्यभार के आधार पर वर्गीकृत किये जाते हैं । अतः लोकोशेड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के काम के घंटों में असमानता का कारण भेदभाव नहीं है किन्तु ऐसा रोज़गार नियमों के घंटों के उपबन्धों के अनुसरण में ही किया गया है ।

†मूल अंग्रेज़ी में

तम्बाकू के पौधे

†२८७४. **श्री नारायणस्वामी :** क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पौधा संरक्षण योजना के अन्तर्गत तम्बाकू के पौधों में रोग दूर करने के लिये मद्रास राज्य को इस वर्ष कितनी रकम आवंटित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** तम्बाकू के पौधों में रोग दूर करने के लिये भारत सरकार राज्य सरकारों को किसी भी पौधा संरक्षण योजना के अन्तर्गत किसी प्रकार का अनुदान नहीं दे रही है । भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति, मद्रास ने भी किसी पौधा संरक्षण योजना का सूत्रपात नहीं किया है और न किसी ऐसी योजना के अधीन तम्बाकू के पौधों में रोग दूर करने के लिये निधि आवंटित करने की प्रार्थना मद्रास सरकार की ओर से अभी तक समिति को प्राप्त हुई है ।

शिलांग गौहाटी रेल सम्पर्क

†२८७५. **श्रीमती मफीदा अहमद :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने श्री जार्ज गिल फैलान के सुझाव के अनुसार शिलांग और गौहाटी के बीच संचार व्यवस्था में सुधार करने के लिये दोनों स्थानों को मोनोरेल अथवा नैरो गॉज रेलवे ट्रैक से सम्बन्धित करने की टेक्नीकल व्यावहारिकता पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या निष्कर्ष हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) श्री गिल फैलान द्वारा तैयार किया गया नोट अपूर्ण था क्योंकि उसमें लागत सम्बन्धी आंकड़े और तर्क संगत कारण नहीं बताये गये थे । इसके अतिरिक्त, विदेशों में भी मोनोरेल का प्रयोग देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिये नहीं वरन् मुख्यतः नगरीय और उपनगरीय यातायात के लिये किया जाता है । अतः शिलांग और गोहाटी के बीच सम्पर्क स्थापित करने के लिये पर्वतीय क्षेत्र में इसे चलाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । गौहाटी को शिलांग से नैरो गॉज द्वारा मिलाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे बोर्ड पुनर्गठन योजना

†२८७६. **श्री मधुसूदन राव :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड पुनर्गठन योजना १ दिसम्बर, १९५४ से क्रियान्वित कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो कर्मचारियों की पदोन्नति के माध्यमों के मुख्य-मुख्य लक्षण क्या हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी हां । आंशिक रूप में ।

(ख) इस दिशा में निम्न विषय की ओर ध्यान आमंत्रित किया जाता है ;

(१) रेलवे बोर्ड की सचिवालय सेवा योजना के पैराग्राफ़ १७ से १९ ;

(२) रेलवे बोर्ड के सचिवालय स्टेनोग्राफर सेवा योजना के पैराग्राफ़ १२, १३, १४ और १९ ; और

(३) रेलवे बोर्ड के सचिवालय क्लर्की सेवा योजना के पैराग्राफ़ १४ और १६ । इनकी प्रतियां संलग्न हैं ।

[पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी०–९७५/५८]

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे बोर्ड के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

†२८७७. श्री मधुसूदन राव : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे बोर्ड के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के पदों पर कितने मैट्रिक पास कर्मचारी नियोजित हैं ;

(ख) उनकी पदोन्नति की भावी सम्भावनायें क्या हैं ; और

(ग) ऐसे कितने कर्मचारी ऊंचे ग्रेड में अथवा तृतीय क्लास पदों पर बढ़ाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) आजकल इनकी संख्या ३१ है ।

(ख) मैट्रिक पास चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को 'आपत्ति नहीं' सर्टीफिकेट दे दिये जाते हैं ताकि उनकी इच्छा हो तो वह ऊंचे पदों के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों में अपने नाम पंजीकृत करा सकते हैं रेलवे बोर्ड के कार्यालय में तृतीय क्लास के पदों पर रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा भेजे गये नामों के साथ उन पर भी विचार किया जाता है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में तृतीय क्लास के पदों पर नियुक्ति हेतु १९५५ से १९५७ की अवधि में उक्त कोटि के नौ कर्मचारियों को अनुमति दी गई थी । बोर्ड के कार्यालय में गत कुछ वर्षों में तृतीय क्लास में पदोन्नत किये जाने वाले कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :—

१९५३ : एक

१९५४ : दो

१९५८ : छः

मालगाड़ियों का लूटा जाना

†२८७८. **श्री मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १३ मई, १९५८ को संध्या के पश्चात् निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के समीप मालगाड़ी के आठ डिब्बे लूट लिये गये थे ; और

(ख) यदि हां, तो भविष्य में इस प्रकार की घटनायें न होने देने के लिये रेलवे सुरक्षा बल द्वारा क्या कार्यवाही प्रारम्भ की गई है ।

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) १३ मई, १९५८ को प्रातःकाल चलती गाड़ी में चोरी की एक घटना हुई थी । इसमें अपराधियों ने फरीदाबाद और तुगलकाबाद के बीच मालगाड़ी रोक कर ९ मालडिब्बों को लूटने की कोशिश की। इनकी जांच के पश्चात् आठ वैगन सही हालत में पाये गये और नवें वैगन से लगभग ३०० रुपये का माल गायब निकला ।

(ख) फरीदाबाद में रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों की संख्या सशस्त्र सैनिकों को बढ़ा कर अधिक कर दी गई है ।

मूल्यवान वस्तुओं के डिब्बों वाली मालगाड़ियों के साथ रात्रि को सशस्त्र सनिक रहते हैं ।

इस सैक्शन में सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण करने के लिये एक सूबेदार और एक हवलदार नियुक्त कर दिये गये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस प्रकार की घटनाओं वाले सैक्शनों में जिला पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, और रेलवे सुरक्षा बल द्वारा मिला जुला पैट्रोलिंग आरम्भ किया गया है ।

रेलवे बोगी में आग

†२८७९. **श्री मधुसूदन राव** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पठानकोट के रेलवे यार्ड में ११ मई, १९५८ को एक बोगी में आग लग गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी हानि हुई ; और

(ग) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) २५,००० रुपये ।

(ग) इस विषय में नियुक्त की गई जांच समिति द्वारा सिफारिश किये गये निम्न निरोधात्मक उपायों का परीक्षण किया जा रहा है :—

(१) पठानकोट के नये यार्ड की रक्षा के लिये अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल कर्मचारियों का उपबन्ध ।

(२) उक्त स्टेशन पर सीमा सम्बन्धी दीवार का उपबन्ध ताकि लाइन नं० १२ और सड़क के बीच अवैध प्रवेश रोका जा सके ।

(३) आग बुझाने के प्रयोजन से नये और पुराने यार्ड में अनेक नलों का उपबन्ध । अन्य स्टेशनों पर भी जहां कोचिंग स्टाक स्थित हो नलों के उपबन्ध पर विचार किया जाना चाहिये ।

आग बुझाने के बक्से और इंजनों के सामान्य उपबन्ध की साधारण कार्यवाही के अतिरिक्त उपरोक्त उपाय किये गये हैं । और यह आदेश जारी किये गये हैं कि खड़े हुये डिब्बों को सामान्यतया आवास स्थान के रूप में प्रयुक्त नहीं किया जाना चाहिये ।

मनीपुर का चिकित्सा विभाग

†२८८०. **श्री ले० अचौ सिंह** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा क गे कि :

(क) १९५५–५६ और १९५६–५७ में मनीपुर के चिकित्सा विभाग (स्वास्थ्य सेवा) के लिये कितनी राशि स्वीकार की गई थी और कितनी व्यपगत हो गई है ;

(ख) आवंटित रकम खर्च न होने का क्या कारण है ; और

(ग) भविष्य में रकम व्यपगत होने की पुनरावृत्ति से बचने के लिये क्या उपाय किये गये हैं ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय लोकसभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सकड़ी गलीघाट और मनीहारी घाट पर माल लादने और उतारने के ठेके

†२८८१. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या रेलवे मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के भाग (ख) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, १९५९ तक ठेके की समाप्त न हुई अवधि अर्थात जुलाई १९५८ से अप्रैल १९५९ तक के लिये मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी को सकड़ी गली घाट और मनिहारी घाट पर अतिरिक्त कार्य के लिये कितनी अनुमानित रकम और देने का विचार है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : सामान लादने और उतारने का परिमाण और सामान्य कार्य से अधिक होने की स्थिति पर ही यह निर्भर है कि कितनी रकम दी जायेगी ।

अतः इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि कितनी रकम दी जायेगी क्योंकि वहां आने वाले यातायात और अतिरिक्त परिमाण में समय समय पर परिवर्तन होता रहता है ।

मनिहारी घाट पर सामान को उतारने-चढ़ाने के पुराने ठेकेदारों को भुगतान

†२८८२. **श्री वि० च० शुक्ल** : क्या रेलवे मंत्री ५ सितम्बर, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५३९ के भाग (क) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मनिहारी घाट पर सामान को उतारने-चढ़ाने के पहले के ठेकेदारों को १५ अगस्त, १९४७ से अप्रैल, १९५६ तक के लगभग ९ वर्षों में अतिरिक्त माल को उतारने चढ़ाने के लिये ज़रा भी राशि अदा नहीं की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो फिर मई, १९५६ से जून, १९५८ तक की अवधि में उक्त घाट पर अतिरिक्त माल को उतारने चढ़ाने के लिये मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को किस लिये ३,१५,६५५/७/- रुपयों की अतिरिक्त राशि अदा की गई थी ;

(ग) क्या यह सच है कि अगस्त, १९४९ से मार्च, १९५३ तक की अवधि के लिये मध्यस्थ द्वारा २२,५३० रुपये अदा करने का निर्णय किया गया था और वह राशि सकड़ी गली घाट के तत्कालीन ठेकेदारों को अदा कर दिया गया था, जबकि उन्होंने ८०,००० रुपये मांगे थे, परन्तु अप्रैल, १९५३ से अप्रैल, १९५६ तक की अवधि के लिये ज़रा भी राशि अदा नहीं की गई है ; और

(घ) यदि हां, तो फिर मैसर्स बर्ड एण्ड कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड को मई, १९५६ से जून, १९५८ तक की अवधि के लिये सकड़ी गली घाट पर किये गये कार्य के लिये ९० प्रतिशत के हिसाब से मांगी गई राशि के लिये २,१०,४८१/१२/६ रुपये अदा करने के प्रसंग में अतिरिक्त कार्य के लिये मांगी गई राशि का निर्णय करने और उसकी अदायगी में इतना अधिक अन्तर क्यों है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां । परन्तु ठेकेदार द्वारा उसके लिये कोई दावा ही नहीं किया गया है ।

(ख) ३०० फुट से अधिक स्थान को घेर लेने वाली सभी वस्तुओं को उतारने-चढ़ाने पर अधिक अतिरिक्त राशि की अदायगी करार के सम्बद्ध उपबन्धों के अनसार की जाती है ।

(ग) जी, नहीं । मध्यस्थ द्वारा वैसा निर्णय नहीं किया गया था । अदा की गई २२,५३० रुपये की राशि अतिरिक्त सामान के उसी दर के अनुसार थी जो कि उस अवधि में दूसरे घाट अर्थात मनिहारी घाट पर लागू थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

अप्रैल, १९५३ से अप्रैल, १९५६ की अवधि में सकड़ी गली घाट पर अतिरिक्त कार्य के लिये कोई भी राशि नहीं दी गई थी क्योंकि दर निश्चित करते समय सामान के भार को ध्यान में नहीं रखा गया था।

(घ) कारण यह है कि 'सामान्य भार' के सम्बन्ध में किये गये ठेकों की शर्तों और 'अतिरिक्त भार' के लिये की जाने वाली अदायगी के दर में अन्तर है।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली पर पूंजीगत व्यय

†२८८३. **श्री अब्दुल सलाम :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक पूरे हो चुके प्रत्येक ताप विद्युत कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता के प्रत्येक क्लोवाट बिजली पर कितना कितना पूंजीगत व्यय हुआ है ; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अभी तक पूरे हो चुके प्रत्येक जल विद्युत कारखाने की अधिष्ठापित क्षमता की एक किलोवाट बिजली पर कितना कितना पूंजीगत खर्च आया है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). लोक सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०३]**

बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति

†*२८८४. { **श्री श्रीनारायण दास :** / **श्री दी० चं० शर्मा :** }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ११ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ८४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति ने अपना अन्तिम प्रतिवेदन भेज दिया है ;

(ख) समिति ने मुख्य रूप से क्या क्या सिफारिश की है ;

(ग) क्या उस प्रतिवेदन पर गंगा ब्रह्मपुत्र जल परिवहन बोर्ड ने विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी, नहीं।

बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन जाच समिति तो बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन के सम्बन्ध में केवल अल्पकालीन सिफारिशें देने के लिये स्थापित की गई थी। उसने अपनी अन्तरिम रिपोर्ट में इस प्रकार की सिफारिशें की हैं। हमारी इच्छा यह थी कि अखिल भारतीय अन्तर्देशीय जल परिवहन समिति, जिसके सभापति श्री बी० के० गोखले हैं, दीर्घकालीन समस्या पर विचार करें। भारत सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में किये जा रहे अल्पकालीन प्रयत्न लोक सभा में २३ सितम्बर, १९५८ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १४७७ के उत्तर में बता दिये गये थे। शीघ्र ही गोखले समिति बिहार जायेगी। इसलिये अल्पकालीन समिति द्वारा एक और रिपोर्ट भेजने की आवश्यकता ही नहीं है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारतीय नदियों की सिंचाई तथा विद्युत संबंधी क्षमता

†२८८५. { **श्री राम कृष्ण :**
सरदार इकबाल सिंह : }

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नदियों की सिंचाई तथा विद्युत सम्बन्धी क्षमता का अध्ययन-कार्य पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक नदी की सिंचाई तथा विद्युत की क्या क्या क्षमता है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पाकिस्तान को जल संभरण

†२८८६. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय नदियों से अभी तक पाकिस्तान को जल संभरित किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ और १९५७-५८ में कुल कितना पानी संभरित किया गया था ?

†**सिचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) जी, हां ।

(ख) संभवतः माननीय सदस्य भारत द्वारा केन्द्रीय बारी दोआब नहर व्यवस्था और दीपालपुर नहर को संभरित किये जा रहे जल की ओर और उस जल की ओर निर्देश कर रहे हैं जो कि भारत से भारत-पाकिस्तान की सीमा पर रावी और सतलुज नदियों में बहता है ।

पाकिस्तान को भेजे जाने वाले पानी की कुल मात्रा, जिसका कुछ अंश किसी वर्ष समुद्र तक चला जाता है, नदियों में बहने वाले पानी और भारत में उनके किये जाने वाले उपयोग पर निर्भर करती है—और ये दोनों बातें अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग होती हैं । इसलिये किसी एक वर्ष में संभरित की जाने वाली मात्रा की दूसरे वर्ष संभरित की जाने वाली मात्रा से बराबरी नहीं कर सकती । फिर उक्त जल संभरण की कुल मात्राओं का हिसाब नौ स्थानों पर दिन प्रति-दिन बहने वाले पानी का हिसाब लगा कर ही बताया जा सकता है, और इसके लिये उतना परिश्रम करना पड़ेगा कि उससे प्राप्त होने वाला परिणाम उस परिश्रम के अनुरूप न होगा ।

पाकिस्तान को विद्युत संभरण

†२८८७. **श्री राम कृष्ण :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय विद्युत परियोजनाओं से अब भी पाकिस्तान को बिजली संभरित की जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो १९५६-५७ और १९५७-५८ में कितनी बिजली संभरित की गई थी ?

†मूल अंग्रेजी में

†सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) जी, नहीं । पंजाब (भारत) के मंडी जल विद्युत कारखाने से जो बिजली दी जाती थी, वह १ फरवरी, १९५८ से समाप्त कर दी गई है ।

(ख)	१९५६-५७ में . . .	१७५ लाख यूनिट
	१९५७-५८ में . . .	१७३ लाख यूनिट

हांसी और सातरोड के बीच रेल का फाटक

†२८८८. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने १९५४ में हांसी और सातरोड के बीच हांसी तहसील के धनघेरी गांव के लोगों के खर्च पर ७०/१४ मील के पत्थर के पास एक रेल का फाटक बनाने का निर्णय किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि ग्रामवासियों ने १९५४ में ही आवश्यक धन जमा करा दिया था ;

(ग) क्या यह भी सच है कि चार वर्ष बीत जाने पर भी अभी तक रेल का फाटक नहीं बनाया गया है ;

(घ) यदि हां, तो इस विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या कार्वाही की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं ।

(ख) ग्राम निवासियों ने तो केवल सर्वेक्षण करने और उसकी योजना तथा प्राक्कलन तैयार करने के लिये ११२/८/—रुपये अदा किये गये थे ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सुझाव यह था कि ७६/१०-११ मील के पत्थर के पास एक रेल का फाटक बनाया जाये, परन्तु उसे उचित नहीं समझा गया था क्योंकि ७६ मील के पास तो पहले से ही रेल का फाटक है ।

(ङ) प्राप्त किया गया धन अब वापस किया जा रहा है ।

चरखी दादरी स्टेशन पर रेल का फाटक

†२८८९. **श्री राम कृष्ण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रिवाड़ी-भटिंडा लाइन पर रोवलधी गांव और चरखी दादरी स्टेशन (रोवलधी गांव के निकट) के गुडस आफिस के निकट के रेल का फाटक बहुत तंग है और उससे मोटर के यातायात में बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) संभवतः माननीय सदस्य चरखी दादरी स्टेशन की ओर संकेत कर रहे हैं। यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जनता की ओर से कोई भी शिकायत नहीं आई है।

(ख) कम चौड़ाई वाले सभी रेल के फाटकों को १८ फुट चौड़ा कर देने की सामान्य नीति के अनुसार इसे भी चौड़ा कर देने का विचार है।

इन्फ्लुएंजा महामारी

†२८९०. श्री दी० चं० शर्मा : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८ में (३१ अगस्त तक) इन्फ्लुएंजा के कितने मामलों की रिपोर्ट मिली थी; और

(ख) इनमें से कितने घातक सिद्ध हुये थे ?

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). लोक-सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें यह बताया गया है कि १ जनवरी से ३१ जुलाई, १९५८ तक की अवधि में इन्फ्लुएंजा के कितने केस (मामले) हुये थे और उन में से कितने घातक सिद्ध हुये थे। [देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०४]

अगस्त, १९५८ के महीने की जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है।

वायुयान

†२८९१. श्री दी० चं० शर्मा : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक एयर इण्डिया इन्टर्नेशनल द्वारा खरीदे गये नये प्रकार के हवाई जहाजों पर कुल कितनी लागत आयी है ?

†असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन) : १९५७-५८ में कुछ भी नहीं। १९५८-५९ में २०८.१६ लाख रुपये का खर्च दो नये सुपर कांस्टलेशन जहाजों (माडल १०४९ जी) पर आया था जो कि कार्पोरेशन द्वारा जुलाई और अगस्त, १९५८ में खरीदे गये थे।

रेलवे के माल डिब्बों से कपड़े की गांठों की चोरी

२८९२. श्री विभूति मिश्र : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पटना से प्रकाशित होने वाले "इंडियन नेशन" नामक पत्र में श्री राम बहादुर गुप्त, प्रधान मण्डल कांग्रेस कमेटी, सिन्दूला द्वारा लिखे गये 'रेलवे के माल डिब्बों से कपड़े की गांठों की चोरी' शीर्षक के लेख की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) जी हां।

(ख) पूर्वोत्तर रेलवे और रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले में कार्यवाही की गई है। पुलिस ने कई रेलवे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है और अभी छानबीन जारी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सवारी गाड़ियों की जांच के लिये कर्मचारी

†२८९३. **श्री विभूति मिश्र** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सभी प्रसिद्ध-प्रसिद्ध स्टेशनों पर सवारी गाड़ियों की जांच करने के लिये पर्याप्त कर्मचारी हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन स्टेशनों के क्या क्या नाम हैं ; और

(ग) वे कितने सफल और प्रभावकारी सिद्ध हुये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) एक सूची लोक-सभा पटल पर रखी जाती है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०५**]

(ग) अब आसानी से गाड़ियों का परीक्षण किया जाता है और उनकी खराबियों को शीघ्र ही ढूंढा और उनका शीघ्र ही सुधार किया जा सकता है।

त्रिपुरा में चावल तथा धान की वसूली

†२८९४. **श्री बांगशी ठाकुर** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रिपुरा प्रशासन के सहायता तथा पुनर्वास निदेशालय द्वारा चलाई गई सहकारी संस्थाओं ने सीमान्त क्षेत्रों से चावल तथा धान वसूल करने का ठेका ले लिया है ;

(ख) यदि हां, तो अभी तक कितना चावल तथा धान वसूल कर लिया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि गोदामों की कमी के कारण वसूल किया गया चावल तथा धान खराब हो रहे हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां।

(ख) १४ मन चावल और १३,९५८ मन धान।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

माल गाड़ियों का लूटा जाना

†२८९५. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, १९५८ में ग्रांड कार्ड लाइन पर कई बार माल गाड़ियों को रास्ते में ही रोक कर उन्हें लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो ये घटनायें किस किस स्थान पर हुई थीं और कितनी कीमत का माल लूटा गया था ; और

(ग) रेलवे द्वारा उनके लिये कितना प्रतिकर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जून, १९५८ में ग्रांड कार्ड लाइन पर चलती हुई गाड़ियों को लूटने के दो मामले हुये थे।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख)	घटना स्थल	तिथि	माल की हानि
(१)	दुर्गावती और बनुआ रोड के बीच	१-६-५८	११ मन १५ सेर चावल
(२)	गया के निकट	१६-६-५८	२६ बोरे चने

(ग) रेलवे प्रशासन द्वारा अभी तक कोई प्रतिकर अदा नहीं किया गया है।

माल गाड़ियों का लूटा जाना

†२८९६. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार से ये रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि माल गाड़ियों को रास्ते में ही रोक कर लूट लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो मई और जून, १९५८ में इस प्रकार की कितनी दुर्घटनायें हुई थीं ; और

(ग) क्या अपराधियों को पकड़ लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां।

(ख) कुल ३ दुर्घटनायें हुई थीं--एक मई में और दूसरी जून, १९५८ में।

(ग) दो मामलों के बारे में पुलिस जांच कर रही है। एक मामले में तो ९ व्यक्ति पकड़े गये हैं, परन्तु अन्य दो में कोई भी व्यक्ति पकड़ा नहीं गया है।

कानपुर में विश्राम गृह[1]

†२८९७. **श्री स० म० बनर्जी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानपुर में तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये निश्चित विश्राम गृह दो रेलवे मजिस्ट्रेटों को रहने के लिये दे दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो क्या तीसरी और चौथी श्रेणी के कर्मचारियों के लिये कोई और प्रबन्ध कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी, हां। अस्थायी रूप में ऐसा किया गया है।

(ख) ये विश्राम गृह उन कर्मचारियों के लिये बनवाये गये थे जोकि बाहर से परीक्षा अथवा इलाज के लिये कुछ समय के लिये आते हैं। फिर भी इस प्रकार के कर्मचारियों को, जब वे परीक्षा आदि के लिये आते हैं, स्थान देने के लिये उन्हें अस्पताल के पास वर्तमान रनिंग रूम में ही ठहरा दिया जाता है।

सोनपुर स्टेशन पर पानी की कमी

†२८९८. **पंडित द्वा० ना० तिवारी** :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि पूर्वोत्तर रेलवे के सोनपुर जंकशन स्टेशन पर १५ मई से १५ जुलाई, १९५८ तक पानी की बड़ी भारी कमी रही थी ;

---

†मूल अंग्रेजी में
[1]Rest House.

(ख) क्या उस सम्बन्ध में कोई जांच की गई थी कि क्या यह कमी मानवीय गलती के परिणामस्वरूप हुई थी अथवा किसी प्राकृतिक विपत्ति के कारण हुई थी ;

(ग) इस सम्बन्ध में कितनी शिकायतें की गई थीं ; और

(घ) क्या यात्रियों को पानी संभरित करने का कोई और प्रबन्ध किया गया था ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) जी, हां ।

(ख) इस प्रकार की कोई जांच तो नहीं की गई थी, परन्तु रेलवे प्रशासन से इस बात का निश्चय कर लिया गया है कि पानी की कमी प्राकृतिक कारणों से हुई थी , मानवीय कारणों से नहीं ।

(ग) जहां तक जल संभरण का सम्बन्ध है, ९ शिकायतें प्राप्त हुई थीं ।

(घ) जल की कमी के कारण प्लेटफार्म पर लगे हुये नल पानी नहीं दे सके । अन्य प्रयोजनों के लिये पानी का इस्तेमाल करना बन्द कर दिया गया था और वह पानी यात्रियों को बालटियों और ट्रालियों द्वारा संभरित किया गया था ।

सैलूनें

२८९९. { **श्री क० भे० मालवीय :**
श्री न० रा० मुनिस्वामी :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों में कुल कितनी सैलूनें हैं ;

(ख) किस श्रेणी के पदाधिकारी सैलूनों से यात्रा कर सकते हैं ;

(ग) छोटी लाइन और बड़ी लाइन पर सैलून से यात्रा करने का प्रति मील कितना खर्च पड़ता है ;

(घ) छोटी लाइन और बड़ी लाइन की सैलूनों की लागत कितनी है ;

(ङ) यदि इन सैलूनों को तीसरी श्रेणी के डिब्बों में बदल दिया जाये तो इनमें कितने यात्री यात्रा कर सकेंगे ; और

(च) वर्ष १९५७-५८ में इस प्रकार की सैलूनों से यात्रा पर कितना व्यय किया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) शायद माननीय सदस्य का मतलब निरीक्षण डिब्बों[1] से है जो रेलवे अफसरों के इस्तेमाल में आते हैं । भारतीय रेलवे में इस तरह के डिब्बों की संख्या इस प्रकार है :—

निरीक्षण डिब्बे की किस्म	बड़ी लाइन	मीटर लाइन	छोटी लाइन
बोगी .	८२	११६	३१
चौपहिये .	२६९	३१७	१५
जोड़ .	३५१	४३३	४६

†मूल अंग्रेजी में ।

[1]Inspection Carriages.

(ख) प्रशासी ओहदे[1] के अफसर, प्रवर और अवर वेतन-मान के कार्यकारी अफ़सर और दूसरे ऐसे अफसर जिन्हें निरीक्षण करना पड़ता है सरकारी काम के लिये नि ीक्षण डिब्बों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि ऐसे डिब्बे उपलब्ध हों और गाड़ी में इन डिब्बों को लगाने की गुंजाइश हो ।

(ग) सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) निरीक्षण डिब्बों की अनुमानित लागत इस प्रकार है :—

	बड़ी लाइन	मीटर लाइन
	रु०	रु०
बोगी	१,५०,०००	९५,०००
चौपहिये	५०,०००	४०,०००

(ङ) बड़ी और मीटर लाइनों के तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों का स्वीकृत मानक इस प्रकार है :—

बड़ी लाइन का इण्टीग्रल नमूने का सवारी डिब्बा ७०'–०" लम्बा × १०'–८" चौड़ा	तीसरे दर्जे के ८० मुसाफिरों के लिये
मीटर लाइन का इस्पात के खोल वाला सवारी डब्बा ५८'–०" लम्बा × ९'–०" चौड़ा	तीसरे दर्जे के ६८ मुसाफिरों के लिये

बहुत से निरीक्षण-डिब्बे पुराने हैं और ऊपर बताये गये आकार से बहुत छोटे हैं। इसलिये, यदि इन्हें तीसरे दर्जे के सवारी डिब्बों में बदला जाय, तो इन में बैठने की जगह बहुत थोड़ी निकलेगी ।

(च) सूचना मंगायी जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रद्दी माल-डिब्बे और यात्री-डिब्बे

२९००. **श्री क० भे० मालवीय :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय रेलों के कितने माल-डिब्बे, यात्री-डिब्बे और इंजन इस समय यार्डों में रद्दी पड़े हैं ;

(ख) इनका कैसे उपयोग किया जाता है ;

(ग) क्या इनमें से कुछ को बेच दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो किन्हें और किस मूल्य पर ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क) रेल इंजन ४१८, सवारी-डिब्बे ७५६ और माल-डिब्बे १०,०४० ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Administrative Rank.

(ख) जो पुर्जे काम लायक होते हैं वे निकाल लिये जाते हैं और मरम्मत करके इस्तेमाल में लाये जाते हैं। बेकार ढांचे और पुर्जे काटकर रद्दी के तौर पर बेच दिये जाते हैं। सिर्फ कुछ माल डिब्बों को अस्थायी तौर पर रावट्रक के रूप में या दूसरे सरकारी काम में इस्तेमाल किया जाता है।

(ग) जी हां।

(घ) जो सूचना मांगी गयी है उसका बयान साथ नत्थी है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०६]**

खेती के प्रयोजन के लिये बिजली

†२९०१. **श्री हेम राज** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने कृषि प्रयोजनों के लिये बिजली की दरों में कमी करने के लिये क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) क्या इस विषय पर विभिन्न राज्यों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). उक्त विषय में राज्यों से उत्तर प्राप्त हो गये हैं। उत्तरों का सारांश नीचे दिया जा रहा है।

१. **आंध्र** : किसानों को पम्प सैट खरीदने के लिये विशेष दरें, मुफ्त मरम्मत की रियायतें तथा ऋण इत्यादि दिये जाते हैं।

२. **आसाम** : ३० नवम्बर, १९५७ से खेती के प्रयोजन के लिये बिजली की दर १६ न० पै० प्रति युनिट से घटा कर १३ न० पै० प्रति युनिट कर दी गई हैं।

३. **बम्बई** : खेतीहर उपयोक्ताओं को १००० फीट तक मुफ्त लाइन सेवा और दो आना प्रति युनिट के हिसाब से सहायता दी जाती है। विदर्भ क्षेत्र में सरकार, राज्य बिजली बोर्ड को ऐसी योजना बनाने मे आर्थिक सहायता दे रही है जो ऐंसे पंम्पिग सैटों को बिजली पहुंचायेगी जिनसे कुल लागत का १२½ प्रति शत लाभ प्राप्त होता है। किन्तु किसानों को १५० रुपये प्रति वर्ष देने की प्रतिभूति देनी होगी। इस योजना को सारे राज्य में लागू करने का प्रश्न विचाराधीन है।

४. **केरल** : प्रश्न विचाराधीन है।

५. **मध्य प्रदेश** : खेती तथा उद्योग के प्रयोजनों के लिये बिजली की दरें वही हैं। अगली बार दरों में संशोधन के समय खेती के प्रयोजनों के लिये रियायत देने के सम्बन्ध में राज्य बिजली बोर्ड विचार करेगा।

६. **बिहार** : उत्तरी बिहार में खेती के प्रयोजन के लिये बिजली की दरें औद्योगिक प्रयोजनों के लिये दी जाने वाली दरों से कम है। दक्षिण बिहार व छोटा नागपुर में इन दोनों की दरों में कोई अन्तर नहीं है। दरें लागत दर पर रखी गई हैं। दरों के पुनरीक्षण का प्रश्न विचाराधीन है। खेती के प्रयोजन की दरों में रियायतें करने के सुझाव पर विचार किया जायेगा।

७. **मद्रास** : कृषि प्रयोजन के लिये बिजली की दरें औद्योगिक प्रयोजन की दरों से कम हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

८. **मैसूर :** राज्य के अधिकांश भाग में सिंचाई करने के पम्पिग सैटों को दी जाने वाली बिजली की दरें कम हैं। राज्य विजली बोर्ड ने प्रशुल्क के संशोधन तथा राज्य के समस्त क्षेत्रों में एक रूप प्रशुल्क दरें लागू करने के लिये एक विशेष प्रशुल्क समिति नियुक्त की है ।

९. **उड़ीसा :** कृषि प्रयोजन के लिये विजली की दरों की जांच की गई है उसमें अग्रेतर कमी होने की गुंजायश नहीं है। कृषि प्रयोजनों के लिये अभी काफी बड़े पैमाने पर बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता है। समय आने पर दरों को कम करने के लिये आर्थिक सहायता दिये जाने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा ।

१०. **पंजाब :** दरें औद्योगिक दरों से कम हैं। समूचे प्रशुल्क की रूपरेखा में संशोधन करते समय राज्य बिजली बोर्ड इस पर अग्रेतर कमी करने पर विचार करेगा।

११. **राजस्थान :** छोटे उद्योगों तथा खेती के प्रयोजन के लिये एक सी दरें हैं। कृषि प्रयोजनों के लिये दरों में रियायत करने के निमित राज्य सरकार द्वारा अभी कोई निश्चिय नहीं किया गया है ।

१२. **उत्तर प्रदेश :** बिजली दरों के पुनरीक्षण का समस्त प्रश्न केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग को सौंप दिया गया है।

१३. **पश्चिम बंगाल :** खेती के लिये बिजली की दरें पहिले से ही कम हैं। इस पर अग्रेतर कमी करने के प्रश्न पर सरकार विचार कर रही है।

१४. **जम्मू और काश्मीर :** राज्य सरकार ने खेती के प्रयोजन के लिये बिजली की दरें निश्चित करते समय इन सिफारिशों पर ध्यान रखा है।

१५. **दिल्ली :** मामला बिजली बोर्ड को निर्देशित किया गया है।

१६. **हिमाचल प्रदेश :** खेती के काम के लिये बिजली का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसलिये यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

स्लीपर बनाने की मशीनें

†२९०२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी रेलवे ने ऐसी मशीन का आर्डर दिया है जो १ मिनट में १० स्लीपर बनाती है ;

(ख) ऐसी मशीन की क्या लागत होगी ; और

(ग) यह कब से काम करेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) अनुमान है माननीय सदस्य का तात्पर्य स्लीपरों को काटने और छेद करने वाली मशीन से है । यदि हां, तो दक्षिण रेलवे के द्वारा प्रति मिनट १० मुलायम और ५ सख्त स्लीपर बनाने की क्षमता रखने वली एक मशीन का आर्डर दिया गया है ।

(ख) लगभग ढाई लाख।

(ग) यह अप्रैल, १९५९ तक दी जायेगी। प्राप्त होने के पश्चात् काम में लाने में कुछ महीनों का समय लगेगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कल्याण, सैंट्रल रेलवे, को भेजी गई विशेष भोजन गाड़ी

†२९०३. **श्री आसर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कल्याण, सेंट्रल रेलवे, में बाढ़ के समय वहां पर भोजन सामग्री की कोई विशेष गाड़ी भेजी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को यह ज्ञात है कि वहां पर यात्रियों को भोजन आदि बहुत ऊंचे दामों पर दिये गये ;

(ग) क्या सरकार की "फ्री प्रैस जर्नल, दिनांक २४ जुलाई, १९५८" में प्रकाशित होने वाले इस समाचार का ज्ञान है कि वहां पर यात्रियों को चाय का एक प्याला ६ आने में दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच की गई हैं; और

(ङ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) ११ जुलाई १९५८ को बम्बई से कल्याण के लिये एक शिशेष भोजन गाड़ी रवाना की गई थी। इसमें तीन डिब्बे थे। (दो भोजन के डिब्बे तथा एक ब्रेक तथा तीसरे दर्जे का मिला जुला डिब्बा)। इसमें पका हुआ भोजन देने व कल्याण क्षेत्र में बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में रास्ते में भोजन पकाने की व्यवस्था की गई थी।

(ख) जी नहीं। यात्रियों को केवल अनुसूचित मूल्यों पर ही भोजन बेचा गया है।

(ग) से (ङ) एक ऐसी खबर छपी जरूर थी मगर वह गलत है।

यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये विशेष कर्मचारी

†२९०४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये कोई विशेष कर्मचारी नियुक्त किये जा रहे हैं ;

(ख) अब तक इस प्रकार के कर्मचारी किन किन स्टेशनों पर नियुक्त किये जा चुके हैं; और

(ग) ऐसे कर्मचारियों के क्या मुख्य कर्तव्य हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख) सभी रेलों पर सुरक्षा दल नियुक्त कर दिये गये हैं। इनमें सुरक्षा अधिकारी तथा मुख्य-मुख्य लाइनों व वर्कशापों की देख भाल के लिये निरीक्षक रखे गये हैं। ये दल प्रमुख रूप से दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण करने व रेलवे लाइनों, स्टेशनों तथा वर्कशापों की निगरानी रखने के लिये जिम्मेवार हैं। इस संगठन के कर्मचारी यह देख भाल रखेंगे कि रेलवे के कामों के दौरान में सुरक्षा नियमों वह विनियमों का ठीक ढंग से पालन किया जा रहा है अथवा नहीं। वे रेलवे कर्मचारियों को निजी सम्पर्क तथा लिखित व मौखिक रूप से विशेष निर्देश देते रहेंगे और प्रत्येक क्षेत्र में लापरवाही, सुस्ती व अनुशासन-हीनता को दूर करने का प्रयत्न करेंगे जिनके कारण अधिकतर दुर्घटनायें घटित होती हैं तथा सभी प्रकार के कर्मचारियों में "सुरक्षा की चिन्ता" करने की भावना पैदा करने का प्रयत्न करेंगे। ये कर्म-चारी सुरक्षा उपक्रमों व चलने फिरने वाले डिब्बों व इंजनों आदि की तथा वर्कशापों से बाहर जाने वाली गाड़ियों की पड़ताल करेगा और देखेगा कि क्या ये सब प्रकार की त्रुटियों से मुक्त हैं अथवा नहीं।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) निरीक्षकों को रेलवे मुख्यालयों तथा जिन डिविज़नों व जिलों पर उनका क्षेत्राधिकार था उन क्षेत्रों की देख भाल के लिये नियुक्त किया गया है। इसके बारे में एक विवरण लोक-सभा के पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०७]**

खड़गपुर रेलवे वर्कशाप

†२९०५. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यह ज्ञात है कि अनुसूचित आदिम जातियों की १९५६ में जो नई संशोधित अनुसूची बनाई गई थी उसका खड़गपुर रेलवे वर्कशाप में खलासियों की भर्ती के समय दक्षिण पूर्व रेलवे अधिकारियों द्वारा पालन नहीं किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करना चाहती है ;

(ग) इस अनुसूची के संशोधन से लेकर आज तक इस वर्कशाप में कितने खलासी भर्ती किये गये हैं ;

(घ) क्या अनुसूचित आदिम जातियों के लिये जितने स्थान सुरक्षित रखे गये थे वे सभी भर लिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस वर्कशाप में इन सुरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां ।

(ख) अब संशोधित अनुसूची का पालन करने के लिये निर्देश भेज दिये गये हैं ।

(ग) १–१–५६ से २३–८–५८ तक ३४३ खलासी भर्ती किये गये ।

(घ) जी हां ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे भाड़ा दरें

†२९०६. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अब भी रेलवे का भाड़ा रुपये आने पाइयों में गिना जाता है जब कि नये पैसों का प्रचलन हुये एक वर्ष से ऊपर हो चुका है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी हां। १–१०–५८ से इन दरों को दशमिक पद्धति के सिक्कों में बदल दिया जायेगा ।

(ख) इस बात को रेलवे भाड़ा-ढांचा समिति की सिफारिश के अनुसार इतने दिन तक इस लिये स्थगित कर दिया गया था ताकि इन द ों तथा नये बांटों में एक साथ ही दशमिक पद्धति के अनुसार परिवर्तन किया जा सके ।

---

†मूल अंग्रेजी में

हीराकुड जलाशय

†२९०७. **श्री पाणिग्रही** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब जुलाई १९५८ के पहले सप्ताह में उड़ीसा में वर्षा शुरू हुई तब हीराकुड जलाशय पूरा भरा हुआ था ;

(ख) क्या १ जुलाई, १९५८ और २० जुलाई, १९५८ के बीच इस जलाशय से कोई पानी छोड़ा गया;

(ग) क्या उड़ीसा की सरकार ने हीराकुड जलाशय के अधिकारियों से यह प्रार्थना की थी कि वह इस जलाशय से नदी में छोड़े जाने वाले पानी की मात्रा को कम करें क्यों कि नदी में काफी बाढ़ आई हुई थी ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). जब जुलाई १९५८ के पहले सप्ताह में वर्षा शुरू हुई उस समय हीराकुड जलाशय पूरा नहीं भरा था। किन्तु महानदी तथा उसकी सहायक नदियों के उद्गम क्षेत्रों में निरन्तर तथा भारी वर्षा के कारण जुलाई, १९५८ के तीसरे सप्ताह तक यह जलाशय पूरा भर गया। १४ जुलाई और १९ जुलाई के बीच इस जलाशय में जितना हो सका बाढ़ का पानी लेने की कोशिश की गई। इस बीच में जल सीमा ६००.८० फुट से बढ़ कर ६१८.३० फुट तक पहुंच गई। इसी प्रकार इस जलाशय से १४ जुलाई और १९ जुलाई के बीच पानी की निकासी की मात्रा को भी १,१२,००० कासक्स से ६,३५,९१० कासक्स तक बढ़ा दिया गया था। इसमें १८ व १९ जुलाई को सबसे अधिक जल आया जो कि ९,७१,१९२ कासक्स था।

(ग) तथा (घ). २० जुलाई १९५८ को हीराकुड जलाशय के अधिकारियों को उड़ीसा सरकार से यह अनुदेश प्राप्त हुये कि वह जल की निकासी की मात्रा कम करने का प्रयत्न करें। इन आनुदेशों पर तत्काल अमल किया गया।

मुख्य पत्तनों पर बोरों में बन्द माल की डिलीवरी

†२९०८. **श्री एन्थनी पिल्ले** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता के पत्तन में बोरों में बंद अनाज व उर्वरक की डिलीवरी की व्यवस्था है ;

(ख) यदि नहीं तो सरकार मुख्य पत्तनों पर इस प्रकार की डिलीवरी की व्यवस्था करने के लिये क्या कदम उठा रही है ताकि इन पत्तनों पर ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों की संख्या को कम किया जा सके ; और

(ग) सरकार बम्बई, कलकत्ता और मद्रास के पत्तनों में ठेकेदारों के अधीन काम करने वाले श्रमिकों, मजूरों की संख्या को कम करने के लिये क्या कदम उठा रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) जी हां।

(ख) कोई नहीं। वर्तमान व्यवस्था बिलकुल ठीक ठाक चल रही है। और यह संविहित अपेक्षाओं के अनुकूल है। आज तक इस के बारे में जनता से कभी कोई शिकायत नहीं आई।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) इस विषय में सरकार की नीति का संकल्प संख्या २३–पी० एल० ए० (८७)/५८, दिनांक २० जुलाई, १९५८ के पैरा १२ में उल्लिखित कर दी गई है।

उत्तर रेलवे में सीमेंट की चोरी

†२९०९. { **श्री मोहन स्वरूप :**
श्री जगदीश अवस्थी : }

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राय बरेली की पुलिस ने मेसर्ज़ बृन्दावन अग्रवाल एण्ड सन्ज़ के, जो कि उत्तर रेलवे में एक ठेकेदार हैं, एक कर्मचारी को १५ बोरे सीमेंट, जो कि उत्तर रेलवे ने उक्त ठेकेदार को दिया था, चुराने व इसे किसी बाहरी व्यक्ति के हाथ बेचने के अपराध में गिरफ्तार किया है ;

(ख) क्या रेलवे विजिलेंस विभाग ने भी इस ठेकेदार के कामों में कुछ अनियमिततायें पाई हैं; और

(ग) यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाह नवाज खां):** (क) १–२–१९५७ को राय बरेली की पुलिस ने मेसर्ज़ बृन्दावन अग्रवाल एण्ड सन्ज़ के जो कि उत्तर रेलवे में एक बिल्डिंग कन्ट्रेक्टर हैं, एक कर्मचारी को सीमेंट बेचने के अपराध में पकड़ा है। किन्तु पुलिस ने यह मामला रेलवे को नहीं बताया है और न ही उस पर यह दोष लगाया है कि वह रेलवे का चुराया हुआ माल बेच रहा था। अभी उस का मामला न्यायालय में चल रहा है।

(ख) जी हां ।

(ग) विषय विचाराधीन है।

रेलवे वर्कशापों के कर्मचारी

†२९१०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में रेलवे वर्कशापों में ३० जून, १९५८ को कितने औद्योगिक तथा कितने गैर-औद्योगिक कर्मचारी काम कर रहे थे; और

(ख) इनको १९५७–५८ में कुल कितना वेतन दिया गया ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) तथा (ख): सूचना इकट्ठी की जा रही है। उपलब्ध होने पर लोक-सभा के पटल पर रख दी जायेगी ।

आंध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें

†२९११. **श्री रामी रेड्डी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आन्ध्र प्रदेश में कौन कौन सी ऐसी नई रेलवे लाइनें हैं जिनका सर्वेक्षण हो चुका है या जिनका सर्वेक्षण किये जाने का विचार है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) प्रत्येक सर्वेक्षण का विस्तृत विवरण जैसे इसमें कितने मील होंगे, यह लाइन किस किस स्थान को मिलायेगी तथा इस पर कितना व्यय होगा आदि ;

(ग) कितनी नई लाइनें बनाई जा चुकी हैं या बनाई जाने का विचार है; और

(घ) जिन लाइनों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है उनको अब तक न बनाने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) :** (क) द्वितीय पंच वर्षीय योजना के दौरान में अभी तक आन्ध्र राज्य में किसी नई लाइन का सर्वेक्षण नहीं हुआ है और न ही किसी लाइन का सर्वेक्षण करने का अभी कोई विचार है ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पंजाब में मत्स्य पालन केन्द्रों का विकास

†२९१२. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने हाल में राज्य में मत्स्य पालन केन्द्रों के विकास के लिये केन्द्रीय सरकार को कोई योजनायें भेजी हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) तथा (ख). पंजाब सरकार द्वारा अभी हाल ही में तो कोई योजनायें नहीं भेजी गई हैं। परन्तु द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस राज्य में मत्स्य पालन केन्द्रों के विकास के बारे में निम्नलिखित योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं ;

(१) मत्स्यपालन केन्द्र विकास योजना पटियाला डिवीज़न ।

(२) मछली के बीज को विभिन्न प्रकार के जलों में रख कर मछलियों के विकास की योजना ।

(३) जालन्धर, लुधियाना और अम्बाला में मछलियों को रखने के लिये कोल्ड स्टोरेज प्लांट लगाने की योजना ।

पर्यटन कार्यक्रम

†२९१३. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय योजनावधि के पर्यटन कार्यक्रम में योजना आयोग ने बहुत कमी कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी कमी की है ; और

(ग) इसका किन महत्वपूर्ण योजनाओं पर असर पड़ा है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) से (ग). योजना आयोग ने "द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन तथा संभावनाएं" नामक पुस्तिका में सुझाव दिया कि पर्यटन के केन्द्रीय कार्यक्रम के लिए २.०० करोड़ रुपये का उपबन्ध घटा कर ५९.०० लाख रुपये कर दिया जाये। मंत्रालय तथा योजना आयोग के साथ बाद में हुई बातचीत से यह तय हो गया कि परिवहन मंत्रालय के लिए कुल उपबन्ध में (बन्दरगाहों

---

†मूल अंग्रेजी में

के कार्यक्रम के अतिरिक्त), जैसा कि उस पुस्तिका में दिखाया गया है, ५ करोड़ रुपये की वृद्धि कर दी जाये।

यद्यपि कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है। तथापि मंत्रालय को आशा है कि केन्द्रीय पर्यटन कार्यक्रम के लिए कुल ११० लाख रुपये आवंटित हो जायेंगे। यदि इसको अन्तिम रूप से स्वीकार कर लिया गया तो इस आवंटन के द्वारा ली गई योजनाओं पर अभी कोई निश्चय नहीं किया गया है।

रेलवे लाइनों तथा पुलों को बाढ़ के कारण हानि

†२९१४. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **रेलवे मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ अथवा भारी वर्षा के कारण गत वर्षा ऋतु में कितने मील लम्बी रेलवे लाइन टूट गई ;

(ख) कितने रेल के पुलों को हानि पहुंची ;

(ग) इसके परिणामस्वरूप किन स्थानों तथा कितनी अवधि के लिए रेलवे यातायात बन्द हुआ ; और

(घ) मरम्मत पर कितनी धनराशि व्यय हुई ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) से (ग). वर्षा ऋतु अभी समाप्त हुई है ; इसलिए जानकारी इकटठी की जा रही है और समय पर सभापटल पर रख दी जायेगी।

पत्तन तथा गोदी कर्मचारी

†२९१५. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५७-५८ वर्ष में पत्तन तथा गोदी कर्मचारियों के (१) मनोरंजन, (२) कैंटीन सुविधायें, (३) बच्चों की शिक्षा, (४) ऋण तथा (५) चिकित्सा सुविधाओं पर अलग अलग कितनी धनराशि व्यय की गई ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : निम्नलिखित विवरण में जानकारी दी गई है :—

पत्तन का नाम	मनोरंजन	कैंटीन सुविधायें	बच्चों की शिक्षा	ऋण	चिकित्सा सुविधायें
	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये	रुपये
कलकत्ता	४०,४२०	१,५६,५१५	३५,६१६	कुछ नहीं	*१७,३७,३११
बम्बई .	*३५,०००	*१,८०,०९०	२०,२८०	कुछ नहीं	३,८६,३४०
मद्रास .	*२,७३५	२,०००	१३,७००	कुछ नहीं	*२,६३,९२४
कोचीन	२,२४८	४,७४२	१,५०९	कुछ नहीं	१,३६,३३४
विशाखा-पटनम	१,४००	५२८	८५२	कुछ नहीं	३२,६०१
कांडला	७५५	३०,५२८‡	१०,३१६	कुछ नहीं	४६,०५१

†मूल अंग्रेजी में

*गोदी श्रमिक बोर्ड द्वारा दिया गया व्यय भी शामिल है।

‡कैंटीन भवन पर किया गया व्यय भी इसमें है।

प्रदीप बन्दरगाह

†२९१६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी प्रविधिक शिष्टमंडल ने प्रदीप बन्दरगाह के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन प्रस्तावों के क्या ब्यौरे हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) और (ख). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०८**]

कृषि विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्टाफ़ कालेज

†२९१७. **सरदार इक़बाल सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में कृषि विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये एक स्टाफ़ कॉलिज बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के क्या ब्यौरे हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) भारत में कृषि तथा पशुपालन बोर्ड की फसल तथा भूमि शाखा (क्रॉप एण्ड सॉयल विंग) ने जून १९५८ की शिमला में हुई बारहवीं बैठक में सिफारिश की कि वृत्तिक सुधार के लिए पर्याप्त तथा नियमित अवसर तथा प्रोत्साहन देने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि भारतीय कृषि गवेषणा संस्था, नई दिल्ली, में एक स्टाफ कालेज स्थापित किया जाये जहां कि कृषि विभाग के वरिष्ठ पदाधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

(ख) और (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उपरिलिखित सिफारिश की क्रियान्विति के लिए निधि नहीं है। परन्तु प्रस्ताव की जांच की जा रही है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इसको लिया जा सकता है।

बी० सी० जी० आन्दोलन

†२९१८. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री १४ मार्च, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि जनवरी से अगस्त १९५८ तक राज्यवार बी० सी० जी० आन्दोलन के अधीन कितने व्यक्तियों का डाक्टरी मुआइना किया गया तथा टीके लगाये गये ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित जानकारी नीचे दी गई है :—

जनवरी से अगस्त, १९५८ की अवधि में तपेदिक के सम्बन्ध में परीक्षित व्यक्तियों तथा टीका लगाये गये व्यक्तियों की संख्या ।

राज्य/संघ क्षेत्र	डाक्टरी मुआइना किये गये व्यक्तियों की संख्या	टीका लगाये गये व्यक्तियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	१३,७७,०००	४,५२,०००
आसाम	५,९७,०००	३,३७,०००
बिहार	१७,९३,०००	८,०५,०००
बम्बई	२२,८८,०००	६,९६,०००
जम्मू तथा काश्मीर	१,४१,०००	७०,०००
केरल	६,०६,०००	१,०७,०००
मध्य प्रदेश	४,४५,०००	१,६३,०००
मद्रास	४,९७,०००	१,८१ ०००
मैसूर	६,०४,०००	२,४२,०००
उड़ीसा	४,५३,०००	१,८८ ०००
पंजाब	९,२०,०००	३,२०,०००
राजस्थान	६,७५,०००	१,७८,०००
उत्तर प्रदेश	१०,६२,०००	३,०१,०००
पश्चिमी बंगाल	९,६४,०००	३,६५,०००
दिल्ली	७७,०००	१६,०००
हिमाचल प्रदेश	३९,०००	१५,०००
मनीपुर	३७,०००	१४,०००
नेफा	१०,०००	६,०००
त्रिपुरा	४१,०००	१४,०००
जोड़	१,२६,२६,०००	४४,७०,०००

रेलवे स्कूल

†२९१९. सरदार इकबाल सिंह : क्या रेलवे मंत्री १९ मार्च, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७९ के उत्तर के सम्बन्ध म यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्कूलों में वतमान सुविधाओं के सर्वेक्षण के लिए नियुक्त शिक्षा परामर्शदाताओं के दल द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार कर लिया गया है ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय किए गए?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). शिक्षा परामर्शदाताओं के प्रतिवेदन पर विचार किया जा रहा है।

क्षैत्रिकीय सर्वेक्षण

†२९२०. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश का क्षैत्रिकीय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) इस प्रस्ताव के क्या ब्यौरे हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में कितने क्षेत्र का सर्वेक्षण किया जायेगा; और

(घ) यह सर्वेक्षण कौन से 'अभिकरण' तथा संस्थायें करेंगी?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) (१) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने 'विभिन्न राज्यों में खेती के तरीकों के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी करने की योजना प्रारंभ की है। इस योजना का यह उद्देश्य है कि समस्त देश के विभिन्न भू-जल वायु खण्डों में महत्वपूर्ण फसलों के क्षेत्रीय तरीकों विशेषतया प्रगतिवादी किसानों द्वारा अपनाये गये अच्छे तरीकों को व्यौरेवार तैयार किया जाये। सर्वेक्षण से, सरकार, खेती के कुछ अच्छे तरीकों को एक क्षेत्र से समान भूमि तथा जलवायु की दशा वाले दूसरे क्षेत्र में अपनाये जाने की सिफारिश कर सकेगी।

(२) अर्वरकों के सर्वेक्षण के सम्बन्ध में भी एक प्रारंभिक योजना लागू है जिसके द्वारा (क) एक क्षेत्र में उगायी जाने वाली विभिन्न फसलों के लिए खाद के वितरण तथा (ख) प्रयुक्त खाद की किस्म और मात्रा आदि के सम्बन्ध में किसानों द्वारा अपनाये गये तरीकों के सम्बन्ध में उपयुक्त आदर्श प्रविधि की जानकारी इकट्ठी की जानी है।

(ग) (१) योजना भारत के सभी राज्यों में लागू होगी। सर्वेक्षण के लिए देश को छः खण्डों में विभाजित किया गया है और पंजाब, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश राजस्थान तथा जम्मू और काश्मीर वाले एक क्षेत्र में काम प्रारंभ हो गया है। शीघ्र ही अन्य क्षेत्रों में भी काम प्रारंभ हो जायेगा।

(२) उवर्रक के तरीकों के बारे में देश के कुछ जिलों में प्रारम्भिक योजना के अन्तर्गत सर्वेक्षण किया जा रहा है।

(घ) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् द्वारा दी गई निधि से राज्यों द्वारा नियुक्त कर्मचारी सर्वेक्षण करेंगे। योजना पर प्रविधिक नियंत्रण परिषद् का होगा तथा कृषि के राज्य विभाग के सहयोग से सर्वेक्षण होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

वायनाड में वनीला तथा कपूर के पेड़

†२९२१. **श्री जीनचन्द्रन्** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने केरल वायनाड क्षेत्र में वनीला तथा कपूर के पेड़ लगाने की कोई योजना बनाई है ;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष में इनकी खेती के लिए कोई धनराशि आवंटित की गई है ;

(ग) यदि हां तो कितनी ; और

(घ) अब तक कितनी प्रगति हुई है और खेती का काम किसने लिया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी नहीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) और (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

रेलवे सेवा आयोग

†२९२२. **डा० सामन्त सिंहार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७ में दक्षिण पूर्व रेलवे में रेलवे सेवा आयोग ने तीसरी श्रेणी की सेवाओं के लिए कितने अभ्यर्थी चुने हैं ;

(ख) अब तक इन चुने गये अभ्यर्थियों में से कितने नियुक्त कर लिये गये हैं ;

(ग) चुने गये अभ्यार्थियों को नियुक्त करने में देरी के क्या कारण हैं ; और

(घ) कथित रेलवे प्रशासन किस तिथि तक चुने गए अभ्यार्थियों को नियुक्त कर लेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ५३७५।

(ख) ४४६८ अभ्यार्थियों को नियुक्ति दी गई। जिनमें से ३०६५ सेवा मे शामिल हो गये। १२४० ने उत्तर नहीं दिया तथा १६३ शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित किए गए।

(ग) १९५७ वर्ष में बनाई गई सूची १९५८–५९ वर्ष के रिक्त स्थानों के लिए हैं तथा स्थान रिक्त होने पर नियुक्तियां की जायेंगी।

(घ) सूची के अभ्यर्थियों के सम्बन्ध नें स्थान रिक्त होने पर नियुक्ति के लिए विचार किया जायेगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे की भूमि पर अनाधिकार कब्जा

†२९२३. सरदार अ० सिं० सहगल : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैसर्ज ओरियन्ट पेपर मिल्स ने शाहडोल, उमरिया तथा बीरसिंहपुर स्टेशनों में बांस जमा करने के लिये रेलवे की लाखों वर्ग फुट जमीन पर अनधिकार कब्जा किया और उनसे रेलवे अधिकारियों ने कोई स्थान शुल्क नहीं लिया ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण है ; और

(ग) इस मामले पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) यह सच नहीं है कि तीनों स्टेशनों में कोई स्थान शुल्क नहीं लिया गया। शाहडोल स्टेशन में स्थान-शुल्क का प्रश्न पैदा नहीं होता। बीरसिंहपुर स्टेशन में जो स्थान-शुल्क मांगा गया वह चुका दिया गया। उमरिया स्टेशन मे जो स्थान-शुल्क होगा वह ले लिया जायेगा।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड

†२९२४. श्री केशव : क्या सामुदायिक विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) देश में १ जुलाई १९५८ में कितने खंडों पर कार्य हो रहा था ; और

(ख) इन खंडों के अन्तर्गत कितने गांव आते हैं ?

†सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे) : (क) २३८३ खंडों में कार्य हो रहा था।

(ख) लगभग ३,०२,४६० गांव।

पंजाब के डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी

†२९२५. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पंजाब खंड के डाक तथा तार विभाग में ३१ अगस्त, १९५८ के दिन कुल कितनी महिला कर्मचारी थीं ?

†परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल) : १८५।

पंजाब के राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले

†२९२६. श्री दलजीत सिंह : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य के राष्ट्रीय राजपथों पर कुल कितने डाक बंगले हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) १९५७–५८ में उनके निर्धारण पर कुल कितना व्यय हुआ ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) २५।

(ख) राष्ट्रीय राजपथों के डाक बंगलों के लिये कोई पृथक अनुदान नहीं दिया जाता है १९५७-५८ में पंजाब राज्य के राष्ट्रीय राजपथों के लिये २४.४० लाख रुपये मंजूर किये गये थे, जिनमें डाकबंगलों का निर्धारण व्यय भी शामिल है ।

भोजन व्यवस्था

†२९२७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५७-५८ में उत्तरी रेलवे के स्टेशनों में खराब भोजन व्यवस्था के सम्बन्ध में शिकायत पुस्तिकाओं पर दर्ज की गई शिकायतों को दूर करने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं दी गई; और

(ख) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) :** (क) और (ख). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

रेलवे स्टेशनों पर शिकायत पुस्तकें

†२९२८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के बड़े बड़े स्टेशनों पर शिकायतें दर्ज करने के लिये यात्रियों को मांगने पर भी शिकायत पुस्तिकायें नहीं दी जाती हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनववाज खां) :** यह बात सच नहीं है कि उत्तरी रेलवे के अधिकांश बड़े स्टेशनों पर मांगने पर शिकायत पुस्तिकायें नहीं दी जाती हैं ।

तथापि समय समय पर कुछ ऐसी शिकायतें की गई हैं कि यात्रियों को मांगने पर भी शिकायत पुस्तिकायें नहीं दी गईं तथापि जांच होने पर उनमें से कुछ ही शिकायतें सत्य प्रमाणित हुईं ।

नल कूप

†२९२९. **श्री न० रा० मुनिस्वामी :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अब तक विभिन्न राज्यों में कुएं खुदवाने में कितना व्यय किया गया है; और

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवशेष अवधि में कितना व्यय किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार से ऋण इत्यादि लेकर सिंचाई के प्रयोजन के लिये खोदे गये नलकूपों का विवरण इस प्रकार है :

राज्य का नाम	मार्च १९५८ तक हुआ व्यय (लाख रुपयों में)	द्वितीय योजना की अवशेष अवधि में किया जाने वाला व्यय (लाख रुपयों में)
१. उत्तर प्रदेश . . .	५००.८६	२९९.१४
२. पंजाब . .	११४.५३	२९४.४७
३. बम्बई . .	४८.५५	१६०.४५
४. बिहार . .	२९.६६	७०.३४
५. पश्चिम बंगाल .	—	९५.००
६. उड़ीसा .	—	७.५९
७. मध्य प्रदेश .	६.३८	२८.६२
८. राजस्थान .	—	१०.००
९. आसाम	१.२१	२८.७९
१०. आंध्र	—	५.००
११. मदरास	—	५८.९३
योग . .	७०१.१९	१०५८.३३

चारे का उत्पादन

†२९३०. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के अनुमान से देश में कितना चारा आदि उत्पन्न होता है; और

(ख) वह कितने प्रतिशत पशुओं के लिये पर्याप्त है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १०९**]

बैलों से प्राप्त होने वाली शक्ति

†२९३१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले दस वर्षों में देश में सामान्यतयः बैलों से प्राप्त होने वाली शक्ति का ह्रास हुआ है; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) और (ख). पिछले दस वर्षों में बैलों से प्राप्त होने वाली शक्ति में वृद्धि हुई है या अवनति, इस सम्बन्ध में कोई वैज्ञानिक हिसाब नहीं लगाया गया है। द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पशुओं का विकास करने के लिये अखिल भारतीय मुख्य गांव योजना और गौशाला विकास योजना दो योजनायें स्वीकृत की गई हैं। उनके उद्देश्यों में अच्छी सन्तानोत्पत्ति, अच्छा भोजन तथा बीमारियों से नियंत्रण द्वारा उनकी कार्यकुशलता बढ़ाना भी संभव है ।

चीनी के कारखाने

†२९३२. **श्री जाधव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कारखानों के अन्दर कन्फैक्शनरियों (मिष्ठान-गृहों) के लिये प्रति वर्ष कारखाना मालिकों को चीनी की कितनी मात्रा की आज्ञा है;

(ख) उन कारखानों के नाम क्या हैं जिनमें मिठाई बनाने के संयंत्र लगे हैं; और

(ग) क्या उन्हें आवंटित की जाने वाली चीनी पर कराधान नहीं होता ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** :(क) कन्फैक्शनरी (मिष्ठानों) के लिये चीनी कारखानों को कोई चीनी नहीं मिलती। इसके लिये वे वही चीनी प्रयोग करते हैं जो समय समय पर उन्हें विक्रय के लिये दी जाती है।

(ख) आवश्यक जानकारी नीचे दिये गये विवरण में दी जाती है :—

विवरण

बम्बई

१. रावलगांव शुगर फार्म लिमिटेड, डाकखाना रावलगांव, ज़िला नासिक ।

मद्रास

२. ईस्ट इंडिया डिस्टिलरीज़ एण्ड शुगर फैक्टरीज लिमिटेड (पैरीज कन्फेक्नरी लिमिटेड) नेलीकुप्पम, ज़िला दक्षिण अर्काट ।

आन्ध्र प्रदेश

३. के० सी० पी० लिमिटेड, वूयूरू, ज़िला कृष्णा ।

मैसूर

४. मैसूर शुगर कम्पनी लिमिटेड, मांडया ज़िला मांडया ।

उत्तर प्रदेश

५. दौराला शुगर वर्क्स, डाकखाना दौराला, ज़िला मेरठ ।

६. हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकरानाथ, ज़िला खेरी ।

७. सर शादीलाल शुगर एण्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, मन्सूरपुर ज़िला मुजफ्फरनगर ।

बिहार

८. बिहार शुगर वर्क्स, पथरूरवी, ज़िला सारन ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) कन्फैक्शनरियों (मिष्ठान-गृहों) में प्रयुक्त चीनी पर कर की कोई विमुक्ति नहीं दी जाती।

त्यौहार

†२९३३. **श्री कुंभार** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे विभाग ने उड़ीया लोगों के कौन कौन से मुख्य त्योहारों को मान्यता दी है ;

(ख) क्या ऐसे परम्परागत मान्य त्यौहारों को उड़ीया लोगों के कर्मचारी स्वीकार करते हैं ;

(ग) क्या उन्होंने अपने त्यौहारों को मान्य करने के लिये कोई अभ्यावेदन दिया है ;

(घ) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ङ) क्या रेलवे प्रशासन ने भी उड़ीसा सरकार की सलाह ली है ताकि त्यौहारों को मान्यता दी जाये ; और

(च) ऐसे त्यौहार मनाने के लिये प्रशासन इन कर्मचारियों को किस प्रकार की सहायता अथवा वित्तीय सहायता देता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) रेलवे विभाग द्वारा त्यौहारों की मान्यता का कोई भी प्रश्न नहीं है। छुट्टियां अवश्य ही त्यौहांरों के दिनों में मिर्धारित की जाती हैं और रेलवे के मुख्य प्रबन्धकों को स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार छुट्टियां रखने का पूर्ण अधिकार है। जहां उड़ीया लोग पर्याप्त हैं प्राकृतिक रूप से ही वहां वे उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) रेलवे कर्मचारियों के एक मान्य संघ से हमें "राजा" त्यौहार को उन त्यौहारों में सम्मिलित करने के लिये जिनके लिये थोड़ा ऋण मिलता है, अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था।

(घ) उस अभ्यावेदन पर दक्षिण पूर्व रेलवे प्रशासन ने विचार किया था और १९५८ में उस अभ्यावेदन के अनुसार "राजा" त्यौहार को मान्यता दे दी गई थी।

(ङ) रेलवे कार्यालय के लिये छुट्टियां निर्धारित करने के लिये राज्य सरकारों से सलाह नहीं ली जाती। जनरल मैनेजर ही स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार छुट्टियां निर्धारित करने के सक्षम हैं।

(च) गैर-राजपत्रित अधिकारियों को ७५ रुपया या एक मास का बुनियादी वेतन जो भी कम हो वह ऋण के रूप में दिया जाता है, किन्तु यह उन्हीं को मिलता है जिनका वेतन ३०० रुपया से कम हो। यह ऋण वर्ष में केवल एक त्यौहार पर मिलता है और अधिक से अधिक चार निरंतर किसतों में इसे वसूल किया जा सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पदाधिकारियों की सेवा का लेखा

†२९३४. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर राज्यों की रेलों में काम करने से पहले राज्य के विभागों में पदाधिकारियों द्वारा निरंतर की गई उनकी पिछली सेवा रेलवे में गिनी नहीं गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी हां।

(ख) जिस भूतपूर्व स्टेट रेलवे में उनकी नियुक्ति सब से बाद में हुई, उसमें उनका वेतन और प्रवरता निर्धारित करते समय उनकी पहले की नौकरी जरूर शामिल की गयी होगी। यह भी जरूरी था कि भारत की सरकारी रेलों में ले लिये जाने के बाद उनकी पारस्परिक प्रवरता में कोई उलट-फेर न हो। जिन लोगों को समय-मान में ऊंचे वेतन पर रखा गया उन्हें पिछली नौकरी के लिए एक साल की नौकरी पर न्यूनतम वेतन-मान में एक वृद्धि दी गयी थी। लेकिन यह लाभ अधिक से अधिक ५ साल के लिए दिया गया था। इसके साथ एक शर्त यह थी कि ऐसा करने से उनकी पारस्परिक प्रवरता में उलट-फेर न हो और यह भी कि उस तारीख को उन्हें समानित राजपत्रित संवर्ग में कोई जगह मिली हो।

दुजाना हाउस, दिल्ली

†२९३५. **श्री नवल प्रभाकर** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुजाना हाउस, दिल्ली का निर्माण स्थगित कर दिया गया है ;

(ख) इसमें कितने लोगों के लिये आवास की व्यवस्था होगी तथा वहां कितनी दुकानों का निर्माण होगा ; और

(ग) मकान का किराया कितना होगा और दुकान का कितना ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) दुजाना हाउस को नये सिरे से बनाने की योजना स्थगित नहीं हुई।

(ख) विचार है कि वहां ८२ आवास गृह तथा ५६ दुकानें बनाई जायें।

(ग) यह अनुमान अभी नहीं लगाया गया।

रेलवे कर्मचारियों द्वारा अधिक कार्य

†२९३६. **श्री संगण्णा** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि रायगढ़ तथा अन्य बड़े स्टेशनों के अतिरिक्त वाल्टेयर-रायपुर लाइन पर रेलवे कर्मचारियों को ८ घंटे की बजाय १२ घंटे काम करना पड़ता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण ; और

(ग) क्या अतिरिक्त समय के लिये कुछ भत्ता दिया जाता है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां) : (क) तथा (ख). वाल्टेयर-रायपुर विभाग पर कुछ स्टेशनों पर कार्यभार की दृष्टि से कर्मचारियों को विभक्त किया गया है और उनसे १२ घंटे काम लिया जाता है किन्तु बीच-बीच में कई-कई घंटे अर्थात् ६ से भी अधिक घंटे तक कोई काम नहीं होता। दूसरा कर्मचारी वृन्द जिसे 'निरन्तर' माना जाता है उन्हें ८ घंटे की ड्यूटी देनी होती है। यह काम १९५६ में संशोधन भारतीय रेलवे अधिनियम, १८९० के अनुसार होता है।

(ग) जो कर्मचारी १२ घंटे काम करते हैं उन्हें अधिक सेवा का भत्ता केवल तभी मिलता है जब कि सप्ताह में काम के घंटे ७५ हो जायें।

तूतिकोरिन बन्दर का विकास

†२९३७. { **श्री थानू पिल्ले :**
श्री थानू लिंगम नादर :
श्री शंकर पांडियन :
श्री क० स० रामस्वामी : }

क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तूतिकोरिन बन्दर के विकास के लिये सरकार के पास कौन सी विभिन्न योजनायें आई हैं ;

(ख) विभिन्न योजनाओं के क्या लाभ तथा हानियां हैं ;

(ग) क्या विभिन्न योजनाओं की प्रतियां तथा साराश सभा पटल पर रखे जायेंगे ; तथा

(घ) क्या कोई निर्णय किया गया है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) छोटे पत्तनों के विकास का उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है।

तूतिकोरिन की बन्दरगाह के विकास के विषय पर मद्रास सरकार १९२० से विचार कर रही है। पत्तन के विकास के लिये विभिन्न योजनाओं के नाम नीचे दिये जाते हैं :—

(१) बुल्ड बैरी एंड पार्टनर्स स्कीम
(२) सर राबर्ट ब्रिस्टोज स्कीम
(३) बामर समिति की योजना
(४) श्री बी० न० चटर्जी योजना
(५) सेतुसमुद्रम् परियोजना समिति की योजना।

(ख) राज्य सरकार से जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर एक विवरण रख दिया जायगा।

(ग) भारत सरकार के पास सारी योजनाओं की प्रतियां नहीं हैं। सेतुसमद्रम परियोजना समिति की योजना से अतिरिक्त मद्रास सरकार से अन्य योजनायें मंगाई गई हैं और प्राप्त ोने पर उनकी प्रतियां सभा पटल पर रख दी जायेंगी। सेतुसमुद्रम परियोजना समिति की योजना की प्रतियां पुस्तकालय में रख दी गई हैं।

(घ) जी नहीं। ८ मई १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३५३२ के उत्तर में जैसा कि पहले बताया जा चुका है तूतिकोरिन पत्तन न्यास पत्तन के व्यय को अनुमान लगाने का काम कर रहा है। संभवतया यातायात का सर्वेक्षण भी हाल ी में आरम्भ हो गया है। इन प्रयोगों तथा सर्वेक्षण के पश्चात् ही निर्णय हो सकता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये आवेदन-पत्र

†२९३८. **श्री प० ला० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये सभी प्रार्थना-पत्र केवल अंग्रेजी में ही होते हैं ;

(ख) उम्मीदवार की शिक्षा संबंधी योग्यताओं के बारे में प्रमाण-पत्रों को छोड़ कर और कितने प्रमाण-पत्र प्रार्थना-पत्र के साथ लगाने पड़ते हैं ; और

(ग) क्या उन व्यक्तियों को जो केवल हिन्दी भाषा जानते हैं और विशेष रूप से अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र अंग्रेज़ी में भरने में कोई कठिनाई होती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** :(क) कुछ रेलों ने अर्जी के फार्म अंग्रेजी में नियत किये हैं और कुछ रेलें अंग्रेजी के अलावा हिन्दी या दूसरी प्रादेशिक भाषाओं में भी अर्जी स्वीकार कर लेती हैं।

(ख) हर उम्मीदवार को उमर और चरित्र के प्रमाण-पत्र देना जरूरी है। अनुसूचित जाति और अनसूचित आदिमजाति के उम्मीदवारों को इस बात का भी प्रमाण-पत्र देना होता है कि वे अनुसूचित जाति या अनुसूचित आदिमजाति के हैं। लेकिन जो उम्मीदवार निर्धारित प्रमाण-पत्र नहीं दे पाते और उनके बदले में कोई ऐसा प्रमाण-देते हैं जो जाहिरा तौर पर ठीक जान पड़े, तो उस हालत में भी नियुक्ति के लिये उनकी अर्ज़ियों पर विचार किया जाता है।

(ग) किसी तरह की कठिनाई नोटिस में नहीं आयी है, क्योंकि आम तौर पर अर्ज़ियां अर्ज़ी-नवीस या जान-पहचान के पढ़े-लिखे लोगों से लिखा ली जाती हैं।

उत्तर रेलवे में टी० टी० ई०

†२९३९. **श्री प० ला ० बारूपाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे के जो टी० टी० ई० टिकट चैक करने के लिये गाड़ियों के साथ चलते हैं उन्हें दिल्ली जंक्शन के रनिंग रूम में ठहरने नहीं दिया जाता ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) दिल्ली मेन स्टेशन पर उनके ठहरने के लिये दूसरी क्या व्यवस्था है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां) : (क) जी नहीं। उत्तर रेलवे के चल टिकट-परीक्षकों को दिल्ली जंक्शन के परिचालक कमरे में आराम करने की इजाज़त है।

(ख) सवाल नहीं उठता।

(ग) जब कभी जरूरत होती है, आराम के लिये चल टिकट-परीक्षकों को तीसरे दर्जे के डिब्बे दिये जाते हैं।

गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव

†२९४०. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में फरक्का तथा लालगोलाघाट के बीच दक्षिण अथवा दक्षिण-पश्चिम की ओर गंगा नदी अपने किनारे का कटाव कर रही है ;

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) क्या नदी भागीरथी कुल्या अथवा ऊपरी हुगली के निकट होती जा रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि फरखा तथा लालगोलाघाट के बीच कई स्थानों पर गंगा नदी तथा भागीरथी कुल्या के बीच आध मील से भी कम का अन्तर है ;

(घ) क्या गंगा नदी के प्रवाह की ओर स क्षेत्र में ध्यान रखा जा रहा है ; और

(ङ) उपयुक्त कटाव के संभव निष्कर्ष क्या हो सकते हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** :(क) से (ङ). आवश्यक जानकारी एकत्रित की जा रही है और यथा संभव शीघ्र सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव

†२९४१. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के **फरखा और** जलंगी थानों के बीच गंगा नदी द्वारा तीव्रगति से अपने दाहिने तट की भूमि के कटाव पर नजर और निगरानी रखने के लिये सरकार ने कोई स्थायी प्रबन्ध किया है ; और

(ख) क्या सरकार का ध्यान जलंगी में इस नदी द्वारा तीव्रगति से होने वाले कटाव और उसके फलस्वरूप जलंगी बाजार और आम तौर पर जलंगी क्षेत्र के लिये उत्पन्न खतरे की ओर आकृष्ट हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख ी जायेगी ।

सुपारी का आयात

†२९४२. { **श्री गोरे** :
श्री जाधव :

क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में प्रति वर्ष कितने स्टैण्डर्ड मन सुपारी का आयात किया जाता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पिछले तीन वर्षों में भारत में सुपारी का आयात निम्नलिखित प्रकार से हुआ :—

	परिमाण (८२ ²/₇ पौंड के लाख मनों में)
१९५५	१०.५६
१९५६	११.२८
१९५७	८.६७
१९५८ (जनवरी से जून १९५८ के छः महीनों में)	२.९८

†मूल अंग्रेज़ी में

कोसी के तट बन्ध

†२९४३. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार सरकार के कोसी परियोजना विभाग ने इस आशय के कोई प्रस्ताव भेजे हैं कि पूर्वी और पश्चिमी, दोनों तट बन्धों को मूल परियोजना की अपेक्षा और भी बढ़ा दिया जाय ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ;

(ग) इस प्रकार के किसी प्रस्ताव को क्रियान्वित करने में कितना व्यय होने का अनुमान है ;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) अभी तक तो बिहार सरकार से ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं मिला है । परन्तु राज्य सरकार ने यह सूचना दी है कि वह तट बन्धों के विस्तार के एक सुझाव पर विचार कर रही है ।

(ख) से (ङ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

एल्गिन ब्रिज

†२९४४. **श्री राम गरीब :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को "दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आयल मिलस एसोसियशन, कानपुर" से और अन्य लोगों से एल्गिन ब्रिज के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि चौकाघाट और गोगरा घाट के बीच सवारियों के नदी पार करने के लिये और कोई समुचित प्रबन्ध नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) :** (क) केवल "दि यूनाइटेड प्राविन्सेज आयल मिल्स एसोसियेशन, कानपुर" से ही हाल ही में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ।

(ख) और (ग). चौकाघाट, गोगरा घाट का रास्ता राज्य की सड़क का अंश है और इस रास्ते पर सवारियों के लिये गोगरा नदी पार करने की आवश्यक सुविधाओं का प्रबन्ध करने की आरम्भिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है ।

पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-दरभंगा ब्रांच में पानी की निकासी

†२९४५. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-दरभंगा ब्रांच पर पड़ने वाले विभिन्न पुलों और पुलियों के पानी निकलने के रास्तों से काफी पानी की निकासी नहीं हो पाती जिसके

---

†मूल अंग्रेजी में

फलस्वरूप बाढ़ के पानी को रेलवे लाइन के पश्चिमी ओर से पूर्वी ओर को जाने में कहीं अधिक समय लगता है जिससे वर्षा-ऋतु में फसलों को क्षति पहुंचती है ;

(ख) क्या इस लाइन पर पानी निकलने के लिये अधिक निकास-मार्गों की व्यवस्था की आवश्यकता और वांछनीयता की जांच की गयी है ;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम हुये ;

(घ) क्या राज्य के अधिकारियों से इस संबंध में या रेलवे लाइनों पर अधिक जल निकास मार्गों की व्यवस्था करने के सामान्य प्रश्न पर कोई परामर्श किया गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) जी नहीं। समस्तीपुर-दरभंगा ब्रांच पर विभिन्न पुलों और निकास-मार्गों से पर्याप्त मात्रा में निकासी हो जाती है और पानी निकलने में जो समय लगता है वह असाधारण नहीं है। रेलवे प्रशासन को फसल की हुई किसी क्षति का पता नहीं है।

(ख) से (ङ). राज्य अधिकारियों से पूछ लिया गया है और इसके फलस्वरूप ब ी गंडक और भागमती पुलों के जलमार्गों की जांच की जा रही है क्योंकि इन नदियों के किनारे किनारे सीमांत बांध बना दिये गये हैं।

रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती

†२९४६. **श्री श्रीनारायण दास :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी रेलवेज़ के सभी स्तरों के रेलवे प्राधिकारियों ने मई, १९५८ से जुलाई, १९५८ तक की अवधि में अपने अपने अधिकार-क्षेत्रों में चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ठीक-ठीक किस प्रकार की अधिसूचनायें निकाली गयीं थीं ;

(ग) प्रत्येक रेलवे में प्रत्येक श्रेणी के कितने-कितने पदों के लिये आवेदन किये गये थे;

(घ) प्रत्येक पद के लिये कितने-कितने आवेदन पत्र प्राप्त हुये ;

(ङ) क्या इन आवेदन पत्रों को निबटाया जा चुका है ; और

(च) प्रत्येक रेलवे के संबंध में इस निबटारे के क्या परिणाम हुये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) से (च). जानकारी एकत्र की जा रही है और लोक-सभा पटल पर रख दी जायेगी।

एल्लोर का ऊपरी पुल

†२९४७. **कुमारी मो० वेदकुमारी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल्लोर में एक ऊपरी पुल के निर्माण की योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में शामिल की गयी है ; और

(ख) यदि हां, तो यह योजना इस समय किस स्थिति में है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बीमा और बिलासपुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी

†२९४८. **श्रीमती सहोदरा बाई**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश में बीमा और बिलासपुर रेलवे स्टेशनों के बीच कोई एक्सप्रेस गाड़ी नहीं चलती ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र की यात्री जनता को असुवधा से छुटकारा दिलाने के लिये इस प्रकार की ट्रेन का उपबन्ध करने की दिशा में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी हां।

(ख) इस समय लाइन की क्षमता उपलब्ध न होने के कारण इस प्रकार की गाड़ी की व्यवस्था करना संभव नहीं है।

सागर रेलवे स्टेशन

†२९४९. **श्रीमती सहोदरा बाई**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में सागर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म का निर्माण कब पूरा होगा ; और

(ख) इस प्लेटफार्म को पूरा करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) सागर रेलवे स्टेशन पर ऊंची सतह वाला एक प्लेटफार्म पहले से ही मौजूद है। दूसरे प्लेटफार्म का निर्माण करना आवश्यक नहीं प्रतीत होता।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

अनाज का निर्यात

२९५०. **श्री भ० दी० मिश्र**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कि अप्रैल, १९५७ से अगस्त १९५८ तक पूर्वोत्तर रेलवे के बहराइच स्टेशन से कितना अनाज अन्य जिलों अथवा राज्यों को भेजा गया ;

(ख) इस में से कितना अनाज खुले डिब्बों में भेजा गया और कितना बन्द डिब्बों में भेजा गया ;

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि अनाज को खुले माल के डिब्बों में ले जाने के फलस्वरूप वह सड़ जाता है और व्यापारियों को इसे वर्षा और धूप से बचाने के लिये काफी खर्च करना पड़ता है और अनाज के भाव बढ़ जाने का यह भी कारण है ;

(घ) क्या सरकार को यह पता है कि ऐसी चीजें जो नष्ट नहीं हो सकतीं जैसे कि ईमारती लकड़ी, और पत्थर इस स्टेशन से अन्य स्थानों को बन्द माल डिब्बों में भेजी जाती हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार का अनाज ले जाने के लिये बन्द माल-डिब्बे देने के संबंध में प्राथमिकता देने का विचार है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) १ अप्रैल, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक बहराइच स्टेशन से अनाज के कुल २८४८ माल-डिब्बे बहराइच जिले से दूसरे जिलों या राज्यों को भेजे गये ।

(ख) इनमें से २६५३ बन्द माल-डिब्बों में और १९५ खुले माल-डिब्बों में अनाज लादा गया ।

(ग) माल लादते समय बारिश और धूप से उसके बचाव के लिये यदि अच्छे तिरपाल लगाकर पूरी सावधानी बरती जाय, तो खुले माल-डिब्बों में अनाज खराब नहीं होगा इसके अलावा खुले माल-डिब्बों में अनाज माल भेजने वालों की राय से भेजा जाता है और वह इतना थोड़ा होता है कि उसे अनाज के दाम बढ़ने का मान्य कारण नहीं कहा जा सकता ।

(घ) यह बात सही नहीं है कि ईमारती लकड़ी, पत्थर आदि सामान भा ी मात्रा में इस स्टेशन से बन्द माल-डिब्बों में भेजे जाते हैं । १ अप्रैल, १९५७ से ३१ अगस्त, १९५८ तक कुल ६३ माल-डिब्बों में इमारती लकड़ी भेजी गयी जिनमें केवल चार बन्द माल-डिब्बे थे । जलाने की लकड़ी के कुल ५५ माल डिब्बे भेजे गये जिनमें केवल एक बन्द माल-डिब्बा था । इस अवधि में इस स्टेशन से पत्थर नहीं भेजा गया ।

(ङ) इस बात के लिये स्थायी तौर पर पहले से हिदायत है कि भीगने या खुले रहने की वजह से जो माल खराब हो जाते हों, उन्हें बन्द माल-डिब्बे में भेजा जाये । इस तरह का माल खुले माल-डिब्बों में उसी हालत में भेजा जाय, जब माल भेजने वाला ऐसा चाहे ।

हीराकुड बांध के नहरी पानी का उपयोग

†२९५१. **श्री कुम्भार** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नहरी पानी के उपयोग के संबंध में केन्द्रीय विशेष परामर्श दाता श्री हाल्डार होजेन ने हीराकुड बांध की अपनी हाल की यात्रा में यह सुझाव दिया था कि हीराकुड बांध के नहरी पानी के उपयोग का सब से अच्छा ढंग और तरीका यह है कि उस क्षेत्र में अधिक ईख की खेती की जाय और यह भी सुझाव दिया है कि उस क्षेत्र के किसानों के लाभ के लिये चीनी मिलों की स्थापना की जाय ;

(ख) यदि हां, तो सुझायी गयी योजनायें किस प्रकार की हैं ; और

(ग) केन्द्रीय सरकार इन योजनाओं के लिये क्या वित्तीय और प्रविधिक सहायता देने वाली है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) से (ग). भारत सरकार को न तो हीराकुड बांध के नहरी पानी के उपयोग के लिये ईख की खेती के बारे में श्री दिलदार हुसैन (श्री हाल्डार होजेन नहीं) का प्रतिवेदन मिला है और न उड़ीसा सरकार से उन योजनाओं के संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है जो श्री हुसैन द्वारा सुझायी गयी बतायी जाती हैं ।

दिल्ली की गन्दी बस्तियां

†२९५२. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली के गन्दी बस्ती वाले नियंत्रित क्षेत्रों के वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निजी मकानों को हटाने के बारे में सरकार की क्या नीति है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) जनवरी से ३० अगस्त, १९५८ तक दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के संबंध में कितनी प्रगति हुई है ;

(ग) क्या वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों और निजी मकानों के निवासियों को अपने वर्तमान स्थानों से बेदखल करने से पहले उनके लिये बदले में दूसरे स्थान की व्यवस्था करदी जाती है ; और

(घ) यदि हां, तो १९५८ में ऐसे कितने व्यक्तियों के लिये बदले में दूसरे स्थान की व्यवस्था की गयी ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग) . दिल्ली में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये अब गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) अविनियम, १९५६ के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जा रही है। इसके दो पहलू हैं ; अर्थात् (१) गन्दी बस्तियों का सुधार और (२) गन्दी बस्तियों की सफाई ।

जहां तक गन्दी बस्तियों के सुधार का संबंध है, सक्षम प्राधिकारी गन्दी बस्ती वाले क्षेत्र के किसी भी भवन के स्वामी को अधिनियम की धारा ४ के अधीन नोटिस देकर उसे एक निर्धारित अवधि के भीतर, जो ३० दिन से कम न होगी, उसमें निर्दिष्ट सुधार-कार्य पुरे करने का आदेश दे सकता है। यदि उस नोटिस का यथा समय पालन न किया गया तो सक्षम प्राधिकारी स्वयं वह निर्माण-कार्य करा कर उसके मालिक से भू-राजस्व की बकाया राशि के रूप में उसकी लागत वसूल कर लेता है । उपर्युक्त उपबन्धों के अनुसार जनवरी से ३० अगस्त १९५८ की अवधि में ११ कटरों में सुधार किया जा चुका है और ५५ कटरों के मालिकों को आवश्यक सुधार करने के लिये नोटिस दिये जा चुके हैं ।

गन्दी बस्तियों की सफाई

जहां सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास हो जाय कि किसी गन्दी बस्ती के निबटाने का एकमात्र तरीका यही है कि उस क्षेत्र के सभी भवनों को गिरा दिया जाय तो प्राधिकार उसे अधिनियम की धारा ९ के अधीन "सफाई वाला" क्षेत्र अधिसूचित कर देती है। उसके बाद गन्दी बस्ती की सफाई का आदेश निकाला जाता है जिसमें कुछ विशिष्ट भवनों को गिराने और ऐसे प्रत्येक भवन को किसी निश्चित अवधि तक खाली कर देने का आदेश दिया करता है। गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना में बेदखल किये जाने वाले लोगों को बदले में दूसरा स्थान देने की व्यवस्था है। सरकार की मौजूदा नीति के अनुसार गन्दी बस्ती वाले क्षेत्रों से बेदखल किये गये लोगों और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिये, जहां तक भी संभव हो, बदले में दूसरे स्थान का प्रबन्ध करना होता है। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुये दिल्ली विकास प्राधिकार ने १२३८ राज सहायता प्राप्त मकानों का निर्माण करना आरम्भ किया है और जो नयी बस्तियां बनायी जा रही हैं उनमें दुकानों का भी निर्माण किया जा रहा है। गन्दी बस्तियों की सफाई का काम इन मकानों और दुकानों का निर्माण पूरा हो लेने के बाद ही आरम्भ होगा ।

(घ) क्योंकि १९५८ में अब तक किसी भी क्षेत्र की सफाई नहीं की गयी है इसलिये बदले में दूसरा स्थान देने का कोई प्रश्न ही नहीं उठा ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, रोयापुरम्

†२९५३. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास में रोयापुरम् स्थान पर रेलवे प्रिंटिंग प्रेस के बहुत से कर्मचारी अस्थायी तौर पर रखे गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सेवा को स्थायी बनाने के लिये कितनी सेवा आवश्यक है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) कुल ६४९ में से १९५७ में और उसके पश्चात् नियुक्त किये गये २४४ कर्मचारी अस्थायी हैं ।

(ख) १९५७ में रोयापुरम् की रेलवे प्रिंटिंग प्रेस का विस्तार किया गया था और नई नौकरियों को स्थायी बनाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(ग) कर्मचारियों को स्थायी बनाना स्थायी खाली स्थान उपलब्ध होने पर निर्भर करता है परन्तु सामान्यतः परीक्षाकाल एक वर्ष अथवा इस से अधिक होता है ।

रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, रोयापुरम्

†२९५४. **श्री तंगामणि** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रोयापुरम रेलवे प्रिंटिंग प्रेस के रात की शिफ्ट में कार्य करने वाले कर्मचारियों को रात की शिफ्ट का भत्ता नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या अन्य विभागों में कंट्रोलर आफ स्टोर्स के अधीन काम करने वाले श्रमिकों को यह भत्ता मिलता है ; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो इस अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख). रोयापुरम के रेलवे प्रिंटिंग प्रेस और स्टोर्स विभाग के अधीन अन्य शाखाओं में काम करने वाले किन्हीं श्रमिकों को ऐसा कोई भत्ता नहीं मिलता ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे तार घर का स्थानान्तरण

†२९५५. **श्री स० म० बनर्जी :**
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोरखपुर, वाराणसी और लखनऊ (पूर्वोत्तर रेलवे) के रेलवे तारघर के कार्यालय रेलवे स्टेशन से हटा कर डी० एस० टी० ई० अथवा ए० एस० टी० ई० के कार्यालयों में ले जाये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या तार घर कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था ;

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(घ) क्या यह सच है कि तार कर्मचारियों और वायरलैस कर्मचारियों की वरिष्ठता का हिसाब अलग-अलग रखा गया है ; और

(ङ) यदि हां, तो क्या कारण है कि पूर्वोत्तर रेलवे में तार और वायरलैस कर्मचारियों की वरिष्ठता का हिसाब इकट्ठा क्यों कर दिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) :

(१) **गोरखपुर** : जी हां। तारघर को रेलवे स्टेशन से सी० एस० टी० ई० के कार्यालय में ले जाया गया है।

(२) **वाराणसी** : जी हां। तार घर को वाराणसी के जिला कार्यालय के पास ले जाया गया है।

(३) **लखनऊ** : तार घर रेलवे स्टेशन पर ही है।

(ख) और (ग). तार कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन नहीं मिला। पूर्वोत्तर रेलवे को गोरखपुर तार घर के स्थानान्तरण के बारे में तार कर्मचारियों के अतिरिक्त अन्य कर्मचारियों से निम्नलिखित अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं :—

(१) दिल्ली के उत्तर रेलवे तार कर्मचारी संघ। इस अभ्यावेदन का कोई उत्तर नहीं दिया गया क्योंकि पूर्वोत्तर रेलवे ने इस संघ को मान्यता नहीं ी है।

(२) पूर्वोत्तर रेलवे मजदूर संघ। गोरखपुर से। इस संघ के सचिव ने पूर्वोत्तर रेलवे के प्राधिकारियों से इस बारे में चर्चा की थी और वह नये स्थान का निरीक्षण करने गये थे और उसके बाद उन्हें वहां के प्रबन्ध के बारे में सन्तोष हो गया था।

(३) वाराणसी तार घर के स्थानान्तरण के बारे में कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) जी हां।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

तार कर्मचारी

†२९५६. **श्री स० म० बनर्जी** :
श्री तंगामणि :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीकानेर और जोधपुर डिवीजनों के कम सेवा और अर्हताओं वाले तार कर्मचारियों को भूतपूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे (दिल्ली और फीरोजपुर डिवीजनों) के कर्मचारियों से वरिष्ठ घोषित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या भूतपूर्व उत्तर पश्चिम रेलवे कर्मचारियों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो इस विषय में प्रशासन ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दिल्ली में वैद्य

२९५७. **श्री प० ला० बारूपाल** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में कितने वैद्य हैं ;

(ख) १९५५ से अगस्त, १९५८ तक कितने वैद्यों का रजिस्ट्रेशन हुआ ;

(ग) औषधालयों में काम करने वाले इन वैद्यों के पास किन संस्थाओं के प्रमाण-पत्र है ; और

(घ) सरकार किस संस्था के स्नातकों को प्रधानता देती है ?

स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) ९९८।

(ख) १२७।

(ग) दिल्ली प्रशासन के अधीन कोई आयुर्वेदिक औषधालय नहीं है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

गवेषणा योजनायें

†२९५८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने १९५७-५८ और १९५८-५९ में अब तक कोई गवेषणा योजनायें भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् को भेजी हैं ;

(ख) यदि हां, तो गवेषणा योजनायें कितनी और किस प्रकार की हैं ; और

(ग) भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् ने अब तक कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). एक विवरण जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११०**]

फलों के पेड़ और अरंडी के पौधे

†२९५९. **श्री राम कृष्ण रेड्डी** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या रेल की पटरियों और सिंचाई की नहरों के किनारों पर फलों के पेड़ और अरंडी के पौधे लगाने की कोई योजना है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: रेल की पटरियों अथवा सिंचाई नहरों के किनारे फलों के पेड़ अथवा अरंडी के पौधे लगाने की कोई विशेष योजना तैयार नहीं की गई है। वैसे भी रेल की पटरी और सिंचाई नहरों के किनारों पर फल के पेड़ लगाना वांछनीय नहीं है। भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति के मद्रास, मैसूर, आंध्र प्रदेश, बम्बई, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और उड़ीसा

---

†मूल अंग्रेज़ी में।

में सिंचाई नहरों, नदी के किनारों, तालाबों, जलमार्गों के साथ साथ और कपास और गन्ने आदि फसल के किनारों पर उगाने के लिये निःशुल्क अरंडी के बीज बांटने के लिये एक योजना स्वीकृत की है जिस पर २०,००० रुपये खर्च होंगे। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पांच प्रमुख तिलहनों (मूंगफली, अरंडी, अलसी, तिल, तोरिया और सरसों) के निर्धारित लक्ष्यों में जो वृद्धि की गई उसे पूरे करने में सहायता देने के लिये समिति कई राज्यों में "तिलहन उत्पादन वृद्धि योजनाओं" के लिये भी वित्तीय व्यवस्था कर रही है। इस गहण काश्त के कार्यक्रम का एक अंग यह भी होगा कि सिंचाई की नहरों के किनारों पर अरंडी को बोया जाये। देश भर में उपयुक्त स्थानों पर रेल की पटरी के किनारों पर अरंडी के पौधे लगाने की प्रस्थापना पर विचार किया जा रहा है।

नई दिल्ली नगरपालिका समिति को दी जाने वाली बिजली और पानी के शुल्क की बकाया राशि

†२९६०. **श्री वाजपेयी** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत दो वर्ष में बिजली और पानी के शुल्क की जो बकाया राशियां जमा हो गई हैं उन्हें एकत्र करने के लिये नई दिल्ली नगर पालिका समिति एक नया सैक्शन खोलने का विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी बकाया राशि जमा हो गई है ; और

(ग) सरकारी विभागों के पास कितनी बकाया राशि है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). नई दिल्ली नगरपालिका समिति ने सूचना भेजी है कि १-६-१९५६ से ३१-७-५८ तक बिजली और पानी के शुल्क की कुल बकाया राशि २४,५३,७९३ रुपये है जिस में से १२,६२,१८७ प सरकारी विभागों से प्राप्त किये जाने वाले हैं।

स्थानों का फर्जी आरक्षण[1]

†२९६१. **श्री वाजपेयी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 'स्थानों के फर्जी आरक्षण और बाद में उसके कैंसिल किये जाने' के बारे में कोई शिकायतें मिली हैं ;

(ख) क्या उनकी जांच की गई है ;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ; और

(घ) फर्जी आरक्षण कराने के कारण यात्रियों को जो असुविधा होती है उसे दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) तीन पर्यटन अभिकर्ताओं के खिलाफ की गई शिकायतों को प्रमाणित किया गया था। कुछ अन्य पर्यटन अभिकर्ताओं के खिलाफ मिली शिकायतों की जांच की जा रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Bogus reservation of seats.

(घ) प्रत्येक रेलवे में एक 'सीनियर स्केल' पदाधिकारी को कम से कम एक बार यह देखने के लिये निरीक्षण करना होता है कि आरक्षण ठीक ढंग से हुआ है। यह प्रथा भी चालू की गई है कि उन लोगों को जवाबी कार्ड लिखे जाते हैं जिन के नाम पर स्थान आरक्षित किये गये होते हैं ताकि इसकी पुष्टि हो जाये। रेलवे प्रशासनों को पर्यटन अभिकर्ताओं द्वारा फर्जी आरक्षण कराने के बारे में आगाह कर दिया गया है।

दामोदर घाटी निगम की नहरें

†२९६२. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गलसी, बर्दवान, मेमारी, और जमालपुर थानों के किसानों से इस बारे में कोई शिकायतें मिली हैं कि प्रतिरोपण के समय या तो पानी मिलता ही नहीं या इतना अधिक पानी मिलता है कि प्रतिरोपण कार्य करना असम्भव हो जाता है और दामोदर घाटी निगम के नहरों के निर्माण में त्रुटियां रह जाने के कारण नहर बन्ध में द्राड़ें आ जाती हैं।

(ख) यदि हां, तो क्या इस विषय में कोई जांच की गई थी ; और

(ग) सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की है अथवा करने का विचार है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) ऐसी शिकायतें मिली हैं।

(ख) और (ग). नहरी पानी के बहाव में बेकायदगी का कार दामोदर घाटी निगम की नहरों के निर्माण में त्रुटियां होना नहीं है। इस वर्ष खरीफ की सिचाई आरम्भ होने के समय पानी कम रफ्तार में छोड़ा गया था ताकि नई बनी हुई नहरों को क्षति न पहुंचे। तीन सप्ताह में इस थोड़े से समय में पश्चिमी बंगाल सरकार की सारी मांग पूरी कर दी। इस वर्ष मानसून के देर से आने के कारण काश्तकारों ` साथ के खेतों के लिये पानी सुरक्षित करने के लिये नहरों में बांध बना लिये या बन्ध को तोड़ डाला। इस से नहर के बहाव के नीचे की ओर के स्थानों पर पानी की कमी हो गई। पश्चिमी बंगाल सरकार का ध्यान इसकी ओर आकृष्ट किया गया था और उपर्युक्त कार्यवाही की जा रही है।

दामोदर घाटी निगम की नहरों पर पुल

†२९६३. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी बंगाल में जिला बर्दवान में दामोदर घाटी निगम नहर जिसे पहले अदन नहर कहते थे, जहां पल्ला रेलवे स्टेशन और दामोदर बन्ध को मिलाने वाली सड़क से मिलती है वहां बनाये गये पुल पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) यह कब तैयार हुआ ;

(ग) क्या यह सच है कि इसके तैयार होते ही इसमें मरम्मत करनी पड़ी ;

(घ) यदि हां, तो मरम्मत पर कितना खर्च हुआ ;

(ङ) क्या दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों को वहां के स्थायी लोगों से फोटो में साथ ये शिकायतें मिलीं कि पुल के निर्माण में ही त्रुटियां रह गई थीं ; और

(च) यदि हां, तो इस विषय में क्या कार्यवाही की गई ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) लगभग १,५०,००० रुपये ।

(ख) ३१ मई, १९५७ ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) जी नहीं ।

(च) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दामोदर घाटी निगम

†२९६४. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम ने पश्चिमी बंगाल के ग्राम स्वशासन अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार बर्दवान, बांकुरा और हुगली के जिलों में संघ बोर्डों के क्षेत्र में स्थापित अपनी इमारतों के लिये कोई यूनियन रेट अदा किया है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितनी राशि अदा की गई है ;

(ग) यदि नहीं, तो अभी तक कोई यूनियन रेट क्यों नहीं अदा किया गया है ; और

(घ) क्या किसी संघ बोर्ड ने, विशेषकर जिला बर्दवान के वैद्यपुर संघ बोर्ड ने यूनियन रेट की मांग की है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, हां ।

(ख) १,२७६ रुपये ६२ नये पैसे ।

(ग) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) उक्त १,२७६ रुपये ६२ नये पैसे में वद्यपुर संघ बोर्ड को १३६२ और १३६४ बी० एस० के लिये अदा की गई राशि भी सम्मिलित है । जहां तक १३६३ बी० एस० के कर का सम्बन्ध है, संघ बोर्ड ने १३६२ और १३६४ के दरों को इसके लिये स्वीकार नहीं किया था, उसने अधिक दर मांगे थे । इस मामले पर अब भी बोर्ड के सभापति लिखा पढ़ी कर रहे हैं ।

दामोदर घाटी निगम की नहरें

†२९६५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम के प्राधिकारियों को स्थानीय जनता से इस सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि दामोदर घाटी निगम नहर से आसनसोल और बर्दवान सदर सब डिवीज़न के (जंगल) महाल क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा है जिसके परिणामस्वरूप हजारों एकड़ भूमि बंजर पड़ी हुई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित किया गया है ;

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) क्या यह भी सच है कि इस नहर के खुदने से पहले इस क्षेत्र में कभी भी फसलें खराब नहीं हुई थीं, क्योंकि वे जंगल के पानी के बहाव से ही सींची जाती थीं ;

(घ) क्या यह भी सच है कि इस नहर के खुदने से जंगल का पानी भी दामोदर घाटी निगम की उस नहर में ही गिरने लगा है, जो कि त्रुटिपूर्ण निर्माण के कारण उस भूमि में सिंचाई नहीं कर सकती है ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) इस सम्बन्ध में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है । ऐसा प्रतीत होता है कि जंगल के क्षेत्र में खेती वर्षा के पानी पर निर्भर है ।

(घ) दामोदर घाटी निगम के वन क्षेत्र में दामोदर घाटी निगम नहर व्यवस्था के अन्तर्गत एक उपयुक्त और व्यावहारिक नहर बनाई है । यह सच नहीं है कि दामोदर घाटी निगम की नहर की खराबियों के कारण इस नहर से वन क्षेत्र को पानी नहीं पहुंचाया जा सकता है ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

रेलवे गजट

†२९६६. **श्री इ० ईमाचरण** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सामान्य पद्धति है कि रेलवे की गजट केवल रेलवे कर्मचारियों को ही संभरित की जाती है, वह शेष जनता अथवा संस्थाओं को संभरित नहीं की जाती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिबन्ध के क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) जी, हां ।

(ख) ये तो समय समय पर प्रकाशित होने वाली विभागीय पुस्तकें हैं जिनमें मुख्य रूप से रेलवे कार्य सम्बन्धी वह सामग्री निहित होती है जिसके बारे में रेलवे कर्मचारियों को सूचित करना आवश्यक समझा जाता है । उसमें रेलवे कर्मचारियों के अतिरिक्त सामान्य जनता से सम्बन्ध रखने वाली सामग्री बहुत कम होती है ।

बम्बई के जनरल पोस्ट ऑफिस में सामान रखने की जगह की कमी के कारण हुई हानि

†२९६७. **श्री वासुदेवन् नायर** : क्या परिवहन तथा सचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बम्बई के जनरल पोस्ट आफिस में सामान रखने की उचित व्यवस्था के अभाव के फलस्वरूप बहुत नुक्सान हो गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार स्थिति को सुधारने के लिये क्या क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**परिवहन तथा संचार मत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) बम्बई में वर्तमान मानसून के मौसम में अत्यधिक वर्षा होने के कारण बम्बई के जनरल पोस्ट आफिस के तहखाने में पानी भर गया था। इस तहखाने में स्थित पोस्टल स्टॉक डिपो में लगभग १,२०,००० रुपयों की कीमत के पटसन और गेहूं के बोरे आदि पानी में भीग गये थे। इस सम्बन्ध में अभी तक अनुमान नहीं लगाया गया है कि ये वस्तुयें कहां तक खराब हो गई हैं, परन्तु संभव है कि यह ुक्सान कुछ हजार रुपये तक सीमित है। इस पानी से जनरल पोस्ट आफिस बम्बई का अपना भी कुछ नुक्सान हो गया है, क्योंकि तहखाने में पड़े हुये रद्दी कागज भी विनष्ट हो गये हैं।

(ख) किसी और स्थान पर अतिरिक्त गोदाम का स्थान प्राप्त करने के सम्बन्ध में प्रयत्न किये गये हैं, परन्तु बम्बई के पोस्ट मास्टर जनरल को अभी तक इस कार्य में सफलता नहीं मिली है। फिर भी इस दिशा में प्रयत्न किये जा रहे हैं।

केन्द्रीय वर्कशाप, अमृतसर

†२९९८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास केन्द्रीय वर्कशाप, अमृतसर में हाल ही में शरणार्थियों के चुनाव के लिये की गई परीक्षाओं में अनियमितताओं के सम्बन्ध में कोई शिकायत आई है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). पांच शिकायतें आई थीं, जिनमें से तीन तो गलत सिद्ध हुईं और दो सत्य सिद्ध हुई। इन में से एक तो चरित्र तथा प्राक्चरित्र[1] को छुपाने के सम्बन्ध में थी और दूसरी पररूपधारण[2] के सम्बन्ध में थी। यह हिदायत तो पहले से ही जारी की जा चुकी है कि आवेदनकर्ताओं से एक फार्म पर हस्ताक्षर कराये जायें जिसमें वे अपनी पूर्ववर्ती सेवा और अनुभव के बारे में घोषणा करें। जहां तक पररूपधारण का सम्बन्ध है, इस प्रकार की बातों की भविष्य में रोक थाम करने के लिये उत्तर रेलवे द्वारा उपयुक्त हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

रिजर्वेशन क्लर्क

†२९९९. **श्री विश्वनाथ प्रसाद**: क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड द्वारा सितम्बर, १९५७ में रिजर्वेशन क्लर्कों के लिये जो १००—१८५ रुपये का वेतन क्रम घोषित किया गया था, वह उत्तर रेलवे में अभी तक लागू नहीं किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) यह निर्णय इलाहाबाद और दिल्ली डिवीजनों के अतिरिक्त अन्य सब स्थानों में लागू किया जा चुका है।

(ख) और (ग). पदोन्नति के साधनों पर पुनर्विचार करने और योग्यता सम्बन्धी परीक्षायें लेने के कारण इतना विलम्ब हो गया था। अब इन आदेशों को लागू किया जा रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Antecedent.

[2]Inpersonation.

अनुसचिवीय सेवाओं में क्लर्क[1]

†२९७०. **श्री विश्वनाथ प्रसाद** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसचिवीय सेवाओं में ऊंचे वेतन क्रम के २० प्रतिशत स्थान क्लर्कों के लिये रक्षित हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे में काम करने वाले स्नातकों को भी ये सुविधायें दी जाती हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) क्लर्कों के ग्रेड में वार्षिक भरती करने के लिये २० प्रतिशत स्थान स्नातकों के लिये सुरक्षित हैं । ७–३–५७ के आदेश के अधीन ऊंचे ग्रेड के अतिरिक्त स्थानों की पूर्ति के लिये ६०––१३० रुपये के ग्रेड में काम करने वाले स्नातक-क्लर्कों के मामलों पर विचार किया गया था ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) लाइन कर्मचारी क्लर्कों के ग्रेड में पदोन्नति के पात्र नहीं हैं ।

दूध और मांस

†२९७१. **पंडित ठाकुर दास भार्गव** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एक सेर दूध की मात्रा कच्चे मांस, अंडों, मुर्गी और मछली की कितनी मात्रा के बराबर होता है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : पोषक तत्वों की दृष्टि से एक सेर दूध लगभग आधा सेर कच्चे मांस, ९ अंडों, १० छटांक मुर्गी के मांस और १सेर कच्ची मछली के मांस के बराबर है । यह विवरण डबल्यू ब्लूनी हार्वे एण्ड एच हिल द्वारा लिखित 'मिल्क प्रोडक्शन एण्ड कन्ट्रोल' (दूध उत्पादन तथा नियंत्रण) नामक लेख के प्रथम अध्याय में निहित जानकारी के आधार पर है । उसमें यह लिखा हुआ है कि :

पौष्टिक भोजन में निम्नलिखित प्रकार के तत्व अवश्य होने चाहियें :—

(१) प्रोटीन (नाइट्रोजीनियस तत्व) शरीर के पोषण के लिये आसानी से हजम हो जाने वाली प्रोटीन का सेवन आवश्यक है ।

(२) चरबी ।

(३) चीनी के तत्व । ये तत्व तेज और शक्ति के लिये आवश्यक हैं ।

(४) खनिज तत्व (नमक) शरीर के जीवन तत्वों के पोषण के लिये कैल्शियम और फास्फोरस साल्ट का होना आवश्यक है ।

(५) विटामिन शरीर के सामान्य विकास के लिये यह आवश्यक है ।

कुछ तरल पदार्थ भी लेने आवश्यक हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Clerks in Ministerial Services.

यदि खुराक को हम पौष्टिक बनाना चाहते हैं तो उसके लिये उक्त वस्तुओं का केवल होना ही आवश्यक नहीं है, अपितु उनका उचित अनुपात भी होना अत्यावश्यक है। दूध तो स्वयं ही इस दृष्टि से पूर्ण है क्योंकि इसमें सभी आवश्यक तत्व उचित अनुपात में विद्यमान हैं। दूध में वे सभी विटामिन पाये जाते हैं जिनकी अभी खोज भी नहीं हुई है। जहां तक दूध को पचाने का सम्बन्ध है, यह तो अलग अलग व्यक्ति की अपनी शक्ति पर निर्भर करता है, परन्तु सामान्यतया यह समझा जाता है कि इसे ९५ प्रतिशत व्यक्ति पचा लेते हैं। न ही यह केवल उचित प्रकार की खुराक है, अपितु अन्य खाद्य वस्तुओं की तुलना में यह सस्ता भी है जैसा नीचे बताया गया है :—

पोषक तत्व की दृष्टि से एक क्वार्ट (१/४ गैलन) दूध—	लगभग १ पौंड कच्चा मांस,
	४ पौंड बन्द गोबी
	१० अंडे
	२ पौंड आलू
	१ पौंड से भी अधिक मुर्गी का मांस
	५ पौंड बेंगन
	लगभग २ पौंड मछली का कच्चा मांस
	३ पौंड कोड फिश का मांस

पोषक तत्व की दृष्टि से एक बड़ा गिलास दूध २ अंडों के बराबर होता है।

हिसार तथा रोहतक की गायें

†२९७२. **पंडित ठाकुर दास भार्गव :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब के हिसार और रोहतक जिले से कलकत्ता और बम्बई में गायों के निर्यात और परिरक्षण के सम्बन्ध में नन्दा समिति द्वारा क्या क्या सिफारिशें की गई थीं ;

(ख) क्या उनमें से किसी सिफारिश को कार्यान्वित कर दिया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** (क) लोक सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १११]**

(ख) और (ग). राज्य सरकारों से जानकारी मांगी गई है।

रेलवे संस्थाओं में अध्यापक

२९७३. **श्री जगदीश अवस्थी :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे बोर्ड ने वर्ष १९५५ में रेलवे प्रशासन द्वारा संचालित सभी शिक्षा संस्थाओं के प्रशिक्षित स्नातक अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों के वेतन-क्रम देने का निश्चय किया था ;

(ख) यदि हां, उक्त निर्णय किन-किन रेलवे खण्डों में कार्यान्वित किया गया ; और

(ग) क्या उत्तर रेलवे की सभी शिक्षा संस्थाओं में प्रशिक्षित सभी अध्यापकों को प्रशिक्षित अध्यापकों का वेतन दिया जा रहा है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां): (क) से (ग). मालूम होता है कि माननीय सदस्य का मतलब रेलवे बोर्ड के ३१–५–५५ के पत्र सं० ई(एस) ५४ सीपीसी/१११ से है, जिसमें यह आदेश किया गया था कि हाई स्कूलों में जो ट्रेंड ग्रेजुएट अध्यापक रखे गये हैं उन्हें उसी वेतन-मान के अनुसार वेतन दिया जाय जो हाई स्कूल के अध्यापकों के लिये निर्धारित हैं चाहे वे मिडिल स्कूल की कक्षाओं को पढ़ाते हों या हाई स्कूल की कक्षाओं को। भाग (ख) और (ग) के बारे में सूचना मंगाई जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

तिरू-उत्तर कोशामंगाई[1] पर स्टेशन

†२९७४. **श्री सुब्बया अम्बलम्** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रामनाथपुरम् के निकट तिरुउत्तरकोशामंगाई के पवित्र मन्दिर को देखने के लिये जाने वाले यात्रियों तथा पर्यटकों को बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है क्योंकि वहां पर कोई पक्का स्टेशन नहीं है ;

(ख) क्या जनता की ओर से अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि वहां के ट्रेन-हाल्ट को एक पक्का स्टेशन बना दिया जाये ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)**: (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां। कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुये हैं।

(ग) अनुसंधान करने पर हम यह अनुभव करते हैं कि इस हाल्ट स्टेशन को फ्लैग स्टेशन में बदल देना न्यायसंगत नहीं है।

मद्रास में तपेदिक के क्लिनिक

†२९७५. **श्री सुब्बया अम्बलम्**: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना काल में मद्रास राज्य में केन्द्रीय सरकार की सहायता से अभी तक तपेदिक के कितने क्लिनिक स्थापित किये गये हैं ;

(ख) क्या मद्रास सरकार ने १९५८–५९ में केन्द्रीय सरकार की सहायता से तपेदिक के और क्लिनिक स्थापित करने के लिये कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ग) यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) से (ग). द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से तपेदिक के क्लिनिक की स्थापना/दर्जा बढ़ा देने की योजना के अधीन, भारत सरकार ने १९५७–५८ में तंजौर, मदुराई और कोयम्बटूर में तपेदिक क्लिनिकों का दर्जा बढ़ा दिया है और १९५८–५९ में त्रिचुरापल्ली, सेलम और कोंजीवरम में तपेदिक के नये क्लिनिक स्थापित किये गये हैं। इन के लिये एक्सरे के यंत्रों और अन्य उपकरणों के रूप में केन्द्रीय राजकोषीय सहायता दी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Thiree-udhrakosamangai.

उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता

†२९७६. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री २८ फरवरी, १९५८ के अतारांकित प्रश्न संख्या ७५७ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर रेलवे के सभी वर्गों में १९५७ में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम-जातियों के लिये रक्षित प्रतिशतता की पूर्ति की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) १९५८ में अब तक वर्गवार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के कितने लोग भर्ती किये गये हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) जी नहीं।

(ख) मांगी गई योग्यता वाले उपयुक्त उम्मीदवार नियुक्ति के लिये तैयार नहीं हुये।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

उत्तर रेलवे पर कर्मचारियों को भुगतान

†२९७७. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ३१ अगस्त, १९५८ को उत्तर रेलवे के कर्मचारियों के भुगतान के कितने मामले लम्बित थे ; और

(ख) उन पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: (क) और (ख). सूचना एकत्र की जा रही है जो यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

रेलवे संरक्षण बल

†२९७८. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे पर १९५८–५९ में रेलवे संरक्षण बल के लिये अनुसूचित जातियों और आदिमजातियों के लिये कितना कोटा रक्षित है ;

(ख) क्या १९५७–५८ के लिये इस कोटे की पूर्ति कर ली गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) और (ख).

	१९५७–५८ और १९५८–५९ के लिये रक्षित कोटा		कोटा जिसकी पूर्ति नहीं हुई
वर्ग	अनुसूचित जातियां	अनुसूचित आदिम जातियां	अनुसूचित आदिम-जातियां-
सब-इंसपेक्टर ८०–१६० रुपये .	४	३	३
सब-फायर स्टेशन आफिसर ८०-१६० रुपये	१	१	१
सैनिक ३०–३५ रुपये .	१८९	१४६	३५

†मूल अंग्रेजी में

(ग) सब-इन्सपेक्टर के स्थान के लिये आवश्यक योग्यता रखने वाले अनुसूचित आदिम जाति के उम्मीदवार पर्याप्त संख्या में नहीं मिल रहे हैं। नियुक्ति के लिये एक अनुसूचित आदिम जाति का उम्मीदवार चुना गया था किन्तु उसने यह पद स्वीकार नहीं किया। सब फायर स्टेशन आफिसर के स्थान के लिये अनुसूचित आदिमजाति के व्यक्ति का कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। जहां तक सैनिकों का संबंध है, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिमजातियों की भर्ती की व्यवस्था विशेष रूप से की गयी है। और उन्हें कुछ छूट भी इसी कारण दी गयी है। जिससे भर्ती में उनकी कमी की शीघ्र ही पूर्ति की जा सके।

रेलवे प्रशिक्षण स्कूल

†२९७९. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में कितने रेलवे प्रशिक्षण स्कूल हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** ५०।

रेलवे संरक्षण बल

†२९८०. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य रेलवे के रेलवे संरक्षण बल में १९५७–५८ के लिये अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिये रक्षित कोटे की पूर्ति कर ली गई है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इस कोटे की पूर्ति कब तक की जायेगी ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां):** (क) जी नहीं।

(ख) चालू वर्ष १९५८–५९ के अन्त तक कमी को पूरा करने के लिये प्रत्येक प्रयत्न किया जा रहा है।

दुर्घटना रोकने का यंत्र

२९८१. **श्री राम शंकर लाल :** क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करें कि :

(क) क्या मंत्रालय का ध्यान लुधियाना के श्री पृथ्वीराज द्वारा आविष्कृत उस इंजन की ओर दिलाया गया है जिससे दुर्घटनायें रोकी जा सकती हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस यंत्र की परीक्षा की गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या फल निकला है ?

रेलवे उप मंत्री (श्री शाहनवाजखां): (क) रेलवे मंत्रालय का ध्यान एक ऐसे यंत्र की ओर दिलाया गया है जो दुर्घटना रोकने के लिये बनाया गया है। इसका आविष्कार लुधियाना के श्री पृथ्वीराज ने नहीं बल्कि फगवाड़ा के श्री पी० आर० कौशल ने किया है।

(ख) और (ग). श्री पी० आर० कौशल यंत्र का एक नमूना लाये थे और उन्होंने उत्तर रेलवे के सिगनल और दूर-संचार शाखा के अफसरों के सामने उसका प्रदर्शन किया था। इसमें दो बातों पर विचार करना था। (१) रेल-पथ और इंजन के बीच यांत्रिक सम्पर्क से चालक-कोष्ठ में रंगीन बत्तियों का जल उठना। ये बत्तियां चालक-कोष्ठ में लगी होंगी। (२) इंजन के पुर्जों और रेल-पथ के सम्पर्क से ब्रेक का लग जाना। रेल-पथ का संबंध सिगनल से भी रहेगा।

†मूल अंग्रेजी में

पहला सुझाव मानने के लायक नहीं समझा गया क्योंकि यंत्र में कोई खराबी होने पर किसी तरह का संकेत नहीं मिलेगा। सिगनल या गाड़ी नियंत्रण यंत्र की बुनियादी जरूरत इसलिये होती है कि जब उपस्कर में कोई खराबी पैदा हो जाय तो वह बता सके कि सबसे ज्यादा खराबी कहां है। दूसरे सुझाव का मतलब यह था कि कैबिन से ४००० फीट या इसके अधिक दूरी तक छड़ या तार लगाया जाय। यह सुझाव अमल में नहीं लाया जा सकता।

कोसी के तटबन्ध

२६८२. **श्री ब० प्र० सिंह :** क्या सचाई और विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोसी नदी के दोनों तटबन्धों के बीच की दूरी का अन्तर कितना है ; और

(ख) क्या गत १२ वर्षों में नदी की धारा इन तटबन्धों के बीच ही रही है या बाहर गयी है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी): (क) और (ख). कोसी नदी के दोनों तटबन्धों के बीच की दूरी ४ से १० मील तक है। तटबन्धों को बनाने का कार्य जनवरी, १६५५ में शुरू किया गया था और तब से नदी तटबन्धों के बीच से ही बह रही है और उसके पथ (कोर्स) में कोई अन्तर नहीं आया है। १६४६ से नदी पथ (कोर्स) में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है।

बरेली और मुराबाद के बीच दुहरी रेलवे लाइन

†२६८३. **श्री सै० अ० मेहदी :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बरेली और मुरादाबाद के बीच दोहरी रेलवे लाइन बिछाने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो योजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं ; और

(ग) क्या इस पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया गया है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी):** (क) जी नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

टी० टी० ई०

२६८४. **श्री महेन्द्रनाथ सिंह :** क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न रेलवे में टी० टी० ई० लोगों से आमदनी के लिये क्या आधार माना गया है और पूर्वोत्तर रेलवे में ऐसा कोई आधार निर्धारित किया गया है ;

(ख) जो टी० टी० ई० लोग दूर के मुसाफिरों के डिब्बों का कार्य-भार सभालते हैं और जो उस गाड़ी में स्पेशल बैंच के साथ चलते हैं किन्तु वे स्पेशल बैच के नहीं होते, उनकी आमदनी कैसे निर्धारित की जाती है ; और

(ग) क्या यह आमदनी टी० टी० ई० लोगों की तरक्की या पद-वृद्धि के लिये आधार मानी जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां): (क), (ख) और (ग). किसी चल टिकट-परीक्षक के काम का अन्दाज उसके दस्ते की औसत आमदनी से लगाया जाता है। जिन चल-टिकट परीक्षकों की आमदनी दस्ते की औसत आमदनी से बहुत कम होती है और बार-बार कम आती है उनसे जवाब तलब किया जाता है और उन्हें उचित सजा दी जाती है। जाहिर है कि उनकी तरक्की और उनका भविष्य उनके काम पर निर्भर है।

पूर्वोत्तर रेलवे और कुछ दूसरी रेलों में, दस्तों के चल टिकट-परीक्षक बारी बारी से लम्बे सफर की गाड़ियों में भेजे जाते हैं। इसीलिये वहां चल टिकट-परीक्षकों के काम का अन्दाज दस्ते की औसत आमदनी से लगाया जाता है। दूसरी रेलों में लम्बे सफर के डिब्बों के लिये चल टिकट-परीक्षक रखे जाते हैं जो सिर्फ इन्हीं डिब्बों में टिकटों की जांच करते हैं। उनके काम का अन्दाज केवल उनकी आमदनी से ही नहीं लगाया जाता। पर्यवेक्षक कर्मचारी और विशेष दस्ते भी उनके काम की कभी-कभी जांच करते रहते हैं।

रतलाम में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर

†२९८५. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रतलाम में रेलवे कर्मचारियों के लिये १९५६–५७, १९५७–५८ और १९५८–५९ में अब तक कितने क्वार्टर बनवाये गये हैं ;

(ख) क्या उनका आवंटन किया जा चुका है और वे भर गये हैं ; और

(ग) रतलाम में रेलवे कर्मचारियों के लिये कुल कितने क्वार्टरों की आवश्यकता है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें०वें०रामस्वामी)** : (क) निम्न का निर्माण पूरा हो चुका है :—

१९५६–५७ में १६ कवार्टर

१९५७–५८ में २४१ क्वार्टर

१९५८–५९ में ४२ क्वार्टर।

६४ और क्वार्टर लगभग बन कर तैयार हो गये हैं जो दिसम्बर, १९५८ तक आवंटन के लिये उपलब्ध हो जायेंगे।

(ख) उपर्युक्त उलिखित ६४ क्वार्टरों को छोड़कर, जिनके दिसम्बर, १९५८ में तैयार हो जाने की आशा है, शेष सारे क्वार्टरों का आवंटन किया जा चुका है और वे भर गये हैं।

(ग) १००७।

खगराघाट स्टेशन पर बिजली

†२९८६. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन के बी० ए० के० लूप लाइन पर खगराघाट रोड रेलवे स्टेशन पर अब तक बिजली लगाने की व्यवस्था न करने के क्या कारण हैं जबकि पश्चिमी बंगाल सरकार की उत्तरी कलकत्ता की विद्युत ग्रिड लाइन स्टेशन के बिल्कुल निकट से होकर जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)**: स्टेशनों पर बिजली निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निधि की उपलब्धता और उचित दर पर विद्युत-शक्ति प्राप्त के संभरण होने पर लगाई जाती है। स्टेशनों पर विद्युत लगाने की प्राथमिकता का निश्चय स्टेशन के महत्व को ध्यान में रखते हुये यात्री सुविधा समिति के परामर्श से किया जाता है। इस समिति ने अभी तक इस स्टेशन पर बिजली लगाने की सिफारिश नहीं की है। पश्चिमी बंगाल विद्युत बोर्ड, जिसको इसका निर्देश किया गया था उसने भी इस स्टेशन का नाम उन स्टेशनों की सूची में शामिल नहीं किया है जिन पर विद्युत उपलब्ध है अथवा निकट भविष्य में जिन पर बिजली लगने वाली है।

निमतीता स्टेशन पर यात्री सुविधायें

†२९८७. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पूर्वी रेलवे के हावड़ा डिवीजन के बी० ए० के० लूप लाइन पर स्थित निमतीता स्टेशन पर पीने के लिये पर्याप्त पानी, शौचालयों, उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये विशेषकर महिलाओं के लिये बड़ा सा प्रतीक्षालय, आदि यात्री सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है ;

(ख) क्या रेलवे प्रशासन को इस बात का पता है कि यह स्टेशन इस समय बी० ए० के० लूप लाइन पर कटवा-लोहापुर हाल्ट स्टेशन के लिये अन्तिम स्टेशन के रूप में काम कर रहा है जिसका इस्तेमाल न केवल निमतीता और उसके आस पास के स्थानों के यात्रियों द्वारा ही अपितु उन लोगों द्वारा भी किया जाता है जो गंगा के पार से नाव द्वारा खेजूरिया घाट और धुलिया होकर उत्तर बंगाल से आते हैं ; और

(ग) क्या इस स्टेशन पर यात्री सुविधा में विस्तार करने की कोई योजना पूर्वी रेलवे प्रशासन के विचाराधीन है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) पीने के जल के संभरण, उच्च श्रेणी के यात्रियों के लिये एक सामान्य प्रतीक्षालय तथा तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों के लिये एक प्रतीक्षागृह की पर्याप्त व्यवस्था इस स्टेशन पर पहले से ही विद्यमान है। एक दो सीट वाला शौचालय बनवाया जा रहा है जो शीघ्र ही बन कर तैयार हो जायेगा।

(ख) जी हां।

(ग) फिलहाल इस स्टेशन पर और अधिक सुविधाओं की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन समितियां

†२९८८. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे समितियां कौन-कौन सी हैं जो १९५७–५८ में और इस समय भी खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन कार्य कर रही हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : इन समितियों का व्योरा निम्न प्रकार है :—

कृषि विभाग

(क) **स्थाई समितियां**

१. भारतीय केन्द्रीय कपास समिति ।
२. भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ।
३. भारतीय लाख उप-कर समिति ।
४. भारतीय केन्द्रीय नारियल समिति ।
५. भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति ।
६. भारतीय केन्द्रीय तिलहन समिति ।
७. भारतीय केन्द्रीय सुपारी समिति ।
८. भारतीय केन्द्रीय गन्ना समिति ।

(ख) **तदर्थ समितियां**

१. भारतीय कृषि शिक्षा परिषद् ।
२. गेहूं विनाश नियंत्रण समिति ।
३. केन्द्रीय रिंडरपेस्ट नियंत्रण समिति ।
४. अन्तर्कालीन भारतीय पशु चिकित्सा परिषद् ।
५. कृषि विस्तार मंत्रणा समिति ।
६. राष्ट्रीय खाद्य तथा कृषि संगठन सम्पर्क समिति ।
७. केन्द्रीय मत्स्य पालन गवेषणा समिति ।
८. नालागढ़ समिति ।
९. खाद और उर्वरक विशेषज्ञों की स्थायी समिति ।
१०. अग्रिम कागज संयंत्र संबंधी व्हिटकर समिति ।
११. बीज संबंधी स्थायी विशेषज्ञ समिति ।
१२. केन्द्रीय फल उत्पाद मंत्रणा समिति ।
(अप्रैल, ५८ में काल समाप्त हो गया)

खाद्य विभाग

१. खंडसारी तथ्य निर्धारण समिति ।
२. चीनी गवेषणा योजनाओं पर विशेषज्ञ समिति ।
३. टेक्निकल प्रमापीकरण समिति ।
४. खाद्य पदार्थ समायोजन समिति ।
५. उच्च प्रोटीन खाद्य संबंधी टेक्निकल कार्यकारी वर्ग ।

अत्यावश्यक वस्तुयें

†२९८९. **श्री राम कृष्ण** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वे राज्य कौन-कौन से हैं जिन्होंने अत्यावश्यक वस्तुओं के अधिकतम मूल्य निर्धारित करने का निश्चय किया है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : समझा यह जाता है कि प्रश्न उन कृषि पदार्थों के बारे में है जो अत्यावश्यक पदार्थ अधिनियम के अन्तर्गत आ जाते हैं। किसी भी राज्य सरकार ने अधिकतम मूल्य निर्धारित नहीं किये हैं। भारत सरकार ने रुई और कुछ क्षेत्रों में धान, चावल और चने की अधिकतम मूल्य निर्धारित कर दिये हैं।

"किसान स्पेशल"

†२९९०. **श्री जाधव** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि किसान स्पेशलों (किसानों के लिये विशेष रेलगाड़ी) में यात्रा करने के लिये रियायत प्राप्त करने के हेतु किसी व्यक्ति को कौन-कौन सी शर्तें पूरी करनी चाहियें ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)**: किसान स्पेशल के लिये विशेष रेलगाड़ी में यात्रा करने के लिये रियायत प्राप्त करने के बारे में किसी व्यक्ति को सामान्यतः जिलाधीश का एक प्रमाणपत्र देना होगा कि वह एक किसान है।

गवेषणा डिजाइन और प्रमाणीकरण संगठन

†२९९२. **श्री साधू राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली के गवेषणा डिजाइन और प्रमापीकरण संगठन की रोकड़ बही के कुछ पृष्ठ फाड़ दिये गये थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि एक विभागीय जांच समिति बनाई गई थी ;

(ग) यदि हां तो समिति की उपपत्तियां क्या हैं ; और

(घ) इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) जी, हां। इम्प्रेस्ट क्लर्क, श्री आर० एच० केवलरमानी, द्वारा रोकड़ बही में से २ शीटें (४ पन्ने) निकाल लिये गये थे।

(ख) जी हां।

(ग) समिति की उपपत्तियां सभा-पटल पर रखी जाती हैं [देखिये **परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११२**]

(घ) अपराधी कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही जारी है।

कोसी पुल

†२९९३. **श्री सै० अ० मेहदी** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन ने रामपुर स्टेशन से कुछ दूर पर कोसी पुल के निकट एक पक्की रोक बनवा दी है जिससे नदी का बहाव नगर की ओर हो जाने की आशंका बढ़ गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** :(क) जी नहीं। रेलवे पुल के बायें किनारे के गाइड बांध की कुछ मरम्मत की गई थी, जो पिछले ५० वर्षों से विद्यमान है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

उड़ीसा में बहूदा नदी परियोजना

†२९९४. **श्री संगण्णा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा की सरकार ने गंजम ज़िला (उड़ीसा) में बहूदा नदी परियोजना की योजनायें और प्राक्कलन सहमति और मंजूरी के लिये भेजे हैं; और

(ख) परियोजना की प्राक्कलित लागत क्या है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) उत्तर नकारात्मक है। उड़ीसा की सरकार द्वारा प्रारम्भिक जांच पड़ताल की गई है और राज्य सरकार प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन की जांच कर रही है।

(ख) लागत का अनुमान लगभग २.७२ करोड़ रुपये लगाया गया है।

उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल

†२९९५. **श्री गणपति राम** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल धारीपानी (मसूरी पहाड़ियां) के प्रिंसिपल के पद पर यातायात विभाग का रेलवे पदाधिकारी है जिसे स्कूल के प्रबन्ध का कोई अनुभव नहीं है ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रिंसिपलों को अस्थायी रूप से कुछ महीनों के लिये भेजा जाता हैं ; और

(ग) इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार करती है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : (क) और (ख). समय-समय पर प्रिंसिपल के पद पर रेलवे पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग से प्रिंसिपल की भर्ती करने के लिये कहा गया था और उसने एक व्यक्ति का नाम निर्देशन किया है जिसके शीघ्र ही पद संभाल लेने की आशा है।

रेलवे का स्टोर

†२९९६. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेलवे स्टोर्स डिपोओं में रेलवे के स्टोर की कितने कितने समय बाद जांच की जाती है; और

(ख) क्या लेखा भांडार सत्याकों[1] द्वारा डिपोओं में अचानक जांच किये जाने की कोई व्यवस्था है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** : (क) वर्ष में एक बार।

(ख) उत्तर 'हां' में है। जब कभी भी आवश्यक होता है तब अचानक जांच की जाती है।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1] Accounts stock-verifiers.

मौसम का पूर्वानुमान

†२९९७. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ विदेशी विशेषज्ञों ने यह सुझाव दिया है कि भारत में मौसम के पूर्वानुमान की शुद्धता में सुधार भारत-पाकिस्तान "बाक्स" की आसपास की 'गतिविधियों'[1] का अध्ययन करके ही किया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

†**असैनिक उड्डयन उपमंत्री (श्री मुहीउद्दीन)** : (क) शायद माननीय सदस्य आक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूगोल के लेक्चरर श्री एम० ई० वेब के उस व्याख्यान में दिये गये वक्तव्य का उल्लेख कर रहे हैं जो उन्होंने भारतीय भूगोल वेत्ताओं की सन्था में दिया था। वे आज कल भारत में अध्ययन पर्यटन पर आये हुये हैं। यदि एसा है तो अंदाजा ठीक है।

(ख) भारत के तथा विदेशों के ऋतु-विज्ञान वेत्ता लम्बे अर्से से यही दृष्टिकोण बनाये हुये हैं। परन्तु इस समस्या में पड़ौसी देशों में ऋतु विज्ञान-केन्द्रों की स्थापना अंतर्निहित है। अनेकों वर्षों से भारत इस प्रकार के केन्द्रों की स्थापना के लिये विश्व ऋतु विज्ञान सम्बन्धी संगठन तथा अंतर्राष्ट्रीय असैनिक उड्डयन के जरिये जोर देता रहा है; इसके सिवाय वह संबन्धित देशों से बातचीत करके इस दिशा में दुहरा प्रयत्न कर रहा है। पड़ौसी देशों में हाल ही के कुछ वर्षों से ऋतु विज्ञान सम्बन्धी संगठनों में काफी सुधार दृष्टिगोचर हो रहा है और भारत स्वयं उन्हें यंत्र तथा विशेषज्ञ दे कर उनकी सहायता कर रहा है। ये सभी बातें भारत-पाकिस्तानी "बाक्स" के आसपास की 'गतिविधियों' का अध्ययन करने तथा सही पूर्वानुमान देने में सहायता देंगी।

मनीपुर में औद्यानिकी विकास

†२९९८. **श्री ले० अचौ० सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५८-५९ में औद्यानिकी के विकास के लिये मनीपुर को कितनी रकम दी गई है ; और

(ख) कौन सी योजना मंजूर की गई तथा कार्यान्वित की गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५८-५९ में औद्यानिकी के विकास के लिये मनीपुर प्रशासन ने १,००० रुपयों का उपबन्ध रखा है।

(ख) इस प्रयोजन के लिये प्रशासन ने कोई विशेष योजना नहीं बनाई।

सामुदायिक विकास के लिये केन्द्रीय महिला मंत्रणा बोर्ड

†२९९९. **श्री वैं० च० मलिक** : क्या **सामुदायिक विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सामुदायिक विकास के लिये केन्द्रीय महिला मंत्रणा बोर्ड बनाया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Developments round Indo-Pakistan 'box'.

(ख) यदि हां, तो कब बनाया गया है ; और

(ग) बोर्ड के बनने के बाद से अब तक उसकी कितनी बैठकें हुई हैं ?

†**सामुदायिक विकास मंत्री (श्री सु० कु० डे)** : (क) से (ग). मंत्रालय की एक महिला मंत्रणा समिति जुलाई १९५७ में बनाई गई थी और उसकी एक बैठक हुई है ।

उत्तर रेलवे के कर्मचारी

†३०००. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५७–५८ में उत्तर रेलवे ने कितने चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नियुक्त किये हैं ; और

(ख) उनमें से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने कर्मचारी हैं ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) ८५१५

(ख) अनुसूचित जाति	१६६८
अनुसूचित आदिम जाति	९

पठानकोट और जोगेन्द्र नगर के बीच दुर्घटना

†३००१. **श्री दलजीत सिंह** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५० से आज तक पठान कोट और जोगेन्द्र, नगर (मीटर लाइन) के बीच कुल कितनी रेलवे दुर्घटनायें हुई हैं ; और

(ख) क्या सरकार ने इन दुर्घटनाओं के कारणों की जांच की है ?

रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : (क) उत्तर रेलवे के पठानकोट-जोगेन्द्र-नगर, छोटी लाइन सेक्शन पर १–४–५० से ३१–८–५८ तक जो रेल गाड़ी–दुर्घटनायें हुई हैं उनकी वर्गानुसार सूची नीचे दी जाती हैं :—

रेलगाड़ियों के पटरी से उतरने की दुर्घटनायें	६५
टक्कर की दुर्घटनायें	२
लेवल क्रासिंग पर दुर्घटनायें	३
रेलगाड़ियों में आग लगने की दुर्घटनायें	१
कुल .	७१

(ख) जी, हां । इन दुर्घटनाओं के कारणों का विश्लेषण इस प्रकार है :—

(१) रेलवे कर्मचारियों की गलतियों से	२६
(२) रेलवे कर्मचारियों को छोड़ कर अन्य कर्मचारियों की गलती से .	६
(३) मशीन, एंजिनों, रोलिंग स्टाक, स्थायी लाइनों आदि में खराबी के कारण	२२
(४) अन्य विविध कारण	१७
कुल .	७१

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में बिजली लगाना

†३००२. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली की किन बस्तियों में अभी तक बिजली नहीं लगाई गई; और

(ख) इसके क्या कारण हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) लोक सभा के पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११३]**

(ख) जैसा कि विवरण में बताया गया है, बिजली न लगाने के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा रूप रेखा का मंजूर न किया जाना, कुछ बस्तियों के मामलों में औपचारिकताओं का पूरा न किया जाना और कुछ मामलों में बिजली लगाने की प्रार्थना का न किया जाना हैं ।

परिवार नियोजन

†३००३. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के विचारार्थ विभिन्न कम्पनियों और प्रयोगशालाओं ने खाई जाने-वाली गर्भ निरोधक दवाओं की कितनी योजनायें भेजी हैं और उनके क्या नाम हैं ;

(ख) क्या इन खाई जाने वाली गर्भनिरोधक दवाईयों की जांच कर ली गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमर) :** (क) से (ग). आवश्यक जानकारी बताने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११४]**

उर्वरकों का संभरण

†३००४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक प्रत्येक राज्य को उर्वरकों की कुल कितनी मात्रा बांट में दी गई है और उसमें से कितनी मात्रा दे दी गई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) :** लोक सभा के पटल पर रखे गये विवरण में आवश्यक जानकारी दी गई है । **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबंध संख्या ११५]**

विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का संभरण

†३००५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५८ में अब तक प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों की कितनी मात्रा दी गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : १ जनवरी से ३१ अगस्त, १९५८ तक भारत सरकार ने प्रत्येक राज्य को खाद्यान्नों की जो मात्रा दी है वह निम्नलिखित है:—

राज्य	मात्रा (हजार टनों में)
आन्ध्र प्रदेश	२२
असम (उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण और नागा पहाड़ियों सहित)	५५
बिहार	५६०
बम्बई	३६९
केरल	६६
मध्य प्रदेश . . .	३७
मद्रास .	६१
मैसूर . .	२३
उड़ीसा .	१०
पंजाब	३
राजस्थान .	१३
उत्तर प्रदेश	१८०
पश्चिम बंगाल .	५९२
दिल्ली	१५
जम्मू और काश्मीर	६८
त्रिपुरा	१९
अन्य राज्य	१२९
कुल .	२,२२२

डाकघर बचत बैंक में रेलवे कर्मचारियों द्वारा जमा की गई रकम का वापस लौटाया जाना

†२००६. **श्री हाल्दर** : क्या **रेलवे** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन रेलवे कर्मचारियों ने वार्डन (वाल्टन) ट्रेनिंग स्कूल (लाहौर) में १९४१-४२ में अपने प्रवेश के लिये डाक घर बचत बैंक में समवधान राशि[1] के रूप में जो रुपये जमा किये थे, उनको वह राशि अभी तक नहीं लौटायी गई ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी)** (क) : और. (ख) जानकारी एकत्रित की जा रही है और कुछ समय बाद सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

†मूल अंग्रेजी में

[1]Caution Money.

बाल्ला गांव के पास राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ पर पुल

†३००७. **श्री सोनावने** : क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री ६ सितम्बर १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १३५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के पूना-शोलापुर सेक्शन में बल्ला गांव के पास नाले के ऊपर एक पुल बनाने का अनुमान तैयार करने तथा उसे मंजूर करने में क्या प्रगति हुई है;

(ख) इस प्रस्तावित पुल को बनाने का काम कब शुरू होगा और वह कब पूरा होगा ; और

(ग) इस पुल को बनाने में विलम्ब होने का क्या कारण है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** : (क) कुछ समय पहिले राज्य सरकार से बल्ला नाले पर पुल बनाने का नक्शा तथा अनुमान प्राप्त हुये थे परन्तु उनकी जांच से पता चला है कि उसमें कुछ परिवर्तनों की जरूरत है। तदनुसार वे जुलाई १६५८ में राज्य सरकार को सुधार करने के लिये लौटा दिये गये थे । अब संशोधित नक्शों और अनुमानों की प्रतीक्षा की जा रही है ।

(ख) और (ग). १६५६-६० के कार्यक्रम में यह निर्माण कार्य शामिल है और काम शुरू होने के बाद वह लगभग दो या तीन वर्षों में पूरा हो जायेगा । देर का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

शोलापुर रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये उपरी पुल

†३००८. **श्री सानावने** : क्या **रेलवे** मंत्री ११ सितम्बर, १६५७ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५१४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शोलापुर रेलवे स्टेशन पर बड़ी लाइन और मीटर लाइन के बीच के आवागमन क्षेत्रों को जोड़ने के लिये एक पैदल चलने वालों के हेतु पुल बनाने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) अब तक मंजूर किये गये खर्च में से कितनी रकम खर्च की गई है ; और

(ग) किस समय तक यह काम पूरा हो जायेगा ?

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज खां)** : (क) से (ग). यह मामला अभी भी विचाराधीन है और बम्बई सरकार को इसका निदेश कर दिया गया है ।

अंदमान द्वीप समूह का वन-विभाग

†३००६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १६५७-५८ में अंदमान द्वीप समुदाय के वन विभाग ने अपने कार्य संचालन में कितना लाभ या हानि बताई है ;

(ख) १६५५-५६, १६५६-५७ और १६५७-५८ में लट्ठों के रूप में इमारती लकड़ी का उत्पादन (टनों में निकाला जाना) कितना है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) उत्तरी अंदमान के जंगलों से पट्टेदारों द्वारा कितनी निकाली गई इमारती लकड़ी पर स्वामित्व शुल्क किस दर से लिया जाता है ;

(घ) ऊपर उल्लिखित भाग (ग) में वर्णित दरों से वन विभाग ने स्वयं उसके द्वारा निकाली गई इमारती लकड़ी पर कितना स्वामित्व शुल्क दिया है ;

(ङ) उपर्युक्त भाग (घ) के अधीन हिसाब लगाये गये स्वामित्व शुल्क का हिसाब कर लेने के बाद वन विभाग को कितना घाटा या नुकसान होता है; और

(च) यदि घाटा होता है तो इसका क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५७–५८ के लेखों का अभी भी संकलन किया जा रहा है अतएव इस समय के लिये नफा-नुकसान के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ख)

वर्ष	उत्पादन (टनों में)
१९५५–५६	५५,७०८
१९५६–५७	५६,७५३
१९५७–५८ . . .	चूंकि लेखों का अभी संकलन हो रहा है अतएव आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) उत्तर अंदमान के वन विभाग द्वारा पट्टेदारों से नौतल परिवहन निःशुल्क कीमतों पर जो स्वामित्व लिया जाता है, वह इस प्रकार है :—

लकड़ी की किस्म . .	स्वामित्व शुल्क
माचिस की लकड़ी के लट्ठे . .	४१%
प्लाई वुड के लट्ठे . .	४५%
कड़ी लकड़ी तथा कारीगरी की लकड़ी के लट्ठे .	५०%

(घ) वन विभाग ने जो इमारती लकड़ी निकाली थी उस पर कुल निम्नलिखित स्वामिस्व शुल्क दिया है :——

वर्ष	स्वामिस्व शुल्क
१९५५–५६ . . .	२०,६६,१९७ रुपये
१९५६–५७ . . .	१९,६१,२०० रुपये
१९५७–५८ .	चूंकि वाणिज्य लेखे बनाये जा रहे हैं अतएव आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ङ) ऊपर उल्लिखित भाग (घ) के स्वामित्व शुल्क की रकम को खर्च के रूप में

†मूल अंग्रेजी में

घटाने के बाद १९५५–५६ और १९५६–५७ के दो वर्षों में जो कुल घाटा हुआ है, वह निम्नलिखित है :—

वर्ष	घाटा रुपये
१९५५–५६	२,०६,३६०
१९५६–५७	१,७४,५१२

(च) घाटा मुख्यतः निम्नलिखित कारणों से हुआ है :—

(१) वन विभाग द्वारा निकाली गई इमारती लकड़ी पर दिये गये स्वमित्व शुल्क को खर्च मानना जो कि पहिले खर्च नहीं माना जाता था।

(२) भाड़े की दरों में क्रमशः वृद्धि होना जोकि हावड़ा तथा मद्रास भंडागारों में नीलाम से बेची गई इमारती लकड़ी के विक्रय मूल्य में नहीं बताई गई।

(३) जहाजों पर माल लादने में अड़चन होने के कारण इमारती लकड़ी अनियमित रूप से बाहर जाती रही है, इसके फलस्वरूप विक्रय मूल्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

वन विभाग, अंदमान द्वीप

†२०१०. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान द्वीप के वन विभाग के चैथम सा मिल में इस समय कितनी स्वान इमारती लकड़ी पड़ी हुई है ;

(ख) क्या कुछ इमारती लकड़ी सड़ने की रिपोर्ट मिली है अथवा पुराना स्टाक सड़ रहा है ;

(ग) क्या वन विभाग की जहाज सम्बन्धी आवश्यकताओं के लिये पोर्ट ब्लैयर और कलकत्ता–मद्रास के बीच चलने वाले एम० वी० अदंमान और एम० वी० नीकोबार में स्थान अपर्याप्त है;

(घ) क्या यह सच है कि अंदमान में स्थानीय उपयोग की स्वान इमारती लकड़ी की हाल में बढ़ी हुई कीमत ही स्टाक एकत्र होने के लिये उत्तरदायी है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो लकड़ी इक्ट्ठी होने का क्या यथार्थ कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) ४,२२२ टन।

(ख) ढकी हुई जगह के अभाव में और जहाज में लदाई के गत्वावरोध के कारण कम लम्बाई की विविध प्रकार वाली हार्डवुड टिम्बर खराब हो गई है। पुराने स्टाक को हटाने के लिये कदम उठाये जा रहे हैं।

(ग) अंदमान के वन विभाग की आवश्यकता पूर्ति के लिये एम० वी० निकोबार और एम० वी० अन्दमान की मिली जुली जगह भी पर्याप्त नहीं है।

(घ) जी नहीं। नौ महीनों में स्थानीय बिक्री में हुई कमी सर्वथा नगण्य है और स्टाक इकट्ठा होने से उसका कोई सम्बन्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ङ) इस के कारण निम्न हैं :—

(१) कम लम्बाई वाली विभिन्न प्रकार की हार्डवुड की स्थानीय मांग नहीं है।

(२) जहाजों में स्थानाभाव।

(३) मुख्य भूमि की उपभोक्ता क्षमता के अनुसार ही वहां लकड़ी भेजी जाती है।

वन विभाग, अंदमान द्वीप

†३०११. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अंदमान द्वीप के वन विभाग के कार्य संचालन की नवीनतम योजना कब निर्धारित की गई थी और उसे तैयार करने में कितना खर्च हुआ है ;

(ख) क्या उक्त कार्यकारी योजना क्रियान्वित कर दी गई है अथवा की जा रही है ;

(ग) क्या अभी तक यथार्थ हुई कार्यान्विति योजना में निर्धारित कार्यक्रम के अनुरूप है; और

(घ) यदि नहीं, तो योजना के अनुसार कार्य करने में असफलता का क्या कारण है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) १९५२ में ५,७५,००० रूपये की लागत पर।

(ख) से (घ). यह योजना पूर्ण रूप से कार्यान्वित नहीं की गई है। बस्ती बसाने की आवश्यकता छोड़कर लकड़ी काटने और उसके पुनर्विकास से सम्बन्धित योजना के अनुसार काम किया जा रहा है।

योजना कार्यान्वित न होने के निम्न मुख्य कारण हैं :—

(१) अन्य क्षेत्रों में सामान्य प्राप्ति छोड़कर भी बस्ती बसाने को प्राथमिकता दी गई ;

(२) कार्यकारी योजना प्रारम्भ करते समय १९५२ से १९५४ में कलकत्ता और मद्रास में लकड़ी के बाजारों में भारी गिरावट और मंदी आ गई।

मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी, अंदमान द्वीप

†३०१२. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर अंदमान में वन पट्टेदार, मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी के लाग डिपो में इंटरव्यू आइलैंड और मायाबंदर में कितने लट्ठे (टनों में) कम पाये जाने की रिपोर्ट मिली है;

(ख) उक्त डिपो में स्टाक में इतनी अधिक कमी के क्या कारण हैं ; और

(ग) पट्टेदार से गुमशुदा लट्ठों की रायल्टी वसूल करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं अथवा उठाने का विचार है।

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) इण्टरव्यू आइलैण्ड डिपो में लट्ठों की कमी के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि अभी उनकी गिनती पूरी नहीं हुई है।

†मूल अंग्रेजी में

मायाबंदर डिपो में लट्ठों की कमी का ब्यौरा इस प्रकार है:—

टिम्बर	मात्रा (टनों में)
पंचवुड	२००
प्लायवुड	४९४
हार्डवुड	१९३
आर्नमेंटल वुड	७१

(ख) निर्यात के लिये लादते समय गहराई में चले जाने, डूब जाने और किनारों से अलग फिसल जाने के कारण इनमें कमी हो जाती है ।

(ग) पट्टेदार के लाइसेंस के उत्तर अंदमान समझौते की शर्तों के अनुसार गुमशुदा लट्ठों पर रायल्टी वसूल करने के प्रश्न पर भारत सरकार ध्यान दे रही है ।

वन विभाग, अन्दमान द्वीप

†३०१३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अन्दमान द्वीप का वन विभाग लोगों को रेजर की ट्रेनिंग के लिये सरकारी खर्चे से मुख्य भूमि में स्थित संस्थाओं में भेजता है ; और

(ख) क्या प्रशिक्षणार्थी इस बात के लिये करारबद्ध हैं कि ट्रेनिंग पूरी हो जाने के पश्चात् वे वन विभाग में नौकरी करेंगे ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी, हां ।

(ख) जी, हां । समझौते के अन्तर्गत प्रशिक्षणार्थियों के लिये यह अनिवार्य है कि ट्रेनिंग पूरी हो जाने के पश्चात् वे पांच वर्ष तक अन्दमान के वन-विभाग में नौकरी करेंगे ?

वन विभाग, अन्दमान द्वीप

†३०१४ **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान द्वीप का वन-विभाग पोर्ट ब्लैयर स्थित प्राइवेट सा मिल (आरा मिल) मालिकों को रद्द की गयी और अथवा 'अंडर-गर्थ' लट्ठे किस दर पर सम्भरण करता है;

(ख) वन विभाग ने एक और फर्म को दक्षिण अन्दमान से लकड़ी काटने और उसके निर्यात करने के लिये किस रायल्टी - दर पर ठेका दिया है ;

(ग) हड्डों के लाग डिपो तक लकड़ी निकालने और उसे ले जाने की विभागीय लागत क्या है; और

(घ) उपरोक्त भाग (क) और भाग (ख) तथा (ग) में उल्लिखित दर की विषमता के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन) : (क) दरें निम्न प्रकार हैं।

टिम्बर (इमारती लकड़ी)	प्रति टन डिपो पर दर (रुपयों में)
	रुपये
हार्डवुड गुर्जन ६४ इंच और अधिक	७०
,, ,, ४८ इंच से ६३ इंच	६०
अन्य हार्डवुड ६४ इंच और अधिक	६०
,, ४८ इंच से ६३ इंच	५०
अंडर गर्थ हार्डवुड ४२ इंच से ४७ इंच	४०
,, ४२ इंच से कम	३५
मैच वुड के अतिरिक्त अन्य साफ्ट वुड लाग	३०

(ख) रायल्टी की दरें निम्न प्रकार हैं :—

टिम्बर	रायल्टी की दर प्रति टन
१. गुर्जन	७१ रु० १ न० पै०
२. बादाम और सफेद चुगलम	४५ रुपये
३. अन्य हार्ड वुड जैसे ब्लेक चुगलम, लाल चिनी, रेड-धुप, तौगपिंग नाव्रे रेड बम्बे और मुहवा	१६ रु० १ न० पै०
४. मैचवुड जैसे सफेद धूप, बरोटा, डिडु, पपीता और लम्बापति	३८ रू० १ न० पै०

(ग) लकड़ी निकाल कर उसे परिवहन कर चैथप सा मिल तक पहुंचाने की कीमत ६८ रूपये ६ नये पैसे प्रति लट्ठा है।

(घ) 'अंडर गर्थ' लट्ठों में मुख्यतः टाप लाग होते हैं जिन्हें सरकारी सा मिलों (आरा मिलों) में कम खर्च पर तैयार नहीं किया जा सकता है और न ही बाजार की कुछ कठिनाई के कारण उनका निर्यात किया जा सकता है। इसके अलावा रद्द किये गये लट्ठे बिकते भी नहीं हैं।

मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी

†३०१५. श्री रघुनाथ सिंह : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी लिमिटेड, मायाबन्दर, उत्तर अन्दमान ने कितने समय से मजूरी नहीं दी है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) पूरी मंजूरी के आजतक के भुगतान में अत्याधिक विलम्ब के क्या कारण हैं और मजूरी निरन्तर बकाया रहने से श्रमिकों को होने वाली कठिनाइयां दूर करने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) क्या आर्थिक संकट के परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों की मृत्यू हुई है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)**: (क) समाचार मिला है कि मेसर्स पी० सी० रे० एण्ड कम्पनी लिमिटेड , मायाबन्दर ने श्रमिकों को निम्न अवधि के लिये मजूरी नहीं दी है :

नवम्बर, और दिसम्बर, १९५७ ।

जनवरी, फरवरी और जून से अगस्त, १९५८ ।

उपरोक्त अवधि में दी जाने वाली कुल रकम ३, ८९,७६५ रुपये हैं ।

(ख) श्रमिकों को भुगतान करने में विलम्ब का कारण उनका आर्थिक संकट प्रतीत होता है ।

श्रमिकों की कठिनाई दूर करने के लिये अन्दमान के मुख्य आयुक्त ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, १९४७ की धारा ३१ (१) (ग) के अधीन श्रमिकों की मजूरी जो ७ मार्च, १९५८ तक १,५५,४०० रुपये है, वसूल करने का सर्टीफिकेट जारी कर दिया है । इसमें जुलाई से अक्तूबर १९५७ तक की अवधि और जून और जुलाई १९५७ के हड़ताल की अवधि की मजूरी और श्रमिकों को दिया जाने वाला उपदान मजूरी सम्मिलित है । कम्पनी और श्रमिकों की समझौता वार्ता के दौरान किये वायदे ही इसका आधार हैं । यह रकम वसूल कर ली गई थी और श्रमिकों को दे दी गई है । कम्पनी ने मई, १९५८ में सरकार को यह भी रिपोर्ट दी है कि उन्होंने मायाबन्दर में मजूरी की अदायगी के तौर पर २ लाख ६० हजार रुपये दे दिये हैं जिनमें राशन पर व्यय की गई १ लाख २० हजार रुपये शामिल नहीं हैं । फिर भी सरकार इस विषय की ओर ध्यान दे रही है ।

(ग) भूख से कोई नहीं मरा है ।

मेसर्स पी० सी० रे० एण्ड कम्पनी

†२०१६. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी अंदमान के दिगलीपुर में बस्ती बसाने के उद्देश्य से जंगल की सफाई करने का ठेका उत्तरी अंदमान जंगल की पट्टेदारी में मेसर्स पी० सी० रे० एण्ड कम्पनी लिमिटेड को दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने एकड़ भूमि साफ की गई है और इस सफाई के फलस्वरूप उपलब्ध होने वाली इमारती लकड़ी का क्या मूल्य है ;

(ग) इस ठेके की क्या दर थी और दक्षिण अंदमान की एक और फर्म को बर्मा नाला क्षेत्र में इसी प्रकार का ठेका किस दर पर दिया गया था ; और

(ग) इन दरों में अन्तर के क्या कारण हैं ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : (क) जी हां ।

(ख) साफ किया गया क्षेत्र २,५२३·६ एकड़ है । इसमें उपलब्ध इमारती लकड़ी ८७० लट्ठे वर्गबिन्ज (९३५ टन) है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) मेसर्स पी० सी० रे० एण्ड कम्पनी को मार्च, १९५६ के पहले की जाने वाली सफाई के लिये ४६० रुपये प्रति एकड़ और उस तारीख के पश्चात् ३२५ रुपये प्रति एकड़ दिये गये हैं। बर्मा नाला क्षेत्र की सफाई की दर २४० रुपये प्रति एकड़ है।

(घ) इसके कारण निम्न लिखित हैं:—

(१) सम्बन्धित क्षेत्र की दूरी और दुर्गमता।

(२) अविलम्ब बस्ती बसाने के काम में समय भी एक कारण है।

(३) दिगलीपुर क्षेत्र की सफाई के लिये भारी पूंजीगत उपकरण की आवश्यकता थी। बर्मा नाला क्षेत्र में इस प्रकार की स्थिति विद्यमान थी।

भारतीय नाविक की हत्या

†३०१७. श्री आसर : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लाईमाउथ के पास 'ब्राकलेमूर' नाम के स्टीमर पर दो भारतीय यात्रियों की हत्या करने का प्रयत्न किया गया और उन्हें बुरी तरह घायल करके समुद्र में फेंक दिया; और

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का विस्तृत ब्योरा क्या है ?

†परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर) : (क) और (ख). सरकार को यह सूचना प्राप्त हुई है कि 'ब्राकलेमूर' नामक ब्रिटिश जहाज में एक भारतीय नाविक द्वारा कथित हमले के फलस्वरूप दो भारतीयों की हत्या हो गयी। घटना का अभी विस्तार से पता नहीं लगा, मामले की जांच की जा रही है।

रेंड बांध

†३०१८. श्री वि० च० शुक्ल : क्या सिंचाई और विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेंड बांध के पूरे हो जाने के बाद ेंड जलाशय में विलीन हो जाने वाले मध्य भारत के सिंगरानली कोयला क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल क्या है ; और

(ख) मध्य प्रदेश के कोरन्डेम निक्षेपों तथा रूपान्तरिक दहानों का, जो कि रेंड जलाशय में बांध बनने के बाद विलीन हो जायेंगी, पूर्ण विवरण क्या है ?

†सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार से पता करने पर ज्ञात हुआ है कि मध्य प्रदेश के कोरंडैम निक्षेपों, अपरिवर्तित दहानों तथा सिंगरानली कोयला क्षेत्रों का कोई भी अंश, जिसका व्यापारिक महत्व है, बांध के बन जाने पर रेंड जलाशय में विलीन नहीं किया जायेगा।

भारतीय केन्द्रीय कपास समिति

†३०१९. श्री आसर : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय केन्द्रीय कपास समिति बम्बई ने भारत सरकर की स्वीकृति से अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में नियम बना लिये हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रतिलिपि लोक सभा पटल पर रखी गयी है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन):** (क) और (ख). भारतीय कपास उपकर अधिनियम, १९२३ के अन्तर्गत ५०० रुपये मासिक से अधिक वेतन वाले सभी पदों पर भारत सरकार अपने सामान्य नियमों के अन्तर्गत नियुक्तियां करती थी इससे नीचे के वेतन वाले पदों पर नियुक्तियां समिति करती थी। नियुक्तियां करते समय समिति सरकारी नियमों का जहां तक सम्भव हो, पालन करती है। परन्तु कहीं-कहीं पर इन नियमों के अनुसार न चलने पर उसके आवश्यक कारणों को लिखित रूप में रिकार्ड करना पड़ता है।

नागपुर के मुख्य डाक घर के पास की इमारत की खरीद

†३०२०. **श्री चांडक** : क्या परिवहन तथा संचार मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नागपुर में मुख्य डाक घर के पास ३.२५ लाख रुपये में इमारत खरीदने के बारे में बातचीत पू ी हो गयी है ;

(ख) क्या सौदा ठीक प्रकार से तय हो गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्री (श्री स० का० पाटिल)** : (क) 'निज़ाम कोठी' नाम की एक सम्पत्ति की खरीद के बारे में बातचीत चलाई गयी थी, परन्तु अन्तिम रूप में पूर्ण नहीं हो सकी।

(ख) जी नहीं।

(ग) बातचीत के दौरान में उसका जो मूल्य कहा गया वह बेचने वाले के मूल रूप में बताये गये दाम के अनुसार नहीं था। अर्थात् पहले उसका दाम २.५ लाख लगाया गया था। अतः इमारत खरीदने का विचार छोड़ दिया गया।

जापानी फर्म से इन्सुलेटर की खरीद

†३०२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या सिंचाई और विद्युत मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि किसी जापानी फर्म को ५० लाख रुपये से अधिक के इन्सुलेटर खरीदने का आर्डर दिया गया है ;

(ख) क्या यह सच है कि इतनी बड़ी रकम का आर्डर देते समय अन्य देशों की फर्मों से कोई टेण्डर नहीं मांगे गये, जो कि अपरिवर्तनीय भारतीय मुद्रा में उसकी अदायगी स्वीकार कर लेते हैं ;

(ग) यदि हां, तो टेण्डर क्यों नहीं लिये गये और ;

(घ) क्या सरकार यह बतायेगी कि कीमत अदा की गयी थी और खरीद की अन्य शर्तें क्या थी ? और इस ढंग की खरीद के कारण क्या थे?

†**सिंचाई और विद्युत् उप-मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) और (ग). अन्य देशों अथवा अन्य फर्मों से टेण्डर नहीं मांगे गये थे क्योंकि राज्य सरकारों द्वारा जो टेण्डर प्राप्त हुए उनमें अधिकतर टेण्डरों में इंसुलेटरों की कीमत रुपये में स्वीकार करने के लिये कोई प्रस्ताव नहीं किया गया था। जो प्रस्ताव पूर्वी यूरोप के देशों से प्राप्त हुये थे वे या तो पर्याप्ति थे, अथवा हमारे स्वीकृत स्त्रों से काफी नीचे थे।

(घ) इन इंसूलेटरों के खरीद के सौदे की प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी जाती है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११६**] खरीद के इस ढंग को इस कारण ठीक समझा गया क्योंकि कीमतों के अतिरिक्त उसकी प्राप्ति भी शीघ्र हो रही थी। क्योंकि इंसुलेटरों की कमी के कारण कई परियोजनाओं का कार्य रूका पड़ा था।

दामोदर घाटी निगम की चंचाई योजना

†३०२२. **श्री सुबिमन घोष :** क्या **सिंचाई और विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दामोदर घाटी निगम की पश्चिमी बंगाल के बर्दवान जिले में चंचाई स्थान पर कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी कहां तक प्रगति हुई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) से (ग). दामोदर घाटी निगम योजना की चंचाई पर कोई स्वतंत्र योजना नहीं है। दामोदर घाटी निगम के बायें किनारे की मुख्य नहर के समीप इस स्थान पर एक लॉक तथा एक रेगुलेटर लगाया गया है। इनसे सिंचाई तथा नौवहन दोनों प्रकार का उद्देश्य पूरा किया जा सकेगा। सिंचाई तथा नौवहन की नहरें जून, १९५९ तक पूरी हो जायेंगी।

दिल्ली में सार्वजनिक गाड़ियां

†३०२३. **श्री यादव :** क्या **परिवहन तथा संचार** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली परिवहन उपक्रम की बसों के अतिरिक्त दिल्ली में पंजीबद्ध सार्वजनिक गाड़ियों (यंत्रचालित) की अलग अलग संख्या क्या है ;

(ख) गैर-सरकारी पंजीबद्ध मोटरों की संख्या कितनी है ;

(ग) क्या यह सच है कि दिल्ली के विस्तार और यहां की जनसंख्या में वृद्धि हो जाने के कारण यहां परिवहन सुविधायें बहुत कम उपलब्ध हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

†**परिवहन तथा संचार मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री राज बहादुर)** (क) से (घ). एक विवरण लोक-सभा पटल पर रखा जाता है :

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क)	(१) स्टेज कैरिज	१८२
	(२) रक्षित और फालतू बसें	४३
	(३) स्कूल बसें	१६१
	(४) पर्यटक मोटरें	१५०
	(५) टैक्सियां	१,३१०
	(६) मोटर रिक्शा—	
	४ सीट वाले	५५०
	२ सीट वाले	१,०३०
(ख)	गैर-सरकारी मोटर	१०,५००

(ग) जी हां, परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

(घ) दिल्ली परिवहन उपक्रम कुछ अतिरिक्त बसों को प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहा है। पुरानी बसों की मरम्मत कर उन्हें चालू करने की कोशिश की जा रही है । दिल्ली प्रशासन भी यातायात की अधिक मांग के कारण टैक्सियों और मोटर रिक्शों के लिये और अधिक परमिट दे रहा है ।

दूध विकास परियोजनायें

†३०२४. **श्री नंजप्पा** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि देश मे दूध विकास परियोजनाओं की क्या अवस्था है ?

†**खाद्य तथा कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन)** : उपलब्ध जानकारी बताने वाला एक विवरण लोक सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११७**]

भेषज परामर्श समिति

†३०२५. **श्री हेम राज** : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बतलाने की कृपा करें कि :

(क) हाल की बैठक में भेषज परामर्श समिति ने क्या सिफारिशें की हैं ; और

(ख) उनमें से कौन-कौन सी योजनायें सरकार ने स्वीकार की हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

†**स्वास्थ्य मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) भेषज परामर्श समिति की मुख्य सिफारिशों का संक्षिप्त विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११८**]

(ख) सिफारिशों पर विचार किया जा रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

स्थगन प्रस्ताव

भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री हेम बरुआ का निम्नलिखित स्थगन प्रस्ताव मिला है :—

"जैसा कि आज के समाचार पत्रों में छपा है, भारत-पाकिस्तान की पूर्वी सीमा पर अगरतला से लगभग १०० मील दूर, बेलोनिया सब-डिवीज़न के राधानगर क्षेत्र में भारतीय पुलिस पर पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं द्वारा गोली चलाई गई ; इससे भारत-पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच हाल में हुए युद्ध-विराम समझौते का उल्लंघन हुआ है तथा सीमा पर रहने वाली जनता में असुरक्षा की भावना फैल गई है।"

मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि वह इन घटनाओं को स्वीकार करती हैं अथवा नहीं तथा क्या वह इस घटना के सम्बन्ध में सभा को कुछ बतायेंगी ।

†**श्री हेम बरुआ** (गोहाटी) : इस के बाद एक घटना और हो चुकी है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या है ।

†**श्री हेम बरुआ** : इस समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् हमारा यह विचार था कि अब ऐसी कोई घटना नहीं होगी जिससे इस समझौते का उल्लंघन हो । परन्तु इसके तुरन्त बाद ही लगभग १०० पास्कितानी कछार-पूर्वी पाकिस्तान सीमा को पार करके आसाम की सीमा पर स्थित पथरिया के रक्षित क्षेत्र में घुस आये । इस घटना के बाद एक और घटना हुई अर्थात् अगरतला से लगभग १०० मील दूर बेलोनिया सब-डिवीज़न के राधानगर क्षेत्र में पाकिस्तानी सशस्त्र सेनाओं ने गोली चलाई । मेरा कहना है कि दो प्रधान मंत्रियों के बीच जो युद्ध विराम समझौता हुआ था उसको जानबूझ कर दो बार तोड़ा गया है ।

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : यह बड़े ही खेद की बात है कि भारत तथा पाकिस्तान के प्रधान मंत्रियों के बीच युद्ध विराम समझौता होने पर भी इस प्रकार की सीमा सम्बन्धी घटनायें चलती रहे । हमें इतनी जानकारी मिली है कि कुछ पाकिस्तानी हमारे प्रदेश में घुस आये थे और जब उनका पीछा किया गया तो वे पूर्वी पाकिस्तान में वापस भाग गये तथा गोली चलाने लगे । जन तथा सम्पत्ति हानि के बारे में जो समाचार समाचारपत्रों में छपे हैं, उससे अधिक हमें कुछ जानकारी नहीं है । परन्तु इस प्रकार की घटनाओं का निपटारा करने के लिये एक निश्चित व्यवस्था बना ली गई है । हमें अगरतला के जिलाधीश का एक तार मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि उन्होंने कमिला के जिलाधीश को इसके बारे में एक सख्त विरोध पत्र लिखा है तथा प्रार्थना की है कि वह उन से मिलें जिससे स्थिति और खराब होने से रोकी जा सके ।

इस के अतिरिक्त मुझे और कुछ नहीं कहना है । यह गोली चलाने की घटनायें कितने ही दिनों से हो रही हैं इसलिये इनमें कोई अविलम्बनीय महत्व नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : यह एक महत्वपूर्ण विषय है और सरकार का कर्त्तव्य है कि वह इसका ध्यान रखे कि इस प्रकार की घटनायें न हों । परन्तु यह घटनायें कितने ही दिनों से हो रही हैं । और जिस घटना की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है, उसे जैसी घटनायें भी हुई हैं । मैं

---

†मूल अंग्रेजी में

समझता हूं कि सरकार सभी संभावित कार्यवाही कर रही है। मैं चाहता हूं कि अगले सत्र में माननीय मंत्री सभा में बतायें कि इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाहियां की गई हैं।

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं मुझे श्री जगदीश अवस्थी का एक तार मिला है जिसमें उन्होंने बताया है कि उनको २३ तारीख को गिरफ्तार किया गया परन्तु २४ घंटे के पश्चात् भी उन्हें दण्डाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। यह एक बड़ी गम्भीर बात है।

†**अध्यक्ष महोदय** : पहले यह काम सभा का कर लें उसके पश्चात् मैं इस पर विचार करूंगा। इस प्रकार बीच में बाधा डालना बहुत अनुचित है। खैर अगर ऐसी बात हुई है तो मैं उसकी बाद में जांच करूंगा।

स्थगन प्रस्ताव को मैं अनुमति नहीं देता हूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

आश्वासनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का विवरण

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)**: मैं दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मंत्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गई कार्यवाही को दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

(१) पहला विवरण पांचवां सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या ११९]**

(२) अनुपूरक विवरण संख्या ९ चौथा सत्र, १९५८ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२०]**

(३) अनुपूरक विवरण संख्या ११ तीसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२१]**

(४) अनुपूरक विवरण संख्या १६ दूसरा सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२२]**

(५) अनुपूरक विवरण संख्या १७ पहला सत्र, १९५७ **[देखिये परिशिष्ट ६, अनुबन्ध संख्या १२३]**

भारतीय आय कर के अधीन जारी की गई अधिसूचना

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : मैं विमान वाहक उपक्रमों पर कर लगाने के संबंध में भारत सरकार और स्विस संघीय परिषद् के बीच हुए करार की, जो दिनांक १ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६१ में प्रकाशित हुआ है, एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या ९६५/५८]

---

†मूल अंग्रेजी में

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के बारे में आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में वक्तव्य

†**श्री आबिद अली** : मैं अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश संख्या १९ के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के बारे में श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा १९ सितम्बर, १९५८ को उठाई गई आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में एक वक्तव्य की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या ९६६/५८]

अनुदानों की मांगें (रेलवे) के सम्बन्ध में ज्ञापन का उत्तर

†**रेलवे उपमंत्री (श्री शाहनवाज़ खां)** : मैं वर्ष १९५८-५९ की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर के विवरण की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० सं० ९६७/५८]

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकरतथा पुनर्वास) नियमों में संशोधन

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री पू० शे० नास्कर)** : मैं विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम १९५४ की धारा ४० की उप-धारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१४/आर० अमेन्डमेंट २७ की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये एल० टी० संख्या ९६८/५८]

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

चौबीसवीं से उन्तीसवीं बैठकों के कार्यवाही—सारांश

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिन्डा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति की पांचवे सत्र में हुई (चौबीसवीं से उन्तीसवीं) बैठकों के कार्यवाही सरांश सभा पटल पर रखता हूं।

सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही—सारांश

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : मैं सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति की पांचवें सत्र में हुई (आठवीं तथा नवीं) बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति

आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश

†**श्री मूलचन्द दुबे** (फर्रुखाबाद) : मैं सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति की पांचवें सत्र में हुई (आठवीं तथा नवीं) बैठकों के कार्यवाही-सारांश सभा पटल पर रखता हूं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फीरोज़ाबाद) : मैं ने एक संशोधन की सूचना भेजी है ।

प्रतिवेदन की मद संख्या ११ में निम्नलिखित रखी जाये :

"श्री सरजू पांडे को दिल्ली बुला कर दिल्ली की किसी जेल में रखा जाये तथा सभा की कार्यवाहियों में भाग लेने की अनुमति दी जाये । गृह मंत्रालय को उसी के अनुसार आदेश दिये जायें ।"

†**अध्यक्ष महोदय** : यह संशोधन नियमबाह्य है । सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी केवल सदस्यों को अनुपस्थित रहने के अनुमति देने के बारे में सभा से सिफ़ारिश करती है उस का सिर्फ इतना सा ही काम है और सभा चाहे तो उन्हें अनुमति दे अथवा न दे । मैं माननीय सदस्य को बता चुका हूं कि यदि संशोधन नियमबाह्य है । यह बड़ी बुरी प्रथा पड़ती जा रही है कि मेरे द्वारा किसी प्रस्ताव को नियमबाह्य घोषित किये जाने पर भी माननीय सदस्य यहां पर खड़े हो जाते हैं और बताते हैं कि यह नियमानुकूल है ।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : मेरा एक निवेदन है कि जब सदस्य गण बीमारी, निजी कार्य अथवा विदेश जाने के लिये छुट्टी मांगें तो बात दूसरी है परन्तु जब कुछ सदस्यों को निवारक निरोध अधिनियम आदि के अन्तर्गत पांच अथवा छः महीने के लिये नज़रबन्द कर दिया जाता है तो मामला दूसरी तरह का होता है और हम उसे आप के ध्यान में लाना चाहते हैं । श्री मुतुरामलिंग नेवर को साल भर से नज़रबन्द रखा हुआ है । तो कोई तरीका होना चाहिये, जिस से हम इस ओर आप का ध्यान आकृष्ट कर सकें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये तो पांचवें सत्र में सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति की आठवीं तथा नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश ही हैं, समिति का प्रतिवेदन भी तो नहीं है । सभा में प्रतिवेदन रखे जाने के समय छुट्टी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति के सम्बन्ध में सुझाव दिये जा सकते हैं ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** : परन्तु प्रतिवेदन सभा के सम्मुख प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है क्योंकि सत्र का आज अन्तिम दिन है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो अगले सत्र में किया जायेगा ।

सदस्य की गिरफ्तारी

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कलकत्ता नगर के पुलिस कमिश्नर का २५ सितम्बर १९५८ का निम्नलिखित तार प्राप्त हुआ है :—

"कि लोक-सभा की सदस्या, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को खाद्य आन्दोलन के सम्बन्ध में कलकत्ता में पश्चिमी बंगाल सचिवालय क्षेत्र में लागू दण्ड प्रक्रिया आदेश की

---

†मूल अंग्रेजी में

धारा १४४ का उल्लंघन करने के लिये भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३/१४५, पश्चिमी बंगाल सुरक्षा अधिनियम की धारा ११, कलकत्ता पुलिस अधिनियम की धारा ६२-क के अन्तर्गत एस्प्लेनेड रोड, पूर्व कलकत्ता में, २५ सितम्बर, १९५८ को १७–३५ बजे गिरफ्तार कर लिया गया। उन्हें प्रेसीडैन्सी जेल में रखा गया है। पुष्टि का पत्र भेजा जा रहा है।"

सदस्य को सजा

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे चिनसुरा, ज़िला हुगली, पश्चिमी बंगाल के प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट, श्री एस० सी० बनर्जी से निम्नलिखित पत्र मिला है :—

"मुझे आप को यह सूचना देनी है कि लोक-सभा के सदस्य श्री प्रभात कुमार कार पर, आज २२ सितम्बर १९५८ को इस न्यायालय की कार्यवाही में जानबूझ कर बाधा उत्पन्न करने के अपराध में चिनसुरा न्यायालय में मेरे समक्ष अभियोग चलाया गया। अभियोग केवल इस दिन तक चलाया गया। मैंने उन्हें न्यायिक कार्यवाही में जान बूझ कर अन्तर्बाधा उत्पन्न करने का अपराधी पाया है जो कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा २२८ के साथ पठित दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ४८० के अन्तर्गत दण्डनीय है और २५ रुपये का जुर्माना न देने पर उन्हें एक दिन की साधारण कारावास का दण्ड दिया गया है। उन्हें हुगली जेल में रखा जायेगा।

अपील की अनुमति के लिये कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया गया है।

हुगली जेल के सुपरिंटेंडेंट को श्री कार की जेल से रिहाई की तारीख की सूचना आप को देने का निदेश दे दिया गया है।"

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : (कलकत्ता–मध्य) : मेरा निवेदन है कि सम्बन्धित पदाधिकारी को गिरफ्तारी के तुरन्त बाद आप को सूचना देनी चाहिये। श्री प्रभात कार सज़ा काट कर यहां पर लौट भी आये और सभा में बैठे हैं। मैं समझता हूं कि आप को सूचना भेजने के सम्बन्ध में शीघ्रता से काम किया जाना चाहिये और इस में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं आशा करता हूं कि **गृह** मंत्री यह जांच करेंगे।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जी हां मैं रखूंगा।

विशेषाधिकार समिति

चौथा तथा पांचवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं विशेषाधिकार समिति के चौथे तथा पांचवें प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

प्राक्कलन समिति

सत्ताईसवां तथा अट्ठाईसवां प्रतिवेदन

†**श्री ब० गो० मेहता** (गोहिलवाड़) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :—

(१) पुरानी लाइनों को बदलने, इस्पात, स्लीपर और इंजन-डिब्बे के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) के इक्कीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में सत्ताईसवां प्रतिवेदन ।

(२) रेलवे आय-व्यय (१९५६-५७) की सामान्य समीक्षा के बारे में प्राक्कलन समिति (पहली लोक-सभा) का तेईसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अट्ठाईसवां प्रतिवेदन ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

अम्बाला में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना

†**श्री वारियर** (त्रिचूर) : नियम १९७ के अन्तर्गत मैं अविलम्बनीय लोक महत्त्व के निम्न विषय की ओर गृह-मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और यह प्रार्थना करता हूं कि वह उसके सम्बन्ध में वक्तव्य दें ।

"पंजाब के अम्बाला नगर में अवैध हथियारों का पकड़ा जाना ।"

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : जयपुर पुलिस ने जालन्धर के निवासी ज्वाला प्रसाद नामक व्यक्ति के पुत्र रणवीर सिंह को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १०९ के अधीन आवारा-मर्दी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया । जयपुर पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति के मामले को जांच के लिये अम्बाला पुलिस के सुपुर्द कर दिया जिस के सिलसिले में उसे अम्बाला लाया गया, जहां पूछ-ताछ करने पर अपराधी ने हथियारों के छुपे होने के बारे में सूचना देते हुए बताया कि जिला अम्बाला के गांव खजेरी में कुछ हथियार और गोला बारूद जमीन में गड़े हुए हैं । इस जानकारी के अनुसार जांच की गई जिस के फलस्वरूप १४ सितम्बर, १९५८ को निम्नलिखित हथियार पकड़े गये :

(१) १ रिवाल्वर ·३८ बोर (वेबले एण्ड स्कॉट-इंग्लैण्ड का बना हुआ) ।

(२) एक स्वचालित पिस्तौल ९ एमएम-कनाडा की बनी हुई ।

(३) १० बिना चले हथ गोले (सेना के सिंगल हथगोले जैसे) ।

(४) १७ डिटोनेटर ।

(५) रिवाल्वर पिस्तौल के १८५ कारतूस ।

ये हथियार आदि खजेरी गांव के एक बावा हरभजन सिंह की पशुशाला में मोम से बन्द शीशे के जारों में जमीन में गड़े पाये गये ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[पंडित गो० ब० पन्त]

मामले की जांच की जा रही है । अपराधी का कहना है कि वह पंजाब विश्वविद्यालय का स्नातक है तथा उस के पिता पटियाला के डाक तथा तार विभाग में नियुक्त हैं । प्राप्त शस्त्रास्त्रों के सम्बन्ध में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता कि वह कहां से वहां लाये गये। अपराधी के बयान भी भिन्न भिन्न प्रकार के हैं । उन में से एक यह है कि उस का उद्देश्य लोगों को पकड़ कर ले जाना और फिर उन को रुपया ले कर छोड़ना और डकैतियां डालना था ।

कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही

†**अध्यक्ष महोदय** : ध्यान दिलाने के बारे में श्री स० म० बनर्जी तथा श्री तंगामणि की एक और सूचना है । नियम १९७(३) के अधीन एक बैठक में केवल एक ही सूचना पर विचार किया जा सकता है परन्तु आज सत्र का अन्तिम दिन है अतः दूसरी सूचना तो नहीं ली जा सकती । केवल निदेश संख्या ४७क के अधीन वक्तव्य सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** : मैं वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं ।

वक्तव्य

कपड़ा जांच समिति ने अपने प्रतिवेदन के अध्याय ९ में कपड़ा मिलों के बन्द होने के बारे में लिखा है । इस अध्याय की कण्डिका एक की ओर विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कराया जाता है जिस से पता लगता है कि मिलों के बन्द होने की समस्या केवल इसी वर्ष की नहीं है । गत वर्षों में भी कितनी ही मिलें विभिन्न कारणों से बन्द रही हैं ।

समिति ने कहा है कि जो मिलें इस समय बन्द हैं उनके पुनः चालू होने की संभावनायें बहुत कम हैं क्योंकि मिल की मशीनों तथा यंत्रों की हालत बहुत खराब है । वास्तव में उन्होंने तो यह सिफारिश की है कि इनमें से कुछ सार्थों को दिवालिया करार दे दिया जाये ।

इस के अतिरिक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं । सामान्यतः इन सिफारिशों में पुरानी मशीनों को हटाने की आवश्यकता, वित्तीय सहायता देने और अनार्थिक मिलों का सन्तुलन करने की व्यवस्था और कुप्रबन्ध दूर करना आदि हैं । सरकार पहले ही से इस दशा में कार्यवाही कर रही है परन्तु फिर भी इन मामलों की जांच की जा रही है ।

मैं माननीय सदस्यों का ध्यान विशेषतः इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि हमने प्रतिवेदन के प्रकाशन से पूर्व ही समिति की अन्तरिम सिफारिशों पर ४-७-१९५८ को इन मिलों के कपड़े के उत्पादन शुल्क में कमी करने तथा उन का वैज्ञानिकन करने की घोषणा कर दी थी जिस से मिलों को तुरन्त ही कुछ सहायता हो सके ।

सरकार के कहने पर स्टेट बैंक तथा अनुसूचित बैंकों ने रिजर्व बैंक की अनुमति से, उपयुक्त मामलों में इस उद्योग को दिये गये अग्रिम धन पर उधार प्रतिभूति अन्तर २५ प्रतिशत से घटा कर १० प्रतिशत कर दिया है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

कई मामलों में कुप्रबन्ध की शिकायतों की जांच के लिये उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अधीन प्राप्त शक्तियों से काम लिया गया है तथा कुप्रबन्ध को दूर करने की और भी कार्यवाहियां की गई। सक्षम न्यायालयों के आदेशों के अधीन राज्य सरकारों द्वारा कुछ मिलों का प्रबन्ध अपने हाथों में लिये जाने की कार्यवाही का भी केन्द्रीय सरकार ने अनुमोदन किया है। ऐसे मामलों में केन्द्रीय सरकार ने प्रविधिक मार्गदर्शन आदि के द्वारा भी सहायता दी है।

माननीय सदस्य देखेंगे कि सरकार, बन्द कपड़ा मिलों की समस्या पर लगातार ध्यान दे रही है।

अनुपस्थिति की अनुमति

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा की बैठकों से अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति ने अपने नवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि प्रतिवेदन में बताई गई अवधि के लिये निम्नलिखित सदस्यों को अनुपस्थिति की अनुमति दी जाये :—

१. श्री बिशन चन्द्र सेठ

२. श्री च० रा० नरसिंहन

३. श्री रामेश्वर राव

४. श्री जार्ज थामस कौट्टुकपल्ली

५. श्री कृ० गु० देशमुख

६. श्री नेमी चन्द्र कासलीवाल

७. श्री गुलाम मोहीउद्दीन

८. श्री अशण्णा

९. श्री सरजू पांडे

१०. श्री द० स० राज और

११. हिज़ हाइनेस महाराजाधिराज महारावलजी श्री रघुनाथ सिंह जी बहादुर।

मैं समझता हूं कि सभा इन सिफारिशों से सहमत है।

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्यों को सूचित कर दिया जायेगा।

तारांकित प्रश्न संख्या ७९९ के उत्तर की शुद्धि

†**सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख)** : श्रीमान्, २-९-५८ को श्री कोडियान के अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं ने कहा था कि जहां तक नये कृषि कालिजों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने वायदा किया है कि वह ७५ प्रतिशत अनावर्त्तक तथा २५ प्रतिशत आवर्त्तक व्यय ऋण के रूप में देगी और यह सहायता नहीं होगी।

†मूल अंग्रेजी में

परन्तु सही स्थिति यह है कि जहां तक नये कृषि कालिजों का सम्बन्ध है, केन्द्रीय सरकार ने वायदा किया है कि ७५ प्रतिशत अनावर्त्तक व्यय अनुदान (अर्थात् सहायता) के रूप में दिया जायेगा तथा २५ प्रतिशत अनावर्त्तक व्यय सूद लिये जाने वाले ऋण के रूप में दिया जायेगा ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव

केरल के मुख्य मंत्री का वक्तव्य

†**अध्यक्ष महोदय** : विशेषाधिकार प्रस्ताव के सम्बन्ध में मैंने अपना विनिर्णय देने का वादा किया था। सभी पक्षों की बातें सुन कर मैंने निर्णय कर लिया है कि इस सम्बन्ध में मुझे क्या करना चाहिये । मैं समझता हूं कि नियम २२५(१) के अधीन चर्चा के लिये प्रस्तावित विषय नियमानुकूल है और नियम २२२ के अधीन मैं अपनी अनुमति देता हूं ।

†**श्री मी० रु० मसानी :** (रांची-पूर्व) अध्यक्ष महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आप ने इस प्रस्ताव के लिये अनुमति दे दी । मैं औपचारिक रूप से केरल के मुख्य मंत्री के आचरण के फलस्वरूप उत्पन्न विशेषाधिकार को उठाने के लिये सभा की अनुमति चाहता हूं ।

मैं अब आपके सामने संक्षेप में सारी बात रखता हूं। दिल्ली के टाइम्स आफ इण्डिया, कलकत्ता के अमृत बाजार पत्रिका तथा कुछ अन्य समाचार पत्रोंने २१ सितम्बर को पी० टी० आई० का समाचार प्रकाशित किया था जिस में केरल के मुख्य मंत्री द्वारा हमारेगृह-कार्य मंत्री को भेजे गये तार के समाचार का उल्लेख था। उसमें बताया गया था कि यह समाचार त्रिवेन्द्रम के सरकारी साधनों से पी० टी० आई० को प्राप्त हुआ है । आगे उसमें कहा गया था कि उस तार में गृह कार्य मंत्री से निवेदन किया गया था कि वह आप से निवेदन करें कि आप केरल की स्थिति पर तब तक वाद विवाद की अनुमति न दें जब तक कि केरल की साम्यवादी सरकार आपको दिये गये ज्ञापन पर अपना दृष्टिकोण उपस्थित न कर दे। उस समाचार में उस तार के कुछ उद्धरण भी थे । तार में एक जगह कहा गया था कि संसद के कुछ सदस्यों द्वारा "स्पष्टीकरण के नाम पर राज्य सरकार के प्रति अपमान वचन कहने का प्रयत्न किया गया है" आज तक भी तार की इस बात का खंडन नहीं किया गया है ।

यह तार केरल के मुख्य मंत्री ने गृह-कार्य मंत्री द्वारा भेजे गये एक संचार तथा कुछ पत्रों के उत्तर में भेजा था। यह तार आपको दिखाया गया था और आपको पता है कि उस में क्या था। श्री नम्बूदरीपाद के दूसरे तार में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि स्लैण्डर (अपमान बचन) शब्द का प्रयोग उन्होंने पहले तार में किया था। तार में उन्होंने कहा है कि 'स्लैण्डर' शब्द का प्रयोग जिस संदर्भ में किया गया उससे स्पष्ट है कि किसी माननीय सदस्य पर कोई आरोप लगाने की कोई मंशा नहीं है। ठीक है, पर यह काम तो एक समिति का है कि वह निश्चित करे कि जिस संदर्भ में इस शब्द का प्रयोग किया गया है उसमें क्या अर्थ होगा।

दूसरे तार में कहा गया है कि किसी पर कोई आरोप नहीं लगाया गया है। पर इस तार में उपरोक्त शब्दों को प्रयोग करने के संबंध में कोई खेद प्रकाशन या क्षमा याचना नहीं की गयी है । 'स्लैण्डर' एक बहुत सख्त शब्द है। अतः मेरा निवेदन है कि सभा इस विशेषाधिकार के मामले को उठाने की अनुमति प्रदान करे।

†**श्री वें० प० नायर** (क्विलोन) : नियम २२५(२) के अधीन मैं अनुमति दिये जाने पर आपत्ति करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मैं एक बात कहना चाहता हूं। उस दिन विधि मंत्री ने कहा था कि पहला तार गोपनीय है। जब तक वह तार सभा के सामने नहीं आता समिति उस पर कैसे विचार करेगी। अतः हम इस प्रस्ताव का समर्थन कैसे कर सकते हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रश्न के तीन प्रक्रम हैं। सर्वप्रथम सम्मति दिये जाने का प्रश्न है। उस के बाद सभा की अनुमति लेनी होगी। तब प्रस्ताव को प्रस्तुत करने का अवसर आयेगा। इस समय तो अनुमति का प्रश्न है और उस पर आपत्ति की गयी है। लेकिन प्रस्ताव का समर्थन करने वाले २५ से अधिक सदस्य हैं। अतः अनुमति दी जाती है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हो जाने दीजिये।

†**श्री मी० रु० मसानी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि २३ सितम्बर को एक माननीय सदस्य द्वारा सभा का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० निम्बूद्रीपाद द्वारा गृह-कार्य मंत्री पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार की ओर आकर्षित किये जाने पर, जिस के कुछ अंश २० सितम्बर को पी० टी० आई० द्वारा त्रिवेन्द्रम से भेजे गये एक समाचार में, जो अधिकारिक सूत्रों पर आधारित बताया जाता है, दिये गये हैं तथा जो २१ सितम्बर को "टाइम्स आफ इण्डिया', दिल्ली और 'अमृत बाज़ार पत्रिका', कलकत्ता में प्रकाशित हुआ है जिस में श्री नम्बूद्रीपाद ने इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों पर अपमान वचन का आरोप लगाया है ;

और श्री नम्बूद्रिपाद द्वारा बाद में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार को ध्यान में रखते हुए, जिसे माननीय अध्यक्ष ने इस सभा में २३ सितम्बर को पढ़ कर सुनाया ;

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच करे कि इस सभा का और सम्बन्धित सदस्यों का विशेषाधिकार भंग हुआ है अथवा नहीं तथा इस प्रकार सभा की हुई किसी मानहानि का पर्याप्त परिमार्जन हो गया है अथवा नहीं, और समिति से प्रार्थना की जाये की इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही के लिये वह अपना प्रतिवेदन व सिफारिशें लोक-सभा के अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करे।"

मैंने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सामान्य व विनम्र शब्दों में है। आशा है कि सभा यदि सर्व सम्मति से नहीं तो बहुमत से इसे स्वीकार करेगी।

अपमान वचन (स्लैण्डर) शब्द एक गंभीर आरोप है। शब्दकोष में इस के अनेक अर्थ हैं, जैसे किसी को बदनाम करना, झूठा आरोप लगाना, झूठा वक्तव्य देना, द्वेषपूर्ण भावना से आरोप लगाना आदि। यदि किसी माननीय सदस्य ने कोई गलत बात कही होती तो उसकी बात का शुद्ध करना एक और बात थी पर यहां तो यह आरोप लगाया गया है कि माननीय सदस्यों ने द्वेष भाव से केरल राज्य के प्रति अपमान वचन कहे हैं। डा० मेनन ने हमें बताया है कि केवल जानकारी देने पर, जो कि आपने मांगी थी, उनके विरुद्ध यह आरोप लगाया गया है जिस से उनको बड़ी ठेस पहुंची है।

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० र० मसानी]

मेरा ख्याल है कि इस विषय पर कई प्रकार की प्रविधिक कठिनाइयां और आपत्तियां उठाई जाने वाली हैं। पर इस सबंध में मतभेद का कोई प्रश्न नहीं है क्योंकि इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी पर अपमान करने का इलज़ाम थोपना नहीं है। इस प्रस्ताव का यही अभिप्राय है कि सारे मामले को—गृह-कार्य मंत्री को प्राप्त दूसरे तार सहित—विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये जो यह पता लगाये कि सभा का अपमान और विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है या नहीं और यदि ऐसा हुआ है तो क्या दूसरे तार द्वारा उसका पर्याप्त परिमार्जन हो गया है या नहीं। अतः सभा के किसी भी सदस्य द्वारा इस प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि सारा मामला विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाये।

इस सभा के सदस्य इस मामले पर चर्चा करने के लिए आतुर थे पर आपने सदैव धैर्य्य से कार्य लिया। केरल के मुख्य मंत्री इस सभा के सदस्यों से धैर्य्य तथा सहिष्णुता के व्यवहार की आशा करते हैं पर स्वयं उन्होंने इस सभा के प्रति कोई भी सहिष्णुता या शिष्टाचार नहीं दिखाया है। उनके तार में जो कुछ कहा गया है उस से सहिष्णुता और धैर्य्य का नितान्त अभाव प्रकट होता है, जो उनके बल की एक मुख्य विशेषता है।

†**श्री तंगामणि** (मदुरै) : वह किसी व्यक्ति का नाम लेकर ऐसी बात कह सकते हैं किसी दल के संबंध में वह ऐसी बात नहीं कह सकते।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य व्यक्ति विशेष के संबंध में ही विचार व्यक्त करें।

†**श्री अ० क० गोपालन** : (कारुरगोड़) : एक औचित्य प्रश्न उठाया गया है कि ऐसे विशेषाधिकार प्रस्ताव को प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। औचित्य प्रश्न को निबटाये बिना हम कैसे आगे चर्चा कर सकते हैं ?

†**श्री वें० प० नायर** : जब मैं ने पहले औचित्य प्रश्न उठाया था तो आपने मुझे रोक दिया था। मैं समझता था कि आप भी श्री मसानी को केवल प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति दे रहे हैं। पर उन्होंने सारी बातों की चर्चा करते हुए भाषण देना शुरू कर दिया।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (हिसार) : मैं समझता हूं कि श्री मसानी ने एक दल विशेष के बारे में जो शब्द कहे हैं कि अमुक चीज़ एक दल की विशेषता है, उचित नहीं है। जब वह किसी खास व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो फिर सारे दल को बीच में लाने से कोई फ़ायदा नहीं। मैं श्री मसानी से प्रार्थना करता हूं कि आपस में सदभावना बनाये रखने के उद्देश्य से वह दल के बारे में कहे गये अपने शब्दों को वापस ले लें।

†**अध्यक्ष महोदय** प्रक्रिया यही है कि पहले प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाती है और प्रस्तावक को अपनी बात कहने का अवसर दिया जाता है। उसके बाद प्रस्ताव को सभा के सामने रखा जाता है। उसके बाद औचित्य प्रश्न उठाया जा सकता है। जब मैं प्रस्ताव को सभा के सामने रखूंगा तो श्री नायर को औचित्य प्रश्न उठाने का अवसर दूंगा। इसी प्रक्रिया का पालन हम करते आ रहे हैं और करेंगे भी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० क० गोपालन :** इस विशेषाधिकार प्रस्ताव तथा सामान्य विशेषाधिकार प्रस्तावों में अन्तर है। प्रश्न यह है कि, आप अनुमति या न दें; पर, क्या इस मामले पर संसद् को विचार करने का अधिकार है? संस ्के क्षेत्राधिकार के संबंध में आप अपना निर्णय दे दें उस के बाद ही सभा इस मामले पर चर्चा कर सकती है। श्री नायर के कथनानुसार संविधान तथा अन्य संसदीय परिपाटियों के अनुसार यह मामला एक गोपनीय विषय से संबंधित है। तार हमारे पास है नहीं, हमारे पास हो भी तो वह गोपनीय है; हम उसे इस प्रकार चर्चा का विषय नहीं बना सकते। अतः आप जब तक औचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय नहीं दे देते तब तक अग्रेतर चर्चा नहीं हो सकती।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता-मध्य) : यह औचित्य प्रश्न मामले के मूल आधार से सम्बद्ध है। आप औचित्य प्रश्न को सुनें और यदि आप उसे स्वीकार नहीं करते तो हम श्री मसानी की बातें सुनने तथा उन्हें जबाब ेने को तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** इस संबंध में मैं पहले बता चुका हूं कि प्रक्रिया क्या है। पहले प्रस्ताव प्रस्तुत होता है तब औचित्य प्रश्न उठाया जाता है। अन्यथा किसी को कैसे मालूम होगा कि औचित्य प्रश्न किस संबंध में है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले माननीय सदस्य को पूर्ण अधिकार है कि वह अपने तर्क प्रस्तुत करे कि चर्चा की अनुमति ी जाये। उसके बाद औचित्य प्रश्न उठाये जा सकते हैं और तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। कि चर्चा की अनुनति क्यों दी जाये। मैं किसी पक्ष के साथ अन्याय नहीं करना चाहता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** यदि किसी प्रस्ताव के संबंध में प्रविधिक आपत्ति उठाई जाये तो औचित्य प्रश्न पहले सुना जाना चाहिए। विषय के संबंध में चर्चा बाद में होनी चाहिये। अतः उचित यह है कि जो प्रविधिक औचित्य प्रश्न है उसे आप पहले सुन लें बाद में आप श्री मसानी को अवसर दें।

†**अध्यक्ष महोदय :** अनुमति मांगते समय भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। मैं देखना चाहता था कि क्या श्री मसानी कुछ नई बात बताना चाहते हैं। पर उन्होंने अभी तक कोई बात नहीं कही है। उनका भाषण समाप्त होते ही मैं श्री नायर को औचित्य प्रश्न उठाने का अवसर ूगा। आप लोग कम से कम सामान्य प्रक्रिया को तो चलने दीजिए।

†**श्री मी० रु० मसानी :** मैं समझता हूं कि किसी दल विशेष के लिये यह कहना कि उस में सहिष्णुता अथवा धैर्य्य का अभाव है, आपत्तिजनक नहीं है। यह तो अपनी अपनी राय की बात है। खैर माननीय पंडित ठाकुर दास भार्गव की इच्छा के अनुसार में उस बात को छोड़े देता हूं।

मैं यह नहीं कहता कि हम यदि कुछ गलती करें तो हमारी आलोचना न की जाये। हमारी आलोचना की जा सकती है और की जाती है पर हमारी सद्भावना पर आक्षेप करना यह कहना कि हमारे अन्दर देश के हित की भावना नहीं है, एक गंभीर आरोप है। यदि बाहर का कोई भी व्यक्ति हमारी सभा के सदस्यों की सद्भावना या इमानदारी के संबंध में कुछ कहता है तो हम उसे बरदाश्त नहीं कर सकते।

जैसा कि मैं ने प्रारम्भ में बताया कि इस प्रस्ताव में बहुत ही विनम्र भाषा का प्रयोग किया गया है। कठोर भाषा का प्रस्ताव भी प्रस्तुत किया जा सकता था कि श्री नम्बूद्रीपाद को अपने अपराध के प्रति पश्चाताप प्रकट करने के लिये सभा-न्यायालय में बुलाया जाये। पर मैं ने वैसा नहीं किया क्योंकि मैं समझता हूं कि विशेषाधिकार समिति ही इस बात पर विचार करेगी

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मी० रु० मसानी]

कि क्या ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है । अतः मैं एक बार और निवेदन करूंगा कि सभा इस प्रस्ताव को पारित करे कि दोनों तार विशेषाधिकार समिति को सौंपे जायें और समिति अगले सत्र के प्रथम दिन अपना प्रतिवेदन सभा के सामने उपस्थित करे ।

†**श्री वें० प० नायर** : मेरा औचित्य प्रश्न यह है कि श्री मसानी के प्रस्ताव पर इस सभा को विचार करने का अधिकार नहीं है । श्री मसानी ने अपने प्रस्ताव में कहा है कि केरल के मुख्य मंत्री ने एक तार में —जैसा कि समाचार पत्र में छपा है—कुछ शब्दों का प्रयोग किया है । पर केवल इस आधार पर चर्चा नहीं की जा सकती है क्योंकि नियम २२३ में कहा गया है कि :—

> "जो सदस्य विशेषाधिकार प्रश्न उठाना चाहे वह उस की लिखित सूचना उस दिन की बैठक प्रारम्भ होने से पूर्व, जिस दिन कि प्रश्न उठाने का विचार हो, सचिव को देगा । यदि उठाया गया प्रश्न किसी दस्तावेज पर आधारित हो तो सूचना के साथ वह दस्तावेज भी संलग्न होगा ।"

मैं समझता हूं कि केवल समाचार पत्र में प्रकाशित बात के आधार पर मानहानि का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता । आप सब लोग इस बात से सहमत होंगे कि समाचार पत्र में प्रकाशित बात को आधार मान कर चर्चा करने का क्षेत्राधिकार इस सभा को नहीं है । अतः सब से पहले बात यह है कि जब तक श्री मसानी मूल प्रलेख को उपस्थित न करें तब तक उनके प्रस्ताव को अनुमति नहीं दी जा सकती और इस बात पर सभा में चर्चा नहीं की जा सकती ।

दूसरी बात यह है कि मान लीजिये हमें अधिकार है कि हम उस प्रलेख को सभा में उपस्थित करने की मांग करें । पर मैं नहीं समझता कि हम किस आधार पर उस प्रलेख को उपस्थित करने के लिये किसी पर जोर डाल सकते हैं । यह तार गृह-कार्य मंत्री और एक राज्य के मुख्य मंत्री के बीच की बात है । दोनों ने ही गोपनीयता की शपथ ग्रहण की है । वे किसी भी सरकारी संचार के विषय के बारे में कुछ भी नहीं बता सकते । अतः मैं पूछता हूं कि क्या गृह-कार्य मंत्री को मजबूर किया जा सकता है कि वे उस तार को सभा के सामने उपस्थित करें । ऐसी बात नहीं है । उन्हें मजबूर नहीं किया जा सकता । मुख्य मंत्री और गृह-कार्य मंत्री ने अपने पद-ग्रहण करने से पहले शपथ ली थी कि वे किसी भी व्यक्ति को सरकारी संचार के बारे में जब तक सरकारी कर्तव्यों के पालन में ऐसा करना जरूरी न हो कुछ भी नहीं बतायेंगे—इस सभा को भी नहीं । अतः आप उन्हें मजबूर नहीं कर सकते ।

आपको स्मरण होगा कि अभी उस दिन गृह-कार्य मंत्री की बातों से पता लगा है कि वह इस तार को सभा के सामने प्रस्तुत करने के इच्छुक नहीं हैं । ऐसी अवस्था में सारी व्यवस्था को नष्ट करने के लिये उन्हें बाध्य करना उचित न होगा । वह जानते हैं कि यदि इस प्रकार सरकारी संचार की बातों को प्रकट किया जायेगा तो इसके परिणाम बहुत बुरे होंगे । मान लीजिये कि यदि गृह-कार्य मंत्री उसे सभा के सामने प्रस्तुत करने को राजी भी हों तो भी क्या यह उचित होगा कि तार भेजनेवाले की अनुमति के बिना उस गुप्त संचार को सभा के सामने रखा जाये । किस नियम के अनुसार आप ऐसा करने जा रहे हैं । कोई भी नियम ऐसा नहीं है जिस के अनुसार आप गृह-कार्य मंत्री या केरल के मुख्य मंत्री को इस के लिये मजबूर कर सकें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तत्पश्चात् मैं सभा के क्षेत्राधिकार का प्रश्न उठाता हूं। उस दिन अपने नियम ४२ और ४२ (२) (बीस) का उल्लेख किया था। नियम ४१ (२) (बीस) में कहा गया है कि :—

"उसमें मंत्रिमंडल में की जाने वाली चर्चा या राष्ट्रपति को किसी ऐसे विषय के बारे में दी गयी मंत्रणा सम्बन्धी जानकारी नहीं मांगी जायेगी, जिस के सम्बन्ध में जानकारी प्रकट न करने का संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत दायित्व हो।"

मैं पूछता हूं कि क्या यह संवैधानिक, संविहित या रूढ़िगत उत्तरदायित्व की बात नहीं है? है, और जरूर है। यह जो तार आया है, जिसमें तथाकथित शब्दों के प्रयोग होने का आरोप लगाया गया है, गृह-कार्य मंत्री के पास कोई व्यक्तिगत हैसियत से नहीं आया है। श्री नम्बूद्रीपाद ने श्री नम्बूद्रीपाद की हैसियत से पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को, उनकी व्यक्तिगत हैसियत से तार नहीं भेजा है। श्री मसानी इस बात से इन्कार नहीं कर सकते कि यह तार सरकारी पत्र-व्यवहार का तार है। अतः गृह-कार्य मंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है कि वह इसे प्रकट न करें।

†**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। मैंने उस दिन नियम ४१ (२) (बीस) का उल्लेख किया था पर बाद में पढ़ने से पता लगा कि इस संबंध में वह नियम लागू नहीं होगा। आप को ध्यान होगा कि इस संबंध में न तो कोई मंत्री मंडल की चर्चा का सवाल है और न ही राष्ट्रपति को किसी विषय में दी गयी मंत्रणा का सम्बन्ध है। अतः यहां पर कोई संवैधानिक उत्तरदायित्व की बात पैदा नहीं होती।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं तो यह कह रहा था कि नियम ४१ (२) (बीस) की भावना का अर्थ भी ऐसा ही है। मैं यह नहीं कह रहा था कि नियम ४१ इस में बाधा उत्पन्न कर रहा है। बल्कि मेरा अभिप्राय यह था कि नियम ४२ और ४१ (२) (बीस) में जो भावना व्यक्त की गयी है उसकी ओर हमें विचार करना चाहिये। नियम ४२ में यह बात स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में यदि जानकारी प्राप्त करने के लिये प्रश्न भी पूछा जाता है तो सभा को उत्तर नहीं दिया जायेगा।

† **अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य ने नियम ४२ का संकेत किया। नियम ४२ के संबंध में मुझे भी संदेह था और मैंने ध्यान से पढ़ा। उस में कहा गया है कि :

"जिन विषयों पर भारत सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच पत्र-व्यवहार हो रहा हो या हो चुका हो, उन के बारे में तथ्य विषयों को छोड़ कर, कोई प्रश्न नहीं पूछा जायेगा, और उत्तर तथ्य कथन तक ही सीमित होगा।"

अतः यदि माननीय गृह-कार्य मंत्री से यह पूछा जायेगा कि क्या यह सत्य नहीं है कि उस तार में इस वाक्य का प्रयोग हुआ है—जैसा कि समाचार पत्र में आया है, तो मैं नहीं जानता कि क्या वे इस जानकारी को छिपायेंगे या देने से इन्कार करेंगे।

†**श्री वें० प० नायर**: ठीक है। यदि अध्यक्ष महोदय माननीय गृह-कार्य मंत्री से पूछें कि क्या स्लैंडर (अपमान वचन) शब्द का प्रयोग उस तार के अन्दर हुआ है......

†**अध्यक्ष महोदय** : केवल स्लैण्डर शब्द के लिए मैं उन से नहीं पूछूंगा। प्रश्न यह है कि हमें इस प्रश्न पर विचार करना है कि वह तार गोपनीय है या नहीं। नियम ४२ कहता है कि वह एक गोपनीय प्रलेख है। यदि वह गोपनीय है तो भी तथ्य संबंधी उसके किसी भाग को प्रकट किया जा

†मूल अंग्रेजी में

[अध्यक्ष महोदय]

सकता है । अब प्रश्न यह है कि स्लेण्डर शब्द का प्रयोग किस संदर्भ से किया गया है । प्रश्न यह है कि क्या वह वाक्य जिस में स शब्द का प्रयोग किया गया है सभा को बताया जा सकता है या नहीं । यह वाक्य तार में दिया हुआ है । यदि माननीय मंत्री यह वाक्य बता देते हैं और वह वाक्य वैसा ही जैसा कि समाचार पत्र में है तो शायद इस प्रश्न को यहां उठाया जा सकता है ।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं यही कह रहा हूं कि माननीय मंत्री ठीक यही नहीं कर सकते । उन्होंने गोपनीयता की शपथ ले रखी है, और वह सरकारी पत्र व्यवहार के किसी भी भाग को सार्वजनिक नहीं बना सकते । हां, गृह-कार्य मंत्री के रूप में अपने किसी सरकारी कर्त्तव्य को पूरा करने के लिये वह सरकारी पत्र व्यवहार के किसी भाग को सार्वजनिक बना सकते थे, लेकिन यह उनका कोई सरकारी कर्त्तव्य भी नहीं है । इस सभा के अधिकारों का संरक्षण माननीय गृह-कार्य मंत्री का कर्तव्य नहीं है । इस के लिये माननीय गृह-का मंत्री सक्षम नहीं हैं । ऐसे दस्तावेजों की जांच-पड़ताल या छान बीन नहीं की जा सकती और न उन्हें सभा में प्रस्तुत किया जा सकता है । कुछ इस प्रकार के दस्तावेज़ भी होते हैं, जिन्हें न्यायालयों तक को नहीं दिया जाता । ऐसे दस्तावेज़ों के बारे में तो न्यायालयों ने हमेशा यह ही निर्णय दिया है कि इनको न्यायालयों में प्रस्तुत करने के लिये विवश नहीं किया जा सकता ।

१९४१-४२ की **टाइम्स ला रिपोर्ट** के एक निर्णय में ऐसे दस्तावेज़ों को पेश करने के बारे में चर्चा की गई है । और बताया गया है कि ऐसे दस्तावेज़ों की कसौटी क्या होनी चाहिये । उसमें कसौटी यह बताई गई है कि या तो उन दस्तावेज़ों की विषय वस्तु ऐसी हो, जिसे गोपनीय रखना चाहिये या फिर उनको सार्वजनिक बनाना लोकहित में न हो । और केरल के मुख्य मंत्री का तार सार्वजनिक बनाना लोक हित में नहीं है ।

हां, सभा यह जरूर कर सकती है कि उस समाचार को प्रकाशित करने वाले समाचार पत्र के सम्पादक या संवाददाता के विरुद्ध कार्यवाही करे । लेकिन श्री मसानी तो यह चाहते हैं कि केरल के मुख्य मंत्री को इस सभा के सामने बुलाया जाये और अपमान वचन के लिये दण्डित दिया जाय । लेकिन प्रश्न तो यह है कि वह दस्तावेज़ है कहां, जिससे कि उनका अपराध सिद्ध किया जा गा ? सभा सके लिये सक्षम नहीं है कि उस तार को पेश करने के लिये गृह-कार्य मंत्री को विवश कर सके । शासकीय भेद अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार, दो मंत्रियों के बीच हुए गोपनीय पत्र-व्यवहार को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिये । इस लिये, इस विशेषाधिकार प्रश्न पर विचार करना इस सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है ।

दूसरी चीज़ यह है कि यह एक भीर मामला है । और इस विशेषाधिकार प्रस्ताव पर चर्चा करने से विभिन्न राज्य सरकारों के कार्य पर बड़े बुरे प्रभाव पड़ेंगे । यह एक व्यर्थ सा प्रस्ताव है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं तो श्री वें०प० नायर के औचित्य प्रश्न का यह मतलब समझा हूं कि सभा को इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करनी चाहिये, इतना ही नहीं, बल्कि मुझे उसे सभा में प्रस्तुत तक नहीं करना चाहिये । अब हम ने प्रस्तावक और औचित्य प्रश्न उठाने वाले दोनों ही माननीय सदस्यों की बात सुन ली है । यदि मैं इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति दूंगा तो प्रस्तावक को इसके पक्ष में कुछ करने का अवसर भी दिया जायेगा ।

श्री वें० प० नायर कहते हैं कि नियम २२३ के अन्तर्गत ऐसा प्रस्ताव तभी प्रस्तुत किया जा सकता है, जब कि मूल दस्तावेज भी सभा के सामने पेश किया जाये ; और चूंकि मूल दस्तावेज़ सभा में पेश

†मूल अंग्रेज़ी में

नहीं हो सकता, सलिये हमें इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं करनी चाहिये। उनका मत है कि मूल दस्तावेज़ ठीक उसी प्रकार का है जैसा कि राष्ट्र पति को दी जाने वाली सलाह होती है और जो नियम ४१ के अधीन आती है।

†**श्री वें० प० नायर** : मैं सिर्फ़ एक मिनट और चाहता हूं। यह इतना आसान नहीं । मेरा अनुरोध सिर्फ इतना है कि आप **फिप्सन** की पुस्तक --"आनदी लां आँफ एविडेन्स" (पृष्ठ १६७) पढ़ लें, और १८६५ की "टाइम्स लां रिपोर्ट" का चैंटेनहम बनाम राज्य-सचिव" नामक मुकदमे का निर्णय देखलें।

उसी रिपोर्ट में दूसरा मुकदमा है "एशियाटिक पेट्रोलियम कम्पनी लिमिटेड बनाम एंग्लो पर्शियन आयल कम्पनी लिमिटेड"। उस में भी इसी के ंध में विनिर्णय दिया गया है कि विशेषाधिकार प्राप्त दस्तावेज़ों को पेश करने के लिये विवश किया जा सकता है या नहीं। मैं न विनिर्णयों का हवाला इसीलिये दे रहा हूं कि सभा में अभी तक से प्रश्न पर पहले कोई चर्चा नहीं हुई है। इसलिये हमें इन विनिर्णयों से काफ़ी सहायता मिल सकती है। इसीलिये मेरा अनुरोध है कि हमें १६४२ की "टाइम्स लां रिपोर्टस्" का "डन्कन बनाम कैम्पबैल लेर्ड" मुकदमा भी देखना चाहिये।

मैं एक बार फिर कहता हूं कि यह विशेषाधिकार प्रस्ताव सभा के क्षेत्राधिकार से बाहर है।

†**अध्यक्ष महोदय** : लेकिन विशेषाधिकार प्रस्ताव के पक्ष में एक गौण साक्ष्य भी तो है।

कल मैं इस बात पर विचार कर रहा था कि मूल दस्तावेज़ को न होते हुए भी इस प्रस्ताव को अनुमति ी जा सकती है या नहीं, । फिर मेरे सामने एक दूसरा तार रखा गया। और उस में अपमान वचन' का उल्लेख मौजूद हैं। दूसरा तार इस प्रकार है :

> "मैं इस तार को कभी भी प्रकाशित नहीं करना चाहता था। वास्तव में, वह सिर्फ़ आपके उपयोग के लिये ही था। और, किसी भी संसद्-सदस्य या उसके आचरण या सभा की प्रक्रिया पर कोई लांछन लगाने का मेरा कभी भी कोई मंशा नहीं था। संदर्भ देखने से मेरा अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि यदि राज्य को सही सही तथ्य पेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तो किसी भी संसद्-सदस्य का एकांगी विवरण केरल सरकार के सम्बन्ध में एक अपमान -वचन जैसा ही लगेगा। मेरा मंशा किसी भी संसद्-सदस्य पर कोई भी अभ्यारोपण करना नहीं था। मेरा अर्थ सिर्फ यही था कि यदि केरल सरकार का बयान सभा के सामने नहीं होगा तो उस से मेरी सरकार की प्रतिष्ठा की हानि होगी।"

अब सवाल यह है कि क्याइस दूसरे तार को गौण साक्ष्य नहीं माना जा सकता। यह दूसरा तार भी तो केरल के मुख्य मंत्री का ही है, और इउमें उन्होंने अपमान-बचन शब्द के प्रयोग का प्रतिबाद नहीं किया है, केवल उसकी सफाई ी है।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : साक्ष्य अधिनियम की धारा ६१ के अनुसार, ये तार उस धारा में उल्लिखित दस्तावेजों की श्रेणी में नहीं आते।

†**श्री तंगामणि** : यह विशेषाधिकार प्रस्ताव दो तारों के आधार पर है। पहले आपने जब गह-कार्य मंत्री से पहले तार को सभा-पटल पर रखने के लिये कहा था, तब विधि मंत्री ने हस्तक्षेप

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[श्री तंगामणि]

किया था कि और कहा था सभा को वह तार पेश करने पर आग्रह नहीं करना चाहिये । तब आपने बताया था कि दूसरा तार आपको दे दिया गया है । और आपने उसे सभा के सामने रख दिया। इसी आधार पर यह विशेषाधिकार प्रस्ताव रखा गया है ।

मेरा मत तो यह है कि यह दूसरा तार भी माननीय गृह-कार्य मंत्री को आपको नहीं देना चाहिये था । दूसरे तार में यह बात कही गई है कि उस तार में यही कहा गया है कि गृह-कार्य मंत्री को कुछ बातें अध्यक्ष महोदय को बता देनी चाहियें । गृह-कार्य मंत्री को दूसरे तार का भी सारांश ही अध्यक्ष महोदय को बताना चाहिये था । मेरी आपत्ति दूसरे तार को भी यहां दिये जाने पर है। दूसरी बात यह है कि एक बार जब आपको दूसरा तार दे दिया गया था, तब आपका उसे सभा-पटल पर रखना ही उचित था ।........

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य को पहले मेरी पूरी बात सुन लेनी चाहिये । चलिये, हम मान लेते हैं कि यह दूसरा तार भी एक गोपनीय दस्तावेज़ है, जिसे सभा के सामने नहीं रखा जाना चाहिये था । गृह-कार्य मंत्री को उसे भी पेश करने से इन्कार कर देना चाहिये था । लेकिन जैसे भी हो, वह सभा के सामने आ चुका है, । अब क्या हमें उस पर चर्चा नहीं करनी चाहिये ?

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा ९१ ऐसे दस्तावेज़ों के गौण व साक्ष्य पर कोई रोक नहीं लगाती ।

†**डा० सुशीला नायर** (झांसी): आपका ध्यान एक बात की ओर दिलाना चाहती हूं । एक बार हम इस प्रश्न पर काफ़ी चर्चा कर चुके हैं । और अब आपने दोनों पक्षों को सुन ने के बाद अपना निर्णय भी दे दिया है । फिर इस पर दोबारा इतनी चर्चा क्यों की जाती है ? मेरी राय तो यह है कि अब यह सारी चर्चा नियम बाह्य है । मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि इन गोपनीय दस्तावेज़ों को इस प्रकार सभा में लाया गया । साथ ही मुझे इस बात का भी बड़ा दुख है कि केरल के मुख्य मंत्री ने ऐसा गलत शब्द प्रयोग किया ।

आप दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना निर्णय दे चुके हैं । इसलिये अब सभा के सामने दो ही चीज़ें रह जाती हैं कि इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये, या सभा स्वयं इसके संबंध में कोई निर्णय करे ।

सभा यह बात तो मान ही चुकी है कि इस मामले में विशेषाधिकार का उल्लंघन किया गया है । अब इस अवसर पर अधिक चर्चा की गुंजाइश नहीं है ।

†**श्री फ्रैंक एन्थनी** (नामनिर्देशित-आंग्ल भारतीय) : मेरा मत तो यह है कि आपको इस प्रश्न पर कोई निर्णय करना ही नहीं है कि यह दस्तावेज़ विशेषाधिकार-प्राप्त है या नहीं । यह मान भी लिया जाय कि इसे विशेषाधिकार प्राप्त है तो भी इस प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति ही विचार करेगी ।

श्री नायर ने "टाइम्स की ला रिपोर्टस्" से कुछ दृष्टांत दिये हैं । विशेषाधिकार समिति केवल भारत साक्ष्य अधिनियम की व्यवस्थाओं को नहीं देखेगी । सिर्फ़ यह कह देने से कि कोई दस्तावेज़ विशेषाधिकार प्राप्त है, उसे विशेषाधिकार नहीं मिल जाता । उसका निर्णय तो न्यायालय ही करता

†मूल अंग्रेजी में

है। इस मामले में तो केवल गृह-कार्य मंत्री ही इस सभा से विशेषाधिकार की मांग कर सकते हैं। केरल के मुख्य मंत्री को तो इस सभा में श्रवणाधिकार ही नहीं है। लेकिन गृह-कार्य मंत्री ने अपने लिये किसी भी विशेषाधिकार की मांग नहीं की है। इसलिये यह सारी चर्चा ही व्यर्थ में, बिना किसी आधार के, की जा रही है।

हम जिस पर इतनी चर्चा कर रहे हैं वह मूल दस्तावेज़ है कहां? आप उसकी एक प्रति पर चर्चा कर रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि यह प्रति कोई सबूत ही नहीं है। सबूत के लिये, विशेषाधिकार समिति को, यदि वह आवश्यक समझे तो, तारघर से तार की प्रति मंगानी चाहिये और वह तारघर को देनी ही पड़ेगी।

इसलिये, मैं इस सारी चर्चा में कोई सार ही नहीं देखता। श्री मसानी ने अपना विशेषाधिकार प्रस्ताव समाचार पत्र के एक समाचार को बनाया है। जहां तक इस औचित्य प्रश्न का संबंध है, यह सभा ही उसका समाप्त कृत्य है। आपने प्रस्ताव की अनुमति देकर, उसका निबटारा कर दिया है। सभा ने भी उसकी अनुमति दे दी है। इसलिये, नियम २२६ के अनुसार, अब उसके संबंध में कोई औचित्य प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। अब तो सभा सिर्फ इसी बात का निर्णय कर सकती है कि श्री नम्बूद्रीपाद ने विशेषाधिकार भंग किया है या नहीं, उन्हें सभा के सामने बुलाया जाना चाहिये या नहीं, और इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाना चाहिये या नहीं।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)**: इस प्रस्ताव पर पिछली बार जब चर्चा हुई थी, तभी मैं ने अपना दृष्टिकोण आपके सामने रख दिया था। मैं इससे जरा भी खुश नहीं हूं कि यह सब इतनी कार्यवाही हुई और इसे इतना महत्व दिया गया। मैंने तो तभी सुझाव दिया था कि यदि सभा इस पर चर्चा बन्द कर दे, तो मुझे बड़ी शान्ति मिलेगी।

तारों के बारे में, एक माननीय सदस्य ने तो यहां तक कह डाला कि मैंने विश्वास-भंग किया है मुझे उनकी इस बात से कुछ चोट पहुंची है। मैं तो यह समझता हूं कि मैंने इस मामले में जरूरत से ज्यादा संकोच दिखाया है।

मुझे एक तार मिला, और उसे भेजने वाले ने उसमें मुझसे कहा कि मैं उसकी विषय-वस्तु अध्यक्ष महोदय को बता दूं जिस से कि वह तार भेजने वाले के दृष्टिकोण को स्वीकार कर लें। मैं ने वही किया। और अब मुझे पर आरोप लगाया जा रहा है कि मैंने विश्वास-भंग किया।

यदि मैं अध्यक्ष महोदय को उसकी विषय-वस्तु नहीं बताता तो मुझ पर दूसरे ढंग के लांछन लगाये जाते। मैं ने वह तार अध्यक्ष महोदय को इसीलिये दिखा दिया था कि उसकी विषय-वस्तु के बारे में कोई गलतफ़हमी खड़ी न हो जाये और अध्यक्ष महोदय केरल के मुख्य मंत्री के शब्दों को स्वयं ही देख लें। इस प्रकार, मैंने तो मुख्य मंत्री के विश्वास की रक्षा ही की है। और, यही उनके साथ करना चाहिये भी था। बहस इस पर की जा सकती थी कि मैं ने अध्यक्ष महोदय को तार का सारांश बताकर भी पूरी बात नहीं बताई। ऐसी दशा में मुझ पर विश्वास भंग करने का दोष मढ़ना बहुत ही गलत है, दिल को चोट पहुंचाने वाला और हानिकारक है।

हां, मैं ने तार दिखा दिया था और उस तार का मंशा अपने को दोष से बचाना था, अपराध पर अड़ना नहीं। इसीलिये मैंने वह तार अध्यक्ष महोदय, अर्थात् सभा को, दिखा दिया था कि वह उस से सन्तुष्ट हो जायेंगे। मुझे विश्वास था कि सभी को उस तार से यह संतोष हो जायेगा कि श्री नम्बूद्रीपाद चाहते थे कि उन का पहला तार गोपनीय समझा जाये और यह भी कि उन्हों ने उन

†मूल अंग्रेजी में

[पंडित गो० ब० पंत]

शब्दों का प्रयोग किसी बरे मंशा से नहीं किया था । मैं ने अपने मित्र श्री नम्बूद्रीपाद के प्रति यह अपना कर्त्तव्य समझा कि वे दोष-मुक्त हो जायें और कोई ग़लतफहमी भी पैदा न हो सके । इस पर भी विश्वास-भंग का आरोप लगाना एक बड़ी विचित्र सी बात है । इस दशा में तो मैं सिर्फ यहीं कहूंगा कि ऐसा आरोप लगाने वाले सज्जन ने न्याय के मूल तत्वों को ही धता बता दी है ।

इस विशेषाधिकार प्रस्ताव और तार के बारे में, मैं अधिक कुछ नहीं कह सकता । मैं सभा की इच्छा के विरुद्ध नहीं जा सकता । मुझे यदि इस सम्बन्ध में कोई विशेषाधिकार भी हो, तो भी मैं सभा की इच्छा के विरुद्ध, उस की मांग नहीं करूंगा । सभा ही सारी चीज़ों की निर्णायक है । यदि समूची सभा सरकार से किसी चीज़ की मांग करे, तो कोई भी उस के विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता ।

मैं ने पहले अनुरोध किया था कि इस प्रस्ताव पर आग्रह नहीं किया जाना चाहिये । लेकिन, अध्यक्ष महोदय ने उसे उचित नहीं समझा, और सभा के बहुत अधिक सदस्यों ने उन की ही बात का समर्थन किया ।

विशेषाधिकार के प्रश्न के सम्बन्ध में, मैं सिर्फ यही चाहता था कि समिति या अध्यक्ष महोदय को मुझे से वह दस्तावेज़ पेश करने के लिये नहीं कहना चाहिये, क्योंकि श्री नम्बूदरीपाद ने अपने वक्तव्य में उसे एक गोपनीय दस्तावेज़ बता दिया था । लेकिन यदि मुझ से यह कहा जायेगा, तो मैं उस के विरुद्ध नहीं जा सकता । लेकिन मेरा अनुरोध यही है कि मुझ से उस गोपनीय दस्तावेज़ को पेश करने के लिये न कहा जाये ।

मैं इस मामले विशेष के गुण-दोषों के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता । सभा के विशेषाधिकारों की रक्षा तो सभी दलों के माननीय सदस्यों को करनी है .

†**श्री पु० ९० पटेल** (मेहसाना) : आप कम्युनिस्ट सरकार के विरुद्ध जरा सी त्रुटि मिलने पर भी झपट पड़ते हैं, पर कांग्रेस सरकारों के विरुद्ध कुछ भी नहीं करना चाहते ।

†**पंडित गो० ब० पन्त :** मैं नहीं समझता कि माननीय सदस्य का ऐसा कहना उचित है । कम से कम इस मामले में तो मुझ पर ऐसा दोषारोपण नहीं किया जा सकता । केरल हो, या उत्तर प्रदेश, या बंगाल, मैं तो हर मामले में औचित्य देख कर ही चला हूं । यदि कोई माननीय सदस्य इस से सहमत न हो, तो वे जानें । मैं उन से इस पर बहस नहीं करना चाहता । मैं ने तो उचित कार्य ही करना चाहा है ।

औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में सरकार के सदस्यों को कोई विशेष रुचि नहीं रहती । मुझे उन के समर्थन या विरोध से दिलचस्पी नहीं है । मैं ने अपनी योग्यता भर मामले को आसान ही बनाने की कोशिश की है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : बड़े दुर्भाग्य की बात है कि एक औचित्य प्रश्न के सिलसिले में व्यर्थ ही इतनी रोषपूर्ण बात कह दी गई है । जहां तक कार्यवाही का प्रश्न है, गृह-कार्य मंत्री ने सब से अधिक संयम से काम लिया है, सदा ही औचित्य का ध्यान रखा है । और उन पर कोई दोषारोपण करना अनुचित है । उन्हों ने मुझ को, और मेरे जरिये सभा को, यह आश्वसन करने के लिये ही मुझे वह तार दिखाया था कि केरल के मुख्य मंत्री ने किसी बुरे मंशा से उस शब्द का प्रयोग नहीं किया था । वह तार दिखा कर, माननीय गृह-कार्य मंत्री सभा से अनुरोध कर रहे थे कि इस मामले में आगे कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिये । इसीलिये उन्हों ने दूसरा तार हमारे सामने रखा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरे तार में पहले तार का उल्लेख है। पहला तार बिलकुल ही गोपनीय रखा जाना था, हालांकि उस पहले तार में उसे गोपनीय रखने की बात नहीं कही गई थी। माननीय मंत्री ने उस के गोपनीय होने के कारण ही, सभा की ओर से इतनी मांग करने पर भी, उसे सभा में पेश नहीं किया था। उन को यह भी सुझाव दिया गया था कि पहले तार को गोपनीय बनाने की बात, बाद में दूसरे तार के समय ही, सोची गई थी। फिर भी उन्हों ने वह तार सभा में पेश नहीं किया। लेकिन बड़ी विचित्र सी बात है कि इतने पर भी माननीय गृह-कार्य मंत्री पर दोषारोपण किया जा रहा है।

माननीय सदस्यों के उत्तेजित होने से कोई भी लाभ नहीं होगा। औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में, श्री वें० प० नायर ने नियम २२३ का उल्लेख किया है। उस में व्यवस्था है कि विशेषाधिकार प्रस्ताव की सूचना के साथ-साथ उससे सम्बन्धित मूल दस्तावेज भी सभा को दिया जाना चाहिये।

अब मैं ने इस प्रस्ताव की अनुमति क्यों दी, इस का कारण यह है कि मूल साक्ष्य के न होने पर गौण साक्ष्य भी हो सकता है। यह विशेषाधिकार प्रस्ताव "टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक समाचार के आधार पर रखा गया है। माननीय प्रस्तावक ने अपने प्रस्ताव के साथ उसे नत्थी किया था। आप कह सकते हैं कि वह समाचार कोई पक्का सबूत नहीं है और सब से पक्का सबूत तो मूल तार ही हो सकता है। वह तो और बात है, लेकिन माननीय प्रस्तावक ने नियम २२३ की अपेक्षायें तो पूरी कर दी हैं। इसीलिये, मैं ने नियम २२५ के अन्तर्गत उसे नियमानकूल घोषित कर दिया था। तभी मैं ने इस की अनुमति दी है। माननीय प्रस्तावक ने नियमों २२२, २२३ और २२५ की सभी अपेक्षायें पूरी कर दी हैं।

इस मामले को विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया जाने पर, इस के सम्बन्ध में नियम २७० में विहित प्रक्रिया अपनाई जायेगी। नियम २७० के अनुसार, विशेषाधिकार-समिति संबंधित व्यक्तियों और दस्तावेज़ों को बुला सकती है। यदि उस समय सरकार किसी दस्तावेज़ को पेश करना "राज्य की सुरक्षा या हित" की दष्टि से अवांछनीय समझे, तो वह उसे पेश करने से इन्कार कर सकती है। सरकार की दलीलें उचित हैं या नहीं, इस का फ़ैसला विशेषाधिकार समिति ही करेगी। जहां तक नियम ४१ और ४२ का सम्बन्ध है, ये यहां लागू नहीं होते। इन कारणों से श्री वें० प० नायर के औचित्य प्रश्न में कोई सार नहीं है। इस मामले पर विशेषाधिकार समिति ही आगे चर्चा करेगी और इस सम्बन्ध में जो भी उचित कार्यवाही समझेगी करेगी।

†**श्री साधन गुप्त** (कलकत्ता-पूर्व) : मैं एक औचित्य प्रश्न उठाना चाहता हूं। सभा इस प्रस्ताव पर चर्चा नहीं कर सकती क्योंकि उस में विशेषाधिकार का प्रश्न प्रत्यक्षतः नहीं बताया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं अपना विनिर्णय दे चुका हूं। इस पर काफी चर्चा पहले हो चुकी है। नियम २२५ के अन्तर्गत, मैं इस के नियमानकूल या नियम-बाह्य होने का निर्णय कर सकता हूं। मैं उसे नियमानुकूल घोषित कर चुका हूं। इस पर आज ही नहीं, कल भी काफ़ी चर्चा हो चुकी है। इसलिये यह औचित्य प्रश्न अब नहीं उठाया जा सकता।

†**श्री साधन गुप्त** : आप ने ही कल फरमाया था कि औचित्य प्रश्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के बाद ही उठाये जा सकते हैं। अब प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा चुका है।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं ने श्री वें० प० नायर के औचित्य प्रश्न के सम्बन्ध में जब यह कहा था, तो उस से मेरा मतलब यह था कि प्रस्ताव की जो-जो अवस्थायें पूरी की जा चुकी हैं, उन पर बार-बार फिर चर्चा नहीं दोहराई जानी चाहियें। श्री वें० प० नायर ने आपत्ति की थी कि प्रस्ताव

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[अध्यक्ष महोदय]

को अनुमति नहीं दी जानी चाहिये, जबकि मैं उस से पहले ही उसे अनुमति दे चुका था। तब भी मैं ने यह नहीं कहा था कि चूंकि प्रस्ताव की अनुमति दी जा चुकी है, सिर्फ इसीलिये औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी। मैं ने तो यही कहा था कि हम मान लेते हैं कि अनुमति अभी दी जा रही है और अभी प्रस्ताव रखा जा रहा है; और मैं ने इसी आधार पर उनको औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति दे दी थी। यदि अनुमति दी जा चुकने की स्थिति मानी जाती, तो फिर औचित्य प्रश्न उठाने की अनुमति नहीं दी जाती। नियम २२५ के अन्तर्गत उसका निर्णय किया जा सकता था।

अब मैं इस प्रस्ताव को सभा के सामने रखता हूं।

†**श्री साधन गुप्त** : जब तक प्रस्ताव सभा के सामने नहीं होगा, तब तक हमें उसकी विषय-वस्तु का पता कैसे चल सकता है?

†**अध्यक्ष महोदय** : इस में दो बातें हैं। एक तो वह प्रस्ताव है जो आज प्रस्तुत किया गया है, और दूसरी बात यह है कि माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार प्रश्न उठाने के लिये मुझ से अनुमति मांगी है। मैं कह चुका हूं कि वह नियमानुकूल है। अब उसी को प्रस्ताव के रूप में रख दिया गया है। अब केवल यही रह जाता है कि प्रस्ताव को विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये, फिर प्रस्ताव किया जाये कि यह सभा ही उस का निर्णय कर दे। मैं चूंकि अनुमति दे चुका हूं, इसलिये अब किसी औचित्य प्रश्न की गुंजाइश नहीं रह जाती।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**डा० क० ब० मेनन** (बडागरा) : मेरा संशोधन यह है कि केरल के मुख्य मंत्री ने अपमान-वचन का प्रयोग किया है और इसलिये उन को सभा के न्यायालय के समक्ष लाया जाये।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि मूल प्रस्ताव के अन्तिम पैरा के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये :—

"कि यह सभा संकल्प करती है कि केरल राज्य के मुख्य मंत्री, श्री ई० एम० एस० नाम्बूदिरीपाद ने सभा का अपमान किया है, और उनको अगले सत्र के पहले दिन सभा के न्यायालय के समक्ष बुलाया जाये।"

†**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन प्रस्तुत हुआ।

हालांकि इस संशोधन की पूर्वसूचना नहीं दी गई है, फिर भी मैं मान लेता हूं कि माननीय सदस्य यही चाहते हैं कि सभा ही इस मामले का निबटारा करे, और केरल के मुख्य मंत्री को सभा के समक्ष स्पष्टीकरण करने के लिये बुलाया जाये।

†**श्री अ० क० गोपालन** : अब चूंकि आप इस विशेषाधिकार प्रस्ताव की अनुमति दे चुके हैं, इसलिये मैं कहता हूं कि इस संसद् के इतिहास में यह पहला अवसर है जबकि केन्द्र और राज्य के बीच हुए पत्र-व्यवहार पर विचार किया गया है। केरल के मुख्य मंत्री को सभा के समक्ष बुलाने तक की बातें कही गई हैं। इस से भविष्य में केन्द्र और राज्यों के बीच के सम्बन्धों पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। मैं चहता हूं कि चर्चा जारी रहे। संविधान के अनुच्छेद ३५५ के अन्तर्गत राज्यों की अभिरक्षा का दायित्व केन्द्र को सौंपा गया है। **(अन्तर्बाधा)**। यह आप का कर्त्तव्य है कि मुझे अपनी बात सुनाने का अवसर मिले। **(अन्तर्बाधा)**। केन्द्र का कर्तव्य है कि वह राज्यों की अभिरक्षा करे,

†मूल अंग्रेजी में

वे चाहे कांग्रेसी राज्य हों, या कम्युनिस्ट । लेकिन केन्द्र इस से इन्कार कर रहा है, यह ऐसा पहला मौका है । इसलिये हम इस कार्यवाही के विरोध में सदन से बाहर जाते हैं ।

(इसके बाद श्री अ० क० गोपालन और कुछ अन्य माननीय सदस्य सदन के बाहर चले गये)

†**राजा महेन्द्र प्रताप** (मथुरा) : मैं भी उठ कर जाता हूं ।

(इसके बाद राजा महेन्द्र प्रताप भी सदन से बाहर चले गये)

†**डा० राम सुभग सिंह** (सहसराम) : मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री पर लगाये गये आक्षेपों का विरोध करता हूं । लेकिन इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेने से एक बड़ी बहस उठ खड़ी होगी ।

†**श्री प्र० सिं० दौलता** (झज्जर) : हम १३ स्टेट्स (राज्यों) को यहां लायेंगे, सम्पूर्णानन्द को रोज यहां रक्खेंगे ।

†**श्री रघुनाथ सिंह** (वाराणसी) अच्छा आइयेगा, देखा जायेगा ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मैं तो समझता हूं कि इस मामले में सभा के कुछ सदस्यों की प्रतिष्ठा की बाजी सी लग गई है । यह सारी बहस इसलिये उठ खड़ी हुई कि केरल के मुख्य मंत्री के एक तार को सार्वजनिक बना दिया गया । दूसरे तार में मुख्य मंत्री ने पहले तार का स्पष्टीकरण . . . .

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : मेरा एक औचित्य प्रश्न है । सभा के निर्णय के बाद, अब उस का इस प्रकार विश्लेषण नहीं किया जा सकता ।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मुश्किल तो यह है कि माननीय सदस्य उस की गम्भीरता महसूस नहीं करते । वे सतर्कता से सुनते ही नहीं । मैं यह कह रहा था कि पहले तार की विषय-वस्तु वास्तव में अपमान-वचनपूर्ण थी । यह सही है कि सभा किसी भी ऐसे व्यक्ति को दण्डित कर सकती है जो इस सभा के किसी सदस्य के प्रति ऐसे अपमान-वचन का प्रयोग करे । सभा को यह शक्ति प्राप्त है । लेकिन सभा को बड़े ही संकोच और न्यायिक भाव से इस शक्ति का प्रयोग करना चाहिये ।

दूसरे तार में, मुख्य मंत्री ने अपने दृष्टिकोण का स्पष्टीकरण किया है कि उन्हों ने उस शब्द को उस के परम्परागत अर्थ में प्रयुक्त नहीं किया था । मेरा ख्याल है कि देश ने यह देख लिया है कि संसद् सदस्यों के प्रति अपमान-वचनों के प्रयोग पर सभा प्रयोगकर्ता के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर सकती है ।

मुख्य मंत्री के स्पष्टीकरण को देखते हुए, मेरी अपनी भावना तो यह है कि इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहिये । अन्यथा लोकतंत्र का चलना बड़ा कठिन हो जायेगा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा अगला कार्य लेगी । ढाई बजे गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य लिया जायेगा ।

इस विषय पर अगले सत्र में विचार होगा ।

भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक*

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : श्री हाफिज मुहम्मद इब्राहीम की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय विद्युत अधिनियम, १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २७-९-५८ में प्रकाशित ।

†मूल अंग्रेज़ी में

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय विद्युत अधिनियम, १९१० में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री हाथी : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते (संशोधन) विधेयक*

†**संसद्-कार्य मंत्री (श्री सत्य नारायण सिंह)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम, १९५८ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

†**श्री सत्य नारायण सिंह** : मैं विधेयक को पुरस्थापित करता हूं।

जानकारी का प्रश्न

†**श्री स० म० बनर्जी** (कानपुर) : मुझे श्री जगदीश अवस्थी का एक तार मिला है जिसमें कहा गया है :

"२३ सितम्बर को ३ बजे गिरफ्तार किया गया। २४ घण्टे के भीतर किसी मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। डिस्ट्रिक्ट जेल कानपुर में सामान्य श्रेणी में रखा गया। संविधान का उल्लंघन हुआ है और अधिकारों तथा विशेषाधिकारों की अवहेलना की गयी है। कृपया हस्तक्षेप कीजिए।"

केवल श्री जगदीश अवस्थी का ही मामला नहीं है। हजारों व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया गया। मेरा निवेदन है कि गृह-कार्य मंत्री इस सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करें कि क्या उत्तर प्रदेश में जनता को कोई संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं या नहीं ?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस विषय पर चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता। मैं माननीय गृह-कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा कि वह पता लगायें कि क्या श्री जगदीश अवस्थी को गिरफ्तार करने के बाद २४ घण्टे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित नहीं किया गया था।

---

*भारत सरकार के असाधारण गजट भाग २, अनुभाग २, दिनांक २७-९-५८ में प्रकाशित।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बृज राज सिंह** (फिरोज़ाबाद) : श्री मोहन स्वरूप के सम्बन्ध में उस दिन आप ने बताया था कि वह पीलीभीत में गिरफ्तार कर लिये गये हैं। पर आपने यह नहीं बताया कि उन्हें कहा रखा गया है।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय गृह-कार्य मंत्री यह निदेश जारी कर दें कि उस स्थान का नाम भी दिया जाना चाहिये जहां गिरफ्तारी के बाद उन्हें रखा जाये।

†**श्री बृजराज सिंह** : नियमों में ऐसा उपबन्ध है।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : यदि नियम है तो उसका पालन किया जायेगा।

संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद के संबन्ध में प्रस्ताव

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** (हिसार) : कल मैं ने एक प्रस्ताव की सूचना दी थी कि आप मुझे यह सुझाव देने की अनुमति दें संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों को, जिनको आज विचार करने के लिये सभा पटल पर रखा गया था, सरकार को वापस लौटा दिया जाये। संविधान के अनुच्छेद ३२० (५) के अधीन इस सभा तथा राज्य सभा को विनियमों पर विचार करने तथा उनमें संशोधन करने का अधिकार है। १४ दिनों के लिये विनियमों को सभा पटल पर रखा गया था। इसी अवधि में श्री बृज राज सिंह तथा अन्य माननीय सदस्यों ने संशोधनों की सूचनायें दी हैं। आज के अतिरिक्त अब संशोधनों को निबटाने का समय नहीं है। क्योंकि इनमें संशोधन इसी सत्र में हो सकता है। यदि हम आज भी संशोधनों को निबटा लें तो भी राज्य सभा की सहमति के लिये समय नहीं है। अतः दोनो सभाओं को विनियमों पर चर्चा करने का अवसर मिलना चाहिये।

इस सभा को चर्चा करने का अवसर नहीं मिल सका है पर संविधान के अनुसार ये विनियम अब कानून बन जायेंगे। अतः मेरा सुझाव है कि इन विनियमों को सरकार को लौटा दिया जाये ताकि अगले सत्र में सरकार उन्हें दोनों सभाओं के सामने पुनः उपस्थित करे और हम उन पर बहस कर सकें।

†**अध्यक्ष महोदय** : विनियम सभा के सामने कब रखे गये थे ?

†**श्री बृज राज सिंह** (फिरोज़ादबा) : ११ सितम्बर को।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : श्री बृज राज सिंह ने १४ दिन के भीतर ही संशोधन की सूचना दी थी।

†**अध्यक्ष महोदय** : श्री बृज राज सिंह का संशोधन नियम विरुद्ध है क्योंकि वह चाहते हैं कि विनियमों को एक संयुक्त समिति को सौंपा जाये।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

†**श्री बृज राज सिंह** : और भी संशोधन हैं। मेरा निवेदन है कि १४ दिन की अवधि बीत गई। संशोधनों पर चर्चा नहीं हो पाई है। अब यह विनियम कानून बन जायेंगे।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर** (पाली) : सभा का संवैधानिक उत्तरदायित्व है कि वह इन विनियमों पर विचार करे। जहां तक मेरे मित्र पंडित ठाकुर दास भार्गव का सुझाव है मैं समझता हूं कि वह नियमानुकूल नहीं है। इतना ज़रूर है कि हम इसी सत्र में इन विनियमों पर चर्चा कर सकते हैं, आगे कोई गुजांइश नहीं है। मगर अब यह हो नहीं सकता।

†**गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त)** : संविधान के अधीन विनियमों को इस सभा के पटल पर रखा जाना चाहिये और १४ दिन तक उन्हें उपलब्ध रहना चाहिये। दोनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं। अच्छा होता यदि इस मामले पर विचार हो गया होता पर ऐसा नहीं हो पाया। यदि कोई काम ऐसा है, जिसे नहीं किया जा सकता, तो मजबूरी है, जिस प्रकार कुछ प्रश्न समय न मिलने के कारण व्यपगत हो जाते हैं वैसे ही संकल्प भी व्यपगत हो जायेंगे। समय तो बढ़ाया नहीं जा सकता। अब कोई उपाय बाकी नहीं है। हां, मैं यह सुझाव देता हूं कि यदि माननीय सदस्य कुछ सिफारिश करें या कोई संकल्प प्रस्तुत करें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है और वे चाहें तो इस सत्र में या अगले सत्र में ऐसा कर सकते हैं। पर जहां तक इन विनियमों का सम्बन्ध है इनके सम्बन्ध में मैं ने आवश्यक कार्यवाही कर दी है।

†**अध्यक्ष महोदय** : अब हमारे सामने दो रास्ते हैं। या तो औपचारिक प्रस्ताव प्रस्तुत करके चर्चा अगले सत्र के लिये स्थगित कर दी जाये या यदि इससे कोई वैधानिक या प्रविधिक कठिनाई हो तो हम आज भी चर्चा करने को तैयार हैं बशर्ते कि सभा ५ बजे के बाद बैठने के लिये तैयार हो।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : मेरा सुझाव तो यह है कि इन्हें सरकार के पास वापस भेज दिया जाये और सरकार अगले सत्र में इन्हें दोबारा सभा के सामने रखे।

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार को इन्हें वापिस नहीं किया जा सकता। माननीय मंत्री ने कहा है कि यद्यपि १४ दिनों बाद ये विनियम कानून बन जायेंगे पर यदि कोई संकल्प इस सत्र में या अगले सत्र में रखे जायें और उन पर चर्चा की जाये तो वह उन पर विचार करने को तैयार हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि सभा के व्यक्त किये गये विचारों के आधार पर वह नियमों में परिवर्तन कर लेंगे। मैं माननीय सदस्यों को अपने प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति देता हूं। वे प्रस्ताव अगामी सत्र के लिये स्थगित समझे जायेंगे।

उन प्रस्तावों को छोड़ कर जो नियम विरुद्ध हैं, मैं सभी प्रस्तावों को प्रस्तुत मान लूंगा।

विनियम संख्या १ पर प्रस्ताव संख्या ५, विनियम संख्या ३ पर प्रस्ताव संख्या १, अनुसूची पर प्रस्ताव संख्या २, ३, ८, ९, १० और ४ हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ के, जो कि ११ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, विनियम संख्या १ में, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात :—

"Consultation (परामर्श)" शब्द के पहले "Exemption from (से मुक्ति)" शब्द रखें जायें ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ के, जो कि ११ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये थे, विनियम संख्या ३ में, निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात :—

उपखण्ड (ग) में—

"to a Central Service, Class II, or (केन्द्रीय सेवा, श्रेणी २ में अथवा)" शब्द निकाल दिये जायें ।

यह सभा राज्य-सभा से सिफारिश करती है कि राज्य-सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खंड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ की जो कि ११ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये अर्थात् :—

मद संख्या (५) निकाल दी जाय ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपयुक्त संकल्प से सहमत हो ।"

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ की जो कि ११ सितम्बर, १९५८ को सभा पटल पर रखे गये थे अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

मद संख्या (७) में "and administrative (और प्रशासकीय)" शब्द निकाल दिये जायें ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्यक्त संकल्प से सहमत हो ।"

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री ब्रजराज सिंह : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १६५८ की, जो कि ११ सितम्बर, १६५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

मद संख्या (८) निकाल दी जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १६५८ की, जो कि ११ सितम्बर, १६५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

मद संख्या (६) निकाल दी जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १६५८ की, जो कि ११ सितम्बर, १६५८ को सभा पटल पर रखे गये थे, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

मद संख्या (११) निकाल दी जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"यह सभा संकल्प करती है कि संविधान के अनुच्छेद ३२० के खण्ड (५) के अनुसरण में संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १६५८ की, जो कि ११ सितम्बर, १६५८ को सभा पटल पर पर रखे गये थे, अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन किया जाये, अर्थात् :—

मद संख्या (१२) निकाल दी जाये ।

यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि राज्य सभा उपर्युक्त संकल्प से सहमत हो ।"

†अध्यक्ष महोदय : अब ये प्रस्ताव सभा के सामने हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

रेल यात्रा में जीवन की असुरक्षा के बारे में

†**पंडित द्वा० ना० तिवारी** (केसरिया) : अध्यक्ष महोदय, संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम की ही प्रकार में रेल यात्रा में जीवन और सम्पत्ति की असुरक्षा तथा खतरे के सम्बन्ध में और पुलिस तथा रेलवे नियमों को भंग करने वाले अन्य पदाधिकारियों से रेलवे कर्मचारियों के संरक्षण के सम्बन्ध में एक चर्चा उठाना चाहता हूं।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसे अगले सत्र में लिखा जायेगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुक्म सिंह** (भटिंडा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २५ सितम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है।"

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरुदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि "प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

'इस रूपभेद के साथ कि बेकारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा के लिये डेढ घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाये।'"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाये :—

"इस रूपभेद के साथ कि बेकारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा के लिये डेढ़ घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाये।"

संशोधन स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के अट्ठाइसवें प्रतिवेदन से, जो सभा में २५ सितम्बर, १९५८ को उपस्थापित किया गया था, सहमत है, इस रूप भेद के साथ कि बेकारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति की नियुक्ति सम्बन्धी संकल्प पर चर्चा के लिये डेढ घण्टे का समय और बढ़ा दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के बीच सीमा संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये आयोग के बारे में संकल्प--जारी

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री महंती द्वारा १२ सितम्बर को प्रस्तुत इस संकल्प पर विचार करेगी कि उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश के बीच सीमा सम्बन्धी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये।

श्री महन्ती अपना भाषण जारी रखें।

†**श्री महन्ती** (ढेंकानाल) : बड़ी हिचकिचाहट से मैंने इस संकल्प को सभा में रखा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

मेरा आशय यह नहीं है कि मैं कोई भाषा सम्बन्धी विषय उठाऊं। मैं इस घाव को पुनः हरा करना नहीं चाहता। किन्तु मुझे भय है कि घाव खराब न हो जाये। इस बात से तो कोई भी इन्कार नहीं कर सकता कि भारत के समस्त राज्य भाषावार हैं। हम उस दिन की प्रतीक्षा कर रहे हैं जब कि बम्बई भी महागुजरात तथा संयुक्त महाराष्ट्र के दो प्रान्तों में विभक्त हो जायेगा।

खैर इस सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा राज्य के साथ अन्याय हुआ है। उड़ीसा भाषी कई स्थानों को अभी तक मध्य प्रदेश में ही रखा गया है।

१९४८ में उड़ीया भाषी राज्यों को साथ मिलाकर उड़ीसा प्रान्त का निर्माण हुआ। जिन २६ रियासतों का विलय किया गया उनमें से दो सिरायकेला तथा खर्सवान थीं। उनके राजाओं ने भी यह कहा था कि लोक हित के लिये इन रियासतों का विलय उड़ीसा राज्य के साथ किया जाये।

उसके बाद इनके बारे में विवाद चलने लगा। मैं उसके ब्योरे में तो नहीं जाऊंगा। माननीय गृह मंत्री उस बात को भली भाति जानते हैं।

तब राज्य मंत्रालय ने वह मामला बम्बई उच्चन्यायालय के परीक्षण के लिये भेजा। हम तो यही सोचते थे कि न्यायाधीश वार्देकर जो निर्णय देंगे वह प्रभावपूर्ण होगा किन्तु ज्ञात नहीं किन कारणों से उनको काम नहीं करने दिया गया।

उसके पश्चात भारत सरकार ने अस्थायी सुविधा के लिये उन दो राज्यों को बिहार में मिला दिया। स्वर्गीय सरदार पटेल ने भी इस प्रश्न पर कहा था कि यह तो क्या जीवन की कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है।

इसके पश्चात राज्य पुनर्गठन आयोग आया हमें बड़ी आशायें हुई। किन्तु आयोग के सभापति ने इस विवाद में ही पड़ना उचित न समझा और कहा कि प्रशासनिक सुविधाओं का ध्यान भी करना ही होगा। सर फज़ल अली का यह आचरण उचित ही नहीं था। आखिर उन्हें सारी बातों पर ध्यान देने के लिये ही तो कहा गया था।

---

†मूल अंग्रेजी में

खैर ये तो सब की सब बीती बातें हैं। किन्तु मुझे दुःख तो यह है कि अब भी हमारे समस्त अभ्यवेदन ठुकरा दिये जाते हैं।

उसके पश्चात हिंसात्मक रक्तपात हुआ--जो बड़े दुःख की बात थी। सरकार का यह कर्तव्य था कि वे वहां के प्रतिनिधियों का सम्मेलन बुला लेती और बातचीत से जो बात तै हो जाती उसे किया जाता। आखिर कोई क्षेत्र भारत संघ से तो बाहर निकाला नहीं जा रहा था।

यह तो है एक बात--अब दूसरी यह कि भारत सरकार मद्रास और आन्ध्र के झगड़े में मध्यस्थता करने कूद पड़ी है और श्री पाटस्कर को मध्यस्थ बनाया गया है।

अतः मैं यही कहना चाहता हूँ कि इस मामले के बारे में इसी प्रकार की कोई कार्यवाही की जाये। माननीय गृह मंत्री ने कहा कि इस मामले को ज़ोनल परिषद में उठाया जा सकता है किन्तु वहां भी सहस्त्र कठिनाइयां हैं। माननीय गृह मंत्री ने यह भी कहा कि बिहार उड़ीसा तथा मध्यप्रदेश के मुख्य मंत्री सहमत होने चाहियें किन्तु यह भी संभव न होगा। आखिर सभी तो मानव हैं। क्या इसी प्रकार से मामला बढ़ता ही जायेगा।

अतः मैंने प्रस्ताव किया है कि इस मामले का निपटारा करने के लिये एक सीमा-विवाद निपटाने वाले आयोग की नियुक्ति की जाये।

यदि यह कहा जाय कि जो कुछ राज्य पुनर्गठन आयोग ने कर दिया तो फिर श्री पाटस्कर को मध्यस्थ नियुक्त करने की क्या आवश्यकता थी।

श्री पाटस्कर ने अपने निर्णय में प्रत्येक गांव के बारे में चर्चा की है। इस मामले में सरकार को न्याय करना चाहिये। यदि न्याय किया गया होता तो देव भाग, फूलज़ार इत्यादि क्षेत्र मध्य प्रदेश से उड़ीसा में दाखिल कर दिये गये होते। सरकार को मौन देखकर मुझे दुख होता है।

इसी प्रकार सांकरा क्षेत्र भी उड़ीसा के साथ लगता है। वहां भी उड़ीया भाषा बोली जाती है किन्तु राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपने चातुर्य से उसके बारे में कुछ न किया--सरकार से आशा ही क्या थी।

मैं शिकायत के रूप में कोई बात नहीं कह रहा क्योंकि मुझे आशा है कि आज नहीं तो कल न्याय तो होगा ही। किन्तु मुझे दुख है कि इन क्षेत्रों में उड़िया भाषी जनता सांस्कृतिक दृष्टि से भूखी रह जायेगी। अतः मैं प्रार्थना करता हूँ कि सरकार इस हानि हीन संकल्प को स्वीकार करे।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : संकल्प प्रस्तुत हुआ।

†**श्री खाडिलकर** (अहमदनगर) : मेरा एक स्थानापन्न प्रस्ताव है जिसे प्रस्तावक महोदय स्वीकार करने के लिये तैयार हैं। मैं चाहता हूँ कि इसके लिये समय बढ़ा दिया जाये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब मैं समय नहीं बढ़ा सकता क्योंकि पहले ही वह अध्यक्ष महोदय द्वारा बढ़ाया जा चुका है और दूसरे अधिकांश स्थानापन्न प्रस्ताव अनियमित हैं। माननीय सदस्य अलग विषयों पर अलग प्रस्ताव रखें। श्री पाणिग्रही का संशोधन भी अनियमित है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री नाथ पाई (राजापुर) : श्रीमान् यद्यपि टेकनिकल कारण से मेरा स्थानापन्न प्रस्ताव अनियमित ठहराया गया है किन्तु यह बताना चाहता हूँ कि उसका आशय यह है कि पाटस्कर सूत्र का अनुकरण करके सीमा संबंधी विवादों को निपटाने के लिये एक आयोग बनाया जाये जिसका सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो।

खैर अभी अभी मैंने एक समाचार पढ़ा है जो चिन्ताजनक है अर्थात संयुक्त महाराष्ट्र समिति ने कहा है कि पारस्परिक समझौता न होने के कारण उन्हें सत्याग्रह करने के लिये बाध्य होना पड़ेगा।

†उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य केवल इस संकल्प पर बोलें।

†श्री नाथ पाई : मैं उसी बात पर आ रहा हूँ। मैं कहना चाहता था कि राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति पर जनता में जो आशा की लहर दौड़ी थी वह समाप्त हो गई। उन्होंने कहीं तो ताल्लूके को एकक बनाया, कहीं ज़िले को अर्थात् जैसा ठीक समझा वैसा ही कर लिया। मेरा कहने का तात्पर्य अब यह है कि सरकार को इन्ही सिद्धान्तों को लेकर समस्त देश के पूरे विवादों का हल करना चाहिये।

मैसूर तथा महाराष्ट्र के झगड़े भी थे और प्रधान मंत्रियों की बातचीत हुई। हमने सिद्धान्तों को न अपनाने के कारण ही ये झगड़े खड़े कर लिये हैं। अतः जब तक सामान्य सिद्धान्तों को हम लोग नहीं स्वीकृत करते तब तक किसी भी मध्यस्थ की नियुक्ति भी लाभदायक नहीं है।

यदि सरकार पाटस्कर सूत्र के सिद्धान्तों को मान लेती है तो तामिलनाद तथा आन्ध्र की समस्यायें हल हो जाती हैं और श्री महंती की शिकायत भी दूर हो जाती है। जहां कहीं भी अन्याय हुआ हो उसे दूर करने का प्रयास किया जाना चाहिये।

मैं सरकार को किसी भी प्रकार की धमकी तो देना नहीं चाहता किन्तु यह अवश्य बताना चाहता हूँ कि इस प्रकार की कार्यवाही के परिणाम बड़े खतरनाक होते हैं। पहले यह आशा थी कि ज़ोनल परिषदों में ही ये बातें निपट जाया करेंगी किन्तु वह भी न हुआ। अब तो गृह मंत्रालय का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह इस मामले को निपटाये।

श्री विभूति मिश्र (बगहा) : उपाध्यक्ष जी, मैं महन्ती साहब के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस बाउंडरी (सीमा) के मामले में पिछली पालियामेंट में जब एस० आर० सी० की रिपोर्ट यहां पेश हुई थी उस समय ये सारी बातें तै हो गयी थीं। जब हिन्दुस्तान स्वाधीन हुआ उस समय भी यह सरायकेला और खरसवां का मामला पेश किया गया था। जब स्वर्गीय सरदार पटेल साहब थे उस समय अन्तिम रूप से यह तै हो गया था कि यह हिस्सा बिहार में रहेगा। उसके बाद पिछली पालियामेंट में जब स्टेट्स रिआरगेनाइजेशन (राज्य पुनर्गठन) हुआ उस समय भी गृह मंत्री जी ने कहा था कि अब जो इस समय हो रहा है यह सदैव के लिए फाइनल हो रहा है। नहीं तो हम लोग यह चाहते थे कि उड़ीसा का बहुत सा एरिया जहां के लोग हिन्दी बोलते हैं और बंगाल का बहुत सा एरिया जहां के लोग हिन्दी बोलते हैं और जिनका कल्चर (संस्कृति) और बिहार वालों का कल्चर एक है, उन एरियाज़ को बिहार में मिला दिया जाये। लेकिन सरकार ने यही फैसला किया और चूंकि हम सरकार के लायल हैं इस लिए हमने उस फैसले को मान्य किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

यह बतलाते हैं कि वहां बहुत से स्कूल बन्द हो गये हैं। मैं कहता हूँ कि एक भी स्कूल बन्द नहीं हुआ है। सब स्कूल चल रहे हैं। वहां की भाषा हिन्दी भी है और उड़िया भी है इस लिए वहां हिन्दी के भी स्कूल हैं। आप पटना में आकर देखें। वहां बंगाली काफी संख्या में रहते हैं। पटना में हिन्दी भी पढ़ाई जाती है और बंगला भी पढ़ाई जाती है। अगर किसी जगह हिन्दी भी पढ़ाई जा रही हो तो उसके लिए आपत्ति नहीं की जा सकती कि हिन्दी क्यों पढ़ाई जाती है। इसके अलावा हिन्दी हमारी राष्ट्रभाषा भी है और वह बिहार की भाषा भी है। इस लिए हिन्दी का वहां पढ़ाया जाना जरूरी है। अगर केवल राष्ट्रभाषा के रूप में ही हिन्दी को पढ़ाया जाता तब भी यह नहीं कहा जा सकता था कि भाषा का कोई फर्क पड़ रहा है। बिहार में तो किसी भी भाषा के पढ़ाने पर प्रतिबन्ध नहीं चाहे वह उड़िया हो, या बंगला हो या पंजाबी हो या उर्दू हो। बिहार में सब भाषाओं के पढ़ाने का प्रबन्ध है और सब भाषाओं की उन्नति के लिए कोशिश की जाती है।

मैं बिहार और उड़ीसा के सम्बन्ध में एक बात और कहना चाहता हूँ। आप देखें कि बिहार का क्षेत्रफल ६७,११३ वर्गमील है और बिहार की आबादी ३,८७,८३,७७८ है जबकि उड़ीसा का क्षेत्रफल ६०,२५० वर्गमील है और आबादी है १,४६,४५,९४६। आप देख सकते हैं कि बिहार में कितना कम एरिया है और कितने ज्यादा लोग रहते हैं जब कि उड़ीसा में कितना ज्यादा एरिया है और कितने कम लोग रहते हैं। इसके अलावा बिहार का अन्न के मामले में डैफिसिट (कमी) वाला सूबा है। बिहार में खाने की कमी है। जब बाहर से अन्न आता है तो बिहार वालों को मिलता है। इसके अलावा सरकार ने बिहार में ४५,००० पूर्वी बंगाल के रिफ्यूजियों (शरणार्थियों) को रख दिया है। इस प्रकार बिहार की आबादी में और इजाफा हो गया है। उधर उड़ीसा में काफी ज़मीन है। वह सरप्लस प्राविंस है। फिर भी हमारे भाई कहते हैं कि बिहार में से कुछ हिस्सा काट कर उड़ीसा में मिला दिया जाये।

इस लिये मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीयता की दृष्टि से यह आवश्यक है कि उड़ीसा और बिहार को मिला दिया जाय। इस तरह यह झगड़ा हमेशा के लिये तय हो जायगा। १९३६ से पहले कोई झगड़ा नहीं था सब साथ साथ रहते थे। अगर अब फिर उन दोनों को मिला दिया जाय, तो यह झगड़ा खत्म हो जायगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप गांवों में देखते होंगे कि जब दो आदमियों की ज़मीन एक जगह रहती है, तो बीच की मेड़ के लिए बराबर झगड़ा रहता है। दुनिया में कोई जगह ऐसी नहीं है, जहां बौंडरी के विषय में थोड़ा बहुत झगड़ा न हो। इस प्रकार के थोड़े बहुत झगड़े के लिए अगर यह कहा जाय कि उस झगड़े को तय करने के लिए कमीशन बिठाया जाय, सरवेयर भेजे जायें और पूरा इन्तज़ाम किया जाय, तो यह ठीक नहीं है। इस तरह यह झगड़ा तय होने वाला नहीं है। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई झगड़ा है ही नहीं। उड़ीसा का कुछ हिस्सा बिहार के पोर्शन (हिस्से) में पड़ता है, जो कि मानभूमि वग़ैरह के सामने है। वहां के लोग हिन्दी बोलते हैं, लेकिन उड़ीसा वाले कहते हैं कि वह हमारे साथ रहे। हम सरकार के लायल आदमी हैं, देश-भक्त हैं, इस लिए हम बोलते नहीं हैं। हमारे गृह मंत्री महोदय कहते हैं कि अब यह मामला फ़ाइनली तय हो गया है, इस लिए इस बारे में कुछ मत कहें और हम लोग सरकार की लायल्टी की वजह से कुछ नहीं बोलते हैं, नहीं तो उड़ीसा का कुछ एरिया हम को मिलना चाहिए मैं महन्ती साहब से यह कहूँगा कि इस झगड़े को सदा के लिए निपटाने का उपाय यही है कि बिहार और उड़ीसा को मिला कर एक कर दिया जाय। हम लोगों के पास कोई बन्दरगाह नहीं

[श्री विभूति मिश्र]

है । आप हमारे साथ मिल जाइये, तो हमारे पास बन्दरगाह हो जायगी । आपके यहां आबादी कम है । हम आप की रक्षा के लिए चलेंगे । हम रोटी खाने वाले तगड़े आदमी हैं । आप प्यारे चावल खाने वाले हैं । आरा और छपरा के लोग तगड़े हैं । वे फ़ौज में ज्यादा भरती होते हैं । अगर दोनों साथ रहें तो वे आप की हिफ़ाजत करेंगे । आप और हम दोनों इंडियन युनियन के मेम्बर हैं । आपके यहां आबादी कम है और हमारे यहां ज़मीन नहीं है । इस लिए अगर दोनों को मिला कर एक कर दिया जाय, तो इस में दोनों का ही लाभ है । १९३२ के सत्याग्रह में हम लोग जेल जाते थे और उड़ीसा और बिहार के हम सब राजनीतिक कैदी पटना कैम्प जेल में रहते थे । उन लोगों में कोई झगड़ा नहीं था । भाषा का भी कोई हेर-फेर नहीं है । इस लिए मैं यह कहना चाहता हूँ कि हम दोनों प्रदेशों को साथ साथ मिला दिया जाय और उस के बाद हम लोग अच्छी तरह रहेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : जेल में अच्छी तरह इकट्ठे रह सकते हैं, बाहर नहीं ।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोज़ाबाद) : फिर जेल जाने लगिये ।

श्री विभूति मिश्र : उस वक्त अंग्रेज़ थे लड़ने के लिये । अब हम कानून को मान कर चलेंगे । आप समझे नहीं । आप जेल नहीं गए, इस लिये आप का दिमाग़ ठीक नहीं रहता है ।

जहां तक सरायकेला और खर्सवान का सम्बन्ध है, अगर आप को कभी मौक़ा लगे, तो आप वहां जा कर देखें कि वहां कितने हिन्दी-भाषी हैं और वे किस तरह से आनन्द से रहते हैं । आदिवासी नेता यहां नहीं हैं, वर्ना मैं उन्हें बताता कि उड़ीसा और बिहार के मिलने से उन का मतलब भी तय हो जाता । हमारे भाई श्री जयपाल सिंह को मैं बताता कि इस प्रकार उड़ीसा और बिहार के आदिवासी इकट्ठे हो जाते । महन्ती साहब ने कहा कि हम कबूल करेंगे, लेकिन हाउस में उन्होंने यह नहीं कहा । उन्होंने कहा कि हम कबूल करेंगे, लेकिन सरकार कबूल नहीं करेगी । मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कबूल करें, सरकार कबूल करे या न करे । अगर हमारी और आप की मित्रता रहे, तो सरकार मान जायगी ।

†**श्री महन्ती :** क्या माननीय सदस्य उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और आसाम का संघ बनाने को तैयार होंगे जिससे सारी आदिम जाति के लोग एक ही राज्य में आ जायें ?

श्री विभूति मिश्र : पहले कम से कम दोनों स्टेट्स के दो पार्लियामेंट के मेम्बर राज़ी हों, तो धीरे धीरे एरिया आफ़ एग्रीमेंट (समझौते का क्षेत्र) ज्यादा होता जायगा । हमारे प्रधान मंत्री महोदय कहते हैं कि दुनिया में एरिया आफ़ एग्रीमेंट—पीस का एरिया बढ़ता जाय । इस लिये मैं कहना चाहता हूं कि पहले दो आदमी तो राज़ी हो जायें । जब स्टेट्स री-आर्गनाइज़ेशन का झगड़ा चल रहा था, तो हमारे चीफ़ मिनिस्टर और बंगाल के चीफ़ मिनिस्टर, डा० बी० सी० राय, ने दोनों स्टेट्स को मिला देने की रज़ामन्दी ज़ाहिर की थी, लेकिन बाद में डा० बी० सी० राय इस से पीछे हट गये । हम तो अब भी आप के साथ रहने के लिये और खाने पीने के लिये बराबर तैयार हैं । लेकिन जो बौंडरी का झगड़ा बताते हैं, वह कोई झगड़ा नहीं है । इस लिये मैं आग्रह करूंगा कि हमारा सब्स्टीच्यूट मोशन (स्थानापन्न प्रस्ताव) मान लिया जाय, तो सर्वोत्तम है, नहीं तो बिहार और उड़ीसा का बौंडरी का

†मूल अंग्रेजी में

कोई झगड़ा नहीं है। वह झगड़ा हमेशा के लिये तय हो गया है। हमारे गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि इस का फैसला आखिरी बार हो गया है और फिर वह मामला नहीं उठेगा।

†**श्री पाणिग्रही** : (पुरी) : जहां तक भाषा के आधार पर क्षेत्रों के हस्तान्तरण का प्रश्न था पिछले सत्र में गृह मंत्री ने स्पष्ट शब्दों में यह बता दिया था कि भारत सरकार बिहार तथा उड़ीसा के बीच क्षेत्रों की अदलाबदली में हस्तक्षेप इस कारण नहीं कर सकती है कि उड़ीसा की सरकार ने इस सम्बन्ध में न तो केन्द्रीय सरकार से कुछ कहा है न क्षेत्रीय परिषद में ही इस प्रश्न को रखा है। इसलिये केन्द्रीय सरकार स्वयं इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कर सकती है। यह ठीक है तथापि यह विवाद वर्षों से चल रहा है और पुरी में इस सम्बन्ध में कई आन्दोलन भी चलाये गये हैं। अतः गृह मंत्री को चाहिये कि वे स्वयं आगे बढ़ कर उड़ीसा की सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करें।

जहां तक उन सिद्धान्तों का प्रश्न है जिनके अनुसार सीमा निश्चित की जानी चाहिये। पाटस्कर समिति ने चार सिद्धान्त बनाये थे। पहिला सीमा रेखा यथासम्भव अविच्छिन्न होनी चाहिये। दूसरा हस्तान्तरण की सुविधा के लिये गांवों को इकाई माना जा सकता है। तीसरा जिस गांव में ५० प्रतिशत से अधिक लोग एक विशेष भाषा बोलने वाले हों वह गांव उसी राज्य में मिलाया जाना चाहिये तथा भौगोलिक बातों पर भी उपयुक्त ध्यान देना चाहिये। मेरे विचार से मध्य प्रदेश बिहार व उड़ीसा के बीच के क्षेत्रों पर विचार करते समय हमें आदिम जाति के लोगों की भाषा सम्बन्धी व क्षेत्रीय एकता पर भी ध्यान देना चाहिये।

मेरे विचार से उक्त सिद्धान्तों पर ध्यान रखने से क्षेत्रों का हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रश्न जल्दी हल हो सकता है।

अतः बिहार तथा उड़ीसा की सरकारों को पहिले तो स्वयं मिल कर यह मामला तय करना चाहिये यदि ऐसा सम्भव न हो तो गृह मंत्री को स्वयं आगे बढ़ कर इस मामले को निपटाने का प्रयत्न करना चाहिये।

†**श्री जगन्नाथ राव** (कोरापट) : मैं इस बात से सहमत हूं कि बिहार और मध्य प्रदेश में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां उड़ीसा का दावा हो सकता है और उन्होंने अपने इस अधिकार को बड़ी योग्यता से रखने का प्रयत्न भी किया है। तथापि मैं सीमा आयोग की नियुक्ति करने के प्रस्ताव का समर्थन नहीं करता हूं। वस्तुतः हमें इतने शीघ्र इन सीमा सम्बन्धी विवादों को उठाना ही नहीं चाहिये।

श्री महन्ती ने यह कहा है कि वहां के भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। निसंदेह प्रत्येक राज्य में अल्पसंख्यकों को कठिनाइयां होती हैं। मैं भी उड़ीसा में रहने वाला एक अल्पसंख्यक वर्ग का आदमी हूं तथापि इसका यह तात्पर्य नहीं कि हम आन्दोलन इत्यादि प्रारम्भ करें अपितु हमें संवैधानिक उपचार का सहारा लेना चाहिये। संविधान के अनुच्छेद ३५० (क) में भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का उपबन्ध किया गया है हमें उसको अपनाना चाहिये इस प्रकार के साधारण प्रश्नों को सभा के समक्ष हमें ऐसे समय नहीं लाना चाहिये जब कि देश के समक्ष हमसे कहीं अधिक जटिल और कठिन प्रश्न हों।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री जगन्नाथ राव]

इस विवाद का सर्वोत्तम हल तो यह है कि दोनों राज्यों के मंत्री स्वयं इस विवाद का निपटारा कर लें। भारत सरकार को इसमें हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा हमें यह बात भी स्मरण रखनी चाहिये कि हम पहिले भारतवासी हैं तदुपरांत किसी विशेष राज्य के रहने वाले हैं। अतः हमें इन प्रश्नों पर व्यापक दृष्टिकोण से विचार करना चाहिये और इन क्षुद्र विचारों को भूल कर देश की एकता में योग देना चाहिये।

†**श्री खाडिलकर** : मैं श्री जगन्नाथ राव का समर्थन करता हूं कि हमें यह प्रश्न स्वार्थन्धता की दृष्टि से नहीं अपितु व्यापक दृष्टि से देखना चाहिये। इस विवाद का निपटारा मध्यस्थता तथा वार्ता द्वारा करने का प्रयत्न करना चाहिये। इस प्रकार के मामले यदि अधिक समय तक चलते हैं तो उससे दोनों पक्षों में विरोध बढ़ता है और इससे राष्ट्रीय एकता को धक्का लगता है। अतः गृह मंत्री को यहां हस्तक्षेप करना चाहिये। यह मामला बहुत समय से चल रहा है। गृह मंत्री ने अपने प्रयत्नों से आंध्र और तामिलनाड का मामला सुलझा दिया है। वही सिद्धान्त यथा सम्भव यहां भी काम में लाये जाने चाहिये।

श्री जगन्नाथ राव ने कहा है कि भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों को अल्पसंख्यक आयुक्त से सहायता लेनी चाहिए तथापि मेरा अनुभव है कि वहां से भी कोई ठोस सहायता नहीं मिलती है।

श्री विभूति मिश्र ने बिहार और उड़ीसा को मिला देने का प्रस्ताव रखा है यह और भी अनुचित है। बजाय इसके कि जो गलतियां हो गई हैं उन्हें दूर किया जाय एक और गलती करना कहां तक उचित है।

अन्त में मैं माननीय गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि उनको इतना अधिकार तथा आदर प्राप्त है कि वह बिहार तथा उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन बुला कर उसमें यह समस्या हल कर सकते हैं। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि इस मसले पर शीघ्र विचार करें तथा सीमान्त के निवासियों को यह आश्वासन दें कि उनका मामला अधिक समय तक निलम्बित नहीं रहेगा और उसे हल करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) : मैं अपने भाषण को श्री महन्ती द्वारा उठाये प्रश्न तक ही सीमित रखूंगा। यद्यपि अन्य प्रश्न भी उठाये गये हैं, तथापि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह इसी प्रश्न के सम्बन्ध में लागू होगा। यह प्रश्न उड़ीसा और बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के बीच की सीमाओं के न्याय निर्णयन से सम्बन्ध रखता है। सीमान्त विवाद से श्री महन्ती का तात्पर्य यह ज्ञात होता है कि बिहार तथा मध्य-प्रदेश के बड़े बड़े भू-भाग उड़ीसा को हस्तान्तरित किये जाएं। इस प्रकार संकल्प की भाषा से उसका अर्थ भिन्न ज्ञात होता है।

अनुपूरक मांगों पर चर्चा के सम्बन्ध में जब यह प्रश्न उठाया गया था, तो मैंने इस प्रश्न पर अपने विचार व्यक्त किये थे। मेरे विचार से इस प्रश्न को फिर से उठाने का कोई न्यायोचित कारण नहीं है। उड़ीसा का राज्य १९३६ में अस्तित्व में आया। इसके लिये श्री ओ' डानल की नियुक्ति की गई थी और उन्हें यह कार्य सौंपा गया था कि वह बिहार, मध्य-प्रदेश, और मदरास के उड़िया भाषा भाषी क्षेत्रों का इस प्रकार हस्तान्तरण करें कि एक पृथक उड़ीसा राज्य का निर्माण हो सके। श्री ओ' डानल ने खरसवान और सरायकेला को बिहार में शामिल करने के बड़े प्रबल और अकाट्य तर्क रखे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

१९४८ में भी इस निश्चय की पुष्टि की गई। उक्त दोनों प्रदेश अभी हाल तक बिहार के सिंहभूमि जिले के एक अंग थे। यह प्रश्न राज्य पुनर्गठन आयोग के सम्मुख भी उठाया गया, उन्होंने इस प्रश्न पर पूरी तरह विचार करने के पश्चात यह निर्णय किया कि खरसवान और सरायकेला बिहार के ही अंग हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर सरकार द्वारा भी विचार किया गया। हमें बिहार तथा उड़ीसा के प्रतिनिधियों से भी बातें करने का अवसर मिला, और हमने तथ्यों के आधार पर स्थिति का पता लगाने का प्रयत्न किया लेकिन हम इस नतीजे पर पहुंचे कि उनका निर्णय सही था। फलतः संसद के समर्थन के पश्चात् दोनों राज्य बिहार के अधीन रखे गये। ऐसी स्थिति में इस व्यवस्था को भंग करना कठिन है। खरवान और सराय केला राज्य पुनर्गठन आयोग की जांच के पूर्व भी बिहार के ही भाग थे, इतना ही नहीं उड़ीसा राज्य के बनने के पहिले भी उक्त दोनों प्रदेश बिहार के ही भाग रहे हैं। इस प्रदेश के अधिकांश निवासी भी आदिवासी हैं, जो अपनी भाषा बोलते हैं अतः भाषा की दृष्टि से भी इस तर्क को बल नहीं मिलता है।

इस स्थिति में—यद्यपि मुझे अपने वक्तव्य से हटने का दुख है—तथापि मेरे विचार से वर्तमान व्यवस्था को भंग करने का कोई कारण नहीं है। यह भी कहा गया है कि यहां रहने वाले उड़िया लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया जा रहा है। संसद ने भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के लिये परित्राण निश्चित किये हैं। विभिन्न भाषा भाषी लोगों के बीच में रहने वाले अल्पसंख्यकों की भाषा व संस्कृति की रक्षा करने के लिये उपबन्ध किया गया है। अतः हमें इस प्रकार की कठिनाइयों पर ध्यान देना होगा। इस कार्य की देखभाल करने के लिये एक आयुक्त नियुक्त रहता है। यदि मेरे ध्यान में कोई बात लायी जायेगी तो मैं बिहार में रहने वाले उड़िया भाषा भाषी लोगों को न्याय दिलाने का भरसक प्रयत्न करूंगा। तथापि जो भी क्षेत्रीय व्यवस्था हो चुकी है हमें उसे अन्तिम रूप से स्वीकार करना चाहिये। यदि हम इन विवादों को अनिश्चित काल तक जारी रखेंगे तो जनता का ध्यान महत्वपूर्ण बातों से हट कर सामान्य विषयों की ओर आकर्षित होगा। इस समय हमें अपनी खाद्य समस्या का हल करना है और अपनी पंचवर्षीय योजना की परियोजनाओं को पूरा करना है। इसलिये हमें इस समय राज्य पुनर्गठन आयोग द्वारा की गई व्यवस्था को भंग नहीं करना चाहिये।

बम्बई और मैसूर का भी जिक्र किया गया है। मैं इन दोनों राज्यों के बीच समझौता कराने का भरसक प्रयत्न कर रहा हूं। मैं अपना प्रयत्न जारी रखूंगा। तथापि मैं सीधी कार्यवाही पर विश्वास नहीं करता हूं। मेरे विचार से लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था में सीधी कार्यवाही को कोई स्थान नहीं है। मेरे विचार से इस प्रश्न का सन्तोषजनक हल शान्तिपूर्वक ही किया जा सकता है। वातावरण जितना ही उत्तेजक होगा उतनी ही उत्तेजना दूसरे दल के लोगों में फैलेगी, परिणाम यह होगा कि सन्तोषजनक हल निकलने में देर लगेगी।

मेरी सलाह यह है कि ऐसे मामलों में हमें धैर्य रखना चाहिये। क्षेत्रीय स्थानान्तरण के मामलों से पहले ही पर्याप्त उत्तेजना फैल चुकी है। कुछ मामलों में हमें बहुत कठिन स्थितियों का सामना करना पड़ा है।

इसलिये हमें इन मामलों का ऐसा हल निकालना चाहिये जो कि दोनों पक्षों को स्वीकार हो, क्योंकि यदि एक पक्ष भी असन्तुष्ट होगा तो उससे विरोध बढ़ेगा और कई नई समस्यायें पैदा हो जायेंगी।

[पंडित गो० व० पन्त]

ऐसा प्रतीत होता है कि पाटस्कर पंचाट के सम्बन्ध में कुछ भ्रांति हुई है। वस्तुतः आंध्र और मद्रास के बीच की सीमा का विवाद बिल्कुल दूसरे प्रकार का था। आन्ध्र और मद्रास राज्य, राज्य पुनर्गठन आयोग के फलस्वरूप नहीं बने हैं। पृथक पृथक राज्य बनने के उपरान्त ही दोनों राज्यों द्वारा यह निश्चय कर लिया गया था कि दोनों राज्यों के बीच सीमा के प्रश्न का निपटारा बाद में कर लिया जायेगा। सीमाओं का अंकन नहीं किया गया था। इसी समझौते के आधार पर सीमा निर्धारण के लिये कुछ सिद्धान्त बनाये गये। जिन्हें दोनों राज्यों ने स्वीकार कर लिया। वे सिद्धान्त श्री पाटस्कर द्वारा नहीं रखे गये थे अपितु दोनों राज्यों के मुख्य मन्त्रियों ने श्री पाटस्कर के पथ प्रदर्शन के लिये उन सिद्धान्तों को रखा था और वे श्री पाटस्कर को मध्यस्थ के रूप में स्वीकार करने के लिये भी तैयार हो गये। इस प्रकार यह मामला शुरू से लेकर अन्त तक पारस्परिक सहमति से हुआ। श्री पाटस्कर के मूल प्रस्तावों का संशोधन करते समय भी उनकी राय ली गई और वे दोनों इस बात पर सहमत हो गये। उन्होंने ही मध्यस्थता की शर्तें विहित कीं और पंचाट स्वीकार किया। अतः यदि इससे कोई सिद्धान्त निकलता है तो वह यही है कि यदि दो पक्ष किन्हीं सिद्धान्तों पर सहमत हों और वे एक मध्यस्थ चुनने पर भी सहमत हो जायं तो वह मामला मध्यस्थ के सुपुर्द किया जा सकता है। उक्त मामले में सारे सिद्धान्तों पर दोनों ही राज्य सहमत थे और उन्हीं सिद्धान्तों के आधार पर निर्णय दिया गया। इसलिये यदि दोनों पक्ष कुछ विशेष सिद्धान्त स्वीकार करें, तो देश के व्यापक हितों का विरोधी न होने पर, हम उनकी सहायता करने तथा समझौता करवाने में मदद देंगे।

यह याद रखना चाहिये कि क्षेत्रीय स्थानान्तरण के मामलों से गम्भीर समस्यायें खड़ी हो सकती हैं। अतः हमें इस सम्बन्ध में बहुत सावधानी बरतनी चाहिये। हमें यह स्मरण रखना चाहिये कि हम सब एक देश के निवासी हैं और किसी राज्य के एक छोटे से भाग के इसके राज्य में शामिल होने का मामला इतना गम्भीर नहीं है कि उससे हमारे राष्ट्र के दो विरोधी पक्षों में विरोध की भावनायें बढ़ें।

मैं आशा करता हूं कि श्री महन्ती मेरा ृष्टिकोण स्वीकार करेंगे और मेरी इस बात का समर्थन करेंगे कि इससे दोनों में से किसी भी राज्य का हित नहीं होगा और न अच्छे परिणाम ही निकलेंगे। मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं।

श्री महन्ती : सम्पूर्ण बातें सुनने के बाद मुझे कोई निराशा नहीं है और नहीं मैं कोई दुराग्रह करना चाहता हूं। पर ध्यान रहे कि तर्क के आधार पर किया गया न्याय कोई न्याय नहीं होता। माननीय मंत्री ने कहा यह कोई सीमा विवाद नहीं है पर पाटस्कर प्रतिवेदन के पृष्ट ४ पर स्पष्ट शब्दों में उल्लेख है कि आन्ध्र और मद्रास के बीच सीमा विवाद है—चित्तूर, चिंगलपट और उत्तर अर्काट जिलों के सम्बन्ध में। मेरा संकल्प तो केवल एक जिले के सम्बन्ध में है।

मध्य प्रदेश और उड़ीसा के सीमा विवाद का उल्लेख माननीय मंत्री ने बिल्कुल नहीं किया। मध्य प्रदेश के उड़िया-भाषी लोगों की इतनी अवहेलना क्यों की जा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार को दुराग्रह नहीं करना चाहिये।

तीसरी बात यह है कि भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के आयोग की नियुक्ति से सरकार ने कितना समय लिया। आज भाषा सम्बन्धी अल्पसंख्यकों के साथ बहुत अन्याय हो रहा है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हमें राष्ट्रीयता तथा भावुकतापूर्ण एकीकरण की बात सिखाना बेकार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

हम जानते हैं कि राष्ट्रीयता क्या है और भावुकतापूर्ण एकीकरण क्या है । मैं जानना चाहता हूं कि इन बातों के कारण पंचवर्षीय योजना की कार्यान्विति में क्या बाधा पड़ेगी ।

अन्त में, मेरा निवेदन है कि मैं माननीय मन्त्री को नाराज नहीं करना चाहता अतः मैं अपने संकल्प पर आग्रह नहीं करता । मैं अपना संकल्प वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं ।

संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया

सदस्य को सज़ा

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मुझे सभा को सूचित करना है कि मुझे पीलीभीत के जिलाधीश से २६ सितम्बर, १९५८ का यह सन्देश प्राप्त हुआ है :—

"लोक-सभा के सदस्य, श्री मोहन स्वरूप पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ के अन्तर्गत अवैध जनसमूह के सदस्य होने के अपराध में फर्स्ट क्लास ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, श्री के० चन्द्र के समक्ष जिला जेल, पीलीभीत में अभियोग चलाया गया । न्यायालय ने २६ सितम्बर, १९५८ को एक दिन के अभियोग के बाद उनको भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३ के अन्तर्गत अपराधी पाया और उनको दो महीने के साधारण कारावास का दण्ड दिया । पत्र भेजा जा रहा है ।"

बेरोजगारी की समस्या की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त करने क बारे में संकल्प

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा की यह राय है कि देश में बरोज़गारी का अनुमान लगाने और उसे दूर करने के लिये उपायों का सुझाव देने के हेतु एक समिति नियुक्त की जाये ।"

श्रीमान् यह संकल्प मानव की एक बड़ी महत्वपूर्ण समस्या के बारे में हैं । यह समस्या आज एक विश्वव्यापी समस्या बन चुकी है । हमारे देश में अभी विकास का ऐसा स्तर है कि हम सभी लोगों को रोजगार पर नहीं लगा सकते । किन्तु आज हमारी योजनाओं से लोगों में एक नई स्फूर्ति वनाई आशा उत्पन्न हो चुकी है । वर्तमान युग "बढ़ी हुई आशाओं" का युग है । आज प्रत्येक व्यक्ति अधिकाधिक मांग कर रहा है । किन्तु दूसरी ओर द्वितीय योजना के मूल्यांकन से यह पता चलता है कि हमारे देश में लोगों को रोज़गार पर लगाने की सामर्थ्य बढ़ने की बजाये और घट गई है । देश के लिये यह स्थिति बड़ी खतरनाक है । बेरोज़गार तथा हताश नवयुवकों की प्रतिदिन बढ़ती हुई विशाल सेना देश के प्रगति तथा सुरक्षा के लिये बड़ा भयंकर अभिशाप सिद्ध हो सकता है ।

आज ग्रामों में सब पुराने व्यवसाय समाप्त हो रहे हैं । छोटे छोटे कारीगर उजड़ते जा रहे हैं । गांव में कोई मोची, बढ़ई या दर्जी नहीं दिखाई देता है । हमारी दो विशाल योजनाओं के उपरान्त भी गांवों में लाखों भूमिहीन मंजह मारे मारे फिर रहे हैं । आज तक उनकी मजूरी की कोई यवस्था नहीं की जा सकी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

सरकार गांवों में शिक्षा का प्रचार बढ़ाना चाहती है। मगर इसके लिये उनको कैसी शिक्षा दी जा रही है। जो आदमी थोड़ा बहुत पढ़ लिख जाता है वह अपने पैतृक व्यवसाय से घृणा करने लगता है। और सफ़ेद कपड़ों वाली नौकरी के लिये शहर की ओर भागने लगता है। आज हमारे ग्राम हर भांति से उजड़ रहे हैं। इससे हमारे समाज में एक प्रकार का असन्तुलन पैदा हो गया है। सभी पुरानी पराम्पराएं, व्यवसाय तथा मान्यताएं बड़ी तेज़ी से नष्ट भ्रष्ट हो रही हैं।

दूसरी ओर पढ़े लिखे नवयुवकों में घोर निराशा फैल रही है। मेरे पास और मैं समझता हूं अनेक संसद् सदस्यों के पास प्रतिदिन पढ़े लिखे नवयुवकों के ऐसे पत्र आते रहते हैं कि वे चार वर्ष से बेकार हैं। उनके घर पर बूढ़े माता पिता भूखों मर रहे हैं। उनको कोई नौकरी नहीं मिल रही है। इस प्रकार बेरोज़गारी की समस्या हमारे लिये नम्बर एक समस्या बन गई है। मैं समझता हूं हमें इस समस्या को राष्ट्रव्यापी स्तर पर हल करने का प्रयास करना चाहिये। इसे खाद्य समस्या से भी अधिक महत्व देना चाहिये। इस समस्या को युद्धकालीन स्तर पर हल करने की कोशिश होनी चाहिये। यह एक बड़ी गम्भीर समस्या है। इसके निवारण के लिये सभी दलों को मिल कर काम करने की युक्ति निकालनी चाहिये। इसके लिये हमें गैर-सरकारी क्षेत्र का पूरा सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये।

सरकार ने इस विषय में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। उसने अशिक्षित लोगों के बारे में कुछ छानबीन भी की है। उसने इसके लिये कई राज्यों का दौरा भी किया है। इसके इलावा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण द्वारा भी इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त होती रहती है। कुछ विश्वविद्यालयों ने भी इस दिशा में कुछ कार्य किया है। किन्तु यह सारा कार्य बहुत अपर्याप्त सिद्ध हुआ है। मैं समझता हूं यदि हम इस समस्या का ठीक ढंग से हल करना चाहते हैं तब हमें प्रत्येक घर में जाकर पता लगाना चाहिये कि उसमें कितने व्यक्ति बेरोज़गार हैं उनकी क्या अर्हताएं व योग्यताएं हैं। अभी आपने रोज़गार दफ्तरों के बारे में एक शिव राव समिति नियुक्त की है। यह रोज़गार दफ्तर क्या हैं। मैं समझता हूं उनको बिल्कुल बन्द कर देना चाहिये।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री के सभा सचिव (श्री ल० ना० मिश्र)** : क्यों?

†**श्री दी० चं० शर्मा** : क्यों कि यहां पर अपना नाम दर्ज कराना मानों एक अग्नि परीक्षा पास करना है। फिर यदि किसी का नाम दर्ज भी हो तो उसको किसी बोर्ड या दफ्तर तक भिजवाना और भी दुस्तर है। यहां पर मानवता या शिष्टाचार नाम की कोई चीज़ नहीं दिखाई देती। ये दफ्तर बाबुओं की लताड़ और रौब दिखाने के अड्डे बन गये हैं। यहां पर बेरोज़गार नवयुवकों के प्रति तनिक सहानुभूति नहीं दिखाई देती। मैं ऐसे दफ्तरों के बन्द करने में कोई हर्ज नहीं समझता। हमें इसके स्थान पर कोई और उत्तम अभिकरण या तरीका निकालने की कोशिश करनी चाहिये। हमें बेकार ही इनकी संख्या बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं क्योंकि इतनी संख्या बढ़ा देने पर भी ये दफ्तर इस समस्या का तनिक भी समाधान नहीं कर पाये हैं। मैं समझता हूं जहां तक मांगों का सम्बन्ध है वहां पर पंचायतों को यह काम सौंपा जा सकता है। शहरों में इस काम के लिये हमें नगरपालिकाओं, स्कूलों व कालिजों व अन्य स्थानीय संस्थाओं की सहायता ले सकते हैं। इस प्रकार इन दफ्तरों की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती।

अभी कुछ दिन पहले यह प्रस्ताव रखा गया था कि इन दफ्तरों के स्थान पर विश्वविद्यालयों में नौकरी दिलाऊ कार्यालय खोल दिये जायें। मैं समझता हूं ऐसे कार्यालय बहुत लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। हमें प्रत्येक विश्वविद्यालय में तुरन्त ऐसे कार्यालय खोलने का प्रयत्न करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

सरकार ने बेरोज़गारी दूर करने के लिये जो प्रयत्न किये हैं जैसे श्रमिकों के केम्प लगाना, सहकारी समितियां बनाना तथा लघु-उद्योगों की स्थापना करना इत्यादि ये सब प्रयत्न बड़े सराहनीय हैं। परन्तु इन सब के बावजूद भी सरकार के इरादों और इन प्रयत्नों की उपलब्धियों में बड़ा अन्तर रह गवा है। और यह अन्तर प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। शायद लघु उद्योगों के अधिक सफल न हो सकने का एक कारण यह है कि इनके लिये आवश्यक कच्चा माल नहीं मिल पा रहा है। इसके इलावा सरकार की आयात नीति के कारण भी कुछ बेरोज़जगारी बढ़ गई है। सरकार ने यह आश्वासन दिया है कि वह बड़ी परियोजनाओं में और श्रमिक खपाने की कोशिश करेगी। किन्तु उस दिशा में भी कोई प्रगति नहीं दिखाई देती है। इसलिये मेरा निवेदन है कि सरकार को अपनी सारी नीतियों का सही सही तथा वैज्ञानिक ढंग से मूल्यांकन करने के लिये एक समिति बनानी चाहिये। इसके साथ ही उसे अपनी नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन करने चाहियें जिससे अतिवयस्क लोगों को पुनः नौकरियों में लेने की प्रथा को कम किया जा सके क्योंकि इससे सैकड़ों नौजवानों को रोज़गार से वंचित होना पड़ता है। हमें अपनी नींव को अधिक से अधिक सुदृढ़ करने के लिये नौजवानों को नौकरी के ज्यादा से ज्यादा मौके देने चाहियें। ऊंची वय वालों में अधिक नौकरियां बढ़ाने से देश को इतना लाभ नहीं पहुंच सकता जितना कि नौजवान लोगों से।

अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को गांवों को इतना आकर्षक बनाना चाहिये और वहां पर लोगों के लिये रोज़गार के ऐसे साधन पैदा करने चाहियें कि गांवों के लोगों का भारी संख्या में शहरों में आना रोका जा सके।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

†**श्री जाधव** (मालेगांव) : मैं अपना संशोधन संख्या २ प्रस्तुत करता हूं।

श्री ब्रज राज सिंह (फ़िरोज़ाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, बेकारी की समस्या आज देश में भयंकर रूप धारण किये हुए है और उसे देखते हुए ऐसा लगता है कि चाहे जितने भी साधन हम इस दूसरी पंचवर्षीय योजना को सफल बनाने के लिये जुटायें, हमारे देश का उत्थान नहीं हो सकेगा। इसलिये इस पृष्ठभूमि में हमें यह देखना होगा कि इस समस्या को किस तरह हल करें, ख़ास तौर से जहां ५० लाख नये लोग हर साल इस देश में पैदा हो जाते हों। उसके प्रति अगर सरकार भली प्रकार से जागरूक नहीं होती है तो मेरा निवेदन है कि हम किसी भी प्रकार अपनी योजना को सफल नहीं कर सकेंगे और ज़ाहिर है कि जब यह पंचवर्षीय योजना सफल नहीं होगी तो उनकी उन्नति भी कभी नहीं हो सकती। इसलिये बेकारी की समस्या को हमें एक नई पृष्ठ भूमि में देखना पड़ेगा।

हमारी जो यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना बनी है उसमें यह ध्यान रखा गया है और १५ हज़ार की पूंजी लगाने के बाद कहीं एक व्यक्ति को जाकर काम मिलता है। अब हिन्दुस्तान जैसे मुल्क में जहां पर बेकारों की संख्या करोड़ों में है यदि १५ हज़ार की पूंजी लगा कर एक आदमी को काम मिले तो हम उतनी पूंजी तो कभी भी जुटा नहीं सकते भले ही हम विदेशों में पूंजी क्यों न मांगते फिरें और विदेशों में हमारे द्वारा मांगने पर भी हम उतनी पूंजी नहीं जुटा पायेंगे जिससे कि हम अपने देश में फैली हुई बेकारी की समस्या को हल कर सकें। इसलिये हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कोई इस तरह का साधन अपनाया जा सकता है या तरीक़ा सोचा जा सकता है जिससे कि ८०० या १००० की पूंजी लगा कर किसी एक व्यक्ति को काम दिलाया जा सकता हो और अगर हम ऐसा कर सके तो इस समस्या को हल करने में बहुत आसानी होगी।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य अपना भाषण अगली बार जारी रख सकते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

*चाय (सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन) विधेयक

†**वित्त उपमंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : श्रीमान्, मैं प्रस्ताव करता हूं कि "चाय पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन करने के प्रयोजन से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

आप की अनुमति से मैं छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूं । जैसा कि सभा को विदित है, सरकार कुछ समय से चाय पर शुल्कों को थोड़ा कम करने के मामले के बारे में ध्यान दे रही है ताकि अन्य देशों में भी मूल्यों की प्रतियोगिता में हमारी चाय टिक सके । इस सम्बन्ध में अब निर्णय कर लिया गया है और यह विधेयक केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिनियम तथा भारतीय प्रशुल्क अधिनियम में संशोधन करने के लिये प्रस्तुत किया गया है । इस विधेयक के अन्तर्गत जो कि अस्थायी कर एकत्रण अधिनियम, १९३१ के अधीन की जाने वाली घोषणा के फलस्वरूप लागू होगा, निर्यात शुल्क की मात्रा ७५ नये पैसे प्रति पौण्ड से घटा कर ३० नये पैसे कर दी गई है । खुली चाय पर १९ नये पैसे प्रति पौण्ड शुल्क होगा । बन्द चाय का शुल्क २१ नये पैसे होगा ।

इसके अतिरिक्त एक अधिसूचना द्वारा भारत के चाय उत्पादन करने वाले क्षेत्रों को तीन भागों में विभक्त किया जायेगा जिन्हें भारत या भारत के बाहर बिकाने वाली चाय की मात्रा के अनुपात से निर्धारित किया जायेगा । वर्तमान में वर्ग १, २, ३ पर दो, चार तथा १० नये पैसे प्रति पौण्ड की दर से शुल्क लगाया जायगा । चाय बागान से खुली चाय के शुल्क से ऊपर बन्द चाय पर ३।। आने प्रति पाउंड शुल्क के स्थान पर अब २१ नये पैसे शुल्क रहेगा ।

एक दूसरी अधिसूचना के द्वारा निर्यात होने वाली चाय पर २६ नये पैसे प्रति पाउड का शुल्क लगेगा । बंद चाय पर २१ नये पैसे प्रति पाउंड के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क में कोई राशि न दी जायेगी ।

अतः इन अधिसूचनाओं के फलस्वरूप वर्ग १ की चाय पर कुल शुल्क भार २८ नये पैसे प्रति पाउंड रहेगा । इससे दस नये पैसे की कमी होगी । इसी प्रकार वर्ग २ की चाय का शुल्क ८ नये पैसे कम होगा और वर्ग ३ की चाय पर २ नये पैसे की कमी होगी । अतः तीनों प्रकार की चाय पर मूल्यानुसार करारोपण होगा । इस का परिणाम यह होगा कि हमारी चाय विदेशी मंडियों में प्रतियोगिता कर सकेगी ।

अनुमान है कि इससे वर्ष भर में सरकार को १।। करोड़ की हानि होगी ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि :

> "चाय पर सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क में परिवर्तन करने के प्रयोजन से भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम, १९४४ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

†**श्री ब० रा० भगत** : मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

*भारत के गजट—भाग २, अनुभाग २ तारीख २७.९.५८ में प्रकाशित ।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित ।

अमरीका को रूई का संभरण

†**श्री रामेश्वर टांटिया** (सीकर) : श्रीमान्, कपास के सम्बन्ध में सब से महत्वपूर्ण बात तो यह है कि छोटे रेशे वाली रुई का निर्यात कम होता जा रहा है १९५५ में हम ने ४,६५,००० गांठों का निर्यात किया था किन्तु १९५६ में केवल मात्र ३।। लाख गांठों का ही निर्यात किया है । १९५७ में और भी कम निर्यात हुआ है ।

इस का कारण एक ही है कि हमारी सरकार ने फसलों का ठीक अन्दाज न लगा कर विदेशियों को कम कोटा दिया । यदि कोटा ठीक दिया जाता तो किसानों को भी रुई की अच्छी आय मिल जाती । पाकिस्तान ही हम से ज्यादा धन इस दृष्टि से कमा रहा है ।

दूसरी बात यह है कि हम छोटे रेशे वाली रुई निर्यात करके लम्बे रेशे वाली रुई मिश्र आदि से मंगवाते हैं । निर्यात से हम २४ करोड़ कमाते थे किन्तु आयात पर ५४ करोड़ व्यय करते हैं । विदेशी मुद्रा की हमारे यहां तो पहले ही बहुत अधिक कमी है । क्या हम अपनी रुई का स्वयं प्रयोग ही नहीं कर सकते ?

हमें चाहिये कि थोड़ा मोटा कपड़ा पहन लें । यदि इस प्रकार रुई का आयात करते रहे तो क्या बनेगा ? हमारी अपनी रुई के ढेर लगते जा रहे हैं और उधर हम बाहर से मंगवा रहे हैं । यह हमारे हित की बात नहीं है ।

कुछ लोग शायद यह कहें कि अच्छी रुई के आयात न करने से हमारे कारखाने बंद हो जायेंगे । यह भी ठीक नहीं । निकम्मी रूई के लिये अच्छे कारखाने काम में लाये जा सकते हैं । इसी प्रकार यह सब होने के अतिरिक्त हम अच्छा कपड़ा भी आयात करते हैं । क्या सरकार धनवानों को समझा नहीं सकती कि वे सब मोटा कपड़ा पहनने लगें ।

इसके अतिरिक्त सरकार को कोटा भी स्वच्छन्द रूप से देना चाहिये । पाकिस्तान ही हम से तो अधिक स्पष्ट और अधिक शुद्ध अनुमान लगा लेता है । हमें अपनी रुई की कोटि सुधारने के लिये भी अच्छी तरह से ध्यान देना चाहिये ।

श्री रघुनाथ सिंह : (वाराणसी) : उपाध्यक्ष महोदय, आज जो इस सदन में कौटन के सम्बन्ध में चर्चा चल रही है यह मेरे उस सवाल को लेकर है जो कि मैं ने अभी थोड़े दिन पहले इस सदन में पूछा था । मेरा सवाल यह था कि यू० एस० ए० को जो हमारे देश से शौर्ट स्टेपुल कौटन एक्सपोर्ट होती है उसमें कमी क्यों हो रही है । हिन्दुस्तान ने यू०एस०ए० को जहां सन् १९५४-५५ में १७०४१ बेल्स एक्सपोर्ट कीं वहां पाकिस्तान ने उसी साल में यू० एस० ए० को ११२५० गांठें एक्सपोर्ट कीं । सन् १९५७-५८ में जाकर हिन्दुस्तान ने केवल ३००० बेल्स एक्सपोर्ट कीं जब कि उसी साल में पाकिस्तान ने यू० एस० ए० को १०३०० बेल्स एक्सपोर्ट कीं । दो वर्ष के अन्दर हमारे देश की गांठें १७००० से घट कर केवल ३००० रह गईं । इस शोचनीय स्थिति को देखते हुए यह चर्चा उठाई गई थी । हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान द्वारा हमारे कौटन के मार्केट को कैप्चर किया जा रहा है, हमारा एक्सपोर्ट घटता जा रहा है, उसका बढ़ता जा रहा है । श्री रामेश्वर टांटिया ने जो इस सम्बन्ध में कहा है वह बिलकुल ठीक ही कहा है ।

इसके अलावा इस कौटन के क्षेत्र में हमारे दो प्रतियोगी और पैदा हो गये हैं, एक चीन और दूसरा सोवियट रूस । थोड़े दिनों के बाद सोवियट रूस भी कौटन के सम्बन्ध में हमारा कम्पीटीटर

---

*आधे घंटे की चर्चा

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रघुनाथ सिंह]

हो सकता है क्योंकि ताज़िकस्तान, उजिबकस्तान और र्तकिस्तान में कौटन बहुत अधिक तादाद में पैदा की जा रही है। हमारे मुकाबले रूस की कौटन बहुत सस्ती है और अगर हम अब भी नहीं चेते तो हम उस मार्केट को भी खो देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन हुए यहां पर कोयले के विषय में चर्चा चली थी। मैंने उस दिन कहा था कि आज ३९ देशों में से केवल ७ देशों में हमारा कोयला जाता है। लगता यह है कि जैसे हम कोयले का मार्केट लूज करते जा रहे हैं उसी प्रकार से हमारा कौटन का एक्सपोर्ट भी कम होता जा रहा है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आयरन ओर्स हम जापान और दूसरे मुल्कों में भेज कर फ़ारेन एक्सचेंज कमाना चाहते हैं लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आयरन ओरस के क्षेत्र में भी हमारा कम्पीटीटर पैदा हो गया है। मलाया संघ में आयरन ओरस की माइंस निकल आयी हैं। जापान का मलाया फ़ेडरेशन के साथ वहां से ओरस लेने के बारे में एग्रीमेंट हो गया है। आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब हम कौटन के मार्केट को लूज़ कर रहे हैं, कोयले के एक्सपोर्ट का मार्केट हम खो चुके हैं और आयरन ओर्स के मार्केट को भी हम खोने जा रहे हैं तब ऐसी हालत में फ़ारेन एक्सचेंज को जिसकी कि हमें सख्त ज़रूरत है कैसे अपने यहां पर ला सकते हैं। मैं इस अवसर पर सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि अब भी समय है, हम चेतें और जो मार्केट अभी भी हमारे पास है उसको तो क़ायम रखें और उसको अपने पास से निकलने न दें। अब फ़ारेन एक्सचेंज मनी जिसके कि लिये हम इतना शोर मचाते हैं और देश देश घुमते हैं वह तो हमारे पास तभी आयेगा जब हम अपने माल को विदेशों में एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन आज खेद का विषय है कि हम अपना एक्सपोर्ट मार्केट लूज़ करते जा रहे हैं।

मेरे पास समय बहुत कम है इसलिये और अधिक न कहते हुए अपने मंत्री महोदय श्री लाल बहादुर शास्त्री से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर गम्भीरता से विचार करें। वन वे ट्रैफिक से काम नहीं चलेगा। टू वे ट्रैफिक होनी चाहिये। आज उन मुल्कों से एक आवाज़ यह उठ रही है। हिन्दुस्तान हमारा सामान नहीं लेना चाहता, अपना सामान बेचना चाहता है। साउथ ईस्ट एशिया और अन्य स्थानों से भी यही आवाज़ उठ रही है कि चूंकि हिन्दुस्तान हमारा सामान नहीं लेना चाहता इस वास्ते हम भी हिन्दुस्तान का सामान नहीं मंगाना चाहते। इसके लिये हमें कोई उपाय ढूंढना चाहिये जिससे कि हिन्दुस्तान के हाथ से एक्सपोर्ट मार्केट न चला जाय।

सरदार इकबाल सिंह (फीरोज़पुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां पर इस सिलसिले में जो लोग कौटन पैदा करते हैं उनका प्वाइंट आफ़ व्यू रखना चाहता हूं।

यह जो हमारे कौटेन के एक्सपोर्ट मार्केट में कमी हुई है उसकी सब से बड़ी वजह यह रही है कि एक्सपोर्ट के सिलसिले में गवर्नमेंट आफ़ इंडिया ने कभी कोई डिसाइसिब पालिसी नहीं बर्ती। आज तक गवर्नमेंट की कौटेन एक्सपोर्ट के मुताल्लिक़ पालिसी यह रही है कि वह नवम्बर या दिसम्बर के आख़िर में अपनी पालिसी एनाउन्स करती है। इसके कारण जहां हिन्दुस्तान दूसरे मुल्कों में कौटेन का मार्केट लूज़ करता है वहां हिन्दुस्तान में जो कौटेन के पैदा करने वाले लोग हैं और ख़ास करके शुमाली हिन्दुस्तान के जैसे पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के अन्दर जो लोग कपास पैदा करते हैं उनको बहुत नुक़सान होता रहा है। गवर्नमेंट की तरफ़ से ऐसा करने के लिये सब से बड़ी वजह यह बतलाई जाती है कि जब तक फ़ाइनल एस्टिमेट्स न आ जायें उस वक्त तक वह अपनी पालिसी एनाउन्स नहीं कर सकती। अब इसके लिये मेरा यह कहना है कि इस पालिसी के कारण हर साल तक़रीबन ६ लाख कौटेन बेल्स हिन्दुस्तान की मिलों के पास पड़ी रह जाती हैं। गवर्नमेंट के एस्टिमेट्स ठीक नहीं होते हैं और होता यह है कि एक लाख बेल्स का पहले एनाउन्समेंट किया जाता है और

उसके बाद फिर एक लाख वेल्स का एनाउन्समेंट होता है और आज पंजाब की मंडियों में यह हालत है कि हालांकि साल का खात्मा है लेकिन मैं समझता हूं कि पंजाब में एक लाख कोटेन सरप्लस वेल्स पड़ी होंगी और जिनकी कि क़ीमत कोई ३२ से ४० करोड़ रुपये तक होगी। आज पंजाब की उस सरप्लस कोटेन को कोई लेने वाला नहीं और गवर्नमेंट की डिफ़ेक्टिव पालिसी के कारण आज हम दुनिया में कोटन का एक्सपोर्ट मार्केट लूज़ करते जा रहे हैं। हिन्दुस्तान में लोगों के पास पर्चेजिंग पावर नहीं है कि वह काफ़ी मात्रा में जो कौटेन हम प्रोड्यूस करते हैं उसको खरीद सकें। मैं ने इस सम्बन्ध में एक क्वैश्चन भी किया था और सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया था। गवर्नमेंट की इस डिफ़ेक्टिव पालिसी का सब से खराब एफ़ैक्ट कपास पैदा करने वालों पर पड़ता है। इस सम्बन्ध में सेंट्रल कौटन कमेटी ने भी यह कहा है कि गवर्नमेंट कम से कम सितम्बर के आखिर में कोटन के मुताल्लिक़ अपनी पालिसी एनाउन्स कर दे। गवर्नमेंट आफ़ इंडिया को इस देश के मिल ओनर्स का ज्यादा खयाल रहता है और उनका प्वाइंट आफ़ व्यू बाहर चला जाता है और जिसका कि नतीजा यह होता है कि बाहर का मार्केट हम लूज़ करते हैं और हिन्दुस्तान में जो कपास पैदा करते हैं उनको हम नुक़सान पहुंचाते हैं और उनको एक अच्छी और मुनासिब क़ीमत नहीं मिल पाती है। आज यह पता नहीं रहता कि हिन्दुस्तान के बाहर कितनी कोटेन जाती है और यहां पर कितनी खपती है, बिना इसका एस्टिमेट हुए कौटेन पालिसी का गवर्नमेंट एनाउन्समेंट नहीं कर सकती। अपने देश की मिलों की यह पोज़ीशन है कि वे कपास खरीदना नहीं चाहतीं और उनको उचित पेमेंट नहीं करतीं और जिसका कि नतीजा यह होता है कि जो कपास पैदा करते हैं उनको उसमें नुक़सान पहुंचता है। और हम कौटेन का फ़ौरेन मार्केट लूज़ करते हैं। इसलिये सब से पहले गवर्नमेंट को एक डिसाइसिव पालिसी हर साल एनाउसन्स करनी चाहिये और वह पालिसी बहुत जल्दी सितम्बर में एनाउन्स कर देनी चाहिये ताकि दुनिया वाले यह जान सकें कि हिन्दुस्तान ने इस साल इतनी कौटेन एक्सपोर्ट करनी है और ऐसा होने से यह हालत तो नहीं होगी जो कि आजकल हमारे पंजाब में आज क़रीब १ या सवा लाख गांठें सरप्लस पड़ी हुई हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जिस वक्त कि पाकिस्तान बना उस वक्त सारा पंजाब सवा लाख या डेढ़ लाख के क़रीब कपास की गांठें तैयार करता था जो कि मैं समझता हूं कि दुनिया का कोई भी देश और कम्मुनिस्ट देश उसमें हमारा मुक़ाबला नहीं कर सकता और पिछले चन्द सालों में हम ने ४ लाख से लेकर साढ़े ८ लाख तक वेल्स पैदा की हैं और कौटन प्रोडेक्शन के फ़िगर में हम ने नुमांया तरक्की की है। यह सब होते हुए भी आज जब हम देखते हैं कि हमारे पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के किसानों को नुकसान होता है तो हमारे दिल को ठेस लगती है और मेरी गवर्नमेंट से अर्ज़ है कि वह इस ओर ध्यान दे और मैंने इस बारे में जो चन्द एक सुझाव दिये हैं उन पर गौर करे।

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** इस समय इस विषय पर व्यौरात्मक जानकारी तो दी जा सकती है किन्तु ५/७ मिनट में नीति सम्बन्धी विषयों पर किसी प्रकार की चर्चा सम्भव नहीं है।

दो या तीन सदस्यों ने नीति सम्बन्धी बातों को उठाया है—किन्तु मैं यह कहूंगा कि जिन बातों पर उन्होंने अपनी रायें बनाई हैं वह गलत हैं।

कहा गया है कि हमारी रुई का निर्यात कम हो गया है किन्तु यह गलत है। गत छः वर्ष के आंकड़े मेरे पास हैं जिनसे पता चलता है कि प्रत्येक वर्ष ३ लाख गांठों का निर्यात होता रहा है। अगस्त १९५८ में समाप्त होने वाले वर्ष में भी तीन लाख गांठों का निर्यात हुआ है। १९५५-५६ में

†मूल अंग्रेजी में

[श्री सतीश चन्द]

अवश्य पांच लाख गांठों का निर्यात हुआ था । किन्तु एक वर्ष केवल एक लाख गांठों का ही निर्यात हुआ था । औसत तीन लाख गांठों की है ।

श्री टांटिया ने यह भी पूछा कि हम स्वदेशी रुई का प्रयोग क्यों नहीं करते । हम तो स्वतः आयात कराने का प्रयत्न कर रहे हैं । गत वर्षों में आयात कम होता जा रहा है । १९५२-५३ में हम ने ६.७ लाख गांठों का आयात किया था किन्तु १९५७-५८ में केवल चार लाख गांठों का ही आयात किया है । अतः हम शनैः शनैः आयात घटाने का प्रयास कर रहे हैं ।

उन्होंने यह भी कहा कि हमारे पास रुई का अतिरेक है । यह बात भी समझ में न आई । १९५७-५८ में स्वदेशी रुई की ५१ लाख गांठें बनी थीं जिनमें से तीन लाख का निर्यात हुआ हमारी अपनी खपत ४५ लाख गांठों के लगभग है । तीन लाख गांठें हम रजाइयों इत्यादि में प्रयोग कर लेते हैं । ई से ो लिबास भी बनता है । इस प्रकार हमारे पास रुई का अतिरेक तो होता ही नहीं । यदि हम अधिक निर्यात करें तो देशी खपत के लिये हमें कम रुई मिले ।

हां हमें थोड़ा स्टाक तो रखना ही पड़ता है क्योंकि हमारे देश में ४०० कारखाने कपड़ा बनाने के हैं ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : (हिसार) : क्या यह दुरुस्त नहीं है कि ंजाब में सवा लाख बेल्ट काटन सरप्लस हैं जिसको न मिल वाले खरीद रहे हैं और न आप बाहर भेजने देते हैं । इसका क्या होगा । 'हिसाब ज्यों का त्यों कुनबा डूबा क्यों' वाली बात हो रही है ।

†**वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री)** मुझे आप इजाजत दें तो मैं पंजाब के बारे में आंकड़े पढ़ दूंगा ।

३१ अगस्त, १९५७ को मिलों के पास १.५५ लाख गांठों का स्टाक था । मंडियों में .१५ लाख गां ें थीं । १९५७-५८ की फसल का अनुमान ५.५६ लाख गांठें था अर्थात् कुल जोड़ ७.२६ लाख गां ें हुआ । ९ मास की चालू खपत ५.२८ लाख गांठों की है । तीन महीने के लिये अनुमानित लागत १.७६ लाख गांठों की है । अतः उपलब्ध गांठें हैं ७.२६ लाख और खपत है ७.०४ लाख गांठों की । अतः स्टाक की स्थिति यही है ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : यह ठीक होगा किन्तु २५,००० गांठें तो मेरे ज़िले में हैं और शेष पंजाब में हैं । नका क्या होगा ?

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : स्टाक के निर्यात का मामला हमारे हाथ में तो है नहीं । हम तो कोटा की उद्घोषणा करते हैं शेष काम व्यापारियों का है । हम इस बात पर भी ध्यान रखते हैं कि कारखानों को किसी प्रकार की कमी का अनुभव न हो । कपड़े की अ िक मात्रा के कारण पंजाब की रुई की खपत नहीं हो सकी है । हमें थोड़े समय के लिये इस बात पर ध्यान देना है । जब मिलों में चौबीस घण्टे काम आरम्भ हो जायेगा तब यह ई भी खप जायेगी । अतः उस समय तक माननीय सदस्य को प्रतीक्षा करनी पड़ेगी ।

†**पंडित ठाकुर दास भार्गव** : इसका अर्थ तो यह हुआ कि हम तो कारखानों के हाथों में ही हैं । आप उन्हें खरीदने के लिये कहें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : हम उन्हें बाध्य नहीं कर सकते । कोई ऐसी विधि है क्या ? आखिर यह व्यापार सम्बन्धी विषय है । वे भी तो किसी विशेष कठिनाई के कारण ही स्टाक खरीद नहीं रहे हैं । वैसे सदैव ही यह रुई खप जाती थी । हम उन्हें किसी भी प्रकार से बाध्य नहीं कर सकते किन्तु इस समय हमारी स्थिति उतनी खराब नहीं है । हम इस बात पर विचार करेंगे कि हिसार की कपास का क्या करें । इस समय हम ज्यादा कोटा नहीं दे सकते । इसके बावजूद भी हम इस मामले पर विचार करेंगे ।

सरदार इकबाल सिंह : डिप्टी स्पीकर साहब, मैं एक चीज आनरेबिल मेम्बर की खिदमत में पेश करना चाहता हूं । वह यह है कि इस महीने की १२ तारीख को सेंट्रल काटन कमेटी की मीटिंग हुई थी जिसमें आफिशियली (अधिकृत रूप से) यह फिगर सरकुलेट किया गया था कि अकेले पंजाब में १.२५ लाख बेल काटन के सरप्लस हैं । मेरे फिगर जो हैं वे सेंट्रल काटन कमेटी के दिये हुए फिगर हैं । अब पंजाब में काटन का नया सीजन आ रहा है । मिल वाले काटन खरीद नहीं रहे हैं । आपका फिगर चाहे कुछ हो लेकिन पंजाब की कपास का कोई खरीदार नहीं है ।

चौ० रणबीर सिंह : (रोहतक) : इसका नतीजा यह होगा कि लोग कपास कम बोयेंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबिल मिनिस्टर साहब जो कुछ और कहना चाहते हैं तो कह दें या अगर वह चाहें तो हाउस के मेज पर रख दें ।

श्री सतीश चन्द्र : श्री रघुनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान की प्रतियोगिता का मामला उठाया । भारत तो अपनी ९० प्रतिशत रुई की खपत घर में ही कर लेता है । पाकिस्तान में इतने कारखाने ही नहीं वे इसकी खपत ५० प्रतिशत से अधिक नहीं कर सकते । अतः पाकिस्तान के पास ज्यादा रुई बची रहती है जिसे वह बाहर भेज सकते हैं । यदि माननीय सदस्य गत वर्षों के आंकड़े देखें तो उन्हें पता चलेगा कि.......

†**श्री रघुनाथ सिंह** हिन्दुस्तान ने १४ हजार बेल का मार्केट लूज़ किया है और पाकिस्तान ने ११ लाख बेल का मारकेट बढ़ाया है । क्या हमारा फिगर गलत है ।

श्री सतीश चन्द्र : जैसा कि मैं ने आपको बतलाया, हिन्दुस्तान ने कोई मारकेट लूज़ नहीं किया है

श्री रघुनाथ सिंह : हम ने अमरीका में लूज़ किया है जिसके हम फिगर दे रहे हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : हमारे जो तीन लाख बेल एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से कुछ हजार ही अमरीका को जाते हैं । अगर आप उस फिगर पर ही अपनी राय कायम कर रहे हैं तो गलत है । आप देखें कि साल में हमारा जो एक्सपोर्ट हुआ है वह पिछले ६ साल के बराबर है यानी तीन लाख बेल सालाना ।

चौ० रणबीर सिंह : हमें डालरों की ज्यादा जरूरत है इसलिये यह कह रहे हैं ।

श्री सतीश चन्द्र : इस समय पाकिस्तान का सवाल है और यह मैं मानता हूं कि पाकिस्तान हम से ज्यादा काटन बाहर भेजता है । लेकिन यह तो वह हमेशा से कर रहा है । मुझे खेद है, समय के अभाव के कारण, अब कुछ कहने की गुंजाइश नहीं है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा समाप्त हो गई । अब सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित होनी है ।

इसके पश्चात् लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[शनिवार, २७ सितम्बर, १९५८]

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	४२४१—७५
तारांकित प्रश्न संख्या		
१६४३-क	खुले माल-डिब्बों में खाद्यान्न का ले जाया जाना	४२४१–४२
१६४४	दामोदर घाटी निगम के लिए नौकाओं की खरीद	४२४३–४४
१६४५	हथगोलों के सम्बंध में पुलिस की जांच	४२४४–४५
१६४६	अन्तर्देशीय जल परिवहन	४२४५—४७
१६४७	कृषि उत्पाद का परिरक्षण	४२४७–४८
१६४८	'कोसियल' प्रकार के भूमिगत टेलीफोन	४२४८–४९
१६४९	क्लोरीन मिश्रित तारपीन का तेल	४२४९
१६५१	नाविक कल्याण सम्मेलन	४२४९–५०
१६५२	'कर्मठ दस्ते'	४२५०—५२
१६५५	सम्बलपुर-तीतलगढ़ रेलवे लाइन	४२५२—५४
१६५७	हीराकुड बांध परियोजना	४२५४—५७
१६५८	चीनी के निर्यात के सम्बन्ध में प्रतिनिधिमण्डल	४२५७—५९
१६५९	रेलवे लाइन को दोहरा करना	४२५९–६०
१६६०	चारा उत्पादन	४२६०—६३
१६६४	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् में स्नातकोत्तर स्कूल	४२६३–६४
१६६५	रेल मार्ग के लिये फैरो-कंकरीट के स्लीपर	४२६५
अल्प सूचना प्रश्न संख्या		
१७	विदर्भ में बीड़ी के कारखानों का बन्द हो जाना	४२६५—६७
१८	इंडियन एयर लाइन्स कारपोरेशन को हुआ घाटा	४२६७—६९
१९	बोस जांच बोर्ड की रिपोर्ट	४२६९—७१
२०	केरल में खाद्य स्थिति	४२७२—७५

विषय | पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर . . . . . ४२७५—४३६३

तारांकित प्रश्न संख्या

१६५०	रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारियों की आयु सीमा .	४२७५
१६५३	'एम० वी० अन्डमन्स' में यात्रियों को सुविधाएं .	४२७५–७६
१६५४	कलकत्ता को खाद्यान्नों का संभरण	४२७६
१६५६	कृषि विकास . . .	४२७६–७७
१६६१	खाद्य पदार्थों का पैकिंग . .	४२७७
१६६२	अगरताला नगरपालिका .	४२७७
१६६३	दिल्ली में मजदूरों के लिए झोंपड़ियां	४२७७–७८
१६६६	रेलों द्वारा ले जाया जाने वाला माल .	४२७८
१६६७	गेहूं उत्पादों सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति	४२७८
१६६८	अखिल भारतीय रेलवे अनुसचिवीय कर्मचारी संघ .	४२७८
१६६९	माधोपुर से आगे रेलवे लाइन का बढ़ाया जाना . .	४२७९
१६७०	शाहदरा में अस्पताल की इमारत . . .	४२७९
१६७१	भारतीय कृषि गवेषणा परिषद् .	४२७९
१६७२	लाहौल क्षेत्र में डाक सेवायें . .	४२८०
१६७३	काजीपेट और बलहारशाह के बीच रेलवे लाइन . .	४२८०
१६७४	दिल्ली छावनी में बिजली का न दिया जाना .	४२८०–८१
१६७५	दिल्ली में गेहूं की कीमतें . .	४२८१
१६७६	पहाड़ी क्षेत्रों में खाद्यान्नों का लाना ले जाना . .	४२८१
१६७७	राष्ट्रीय राजपथ संख्या ६ के लिये भूमि का अर्जन .	४२८२
१६७८	केरल में समुद्र द्वारा भूमि का कटाव . .	४२८२
१६७९	प्रशासी रेडियो सम्मेलन . .	४२८३
१६८०	रेलवे प्रशासन द्वारा भांडारों की खरीद . . .	४२८३
१६८१	अधिनियमों का निरसन . . .	४२८३
१६८२	सिगनलर	४२८४
१६८३	पम्बन नहर . . .	४२८४–८५
१६८४	खाद्य उत्पादन के लक्ष्य	४२८५
१६८५	नसली सांड	४२८५
१६८६	स्थिति क्षेत्र में डाक सेवायें . .	४२८५–८६
१६८७	पंजाब में गेहूं के भांडारों पर कब्जा कर लेना . .	४२८६

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

१६८८	मनीपुर में भू-बन्धक बैंक	४२८६
१६८९	उत्तर प्रदेश के लिए छोटी सिंचाई योजना	४२८६-८७
१६९०	दक्षिण दिल्ली में दूषित जल का संभरण	४२८७
१६९१	तूफान की चेतावनी देने वाला रडार यंत्र	४२८७
१६९२	अन्दमान द्वीप समूह में जंगलों का विकास	४२८८
१६९२-क	महाराष्ट्र (बम्बई) में चीनी के सहकारी कारखाने	४२८८
१६९३	भाखड़ा नांगल परियोजना के अन्तर्गत सिंचाई तथा विद्युत् कार्य	४२८८-८९
१६९४	रुद्रपुर में ग्राम्य विश्वविद्यालय	४२८९
१६९५	चरागाहों का सुधार	४२८९
१६९६	गन्ने की कीमतें	४२८९
१६९७	मनीपुर में लीमखोंग विद्युत व्यवस्था	४२९०
१६९८	अंदमान द्वीप समूह का वन विभाग	४२९०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२८७०	अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों का चुनाव	४२९०
२८७१	रेलवे में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित आदिम जातियों और एंग्लो-इण्डियनों के लिये पद संरक्षण	४२९०
२८७२	टेलीफोन के कनैक्शन	४२९१
२८७३	दक्षिण पूर्व रेलवे के लोबो रोड में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४२९१
२८७४	तम्बाकू के पौधे	४२९२
२८७५	शिलांग गौहाटी रेल सम्पर्क	४२९२
२८७६	रेलवे बोर्ड पुनर्गठन योजना	४२९२
२८७७	रेलवे बोर्ड के कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी	४२९३
२८७८	मालगाड़ियों का लूटा जाना	४२९३-९४
२८७९	रेलवे बोगी में आग	४२९४
२८८०	मनीपुर का चिकित्सा विभाग	४२९४
२८८१	सकड़ी-गलीघाट और मनीहारीघाट पर माल लादने और उतारने के ठेके	४२९५

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२८८२	मनिहारीघाट पर सामान को उतारने चढ़ाने के पुराने ठेकेदारों को भुगतान . . .	४२९५–९६
२८८३	द्वितीय पंचवर्षीय योजना में बिजली पर पूंजीगत व्यय .	४२९६
२८८४	बिहार अन्तर्देशीय जल परिवहन जांच समिति	४२९६
२८८५	भारतीय नदियों की सिंचाई तथा विद्युत् सम्बन्धी क्षमता	४२९७
२८८६	पाकिस्तान को जल संभरण	४२९७
२८८७	पाकिस्तान को विद्युत् संभरण	४२९७–९८
२८८८	हांसी और सातरोड के बीच रेल का फाटक	४२९८
२८८९	चरखी दादरी स्टेशन पर रेल का फाटक	४२९८–९९
२८९०	इन्फलुएंजा महामारी	४२९९
२८९१	वायुयान . .	४२९९
२८९२	रेलवे के माल डिब्बों से कपड़े की गांठों की चोरी .	४२९९
२८९३	सवारी गाडियों की जांच के लिए कर्मचारी	४३००
२८९४	त्रिपुरा में चावल तथा धान की वसूली	४३००
२८९५	मालगाड़ियों का लूटा जाना . .	४३००–०१
२८९६	मालगाड़ियों का लूटा जाना . .	४३०१
२८९७	कानपुर में विश्राम गृह	४३०१
२८९८	सोनपुर स्टेशन पर पानी की कमी	४३०१–०२
२८९९	सैलूनें . .	४३०२–०३
२९००	रद्दी माल-डिब्बे और यात्री-डिब्बे .	४३०३–०४
२९०१	खेती के प्रयोजन के लिये बिजली	४३०४–०५
२९०२	स्लीपर बनाने की मशीनें .	४३०५
२९०३	कल्याण, सेंट्रल रेलवे, को भेजी गयी विशेष भोजन गाड़ी	४३०६
२९०४	यात्रा को सुरक्षित बनाने के लिये विशेष कर्मचारी	४३०६–०७
२९०५	खड़गपुर रेलवे वर्कशाप .	४३०७
२९०६	रेलवे भाड़ा दरें . . .	४३०७
२९०७	हीराकुड जलाशय	४३०८
२९०८	मुख्य पत्तनों पर बोरों में बन्द माल की डिलीवरी	४३०८–०९
२९०९	उत्तर रेलवे में सीमेंट की चोरी	४३०९
२९१०	रेलवे वर्कशापों के कर्मचारी . .	४३०९
२९११	आन्ध्र प्रदेश में नई रेलवे लाइनें .	४३०९–१०

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२६१२	पंजाब में मत्स्य पालन केन्द्रों का विकास	४३१०
२६१३	पर्यटन कार्यक्रम	४३१०-११
२६१४	रेलवे लाइनों तथा पुलों को बाढ़ के कारण हानि	४३११
२६१५	पत्तन तथा गोदी कर्मचारी	४३११
२६१६	प्रदीप बन्दरगाह	४३१२
२६१७	कृषि विभाग के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये स्टाफ़ कालेज	४३१२
२६१८	बी० सी० जी० आन्दोलन	४३१२-१३
२६१९	रेलवे स्कूल	४३१३-१४
२६२०	क्षेत्रिकीय सर्वेक्षण	४३१४
२६२१	वायनाड में वेनीला तथा कपूर के पेड़	४३१५
२६२२	रेलवे सेवा आयोग	४३१५
२६२३	रेलवे की भूमि पर अनाधिकार कब्जा	४३१६
२६२४	सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड	४३१६
२६२५	पंजाब में डाक तथा तार विभाग में महिला कर्मचारी	४३१६
२६२६	पंजाब के राष्ट्रीय राजपथों पर डाक बंगले	४३१६-१७
२६२७	भोजन व्यवस्था	४३१७
२६२८	रेलवे स्टेशनों पर शिकायत पुस्तिकायें	४३१७
२६२९	नलकूप	४३१७-१८
२६३०	चारे का उत्पादन	४३१८
२६३१	बैलों से प्राप्त होने वाली शक्ति	४३१८-१९
२६३२	चीनी के कारखाने	४३१९-२०
२६३३	त्यौहार	४३२०
२६३४	पदाधिकारियों की सेवा का लेखा	४३२१
२६३५	दुजाना हाउस, दिल्ली	४३२१
२६३६	रेलवे कर्मचारियों द्वारा अधिक कार्य	४३२१-२२
२६३७	तूतिकोरिन बन्दर का विकास	४३२२
२६३८	चतुर्थ श्रेणी के पदों के लिये आवेदन पत्र	४३२३
२६३९	उत्तर रेलवे में टी० टी० ई०	४३२३
२६४०	गंगा नदी द्वारा भूमि का कटाव	४३२३-२४

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमश):

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९४१	गंगानदी द्वारा भूमि का कटाव . . .	४३२४
२९४२	सुपारी का आयात	४३२४
२९४३	कोसी के तट बन्ध . . .	४३२५
२९४४	एल्गिन ब्रिज	४३२५
२९४५	पूर्वोत्तर रेलवे की समस्तीपुर-दरभंगा ब्रांच में पानी की निकासी .	४३२५–२६
२९४६	रेलवे में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की भर्ती . .	४३२६
२९४७	एल्लोर का ऊपरी पुल . . .	४३२६–२७
२९४८	बीमा और बिलासपुर के बीच एक्सप्रेस गाड़ी .	४३२७
२९४९	सागर रेलवे स्टेशन	४३२७
२९५०	अनाज का निर्यात	४३२७–२८
२९५१	हीराकुड बांध के नहरी पानी का उपयोग .	४३२८
२९५२	दिल्ली की गन्दी बस्तियां . .	४३२८–२९
२९५३	रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, रोयापुरम् . .	४३३०
२९५४	रेलवे प्रिंटिंग प्रेस, रोयापुरम् . .	४३३०
२९५५	रेलवे तार घर का स्थानान्तरण . . .	४३३०–३१
२९५६	तार कर्मचारी	४३३१–३२
२९५७	दिल्ली में वैद्य . . .	४३३२
२९५८	गवेषणा योजनायें	४३३२
२९५९	फलों के पेड़ और अरंडी के पौधे . .	४३३२–३३
२९६०	नई दिल्ली नगर पालिका समिति को दी जाने वाली बिजली और पानी के शुल्क की बकाया राशि . .	४३३३
२९६१	स्थानों का फर्जी आरक्षण . . .	४३३३–३४
२९६२	दामोदर घाटी निगम की नहरें . . .	४३३४
२९६३	दामोदर घाटी निगम की नहरों पर पुल . .	४३३४–३५
२९६४	दामोदर घाटी निगम .	४३३५
२९६५	दामोदर घाटी निगम की नहरें .	४३३५
२९६६	रेलवे गजट	४३३६
२९६७	बम्बई के जनरल पोस्ट आफिस में सामान रखने की जगह की कमी के कारण हुई हानि . . .	४३३६–३७

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२९६८	केन्द्रीय वर्कशाप, अमृतसर . .	४३३७
२९६९	रिजर्वेशन क्लर्क . . .	४३३७
२९७०	अनुसचिवीय सेवाओं में क्लर्क . .	४३३८
२९७१	दूध और मांस	४३३८--३९
२९७२	हिसार तथा रोहतक की गायें . .	४३३९
२९७३	रेलवे संस्थाओं में अध्यापक	४३३९--४०
२९७४	तिरू-उत्तरकोशामंगाई पर स्टेशन . . .	४३४०
२९७५	मद्रास में तपेदिक के क्लिनिक . . .	४३४०
२९७६	उत्तर रेलवे में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों की प्रतिशतता	४३४१
२९७७	उत्तर रेलवे पर कर्मचारियों को भुगतान	४३४१
२९७८	रेलवे संरक्षण बल	४३४१--४२
२९७९	रेलवे प्राशिक्षण स्कूल	४३४२
२९८०	रेलवे संरक्षण बल	४३४२
२९८१	दुर्घटना रोकने का यंत्र .	४३४२--४३
२९८२	कोसी के तटबन्ध . . .	४३४३
२९८३	बरेली और मुरादाबाद के बीच दुहरी रेलवे लाइन .	४३४३
२९८४	टी० टी० ई० . . .	४३४३--४४
२९८५	रतलाम में रेलवे कर्मचारियों के लिये क्वार्टर	४३४४
२९८६	खगराघाट स्टेशन पर बिजली . .	४३४४--४५
२९८७	निमतीता स्टेशन पर यात्री सुविधायें . .	४३४५
२९८८	खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के अधीन समितियां .	४३४५--४६
२९८९	अत्यावश्यक वस्तुयें . . .	४३४७
२९९०	"किसान स्पेशल"	४३४७
२९९२	गवेषणा डिजाइन और प्रमापीकरण संगठन .	४३४७
२९९३	कोसी पुल . .	४३४७--४८
२९९४	उड़ीसा में बहूदा नदी परियोजना	४३४८
२९९५	उत्तर रेलवे ओक ग्रोव स्कूल,	४३४८
२९९६	रेलवे का स्टोर . . .	४३४८

	विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या

२९९७	मौसम का पूर्वानुमान .	४३४९
२९९८	मनीपुर में औद्यानिकी विकास . .	४३४९
२९९९	सामुदायिक विकास के लिये केन्द्रीय महिला मंत्रणा बोर्ड	४३४९–५०
३०००	उत्तर रेलवे के कर्मचारी .	४३५०
३००१	पठानकोट और जोगेन्द्रनगर के बीच दुर्घटना	४३५०
३००२	दिल्ली में बिजली लगाना	४३५१
३००३	परिवार नियोजन	४३५१
३००४	उर्वरकों का संभरण .	४३५१
३००५	विभिन्न राज्यों को खाद्यान्नों का संभरण . .	४३५१–५२
३००६	डाकघर बचत बैंक में रेलवे कर्मचारियों द्वारा जमा की गयी रकम का वापस लौटाया जाना . .	४३५२
३००७	बाल्ला गांव के पांस राष्ट्रीय राजपथ संख्या ९ पर पुल .	४३५३
३००८	शोलापुर रेलवे स्टेशन पर पैदल चलने वालों के लिये ऊपरी पुल	४३५३
३००९	अंदमान द्वीप समूह का वन विभाग	४३५३–५५
३०१०	वन विभाग, अन्दमान द्वीप .	४३५५–५६
३०११	वन विभाग, अन्दमान द्वीप . .	४३५६
३०१२	मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी, अन्दमान द्वीप	४३५६–५७
३०१३	वन विभाग, अन्दमान द्वीप	४३५७
३०१४	वन विभाग, अन्दमान द्वीप .	४३५७–५८
३०१५	मेसर्स पी० सी० रे एण्ड कम्पनी .	४३५८–५९
३०१६	मेसर्स ी० सी० रे एण्ड कम्पनी . . .	४३५९–६०
३०१७	भारतीय नाविक की हत्या	४३६०
३०१८	रेंड़ बांध . .	४३६०
३०१९	भारतीय केन्द्रीय कपास समिति	४३६०–६१
३०२०	नागपुर के मुख्य डाक घर .	४३६१
३०२१	जापानी फर्म से इन्सुलेटर की खरीद .	४३६१–६२
३०२२	दामोदर घाटी निगम की सिंचाई योजना .	४३६२
३०२३	दिल्ली में सरकारी गाड़ियां .	४३६२–६३
३०२४	दूध विकास परियोजनायें	४३६३
३०२५	भेषज परामर्श समिति . . .	४३६३

विषय — पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव ४३६४–६५

अध्यक्ष ने अगरतला के पास भारत-पाकिस्तान सीमा के पूर्वी क्षेत्र पर पाकिस्तानियों द्वारा गोली चलाये जाने के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने की, जिसकी सूचना श्री हेम बरूआ ने दी थी, अनुमति नहीं दी।

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . ४३६५–६६

निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखे गये :—

(१) दूसरी लोक-सभा के विभिन्न सत्रों में, जैसा कि प्रत्येक के सामने दिखाया गया है, मन्त्रियों द्वारा दिये गये विभिन्न आश्वासनों, वचनों तथा प्रतिज्ञाओं के बारे में सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही को दिखाने वाले निम्नलिखित विवरणों

की एक एक प्रति :—

(एक) पहला विवरण पांचवा सत्र, १९५८।
(दो) अनुपूरक विवरण संख्या ६, चौथा सत्र, १९५८।
(तीन) अनुपूरक विवरण संख्या ११, तीसरा सत्र, १९५७।
(चार) अनुपूरक विवरण संख्या १६, दूसरा सत्र, १९५७।
(पांच) अनुपूरक विवरण संख्या १७, पहला सत्र, १९५७।

(२) विमान वाहक उपक्रमों पर कर लगाने के सम्बन्ध में भारत सरकार और स्विस संघीय परिषद् के बीच हुये करार की, जो दिनांक १ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ७६१ में प्रकाशित हुआ है, एक प्रति।

(३) अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये निदेश संख्या १६ के अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के एकीकरण के बारे में श्री त० ब० विट्ठल राव द्वारा १९ सितम्बर, १९५८ को उठाई गयी आधे घंटे की चर्चा के उत्तर में एक वक्तव्य की एक प्रति।

(४) वर्ष १९५८–५९ की अनुदानों की मांगों (रेलवे) के बारे में एक सदस्य से प्राप्त ज्ञापन के उत्तर के विवरण की एक प्रति।

(५) विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास), अधिनियम, १९५४ की धारा ४० की उपधारा (३) के अन्तर्गत विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) नियम, १९५५ में कुछ और संशोधन करने वाली दिनांक १३ सितम्बर, १९५८ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० ८१४/आर० अमेन्डमेंट २७ की एक प्रति।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखे गये ४३६६

चौबीसवीं से उनतीसवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा पटल पर रखे गये।

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश—सभा-पटल पर रखे गये ४३६६

आठवीं और नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा–पटल पर रखे गये।

विषय पृष्ठ

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति के कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गये । ४३६७

आठवीं और नवीं बैठकों के कार्यवाही सारांश सभा-पटल पर रखे गये ।

सदस्य की गिरफ्तारी ४३६७–६८

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि उन्हें कलकता के पुलिस कमिश्नर से दिनांक २५ सितम्बर, १९५८ का एक तार प्राप्त हुआ है जिसमें सूचित किया गया है कि श्रीमती रेणु चक्रवर्ती को भारतीय दण्ड संहिता की धारा १४३, १४५ के अधीन २५ सितम्बर, १९५८ को गिरफ्तार कर लिया गया है ।

दो सदस्यों को सजा ४३६८–४४०१

अध्यक्ष ने लोक-सभा को बताया कि निम्नलिखित सदस्यों की सजा के संबंध में उन्हें संदेश प्राप्त हुये हैं :—

(१) श्री प्रभात कार को चिनसुरा, जिला हुगली में न्यायिक कार्यवाही में हस्तक्षेप करने के अपराध में २२ सितम्बर, १९५८ को सजा दी गयी ।

(२) श्री मोहन स्वरूप को पीलीभीत में भारतीय दण्ड संहिता की धारा १८३ के अधीन २६ सितम्बर, १९५८ को सज़ा दी गयी ।

विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन—सभा पटल पर रखे गये . . ४३६८

चौथा और पांचवा प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया ।

प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन—उपस्थापित . . . ४३६९

सताइसवें और अट्ठाइसवें प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . ४३६९–७१

(१) श्री वारियर ने अम्बाला, पंजाब, में अवैध हथियारों के पकड़े जाने की ओर गृह-कार्य मंत्री का ध्यान दिलाया ।

गृह-कार्य मंत्री (पंडित गो० ब० पन्त) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया ।

(२) श्री स० म० बनर्जी ने बन्द कपड़ा मिलों को पुनः चालू करवाने के लिये कपड़ा जांच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर सरकार द्वारा किये गये तात्कालिक उपायों की ओर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री का ध्यान दिलाया ।

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) ने उस सम्बन्ध में एक वक्तव्य सभा-पटल पर रखा ।

अनुपस्थिति की अनुमति ४३७१

११ सदस्यों को लोक सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति दी गयी ।

विषय		पृष्ठ

मंत्री द्वारा वक्तव्य ४३७१–७२

सहकार मंत्री (डा० पं० शा० देशमुख) ने कृषि स्नातकों के सम्बन्ध में २ सितम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ७६६ पर श्री कोडियान द्वारा पूछे ग एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

विशेषाधिकार प्रस्ताव . . . . ४३७२—८५

अध्यक्ष ने, केरल के मुख्य मंत्री द्वारा ह-कार्य मंत्री को भेजे गये, समाचार पत्रों में प्रकाशित, कथित तार के सम्बन्ध में, २३ सितम्बर, १६५८ को श्री मी० रू० मसानी द्वारा जो विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया गया था, उसे नियमानुकूल ठहराया और सदस्य द्वारा उस प्रश्न को उठाने के लिये सभा की अनुमति मांगने के सम्बन्ध में अपनी स्वीकृति प्रदान की ।

चूंकि अनुमति देने पर आपत्ति की गयी अत : अध्यक्ष ने उन सदस्यों को, जो अनुमति देने के पक्ष में थे, अपने स्थान पर खड़े होने के लिये कहा । तदनुसार २५ से अधिक सदस्यों के खड़े होने पर अध्यक्ष ने घोषणा की कि सभा ने अनुमति दे दी है ।

इसके पश्चात् श्री मी० रू० मसानी ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"कि २३ सितम्बर को क माननीय सदस्य रा सभा का ध्यान केरल के मुख्य मंत्री श्री ई० एम० एस० नम्बूद्रिपाद द्वारा गृह-कार्य मंत्री, पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार की ओर आकर्षित किये जाने पर, जिसके कुछ अंश २० सितम्बर को पी० टी० आई० द्वारा त्रिवेन्द्रम से भेजे गये एक समाचार में, जो अधिकारिक सूत्रों पर आधारित बताया जाता है, दिये गये हैं तथा जो २१ सितम्बर को "टाइम्स आफ इण्डिया", दिल्ली और "अमृत बाजार पत्रिका" कलकत्ता में प्रकाशित हुआ है, जिसमें श्री नम्बूद्रीपाद ने इस सभा के कुछ माननीय सदस्यों पर अपमानवचन का आरोप लगाया है;

और श्री नम्बूद्रीपाद द्वारा बाद में पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त को भेजे गये उस तार को ध्यान में रखते हुये जिसे माननीय अध्यक्ष ने इस सभा में २३ सितम्बर को पढ़ कर सुनाया ;

यह सभा संकल्प करती है कि यह मामला विशेषाधिकार समिति को सौंपा जाये जो इस बात की जांच करे कि इस सभा का और सम्बन्धित सदस्यों का विशेषा- धिकार भंग हुआ है अथवा नहीं तथा इस प्रकार सभा की हुई किसी मानहानि का पर्याप्त परिमार्जन हो गया है अथवा नहीं, और समिति से प्रार्थना की जाये कि इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही के लिये वह अपना प्रतिवेदन व सिफारिशें लोक-सभा के अगले सत्र के पहले दिन प्रस्तुत करे ।"

चर्चा समाप्त नहीं हुई ।

विषय	पृष्ठ
विधेयक—पुरः स्थापित	४३८५–८६,४४०४
(१) भारतीय विद्युत् (संशोधन) विधेयक ;	
(२) संसद् सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) विधेयक ;	
(३) चाय (उत्पादन शुल्क तथा सीमा-शुल्क में परिवर्तन) विधेयक ।	
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियमों में रूपभेद के बारे में प्रस्ताव .	४३८७–९०
संघ लोक सेवा आयोग (परामर्श) विनियम, १९५८ में, जो ११ सितम्बर, १९५८ को सभा-पटल पर रखे गये थे, रूपभेद करने के ८ प्रस्ताव निम्नलिखित सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये—	
(१) श्री हरिश्चन्द्र माथुर	
(२) श्री ब्रजराज सिंह	
प्रस्तावों पर विचार स्थगित कर दिया गया ।	
गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन—स्वीकृत	४३९१
अट्ठाइसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—वापस लिया गया . . .	४३९२—४४०१
उड़ीसा, मध्य प्रदेश तथा बिहार राज्यों के सीमा-संबंधी झगड़ों का निर्णय करने के लिये एक आयोग के बारे में संकल्प पर अग्रेतर चर्चा समाप्त हुई और संकल्प सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।	
गैर-सरकारी सदस्य का संकल्प—विचाराधीन .	४४०१—०३
श्री दी० चं० शर्मा ने देश में बेरोज़गारी का अनुमान लगाने और उसे दूर करने के उपायों का सुझाव देने के लिये एक समिति नियुक्त करने के बारे में एक संकल्प प्रस्तुत किया ।	
चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
आधे घंटे की चर्चा	४४०५—०९
श्री रामेश्वर टांटिया ने अमेरिका को रुई का संभरण करने के बारे में १२ सितम्बर, १९५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ११९९ के उत्तरों से उत्पन्न होने वाली बातों पर आधे घंटे की चर्चा उठाई ।	
वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीशचन्द्र) ने वाद-विवाद का उत्तर दिया ।	

[लोक-सभा अनिश्चित तिथि के लिये स्थगित हुई]

दूसरी लोक-सभा के पाँचवें सत्र की कार्यवाही का सारांश

१.	**सत्र की अवधि**	११ अगस्त से २७ सितम्बर, १९५८ ।
२.	**बैठकों की संख्या**	३५
३.	**बैठकों के कुल घंटों की संख्या**	२२१ घण्टे और २७ मिनट
४.	**मत-विभाजनों की संख्या**	८

५. सरकारी विधेयक :—

(एक)	सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	८
(दो)	पुरःस्थापित किये गये	२२
(तीन)	राज्य सभा द्वारा पारित रूप में सभा-पटल पर रखा गया	१
(चार)	प्रवर समिति को सौंपा गया	१
(पांच)	संयुक्त समिति को सौंपा गया	१
(छः)	प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित	३
(सात)	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित	३
(आठ)	पारित किये गये	२२
(ौ)	राज्य-सभा द्वारा विना किसी संशोधन के वापस किये गये	३
(दस)	राज्य-सभा ारा संशोधन सहित वापस किये ग े	कोई नहीं ।
(ग्यारह)	सत्र की समाप्ति पर लम्बित	९

६. गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक :—

(एक)	सत्र के प्रारम्भ में लम्बित	५४
(दो)	पुरःस्थापित कि े ग े	२१
(तीन)	वापस लि े गये	३
(चार)	सत्र की समाप्ति पर लम्बित	७२

७. संविधान के अनुच्छेद १२३(२)(क) के अधीन संविहित संकल्प :—

(एक)	प्रस्तुत किये गये	३
(दो)	स्वीकृत किया गया	कोई नहीं ।

८. गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प :—

(एक)	प्राप्त हुये	५४७
(दो)	स्वीकृत हुये	कोई नहीं ।
(तीन)	कार्यसूची में सम्मिलित किये गये	२४
(चार)	वापस लिये गये	३
(पांच)	अस्वीकृत	२

दूसरी लोक-सभा के पांचवे सत्र की कार्यवाही का सारांश--(जारी)

९. सरकारी प्रस्ताव :--

(एक) प्रस्तुत किये गये	३
(दो) स्वीकृत किये गये	१ (खाद्य स्थिति वाले प्रस्ताव के सम्बन्ध में श्री विभूति मिश्र द्वारा प्रस्तुत एक स्थानापन्न प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

१०. गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव :--

(एक) प्राप्त हुये . . .	५५
(दो) गृहीत किये गये .	२७
(तीन) प्रस्तुत किये गये . .	६

११. संविहित नियमों में रूपभेद संबन्धी प्रस्ताव :--

(एक) प्राप्त हुये .	१३
(दो) गृहीत किये गये	८
(तीन) प्रस्तुत किये गये	८

१२. अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रस्तावों पर चर्चा . . .	२
१३. आधे घण्टे की चर्चा	५
१४. अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय, जिनको ओर मंत्रियों का ध्यान आकर्षित कराया गया तथा जिन पर मंत्रियों ने वक्तव्य दिया या उसे सभा-पटल पर रखा	**१३**

१५. स्थगन प्रस्ताव :--

(एक) प्राप्त हुए	४६
(दो) गृहीत	१
(तीन) अध्यक्ष ने अनुमति नहीं दी . . .	४८

१६. पूछे गये प्रश्न :--

(एक) तारांकित	१६६५
(दो) अतारांकित (उन तारांकित प्रश्नों के समेत जिनको अतारांकित बना दिया गया)	२९६७
(तीन) अल्प सूचना प्रश्न	२०

दूसरी लोक-सभा के पाँचवे सत्र की कार्यवाही का सारांश--(जारी)

१७. संसदीय समितियों के प्रतिवेदन उपस्थापित किये गये :--

(एक)	कार्य मंत्रणा समिति	५
( )	विशेषाधिकार समिति	२
		(चौथा व पांचवां)
(तीन)	सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति .	२
(चार)	याचिका समिति	१
		(चौथा)
(पांच)	गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति . .	६
		(तेइसवां से अट्ठाइसवां)
(छः)	अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	कोई नहीं।
(सात)	नियम समिति	कोई नहीं।